राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5]   नवीं विधान सभा के पंचम सत्र का चतुर्थ दिवस   [संख्या 4

शुक्रवार,

13 सितम्बर, 1991

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-श्री महावीर प्रसाद जैन।

अनुपयोगी क्षय रोग प्रतिरोधक दवाइयों का क्रय

59. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1987 फरवरी, मार्च के दौरान चिकित्सा निदेशक, राजस्थान को 40 लाख रुपये तक की क्षय रोग प्रतिरोधक दवाइयां क्रय करने की स्वीकृति दी गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस निमित्त फरवरी, मार्च, 1987 के दौरान 58.8 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि इस खरीद में नियमों की पूर्ण अवहेलना कर अनुपयोगी दवाइयां क्रय की गई ? क्या जिला क्षय रोग निवारण केन्द्रों पर बिना मांग के यह दवाइयां भेजी गयी ?

(4) क्या यह सही है कि इस खरीद के कारण सरकार को लाखों रुपयों की हानि हुई ? क्या क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को भी लाभ नहीं पहुंचा :--

1. इन दवाइयों को क्रय करने वाली समिति में कौन-कौन सदस्य थे ?

2. निविदाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

3. किन-किन क्षय रोग निवारण केन्द्रों को कौन कौन सी दवाइयां किस-किस अधिकारी द्वारा भेजी गई ?

4. क्या इस अनियमित कार्यवाही के खिलाफ कोई जांच हुई ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो उसमें वे कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्यक्रम के तहत वर्ष 1986–87 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के आधार पर राज्य योजना के अन्तर्गत रुपये 56 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था।

(2) जी नहीं, माह फरवरी, मार्च 87 में रुपये 54.41 लाख की औषधियां क्रय की गई थीं।

(3) जी नहीं, ग्यारह प्रकार की औषधियां क्रय की गई थीं, जो नियमों के अनुरूप तथा क्षय रोगियों के उपचार में उपयोगी थीं। औषधियां क्षय रोग निवारण केन्द्रों पर आवश्यकता अनुसार भेजी गई।

(4) इस खरीद के कारण सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई। औषधियां क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार हेतु खरीदी गयी।

1. इन दवाइयों को तत्काल क्रय नीति के अनुरूप क्रय किया गया।

2. इन दवाइयों के लिये अलग से कोई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई क्योंकि यह विभागीय रेट कान्ट्रेक्ट पर अनुमोदित फर्म तथा राजकीय उपक्रमों से खरीदी गई हैं।

3. खरीद की गई 11 प्रकार की दवाइयां उप निदेशक (क्षय) द्वारा सभी क्षय निवारण केन्द्रों को भेजी गई। दवाइयों की सूची संलग्न है।

4. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह उम्मीद करता था कि जिस रूप में हमारे मंत्री जी जाने जाते हैं, प्रश्न की बड़ी गहराई में जाते हैं। ऐसा गोलमाल जवाब जो मैं समझता हूं कि अवमानना में भी आता है, यह भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है उसमें यह कहा गया है कि 40 लाख रुपये के आदेश दिये गये थे कि 40 लाख रुपये की दवाइयां क्रय की जायें। आपने बजट प्रावधान के लिए कहा तो मैं समझता हूं कि बजट प्रावधान मार्च, 1986 में हो गया होगा और 1987 मार्च में खरीदने का क्या कारण था कि आखिरी महीने में आकर 40 लाख रुपये की स्वीकृति के अगेन्स्ट 56.08 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी गई। तो क्या यह ऑडिट आब्जेक्शन था वह निरस्त करवा लिया गया या इसका कोई जवाब दे दिया गया? दूसरे, इसमें यह भी लिखा था कि 20 लाख रुपये की दवाइयां ऐसी खरीदी गयीं जो टी. बी. के काम में नहीं आती हैं? यह मैं इसका ओरीजिनल पढ़कर सुनाता हूं।

'निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को फरवरी, 1987 में पूरी मात्रा में 40 लाख रुपये तक की क्षय रोग प्रतिरोधक दवायें क्रय करने की अनुमति थी। फरवरी और मार्च, 1987 के दौरान....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : महावीर जी प्रश्न पूछें। रोज आप हमको टोकते हैं आज हमें मौका मिला है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रश्न ही पूछ रहा हूं। तो इसमें यह बताया गया है

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
कि 40 लाख रुपये की दवाइयों के अगेन्स्ट में 58 लाख की खरीदीं। 20 लाख रुपये की ऐसी दवाइयां खरीदी गयीं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि आपको आपत्ति नहीं हो तो मैं आपको सजैशन दूं कि प्रश्न यह पूछिये कि आपने जो अभी यह विवरण दिया है क्या इसमें ऑडिट ने आब्जेक्शन किया है ? यह पूछिये। आप पहले से ही सारा भाषण दे रहे हैं। पहले उनको एक्सेप्ट तो करने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो मैंने बता दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ऑडिट का आब्जेक्शन है। क्या यह सही है कि क्या ऑडिट आब्जेक्शन किया गया था ? महालेखाकार परीक्षक का जो 1989 की संख्या 3 का सिविल प्रतिवेदन है इस पर ऑडिट आब्जेक्शन किये क्या हैं और क्या इसमें यह दर्शाया गया है कि 20 लाख रुपये की दवायें अनुपयोगी खरीदी गयीं ? 7 लाख रुपये की दवाइयां आपके डाइरेक्टोरेट में पड़ी रहीं और बिना मांग के जो आपने जवाब दिया कि बिना आधार के यह दवायें खरीदी गयीं थीं और बिना मांग के भेजी गयी हैं, क्या यह सही है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जिस ऑडिट आब्जेक्शन की चर्चा की है, सचमुच ऑडिट आब्जेक्शन ऑडिट करने के बाद किया गया है। खरीद तो 86-87 की है। इस ऑडिट आब्जेक्शन के बारे में विभाग ने, सचिवालय ने अपना प्रत्युत्तर जो भेजा है वह भी शायद माननीय सदस्य के ध्यान में आया होगा। जिस बात की चर्चा उन्होंने ऑडिट आब्जेक्शन की, की है उसमें 4 बिन्दु हैं। उन चारों बिन्दुओं की ओर जिसकी तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि 40 लाख की अनुमति थी जो ऑडिट आब्जेक्शन किया है वह सत्य नहीं है। हमने उसका प्रतिवाद कर दिया है। कारण यह हुआ है कि 66-67 में जो बजट प्रावधान किया था वह 56 लाख रुपये था। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो योजना होती है उसमें केन्द्र भी पैसा उतना ही देता है जितना राज्य सरकार देती है और राज्य योजना का 56 लाख रुपया था और केन्द्र प्रवर्तित योजना का भी 56 लाख रुपया था। अगर हम 56 लाख रुपये से कम की दवायें खरीदते तो केन्द्र से जो सहयोग होना था वह आटोमेटीकली कम हो जाता। अब यह आब्जेक्शन क्यों किया गया, इसका प्रतिवाद क्या है, इसकी तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। बजट में 56 लाख रुपये का प्रावधान होने के पश्चात् विभाग ने उस समय सोचा कि उसके एक साल पहले केवल 11 लाख रुपये का प्रावधान टी. बी. के लिए किया जाता था। 11 लाख रुपये से एकदम बढ़कर 56 लाख रुपया हो गये। तो विभाग ने यह सोचा कि एकदम दवाइयों का और उपकरणों का इतना पैसा आ गया है तो क्यों नहीं हमारे यहां इस काम के लिए जो डीजल जीप की आवश्यकतायें हैं और जो 21 फ्रिज खराब हो गये, 14 डीजल जीप के खरीदने और 21 फ्रिज बदलने के लिए 16 लाख रुपये की आवश्यकता थी। तो विभाग ने सरकार को यह लिखा कि 56 लाख रुपये जो हमको मिल गये हैं इसमें से हम 40 लाख रुपये की दवायें खरीदना चाहते हैं और 16 लाख रुपये के फ्रिज बदलना चाहते हैं और जीप खरीदना चाहते हैं। राज्य

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सरकार ने विभाग को इसका कोई उत्तर नहीं दिया। विभाग के सामने अंत में फरवरी मार्च में आकर यह धर्म संकट खड़ा हो गया बल्कि उत्तर उन्होंने यह दिया कि अगर 40 लाख रुपये में काम चलता है तो 40 लाख रुपये की दवाएं तुम खरीद लो और यह जो उपकरण खरीदने वाली बात कह रहे हो या फ्रिज वाली हो इसको अगले साल करना। अब सरकार ने उनको लिखा इसका मतलब यह नहीं हो गया कि उनको चालीस लाख रुपए की दवाएं खरीदने की अनुमति थी। बजट तो 56 लाख रुपए का था और इस कारण से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना कम हो जाएगी। इसलिए फरवरी और मार्च के महीने में, दोनों महीनों में 54.41 लाख रुपए की दवाइयां खरीदी गई और उस पूरे साल में 55.48 लाख रुपए की दवा टोटल खरीदी गई। यह तो पहला आब्जेक्शन जो उसने किया है, उसके बारे में मुझे कहना है। दूसरा आब्जेक्शन ऑडिट ने यह किया है कि यह जो दवाएं हैं क्षय रोग के लिए उपयोगी नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह जो 11 दवाइयां हैं इसमें से 6 दवाइयां तो असेन्शियल ड्रग्स हैं तो जिन ड्रग्स का उपयोग क्षय की बीमारी के उपचार के लिए होता है, वह तो 6 हमने खरीद ली। उसके साथ साथ जो एनसिलियरि ड्रग्स हैं, जिनको कि खरीदना आवश्यक इसलिए होता है कि टी. बी. के मरीज के साथ साथ बुखार आ जाता है और उसके साथ-साथ कमजोरी बढ़ जाती है। इन सब बातों को दूर करने के लिए जो पांच और प्रकार की दवाएं हैं, जिनको ऑडिट में लिखा है कि यह आवश्यक नहीं थीं, यह बात ठीक नहीं है। टी. बी. के उपचार के लिए 6 असेन्शियल ड्रग्स थीं किन्तु एनसिलियरि ड्रग्स पांच और थीं जिनको भी उसके साथ खरीदा गया। इस दृष्टि से यह जो आब्जेक्शन है ऑडिट का यह भी ठीक नहीं है और हमने इसका भी प्रतिवाद भिजवा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा उनका यह था कि दवाइयां ऐसी जगह से खरीद ली जिनका रेट कान्ट्रेक्ट नहीं था। मैं सदन को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं इन 11 दवाइयों में से दो दवाइयां तो ऐसी हैं जो हमारे रेट कान्ट्रेक्ट में आती हैं। जिनके बारे में पहले कोटेशन्स मंगाए गए थे, टैण्डर मंगाए गए थे, और लिया गया था। बाकी जो 9 दवाइयां है यह 9 दवाइयां राजस्थान के राजकीय उपक्रम आर. डी. पी. एल. और जो हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स है इनसे दवाएं खरीदीं। इसलिए यह भी बात कहना कि इसमें सरकार को नुकसान हो गया, यह भी किसी दृष्टि से उचित नहीं है।

चौथा आब्जेक्शन है कि जिस समय ऑडिट करने गए जुलाई 1987 में 7.70 लाख रुपए की दवाएं स्टाक में मौजूद थीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फरवरी मार्च में खरीदी, साल भर उनका उपयोग होना था। पहला इन्सटालमेंट तो भेज दिया 56 लाख रुपए में से 48 लाख का तो भेज दिया, सात लाख हमारे पास था जुलाई में, अगस्त में, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर से लेकर मार्च तक और जहां-जहां आवश्यकता आई उन दवाइयों को हमने भिजवा दिया। इसलिए

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्य महोदय ने जिस ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया है वह रिपोर्ट सही है। उसकी दृष्टि से हमने अपना विभागीय प्रतिवाद इसमें से भेज दिया है और वह विभागीय प्रतिवाद भेजने के पश्चात् इन चारों ऑडिट आब्जेक्शन्स पर अब धीरे धीरे निर्णय करके यह ऑडिट पैरा दूर हो जाएगा। इसलिए उक्त प्रकार से जो सवाल इन्होंने किए हैं मैंने उनका निराकरण आपके सामने किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने जबाब दिया है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना से मिला है और पहले केवल 11 लाख रुपए का था। क्या आपने इन सारे ऑडिटर पैराज को पढ़ा है? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पेज 67 पर 1981 से लेकर 1986–87 तक बजट प्रावधान है वह इसमें लिखा है 1983–84 में 29.11 लाख 84–85 में 21 लाख, 1985–86 में 25 लाख, 1986–87 में 34 लाख और 24 लाख। इस प्रकार जो 11 लाख की बात कर रहे हो मैं समझता हूं वह भी आपको गलत समझायी गई है।

दूसरा आपने कहा कि आर.डी.पी.एल. से और इनसे हमने दवाइयां खरीदी हैं। क्या आपको यह जानकारी है कि आर.डी.पी.एल. स्वयं अपना प्रोडक्शन, कितनी दवाइयां बनाती है और कितनी ऐसी दवाइयां हैं जो वो बाहर से बनवाकर अपना ठप्पा लगाकर के भेजती है? क्या वह भी सही है कि आर.डी.पी.एल. के चेयरमैन कौन हैं और मतलब यह जो इस प्रकार के सरकारी चरागाह बन गए हैं कि यह कहने के नाम पर तो राजकीय उपक्रम हैं, यह कहा जा सकता है लेकिन इसी प्रकार से जो ड्रग्स और दवाइयां हैं वह दूसरी कम्पनियों की कम कीमत पर आपको बाजार में उपलब्ध होती हैं और यहां पर दुगुनी और तिगुनी कीमतें वसूल की जाती हैं। ऊपर बिल बनाए जाते हैं, किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है और इनके डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन हैं? क्या आपकी जानकारी में यह भी है? यह बताने की कृपा करें।

श्री देवेन्द्र सिंह : इनकी कोई एजेन्सी होगी ?

श्री अध्यक्ष : एजेन्सी नहीं है इसलिए तो आलोचना कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी तरह मैं धंधा नहीं करता हूं। विधानसभा को मंच नहीं बनाता अपना धंधा करने का। आपने बहुत कमाया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात की चर्चा की है, मैंने भी इस बात की जानकारी की है। यह जो 9 दवाइयां खरीदी गई आर.डी.पी.एल. से वह उन्हीं के द्वारा मैन्युफैक्चर की हुई हैं। मेरे भी यह बात ध्यान में आई थी कि कहीं ऐसी बैक डोर एन्ट्री तो नहीं हो रही। तो इसलिए सारी 9 की 9 दवाएं उन्हीं के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग हैं। चेयरमेन जो सैक्रेटी राजस्थान गवर्नमेंट का होता है वह एक्स ऑफिसियों चेयरमैन रहता है। इसलिए इस प्रकार का विचार करने का भी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कोई कारण नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह प्लेन और नोन प्लेन शायद मिला हुआ होगा इसलिए वो उस प्रकार चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सवाल के माध्यम से 1986–87 में होने वाली दवाइयों के विक्रय की जिस प्रकार की जानकारी दी है मैं उसकी पूरी छान-बीन निश्चित रूप से करवाऊंगा। और कोई कमी पाई तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, वो दवाइयां....

श्री अध्यक्ष : महावीर जी का अंकित नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यह दवाइयां साल के अन्तिम दिनों में खरीदी गई और जब अन्तिम दिनों में खरीदी जाती हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो राज्य स्तर पर होता है वो आबादी के हिसाब से नहीं होकर के जो अधिकारी लोग हैं वह अपने तरीके से, नजदीकी अधिकारियों को जो ज्यादा पर्सनल अधिकारी होता है उसको ज्यादा भेज देते हैं, दवाइयों का दुरूपयोग होता है।

क्या यह सही है कि जो आप चालीस पचास लाख की दवाइयां जयपुर में ही खरीदते हैं वह अगर आप पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों के सी.एम.एच.ओ. को अगर अधिकार देते हैं और वहां कमेटी बना कर के फिर वहीं खरीदें तो क्या यह ठीक नहीं रहेगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जिन दो प्रश्नों की चर्चा आपने की है, फरवरी और मार्च में परचेज हो। इसके लिए विभाग अब बहुत चिन्ताशील हो गया है। अब जिन्होंने की है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक कारण मुझे बताया गया है जो मेरे ध्यान में लाया गया है कि इस प्रकार आवश्यक केलकुलेट करने में और केन्द्र से दिशा निर्देश आने में देरी हुई, इस कारण से हमको क्या खरीदना है, एक विषय आया किन्तु फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब सरकार ने इस विषय में जांच की है और मार्च और फरवरी में खरीद न हो, खरीद साल भर की जा सके इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है।

दूसरी एक बात जो माननीय सदस्य ने कही है कि वहां कमेटियां बनाई जाएं, इस प्रकार का विचार पहले कहीं रहा है। इसमें से कई ऐसे दुष्परिणाम निकले हैं कि जिन दुष्परिणामों के कारण भयानक रूप से भ्रष्टाचार के समाचार और शिकायतें आई हैं। इसलिए इसमें परिवर्तन करके इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मैं तो इसमें सदन का मार्ग दर्शन चाहूंगा कि इस विषय में पूरा विचार विमर्श करके दोनों प्रकार की बातें ट्राई करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा ।

विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम की प्राथमिक शालाएं

60. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं और सरकार वर्ष 1991 में कितनी और खोलना चाहती है ? अध्यापकों सहित ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति नादौती के ग्राम कूंजेला में प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

पंचायत राज, राज्य मंत्री (श्री हरलाल सिंह खर्रा) :

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल 141 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। वर्ष 1991 में राज्य सरकार प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का विचार रखती है। अध्यापकों की ग्राम वाइज सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति, नादौती के ग्राम कूंजेला में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय चल रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे दो नम्बर पर ही आज ले लिया और वही शिक्षा सम्बन्धी मेरा आज प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी, मेरा सीधा साधा प्रश्न है कि प्राथमिक पाठशाला के बारे में आपने उत्तर दिया कि अध्यापकों की ग्राम वाइज सूची आपने पेश कर दी है लेकिन मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि पहले सरकार ने 1990–91 में कुल कितने प्राइमरी स्कूल बन्द किये ? यह मेरा पहला प्रश्न है। उन बंद की गई स्कूलों में से आप अब कितनी स्कूलों को खोलने जा रहे हो ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि क्या सरकार ने प्राइमरी स्कूल, जो कूंजेला के बारे में जवाब दिया है, कि वहां पर चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूल चल रहा है। यह स्कूल पहले मिडिल स्कूल था फिर सैकण्डरी स्कूल हुआ जब सैकण्डरी स्कूल हो जाता है तो उसके बाद आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या कूंजेला के अन्तर्गत आपने अलग से प्राइमरी स्कूल खोला है ? वह क्या गांव में खोला है या ढाणी में खोला है और आपने ढाणी में खोला है तो गांव से कितनी दूर है और अगर दूर है तो बीच में जो नाला पड़ता है, जो ज्यादातर बहता रहता है क्या बच्चों को उससे खतरा पैदा नहीं हुआ है ? यह मेरा आपसे प्रश्न है। इसके साथ साथ एक और प्रश्न है मेरा ब्लेक बोर्ड स्कीम के तहत आपकी शर्त है कि 2 अध्यापक अवश्य रखोगे। इस ब्लेक बोर्ड स्कीम के तहत कितने गांवों में कितनी प्राइमरी शालाओं में अध्यापक लगा रखे हैं, क्या दो अध्यापक हैं ? लिस्ट में जो आपने दिया उसमें बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें एक-एक अध्यापक आपकी लिस्ट में है। अध्यक्ष

(श्री रामस्वरूप मीणा)

महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अब भी एक मास्टर लगा रखा है और ब्लेक बोर्ड स्कीम के तहत दो मास्टर होना आवश्यक है इसके बारे में कृपया आप बतावें। गांव में यह हालत हो रही है कि वहां के जो मास्टर हैं वह स्कूलों में नहीं जाते हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया, विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि कितनी प्राथमिक शालायें बन्द की। प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन कोई प्राथमिक शाला हमने बन्द नहीं की, केन्द्र जरूर बन्द किये थे, शिक्षा केन्द्र, वह इससे सम्बन्धित नहीं है। पूरी रिपोर्ट इस समय नहीं है। कितने खोलने की बात है, इसके लिए हमने मापदण्ड तय कर दिया है। विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जा रही है उस मापदण्ड के आधार पर जितनी स्कूलें आपके हिस्से में आयेंगी वह खोल दी जायेंगी। ब्लेक बोर्ड वाला जो प्रश्न है वह इससे सम्बन्धित नहीं है चूंकि मेरे पास उसकी सूचना नहीं है और यदि ऐसा है कि दो अध्यापक लगेंगे तो लगाने की कोशिश करूंगा।

आपने जो प्राथमिक शाला के लिए कहा कि हाई स्कूल होने के बाद अलग से प्राथमिक शाला खोल दी गयी। यह बात सही है कि दूर ढाणी में वहां के सरपंच कहीं मकान बनाकर वहां ले गया लेकिन राज्य सरकार ने गांव में खोलने के लिए इसके आदेश कर दिये हैं। वह प्राथमिक शाला गांव में ही रहेगी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा प्रश्न है कि आपने जो कहा कि जल्दी ही विचार चल रहा है वह खोल दी जायेंगी, इसकी कोई लिमिटेशन तो होगी साहब, कई वर्षों से खाली पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं कि खोल देंगे। निर्णय ले लिया कि ढाणी के बजाय गांव में खोल दी जायेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बारे में मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आपने और अन्य प्राथमिक शाला खोलने के लिए कहा है क्षेत्र के अन्दर, उसके बारे में कहा कि विचाराधीन हैं तो कब तक वह शालायें खुल जायेंगी ? इसी सत्र में खुल जायेंगी या नहीं खुलेंगी ?

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में खुलेगी।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में हम जल्दी ही खोल देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। श्री हरिसिंह।

श्री रामस्वरूप मीणा : भवन मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, लड़के हैं और उसमें खाली अध्यापक भेजने हैं। अध्यापक भेजने में स्कूल खुल जायेगा। मंत्रीजी से निवेदन है कि अध्यापक आप कब तक नियुक्त कर दोगे ? अध्यापक आपको लगाने हैं और स्कूल खुल गये, भवन है, सारी चीजें हैं।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि जितनी जगह खाली थी

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

राजस्थान में, जिला परिषदों को यह आदेश दे दिया कि वह इसमें भर्ती करें, मेरिट के आधार पर और शायद जयपुर जिला परिषद ने पूरी जगह भर दी। आपके यहां कोई नहीं पहुंचा होगा, जगह नहीं होगी तो दूसरी बात है लेकिन सारे राजस्थान में यह है कि जितनी जगह हैं उनको भर दिया जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि जो शिक्षा के केन्द्र आपने बन्द किये हैं और इस वर्ष जो प्राथमिक शालायें खोल रहे हैं, क्या आप प्राथमिकता के आधार पर उन बन्द किये गये शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर ही प्राथमिक शालायें खोलेंगे ?

जो पिछली बार ढाई सौ तक की आबादी के गांवों में इस योजना के तहत कवर कर लिया गया था क्या आज भी सरकार की मन्शा ढाई सौ की आबादी पर प्राथमिक शालायें खोलने की है ?

पिछले शिक्षा केन्द्रों में स्त्री शिक्षा को मद्‌देनजर रखते हुये जो शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिये गये, जो कन्याओं के लिए खोले थे क्या उनको प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे और अब जो स्कूल आप खोलने जा रहे हैं उनका खोलने का क्या मापदण्ड है ?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि गत विधान सभा सत्र में राजस्थान सरकार ने 15 सौ नई स्कूलें खोलने की घोषणा की थी, 6–7 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक स्कूलें क्यों नहीं खोली ?

दूसरी बात यह है कि शिक्षा का सत्र, तीन महीने गुजर गया उसके बाद भी अब तक स्कूलें क्यों नहीं खोली ?

तीसरी बात, जिन पंचायत शिक्षा केन्द्रों को आपने बन्द किया था उसमें राजस्थान हाई-कोर्ट ने स्टे दिया मेरी पंचायत समिति के सात स्कूलों के लिए तो क्या हाई कोर्ट के निर्देशानुसार आप वहां स्कूल खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि राजस्थान में शिक्षा केन्द्र बन्द किये थे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में जितने शिक्षा केन्द्र थे वह सभी बन्द किये हैं या कोई किसी जिले में बन्द किये, किसी में नहीं किये, ऐसा है ? यह थोड़ा स्पष्ट कर दें। (व्यवधान)

श्री हरलालसिंह खर्रा : जितने शिक्षा केन्द्र थे वह सारे राजस्थान में बन्द कर दिये गये थे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने कहा है, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अलवर जिले के अन्दर वर्तमान में शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं। मंत्रीजी ने यह बात असत्य कही है। अलवर जिले में कुछ पंचायत समितियां, आज की तारीख में, शिक्षा केन्द्र चला रही है।

श्री हरलालसिंह खर्रा : यह राजस्थान सरकार के आदेश से नहीं चल रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : राजस्थान सरकार के आदेश से नहीं चल रहे हैं तो कोई दूसरी समानान्तर सरकार है क्या राजस्थान के अन्दर जो अलवर के अन्दर शिक्षा केन्द्र चला रही है।

श्री हरलालसिंह खर्रा : यदि विकास अधिकारी ने शिक्षा केन्द्र बन्द नहीं किये और चालू कर रखे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 61.

"तुरन्त प्राथमिकता योजना" के अन्तर्गत कृषकों को कृषि कनेक्शन

61. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कृषि कनेक्शन देने के लिए विद्युत बोर्ड द्वारा तुरन्त प्राथमिकता योजना लागू की गयी थी ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर में कुल कितने आवेदन पत्र विद्युत विभाग को मिले ? कृपया सहायक अभियन्ता कार्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) तुरन्त प्राथमिक योजना में अब तक किसानों को कितने कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं ? कृपया सहायक अभियंता कार्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग ने तुरन्त प्राथमिकता योजना में कनेक्शन जारी करना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत विद्युत बोर्ड में कुल कितनी राशि जमा की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 61 स्थगित किया जाता है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी सक्षम नहीं हैं तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 62। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह तुरन्त प्राथमिकता योजना का जो सवाल है, प्रदेश के 3 करोड़ किसानों से संबंधित सवाल है। इसका जवाब दिलाइये।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए। आर्डर प्लीज, यह प्रकाशन है कृपया आगे सवाल आने दीजिए। Please sit down. The matter is over. Now we are going to the next question.

प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

नोट मत करिए। आप बैठिए।

डा. चन्द्रभान : ×××

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : ×××

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त हो गया है, दर्ज मत करिए। प्रश्नकाल का समय जाया मत करिए, आगे सवाल रह जायेंगे।

डा. चन्द्रभान : ×××

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री अध्यक्ष : कुछ दर्ज नहीं हो, बोलने दीजिए इनको।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : ×××

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ×××

श्री हरिसिंह : ×××

श्री मदन दिलावर (अटरू) : ×××

श्री हरीश भामनानी (अजमेर पश्चिम) : ×××

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ×××

श्री हरिसिंह : ×××

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : बड़ी तेजी से सारा मामला हो गया। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन काल किया उसके पहले वाला जो प्रश्न माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय से पूछा जा रहा था उसके लिए कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गए। वो चाहते थे हमारे प्रश्नों का जवाब दिलाया जाय। इसी बीच में आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया ऊर्जा वाला और आपने उसे स्थगित कर दिया। पहली बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को इतना मौका दिया जाय जिससे वे अपना सवाल जो पूछा गया है जिसको आपने अलाउ किया है उनका जवाब आ जाय। आपने अलाउ न किया होता तो....

श्री अध्यक्ष : मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है। 4 माननीय सदस्यों को अलाउ किया है, चारों के जवाब आ गए हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ गया। (व्यवधान)

आप इस प्रश्न को पढ़िये, यह प्रश्न बहुत लिमिटेड और प्रश्नकर्ता....

श्री हीरालाल देवपुरा : आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्न पढ़िए। 2 बातों का उनको आश्वासन मिल गया। जहां वे स्कूल चाहते थे, उन्होंने कहा कि स्कूल हो जायेगी। वो चाहते थे अध्यापक कब लगाये जायेंगे, इसी सत्र में स्कूलें नई खुल जायेंगी, उन्होंने कहा इसी सत्र में खुल जायेगी। वो संतुष्ट हो गए, दूसरे प्रश्न का सवाल ही नहीं था।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(12)

श्री हरिसिंह : ×××

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, फिर बीच में बोल गये आप। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, हाउस ठीक ढंग से चलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल है, नहीं चलाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं का समय जा रहा है। आधा घण्टे में तो बेट करूंगा आप पूछना चाहें तो पूछिए, आप न पूछना चाहें तो मत पूछिए। आपका समय है और चाहे तो आप बोलते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी सवाल पर, जो प्रश्नकर्ता ने पूछा है, संतुष्ट होने के बाद दूसरे को सप्लीमेंटरी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आप नियम बना दीजिए, एक परम्परा डाल दीजिए और उस परम्परा पर आप स्ट्रिक्ट रहिए, कभी भी उसको रिलेक्स मत कीजिए, माननीय सदस्य उससे संतुष्ट हो जायेंगे। यह बना हुआ है, आपने बनाया है लेकिन उस परम्परा को बराबर तरह से लागू नहीं किया है इसलिए माननीय सदस्यों को उत्तेजना हो रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इर्रिलेवेंट कोई प्रश्न पूछा है या प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है तो मैं यह कहना चाहूंगा आप उस वक्त ही कह दीजिए कि यह प्रश्न इससे संबंध नहीं रखता, बन्द कर दीजिए, नहीं पूछें, तो वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन लिया, उसे स्थगित कर दिया। मंत्री महोदय का अधिकार है स्थगित करवाने का वो आपसे निवेदन कर सकते हैं और स्थगित करा सकते हैं लेकिन उत्तेजना इससे हुई कि आपने यह फ़र्माया कि आगे ले लेंगे। वह पूरी तरह सुना नहीं गया। आप यह बता देते कि नेक्स्ट टर्न पर ले लेंगे तो मैं नहीं समझता माननीय सदस्य इतने उत्तेजित होते। इसलिए मैं यह चाहता था कि किसी को शांत करने के लिए थोड़े धैर्य से, धीरज से अगर आपकी तरफ से होता तो माननीय सदस्य उत्तेजित नहीं होते।

श्री अध्यक्ष : अब आपकी बात मैं समझ गया, अब मेरी सुन लीजिए। (व्यवधान)

प्लीज हियर मी। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। 4 माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछे जो इस प्रश्न से सीधे रिलेटेड नहीं थे क्योंकि यह प्रश्न लिमिटेड एक-क्षेत्र का है, मगर चूंकि उससे संबंध आता था; हरिसिंह जी ने पूछा, प्रकाशजी बैरवा ने पूछा और रामेश्वरजी यादव ने पूछा, तीनों के जवाब उन्होंने दिए हैं। (व्यवधान)

आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको मैंने प्रश्न अलाउ किया, मंत्रीजी को जवाब देने के लिए अलाउ किया, जो जवाब वो देना चाहते थे उन्होंने जवाब दे दिया। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था वो संतुष्ट हो गए कि हमारे यहां पर ढाणी की बजाय गांव में स्कूलें खुल जायेंगी तो उन्होंने कहा कि खुल जायेगी। उन्होंने कहा कि इसी सत्र में नई स्कूल खुल जानी चाहिए तो उन्होंने कहा कि इसी सत्र में खुल जायेगी।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

जो उनका सवाल था वो संतुष्ट हो गये। इससे संबंधित उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, यह जरूरी नहीं है कि उन तीनों को संतुष्ट किया जाय। मंत्रीजी को जवाब देने का मैंने मौका दे दिया।

दूसरा सवाल, माननीय परसादीलाल जी मेरे पास आये थे आज स्थगित प्रश्न में और उन्होंने कहा इस प्रश्न को स्थगित करके मंगलवार को लगा दीजिए। यह बात मेरे चेम्बर में उनसे हो चुकी थी। प्रश्नकर्ता परसादीलालजी हैं इसलिए उनकी सहमति से मैंने स्थगित करने की घोषणा कर दी इसलिए इसमें हो-हल्ला करने का सवाल ही नहीं था। अब प्रश्नकाल में आप इस बात को एप्रिसिएट करेंगे कि मैं रिजिडली नियम लागू करने की कोशिश करता हूं मगर चूकि आप लोग ही उसको बाइ-फोर्स आफ लंग पावर और मुझे बाध्य करते हैं, नहीं हाउस की इच्छा ऐसी है तो फिर मुझे रिलेंट करना पड़ता है। हाउस की इच्छा को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं अपनी इच्छा से करना नहीं चाहता। मैंने महावीर जी को दूसरा, तीसरा सप्लीमेंटरी नहीं करने दिया, जब उनके सवाल का जवाब आ गया उसके बावजूद विश्नोईजी ने पूछा उनको अलाउ किया। इसलिए जैसी जरूरत है वहां तक तो मैं करता हूं. जितनी थोड़ी छूट देनी चाहिए, इसमें आप लम्बी छूट चाहेंगे, बाइ-फोर्स तो उस पर आपत्तियां पैदा होती हैं, उसमें परेशानियां पैदा होती हैं। जब माननीय सदस्य प्रश्नकाल को डिबेट बनाना चाहते हैं और उसमें पॉलिटिकल बातें लाकर दुनिया भर की बातें कहना चाहते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि आप इसको अलाउ करेंगे। आप स्वयं मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह प्रश्नकाल में कभी भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर होना चाहिए, समझ में आता है मगर प्रश्न को लेकर आप भाषण शुरू कर दें कि यह सरकार ऐसी है, अभी यह जो भाषण हो रहे थे, रिकार्ड में नहीं आये हैं वह, लेकिन जो भाषण दिये जा रहे थे यही दिये जा रहे थे तो इसलिए सारा कमीशन होता है। इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, पूछिए।

श्री जगजीत सिंह : प्रश्न संख्या 62 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, It is not a matter of debate now. आपकी आपत्ति समझ गया।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप अगर यह बात पहले क्लियर कर देते तो यह विवाद नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री जगजीत सिंहजी, हां, बोलिए।

विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ की ग्राम पंचायतों को डामर सड़क से जोड़ना

62. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ के ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जो डामर, ग्रेवल व मेटल सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बचे हुए ग्राम पंचायत मुख्या-

(श्री जगजीत सिंह)

लयों को सरकार डामर की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) (1) विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ की ऐसी कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है जो डामर, मेटल अथवा ग्रेवल सड़क से जुड़ी हुई नहीं है।

(2) बचे हुए ग्राम पंचायत मुख्यालय, जो डामर सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं उनको डामर सड़कों से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री जगजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने प्रबोधन कार्यक्रम शुरू किया था उससे हमने तो बहुत कुछ सीखा मगर इस सदन के माननीय सदस्य, जो हम से सीनियर हैं, वह कम से कम इससे नसीहत लें और मैं तो आसन से यह चाहूंगा....

श्री हरिसिंह : आपको तो सीखना ही चाहिए था, नये–नये आये हैं।

श्री जगजीत सिंह : मैं आसन से यह चाहूंगा कि जो भी मूल प्रश्नकर्ता है, उसका जवाब आ जाये, कम से कम तब तक किसी को सप्लीमेंट्री करने की आज्ञा न दी जाये। मैं तो इसमें एक सुझाव और दूंगा कि जो मूल प्रश्नकर्ता हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल पूछिए।

श्री जगजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए तो माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि कागजों में मेरी सभी सड़कों को मेटल, डामर और ग्रेवल से जोड़ दिया। पहला प्रश्न–क्या मंत्री महोदय विधान सभा क्षेत्र की इन सड़कों का, जो ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई नहीं हैं, फिजीकल वेरीफिकेशन करवायेंगे क्योंकि आपने इसमें सड़कों को जोड़ने की घोषणा की है, कम से कम 10 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदण्डों के अनुसार ग्रेवल रोड और मेटल रोड का निर्माण कैसे होता है ताकि हम कम से कम यह मालूम तो कर लें कि यह तो हमारी ग्रेवल रोड है, यह हमारी मेटल रोड है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी कोई कान्ट्रेक्ट ले लो।

श्री जगजीत सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी, अगर मुझे कान्ट्रेक्टर ही बनना होता, आप ही मुझे विधान सभा में लेकर आये हैं, मैं तो विधायक हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ट्रेनिंग ले लो।

श्री जगजीत सिंह : तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि ग्राम पंचायत कालानाडा कौन सी सड़क से जुड़ी हुई है और कहां से जुड़ी हुई है ? हमारी कई ग्रेवल रोड्स के कंकड़-पत्थर निकल चुके हैं और, अध्यक्ष महोदय, अगर आप उन सड़कों पर पधारेंगे तो पेरेलल खेतों के अन्दर दूसरी सड़क बन गई है एक तरह से, उन सड़कों पर गाड़ी तो क्या, इन्सान भी नहीं चल सकता। ऐसी सड़कों के रख–रखाव के लिए सार्वजनिक

(श्री जगजीत सिंह)

निर्माण विभाग ने क्या कोई धनराशि आवंटित कर रखी है ? तीसरा, मैं यह पूछूंगा....

श्री रामसिंह विश्नोई : पांचवा हो गया ।

श्री जगजीत सिंह : अब नूवां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नूवां केवल मिट्टी की सड़क से जुड़ी हुई है, बोहरू मिट्टी की सड़क से जुड़ी हुई है, कालानाडा कहीं पर एक किलोमीटर कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, फिर दो किलोमीटर गैप पड़ा हुआ है । इस तरह कुल मिलाकर दस ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई नहीं हैं । इन्हीं का मेरे को जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो परिशिष्ट (अ) मैंने संलग्न किया है उसमें कालानाडा ग्रेवल सड़क से जुड़ी हुई क्रमांक 7 पर है । मैं आपके माध्यम से किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने अब जो रीति-नीति बनाई है उसके कारण जिन-जिन सड़कों को जोड़ना है उनको डामर से ही जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं किन्तु आपने सवाल किया था कि कौन-कौन सी डामर, मेटल और ग्रेवल से जुड़ी हुई है, उन सारे पंचायत मुख्यालयों की सूची मैंने आपको प्रेषित की है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें एनेक्सचर नहीं है ।

श्री जगजीत सिंह : मुझे नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष : है भी नही एनेक्सचर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे पास तो है ।

श्री अध्यक्ष : सप्लाई नहीं किया है, हमारे पास भी नहीं है । आया नहीं है एनेक्सचर, यहां भी नहीं है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब जो माननीय सदस्य ने कहा, जिन दो पंचायत मुख्यालयों का जिक्र उन्होंने किया है, जो दोनों ग्रेवल सड़कों से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि यह कागजों में जुड़ी हैं तो मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे भी घूमने–फिरने का काफी शौक है, इन दोनों स्थानों पर उनके साथ जाकर देखूंगा कि वह सड़कें कैसी हैं और अगर वह ग्रेवल से नहीं जुड़ी हैं तो जिन्होंने सूचना दी है उनके विरूद्ध एक्शन होगा और उन सड़कों को निश्चित रूप से ग्रेवल से जोड़ा जायेगा ।

माननीय सदस्य ने रख-रखाव की चर्चा की है । रख-रखाव के लिए प्रति वर्ष राशि निश्चित की जाती है और हम साल में दो बार, एक बार बरसात के तुरन्त बाद, दोबारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सड़कों की मरम्मत हो जाय, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था करते हैं । डामर की सड़क में तो हमने यह निर्णय कर लिया है और यह निर्णय पिछले एक साल से चल रहा है कि पी.डब्ल्यू.डी. की डामर की सड़क को बरसात के बाद 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से रिपेयर कर दी जाय और एक भी खड्डा उन सड़कों पर नहीं रहे । मैं माननीय सदस्य से इस नाते निवेदन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सदन को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इस बार बरसात थोड़ी देर से हुई है इसलिए यह समयावधि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रखी है, 31 अक्टूबर के पश्चात् पी.डब्ल्यू.डी. की किसी भी डामर की सड़क पर कहीं भी कोई खड्डा रह जाय, उसकी सूचना मुझे दीजिए, वांछित जे.ई.एन. पर उसका एक्शन निश्चित रूप से लिया जायेगा, सुपरवाइजरी ड्यूटी का एक्शन लिया जायेगा जहां तक डब्ल्यू.बी.एम....

श्री राम सिंह बिश्नोई : आप लोग इनके दिल के खड्डे भरवा दें....

श्री अध्यक्ष : हो गया अब। नेक्स्ट, श्री बालचन्द आर्यवीर।

डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

63. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डग विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम विद्युतीकरण हेतु मंजूर हो चुके हैं, कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने ग्राम शेष हैं ? शेष ग्रामों को फ्रेश प्रोग्राम में लेकर उनका कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

(2) सन् 1989 से अगस्त, 1991 तक डग क्षेत्र के कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु कब-कब, कितने-कितने ग्राम फ्रेश प्रोग्राम में लिये ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) झालावाड़ जिले में गत तीन वर्षों में कितने सिंचाई कनेक्शन व जनरल कनेक्शन अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों के ग्रामों में दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

विद्युत राज्य मंत्री (श्री. बाबूलाल खाण्डा) :

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में 1981 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार कुल 296 ग्रामों में से 163 ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 1991 तक हो चुका है व शेष 133 ग्राम विद्युतीकरण हेतु विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में स्वीकृत हैं जिनका विद्युतीकरण योजना मद में उपलब्ध वित्त के अनुरूप आगामी वर्षों में किया जावेगा।

(2) वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक डग विधान सभा क्षेत्र के वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों का ब्यौरा वर्षवार निम्नानुसार है :—

वर्ष	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की संख्या
1988-89	11
1989-90	23
1990-91	16
1991-92	12

वर्षवार विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों के विवरण की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

(3) झालावाड़ जिले में गत 3 वर्षों में निम्न प्रकार से सिंचाई हेतु (कृषि) कनेक्शन दिये गये :—

क्र. सं.	वर्ष	जनरल कनेक्शन	अनुसूचित जाति/जन जाति
1.	1988–89	1067	158
2.	1989–90	1182	108
3.	1990–91	889	202

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डग विधान सभा क्षेत्र में 133 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है। आपने कहा कि जब भी वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे तब इनका विद्युतीकरण किया जायेगा। यह तो हर सत्र में इस प्रकार की बात कही जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि इसकी कोई समय सीमा है जिसमें आप इन 133 ग्रामों का विद्युतीकरण कर देंगे ?

दूसरा, जो झालावाड़ में गत 3 वर्षों में सिंचाई कनेक्शन का किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये बताया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन सिंचाई कनेक्शन में भारी, भयंकर घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है, रिश्वतखोरी हुई है पूर्व सरकार के समय। अध्यय महोदय, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार हुआ उस समय जो अधिकारी थे, क्या उनकी आप जांच करने का आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ है। होता क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई नार्म्स होमोजीनियस तय नहीं करते हैं। उसकी वजह से वहां के तत्कालीन अधिकारी अपने हिसाब से अलग अलग नार्म्स बताते रहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि आप नये गांवों के विद्युतीकरण को फेज्ड प्रोग्राम में स्वीकृति देते हैं, इसके लिये कोई मापदण्ड तय किया है ? यदि कोई मापदण्ड तय किया है तो वह मापदण्ड स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री अनंग कुमार जैन : एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : अब आप नम्बर दो, तीन, चार....

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित है। मेरे जिले का प्रश्न है इसलिये पूछ रहा हूं।

चालू वित्त वर्ष के अन्दर नये कृषि कनेक्शन देने के लिये आपने क्या मापदण्ड तय किये हैं ? यह भी स्पष्ट रूप से बता दें ताकि इससे माननीय सदस्यों को और पूरे सदन को मालूम पड़ जायेगा कि अब राज्य सरकार बिजली के मामले में, नये कनेक्शन देने के मामले में....

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं पूरे हाउस का बन जायेगा यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इस सम्बन्ध में इसी सदन में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जिस दिन चर्चा होगी उस दिन यह नार्म्स भी बता दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री किशन गोपाल कोगटा।

पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर के वाहनों के सामान की चोरी

64. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पंचायत समिति, मसूदा जिला अजमेर में कुल कितने वाहन हैं ?

(2) वाहन किस किस मैक के हैं, उन्हें किस किस वर्ष में, कितने कितने रुपयों में क्रय किया गया ?

(3) क्या वे वाहन चालू हालत में हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(4) क्या वाहनों का सामान चोरी चला गया है ?

(5) यदि हां, तो उसके खिलाफ संबंधित अधिकारियों ने नियमानुसार पुलिस कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ?

(6) वाहन के सामान की चोरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) पंचायत समिति मसूदा में कुल चार वाहन हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) एक ही वाहन चालू हालत में है।

(4) जी हां। एक जीप व एक ट्रैक्टर का सामान चोरी हुआ था।

(5) जी हां। चोरी के मामले में पुलिस थाना मसूदा में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। मुलजिमान का पता पुलिस को नहीं लगा। इस कारण दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा एफ.आर. दे दी गई।

(6) सरकार के ध्यान में आने पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले 25–1–61 को आपने जीप अलाट की मसूदा पंचायत समिति को। दूसरी जीप 8.9.1967 में अलाट की। तीसरी 3.4.1991 को। एक जीप के बाद दूसरी जीप अलाट होती है, उसकी क्या आपके पास व्यवस्था है ? खराब होने के बाद अलाट होती है ? एक पंचायत समिति में दो या तीन, जितनी पंचायत समिति में डिमाण्ड है, उतनी जीप दे देंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो जीप खराब हुई है, उसके बाद 1991 में अगर आपने जीप दी। इसका मतलब यह पहले की जो दो जीपें हैं, वह कहां गई। वे पंचायत समिति में हैं या विभाग ने उनको राइट–आफ कर दिया या नीलाम वगैरह कर दी या वहां खड़ी हैं ?

तीसरा, यह जो सामान चोरी गया है, वह सामान का मतलब, अभिप्राय स्पष्ट करें कि क्या सामान गया ? चौथा यह सामान चोरी गया, इसकी जानकारी कब मिली ?

पांचवा, मेरा प्रश्न यह है कि यह एफ. आई.आर. दर्ज कब कराई। इसकी तारीख बताने की कृपा करें।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, जीप नई अलाट उस समय की जाती है जब निश्चित किलोमीटर, 2 लाख से अधिक जीप चल जाती है, उसके बाद या एक्सीडेंटली जीप खराब हो जाती है तो। इस तरह से जीप अलाट की गई। इसका मापदण्ड यही रहा है। वहां जो जीप हैं, वे अभी वहीं हैं। आदेश दे दिये गये हैं कलक्टर्स को कि सारे जिले की जीपें जो खराब पड़ी हैं, उनको नीलाम कर दिया जाय। वहां कलक्टर के यहां यह नीलाम होती हैं। आपने पूछा की एफ.आई.आर....,

श्री किशन गोपाल कोगटा : चोरी क्या चीज हुई ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : RJ–1700 का इंजन जीप का, 3 व्हील, रीम वर्ष 85 में चोरी हुए थे। (व्यवधान)

ट्रैक्टर की कम्प्रेसर मशीन, रेडियेटर और सैल। यह 26–9–85 को एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई और 31–12–87 को एफ.आर. दे दी गई। यह 28–9–80 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई और 9–4–86 को एफ.आर दे दी गई।

श्री किशन गोपाल कोगटा : जो चोरी चीज गई हैं वे ऐसी नहीं कि जो जेब में डालकर ले जाई जायें—इंजन गया, व्हील गया।

श्री हरलालसिंह खर्रा : राज्य सरकार को इस बारे में जब आपका प्रश्न आया, तब मालूम पड़ा है और प्रश्न के आते ही हमने कलक्टर को उसकी पूरी डिटेल्ड जांच करने के लिये लिख दिया है, और इसमें किसका दोष है, वह स्पष्ट बताये। एक महीने में हमने रिपोर्ट मांगी है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा एक प्रश्न और है। 1985 में चोरी गई। 1990 तक इसमें कार्यवाही नहीं हुई। पंचायत समिति में जो जीप खड़ी है, उसमें इंजन जैसी चीज चली जाय। तो इसका

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

मतलब वहां के कर्मचारी दोषी हैं। फर्स्ट पार्टी के ऊपर आज तक क्या एक्शन हुआ, यह बतायें।

श्री हरलालसिंह खर्रा : एफ. आई. आर. दर्ज कराई और एफ. आर. दे दी। अब जब राज्य सरकार की निगाह में आपकी यह बात आयी है तो राज्य सरकार ने इसी 11 तारीख को कलक्टर को आदेश दिया है, वह पूरी डिटेल्ड जांच करके जो दोषी अधिकारी हैं, उनको सजा दें या उनके खिलाफ रिपोर्ट एक माह में पेश करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामसिंह विश्नोई।

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालय एवं चिकित्सक

65. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जोधपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने चिकित्सालय कहां-कहां पर स्वीकृत हैं तथा कितने चिकित्सालय चिकित्सकों के अभाव में या ज्वाइन नहीं करने अथवा एक बार ज्वाइन करके पुनः नहीं जाने से बन्द पड़े हैं ? पंचायत समितिवार रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जो चिकित्सक अपने मुख्यालय पर नहीं रहते और प्रतिदिन जोधपुर आना–जाना (अप–डाउन) करते हैं उन चिकित्सकों को मुख्यालय पर रहने को बाध्य करने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये व कहां तक सफलता मिली व जो चिकित्सक बावजूद निर्देशों के आना–जाना व गैर हाजिर रहे हैं उनके खिलाफ कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? चिकित्सकों के नामों की सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पिछले सत्र में सरकार ने सदन को आश्वासन दिया था कि समस्त ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से मुख्यालय पर रहने हेतु बाध्य किया जायेगा ?

(4) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिये चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहित करने का विचार रखती है ? क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में आवास भत्ता व अन्य सहूलियतें बंद कर ग्रामीण भत्ता प्रारम्भ करने आदि के प्रोग्राम बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के उपेक्षित चिकित्सालयों को आबाद करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या–क्या योजनाएं इस सम्बन्ध में बनाई गई हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों की सूची संलग्न है। डाक्टरों के अभाव में कोई चिकित्सालय बन्द नहीं है। डाक्टरों के रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चिकित्सकों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश जारी किये गये हैं तथा जिला तथा क्षेत्रीय अधिकारी अपने निरीक्षण भ्रमण के दौरान इनकी चैकिंग करते हैं। इसमें काफी सफलता मिली है तथा अधिकतर चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रहने लगे हैं। निर्देशों के बावजूद आना–जाना व गैर हाजिर नहीं चिकित्सकों के नामों की सूची मय की गई कार्यवाही विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण भत्ता राज्य सरकार ने स्वीकृत कर रखा है। शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों को अलग से कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जब से आप मंत्री हैं; मेरे ख्याल से आपने विधान सभा प्रांगण में कई बार कहा है कि यह प्रयास करेंगे कि गांवों में डाक्टर रहें। लेकिन मैं आपको ठीक कहता हूं कि जहां पर गांव में चिकित्सालय हैं, उन ग्रामों में डाक्टर नहीं रहते हैं, वे जो शहर नजदीक होते हैं, उसमें आ जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

वह एक बार ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वह लम्बी छुट्टी ले लेते हैं, गांव में जाते नहीं हैं। लाखों करोड़ों रुपये का प्रति वर्ष उनकी तनख्वाह पर खर्च होता है और एक रत्ती भर भी जनता को इसका फायदा नहीं मिलता है। एक डाक्टर, जो शहर में जाता है, जोधपुर, जयपुर या अलवर, जहां भी जाते हैं, वह अस्पताल के अन्दर 9 या 10 बजे पहुंचते हैं जब गांव में किसान खेत पर चला जाता है और शाम को 7–8 बजे वापस आते हैं उस समय डाक्टर शहर में चले जाते हैं। आखिर यह किसका इलाज करते हैं वहां पर? वहां कोई मवेशी भी नहीं रहती, आदमी भी नहीं रहते गांव में। ऐसी स्थिति में आप क्या उनको बाध्य करेंगे? कोई व्यवस्था करेंगे? कोई इस तरह के रूल्स बनायेंगे जिससे उनका गांव के अन्दर रहना लाजमी करदें या उनका जब प्रमोशन हो तब 5 साल का उनका गांव का एक्सपीरियेंस हो। इस तरह की कोई व्यवस्था करदें गांव के अन्दर रहने के लिए ताकि उनको प्रोत्साहित किया जा सके।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं उनमें से कई बातें सत्य हैं। लगातार सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है। इसके लिए जहां आदेश–निर्देश किये गये हैं वहां एक सी. एम. एण्ड एच. ओ., जो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो और मानीटरिंग करे और इन्फैक्शन करे, ऐसा अलग से लगाया है। यह इसलिए लगाया गया है कि पहले जो सी. एम. एण्ड एच. ओ. होता था वह सीनियर स्पेशलिस्ट होता था और सीनियर स्पेशलिस्ट होने के कारण वह न दौरे करता था न इंस्पेक्शन करता था न मानीटरिंग करता था। इसलिए एक व्यवस्था तो एडीशनल जिले का ग्रामीण क्षेत्र में सी. एम. एण्ड एच. ओ. लगाकर उसके पीछे यही काम है कि वह लगातार क्षेत्र का दौरा कर के ऐसे लोगों को पाइण्ट आउट करे, उनके विरुद्ध एक्शन ले। गंगानगर जिले में तो ग्रामीण भत्ता तो डेढ़ सौ रुपया दिया गया है वह 3–3 महीने ऐसे डाक्टरों का पहले चरण में बन्द कर दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर भी कोई नहीं आया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिल्कुल ठीक है। नहीं आया कोई भी, मेरा निवेदन करना है इतने समय से पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए सरकार, जनता का और चुने हुए प्रतिनिधियों का सामूहिक प्रयास होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो डाक्टर रहते नहीं हैं, अप–डाउन करते हैं, अब तो हमने यह निवेदन किया है सभी को कि एक पोस्टकार्ड वह सी. एम. एण्ड एच. ओ. को लिखें इस दृष्टि से, सी. एम. एण्ड एच. ओ इंस्पेक्शन करेगा और अगर इंस्पेक्शन करने के बाद उनकी भी ढिलाई रही तो सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस के लिए सी. एम. एण्ड एच. ओ. को दंडित किया जाएगा। उसके बाद यह कहा है कि अगर सी. एम. एण्ड एच. ओ. को पोस्टकार्ड डालने के पश्चात् भी आना–जाना नहीं रुकता है, हैडक्वार्टर पर रहना नहीं होता है तो एक पोस्टकार्ड मुझ को लिखें। हमने एक अविलम्ब यहां सैल बनाया है कि जो जाकर इस बात का इंस्पेक्शन करे और इंस्पेक्शन के तीन दिन में रिपोर्ट देगा। बीमारी बहुत गहरी है। पुराने समय में तकलीफ और थी कि 13 सौ से अधिक डाक्टरों के पद रिक्त थे इसलिए बीमारी मालूम नहीं पड़ती थी। अब लगने के बाद एक नयी कठिनाई आ गयी है और इसीलिए यह जो कुरेदा गया है थोड़ा–सा, नहीं आने-जाने की जो इस प्रकार की स्थिति बनी है उसमें इस प्रकार के कदम उठाये हैं। मैं तो आपके माध्यम से सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं। इस विषय को राज्य सरकार बहुत गम्भीरता से लेती है। पूरे समय डाक्टर को रहना चाहिए, अप डाउन नहीं करना चाहिए इस प्रकार की कोई भी खबर अगर आपके माध्यम से, किसी भी माध्यम से आयेगी, और मैंने इसीलिए आपको आपके क्षेत्र में लिए हुए एक्शन की सूची संलग्न भी की है। हमने कई लोगों के तबादले दूर किये इस नाते से। राज्य सरकार यह भी सोच रही है अब की बार कम-से-कम ऐसी व्यवस्था करें, भवनों के निर्माण की दृष्टि से भी इस बार पहला वर्ष है फाइनेंसियल ईयर में। कोई कहते थे हमको भवन नहीं मिलते। 15 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य की चिकित्सा विभाग में इस वर्ष व्यवस्था की गयी है जिसमें विभिन्न भवनों का निर्माण होकर वह कमी भी दूर हो जाए। राज्य सरकार प्रयत्नशील है। कोशिश कर रही है लॉ इन्फोर्स कर रही है, एक्शन भी ले रही है। एक सामूहिक प्रयत्न सरकार का, जनता का, जन प्रतिनिधियों का आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : हो गया। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार

95. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) राज्य में जिलेवार शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत डेढ़ वर्ष में राज्य में कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य में बेरोजगारी को मिटाने हेतु राज्य सरकार की दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाओं का सार–संक्षेप सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में 30 जून, 1991 को रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 533096 शिक्षित एवं 363687 अशिक्षित बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे । जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) गत डेढ वर्ष (1 जनवरी, 90 से 30 जून, 91 तक) में रोजगार कार्यालय के माध्यम से 12755 बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिले–वार सूची परिशिष्ट–बी पर संलग्न है ।

(3) राज्य सरकार की योजनाओं का मूल उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है । इसके लिए राज्य सरकार पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं बनाती है । इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में जो परियो-जनाएं कार्यक्रम चलाये जाते हैं उनसे रोजगार सृजित होता है । इसके अलावा कुछ विशेष कार्यक्रम भी बेरोजगारी उन्मूलन के लिये चलाये जाते हैं जैसे :—जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना एवं समन्वित ग्रामीण विकास योजना आदि ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार उपलब्ध कराना एक मुख्य उद्देश्य है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

भवानी मंडी (झालावाड़) में सहायक अभियंता कार्यालय

96. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र की विस्तृतता को दृष्टिगत रखते हुए भवानी मण्डी स्थित सहायक अभियन्ता (विद्युत) का मात्र एक कार्यालय होने से उक्त कस्बे व दूर दराज में बसने वाले किसानों व ग्राम जनता को सम्पर्क करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस कस्बे में सहायक अभियंता (विद्युत) का एक कार्यालय पृथक से स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में डग विधान सभा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिये अलग से सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । डग विधान सभा क्षेत्र व झालरापाटन पंचायत समिति के उपभो-क्ताओं का विद्युत सम्बन्धित नियंत्रण सहायक अभियन्ता (परि. एवं सं.) भवानी–मण्डी द्वारा किया जाता है जो वर्तमान

(२५)

(ऊर्जा मंत्री)

परिस्थितियों में प्रशासनिक तकनीकी तथा भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त है।

राज्य में विद्युत् उत्पादन

97. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चार वर्षों में राज्य में कितना कितना नया विद्युत उत्पादन किस–किस योजना के अन्तर्गत हुआ ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत डेढ़ वर्ष में विद्युत उत्पादन हेतु कौन-कौन सी योजनायें प्रारंभ की गई ? उनसे कितना विद्युत उत्पादन हुआ ?

(3) प्रदेश की भावी विद्युत उत्पादन योजनाओं का सार-संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 4 वर्षों में राज्य में विभिन्न परियोजना में चालू हुई नयी इकाइयों से उत्पादित विद्युत की उपलब्धि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	1987-88	88-89	89-90	90-91
			(उत्पादन मिलियन यूनिट्स में)		
1.	कोटा तापीय परियोजना (तृतीय व चतुर्थ इकाई)	—	278	1368	1485
2.	माही जल विद्युत परियोजना (पावर हाउस द्वितीय की पहली व दूसरी इकाई)	—	12	157	139
3.	अनूपगढ़ लघु जल विद्युत परियोजना (सभी छः इकाइयां)	1	1	2	3
4.	अन्ता गैस विद्युत परियोजना (प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ (भापीय) इकाई नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के अधीन)	—	61	222	371

(ऊर्जा मंत्री)

(2) गत डेढ वर्ष में विद्युत उत्पादन हेतु राज्य में नेशनल थर्मल कार्पोरेशन की अन्ता गैस विद्युत परियोजना में चतुर्थ (भापीय) इकाई (149 मेगावट) शुरू हुई जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राजस्थान को आवंटन 19.77 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर स्थित नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की औरेया गैस विद्युत परियोजना में छठी (भापीय) इकाई (102 मेगावाट) शुरू हुई जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राजस्थान को आवंटन 9.17 प्रतिशत है। उत्पादन की जानकारी विद्युत मण्डल में उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन इकाईयों का संचालन नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की परियोजनाओं के अन्तर्गत होता है। इसके अलावा मार्च, 1991 में आर.एम.सी. माही द्वितीय (1×0.165 एम.डब्ल्यू.) योजना भी प्रारम्भ हुई है तथा कैनाल में पानी की उपलब्धि के अनुरूप इससे लगभग 350 यूनिट्स का उत्पादन हुआ है।

(3) प्रदेश की स्वीकृत विद्युत उत्पादन योजनाओं का सार संक्षेप में निम्नलिखित है :—

योजना का नाम	क्षमता	विशेष विवरण
1. कोटा थर्मल स्टेज-III	210 एम डब्ल्यू	
2. सूरतगढ-थर्मल योजना	2×250 ,, प्रथम	योजना आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है।
3. बरसिंगसर तापीय योजना (केन्द्रीय क्षेत्र में)	2×120 ,, ,,	
4. रामगढ़ गैस थर्मल-1	1×3 ,, ,,	
5. मांगरोल	6.0 ,, ,,	
6. सूरतगढ (मिनी हाइडल योजना)	4 ,, ,,	
7. आरएमसी माही बांसवाडा-1	0.8 ,, ,,	
8. पूगल (मिनी हाईडल योजना)	2.15 ,, ,,	
9. चारनवाला	1.2 एम डब्ल्यू प्रथम	
10 इटावा	0.5 ,, ,,	
11. बीसलपुर	0.535 ,, ,,	

(२६)

अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण

98. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों में बिजली देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) अब तक जिला सवाई माधोपुर में एस.सी. एवं एस.टी. की कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ?

(3) विद्युतीकरण के संदर्भ में सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की बस्तियों के लिए क्या नीति निर्धारित की है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार केवल अनुसूचित जाति की बस्तियों (हरिजन बस्ती) के विद्युतीकरण हेतु विशेष प्रावधान करती है, जन जाति की बस्तियों के लिये नहीं। प्रति वर्ष निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली विकास की प्रक्रिया है।

(2) मार्च, 1991 तक सवाईमाधोपुर जिले में 646 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जन जाति की बस्तियों के लिये विशेष प्रावधान न होने के कारण इसके आंकड़े अलग से संकलित नहीं किये जाते हैं।

(3) ग्राम का विद्युतीकरण करते समय प्रथम ट्रान्सफार्मर हरिजन बस्ती के निकट रखने का प्रावधान है। हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा रोड लाइट के विद्युत उपभोग खर्च वहन करने की गारंटी देने तथा कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इसके विद्युतीकरण की कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विभाजन

99. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का घाटा कम करके, व्यवस्था सुधारने, उत्पादन व दक्षता बढ़ाने के लिए इस मण्डल को विभाजित कर उत्पादन व वितरण के लिए दो अलग स्वतंत्र इकाइयां बनाने का विचार रखती है ?

(2) यदि नहीं, तो घाटा कम करने के राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

(2) अन्य विद्युत मण्डलों की भांति राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का घाटा भी निरंतर बढता जा रहा है जिसका मुख्य कारण औद्योगिक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली की दरें औसत लागत से कम होना है। कृषि क्षेत्र की विद्युत दरों के अत्यधिक

(ऊर्जा मंत्री)

कम होने से इस क्षेत्र में सबसे अधिक घाटा है :—

राज्य सरकार एवं विद्युत मण्डल द्वारा घाटे को कम करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

1. वर्ष 1991–92 के दौरान राज्य सरकार के ऋण में से 613 करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार का विद्युत मण्डल में हिस्सा पूंजी में परिवर्तन कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप मण्डल पर राज्य सरकार के ऋण पर प्रतिवर्ष करीब 58 करोड़ रुपये की देनदारी कम होने की वजह से घाटा कम होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा मण्डल की माली हालत देखते हुए ब्याज पेटे 148.54 करोड़ रुपये राज्य सरकार के ऋण पर देय ब्याज में से वर्ष 1991–92 के दौरान निरस्त/अपलिखित करना प्रस्तावित है।

3. प्रसारण एवं वितरण में होने वाली ऊर्जा की क्षति को कम करने के प्रयास किये जा रहे है तथा बिजली की चोरी पकड़ने हेतु विशेष दस्तों का गठन किया गया है।

4. तकनीकी क्षेत्र में अति आवश्यक नियुक्तियों को छोड़कर मण्डल में नियुक्तियों पर 31.5.1980 से प्रतिबन्ध लगा रखा है।

5. बिजट नियंत्रण हेतु आदेश प्रसारित किये हुये हैं ताकि प्रावधान से अधिक व्यय करने पर नियंत्रण किया जा सके।

6. वाहनों के संचालन एवं संधारण व्यय की सीमा निर्धारित कर रखी है।

उपरोक्त कदमों के फलस्वरूप ऐसी आशा है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को वर्ष 1991–92 के दौरान नगण्य घाटा होगा।

रीको द्वारा नर्सिंग होम हेतु भूमि आवंटन

100. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में नर्सिंग होम हेतु भूमि आवंटित करने की नीति बनाई गई थी? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में किस किस क्षेत्र में कितने प्रार्थना पत्र किस किस के, कब प्राप्त हुए व उनमें से किन किन को, कितनी कितनी जमीन, किस दर पर कब कब आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन प्रार्थियों को जमीन आवंटित नहीं की गई उनकी सूची मय कारण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जमीन आवंटित करने के संबंध में पक्षपात करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची "क" और "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(उद्योग मंत्री)

(3) जिन प्रार्थियों को भूमि आवंटित नहीं की गई उनकी सूची "क" एवं कारण सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। निगम द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सूची "घ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर ग्रोथ सेण्टर भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

101. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में औद्योगिक विकास हेतु ग्रोथ सेण्टर का कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार ग्रोथ सेण्टर पर उद्योग लगाने वालों को राज्य की ओर से विशेष अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर ग्रोथ सेण्टर की जमीन अभी तक अधिगृहीत नहीं की गई है ? उक्त जमीन को कब तक अधिगृहीत कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, आबूरोड (सिरोही) ग्रोथ सेन्टरों के विकास हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दिये गये हैं। केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त होते ही चारों ग्रोथ सेन्टरों का विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी देय सुविधाएं ग्रोथ सेन्टर पर लगाये जाने वाले उद्योगों पर भी लागू होंगी।

(3) बीकानेर में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु ग्राम खारा में भूमि का चयन कर लिया गया है तथा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्यमियों को ऋण देने की शर्तें

102. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तकनीकी उद्यमियों को ऋण देते समय राजस्थान वित्त निगम उनसे कोई और व्यापार न करने व राजनैतिक साहित्य न छापने का शपथ पत्र लेता है ? यदि हां, तो ऐसा शपथ पत्र लेने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस प्रकार के बंधनों से संविधान द्वारा प्रदत्त व्यापार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है ? यदि हां तो क्या सरकार वित्त निगम को वांछित संशोधन करने के आदेश देगी ?

(3) क्या ऐसी बंधन युक्त रुग्ण इकाइयों के इंजीनियरों को सरकार बंधुआ

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मजदूर (उन्मूलन) प्रणाली अधिनियम, 1976 के तहत राहत दिलाने पर विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ! निगम द्वारा तकनीकी उद्यमियों को तकनीकी उद्यमियों के लिए बनी विशेष योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण देते समय उद्यमियों से ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं लिया जाता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम बड़ोरा (कोटा) की खानों में खनन

103. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू तहसील के बड़ोरा ग्राम में सन् 1990 से कितनी अवैध व वैध खानों में खनन कार्य हो रहा है ?

(2) किस-किस के द्वारा कितने-कितने क्षेत्रों में खनन कार्य करवाया जा रहा है ?

(3) कौन-कौन सी खान कब तक के लिये लीज पर दी हुई हैं ? क्या विभाग इस लीज के समय में बढ़ोतरी करेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यहां खनन के कारण अशांति रहती है ? यदि हां, तो फिर समय-समय पर लीज का समय क्यों बढ़ाया जाता है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 के दौरान सहायक खनि–अभियन्ता, झालावाड़ व स्टाफ द्वारा समय समय पर अनाधिकृत खनन की जांच की गई वो अनाधिकृत खनन होना पाया गया इसका विवरण तथा स्वीकृत खानों का विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" में दिया गया है।

(2) सूचना प्रश्न के बिन्दु 1 के उत्तर में दी गई है।

(3) वर्तमान में स्वीकृत एवं चालू खानों की सूची प्रश्न के बिन्दु 1 के उत्तर में दी गई है। वर्तमान में किसी भी लीज की नवीनीकरण देय नहीं हुआ है। नवीनीकरण देय होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर इस बारे में विचार किया जावेगा।

(4) खनन कार्य के कारण कोई अशांति नहीं होती है। लीज का नवीनीकरण समय-समय पर नियमानुसार ही किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

सिवाना बाड़मेर की खानों में खनन हेतु जारी पट्टे

104. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिवाना (बाड़मेर) के पास पीपलूंद एवं गोसिया गांवों के पास हल्देश्वर की पहाड़ियों में उत्तम किस्म की ग्रेनाइट पत्थर की खानें

(श्री चम्पालाल बांठिया)

हैं तथा अब कितने व्यक्तियों को कितनी खानों के खनन के अधिकार पत्र दिये गये हैं एवं कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं और कौन-कौन से खनिज के मिलने की संभावना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन खानों तक पहुंचने की सड़क बनी हुई है ? यदि हां, तो कहां तक और कैसी ? यदि नहीं, तो खान विभाग क्या वहां तक पक्की सड़क बनाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उत्तम किस्म का ग्रेनाइट उपलब्ध नहीं है परन्तु वर्तमान जानकारी के अनुसार साधारण किस्म का ग्रेनाइट के 8 खनन पट्टे प्रभावी हैं तथा 10 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है। इस क्षेत्र में खनिज ग्रेनाइट के अलावा अन्य खनिजों के उपलब्ध होने की विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) ग्राम सिवाना से पींपलूंद तक कच्ची बस्ती मुरम की सड़क बनी हुई है जो बीच-बीच में टूटी हुई है। ग्राम पींपलूंद से खनन क्षेत्र तक कच्चा रास्ता है। चालू वित्त-वर्ष में इस सड़क को विभागीय स्तर से बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

जिला गंगानगर में जिप्सम के स्वीकृत क्षेत्र

105. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज राज्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम को खनिज जिप्सम के गंगानगर जिले में स्वीकृत क्षेत्र असमान रूप से बड़े हैं ? स्वीकृत क्षेत्रों का नाम व माप और उनमें से वर्तमान में खनन किए जा रहे क्षेत्रों का नाम व माप सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों के असमान रूप से बड़े होने के कारण इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है जिसे निगम रोक पाने में पूर्णतया असमर्थ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के खनिज अभियंता बीकानेर ने उक्त निगम को अवैध खनन रोकने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या सहायक अभियंता गंगानगर ने सन् 1989 व खनिज अभियंता (सतर्कता) जोधपुर ने सन् 1990 में उक्त निगम को स्वीकृत क्षेत्रों में अवैध खनन होना पाया ?

(4) क्या यह सही है कि अवैध खनन व स्वीकृत क्षेत्रों के पास हो रहे अवैध खनन के कारण होने वाली राजस्व हानि को रोकने के उपाय सरकार कर रही है ? क्या इन क्षेत्रों को दूसरे निगम (राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम) को देना राज्य सरकार के हित में नहीं रहेगा जिससे इस प्रकार की राजस्व हानि से भी बचा जा सकेगा व इन क्षेत्रों के विकास के साथ राज्य सरकार को अतिरिक्त आमदनी भी हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. को खनिज जिप्सम के गंगानगर जिले में स्वीकृत एवं खनन किये जा रहे क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कभी–कभी सम्बन्धित क्षेत्रों में अनधिकृत खनन की जानकारी मिलने पर नियमानुसार अनधिकृत खनन बन्द कराने की कार्यवाही की गई है।

(3) अधीक्षण खनिज अभियन्ता, बीकानेर एवं सहायक खनिज अभियन्ता, श्री गंगानगर द्वारा विभाग को अनधिकृत खनन को रोकने के लिए निर्देश दिये गये। वर्ष 1989 में सहायक खनिज अभियन्ता श्री गंगानगर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के विरूद्ध अनधिकृत खनन का मामला बनाया गया तथा वर्ष 1990 में खनि. अभियन्ता (सतर्कता) जोधपुर ने अनधिकृत खनन का मामला पकड़ा तथा अनाधिकृत खनन बन्द कराया गया।

(4) स्वीकृत क्षेत्रों के पास एवं अन्य स्थानों पर अवैध खनन को रोकने की कार्यवाही विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। वर्तमान नीति के अनुसार बीकानेर सम्भाग में खनिज जिप्सम के नये क्षेत्रों में खनन का अधिकार मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. को दिया गया है। इस नीति के फलस्वरूप राज्य सरकार को कोई हानि नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

पर्यटकों को सस्ती आवास सुविधा

106. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटकों को सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध करने की योजना के तहत राजस्थान में कहां–कहां पर्यटक होस्टल बनाने की योजना है ?

(2) क्या इस योजना के तहत अजमेर में भी, जो एक धार्मिक स्थल है, पर्यटक होस्टल के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को निशुल्क भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पर्यटन मंत्रालय को पर्यटकों को सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1991–92 की योजना हेतु निम्न प्रस्ताव भेजे हैं :—

यात्री निवास—अजमेर।

यात्रिका—नाथद्वारा।

उपरोक्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने स्वीकार किया है।

(2) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्य में सभी स्थानों में आवास सुविधा के निर्माण हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण चाहता है। यात्री निवास, अजमेर के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने हेतु जिला कलक्टर, अजमेर से अनुरोध किया गया है। इस हेतु अन्तिम रूप से भूमि का चयन किया जाना शेष है।

(32)

अकाल राहत के स्वीकृत अधूरे कार्य

107. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,:

(1) गत 5 वर्षों में अकाल राहत में प्रारम्भ किये गये, पर अधूरे रह गये कार्यों को पूरा करने की क्या सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने अधूरे कार्य दिनांक 31.7.1991 तक पूरे कर लिये गये और कितने अभी अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायता विभाग अकाल राहत कार्यों को संबंधित विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित कराता है। गत वर्षों में जो राहत कार्य अधूरे रह गये थे उन्हें संबंधित विभाग जैसे, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई, भू–संरक्षण एवं वन विभाग द्वारा अपनी सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत पूरा कराया जाता है। राहत विभाग द्वारा पुनः अभाव की स्थिति होने पर इस प्रकार रहे अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) इस समय अकाल राहत के अधूरे कार्यों की जिलेवार तथा विभागवार तालिका संलग्न है। दिनांक 31.7.91 तक जो अधूरे कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, उसकी सूचना संबंधित विभागों में उपलब्ध है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

(स्थगित)

डग (झालावाड़) में आम के पेड़ों की अवैध कटाई

109. **श्री बालचंद आर्यवीर** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या डग, जिला झालावाड़ में आमों के पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने पेड़ों की अवैध कटाई की गई ? पूर्ण विवरण सदन मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत जिला अधिकारियों को भी कई बार की जा चुकी है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इनकी सुरक्षा हेतु कोई वन विभाग का कर्मचारी नियुक्त है ? यदि हां, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है ? क्या उक्त नियुक्त कर्मचारियों पर विभाग कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पेड़ों की अवैध कटाई विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से हो रही है ? यदि हां, तो विभाग उन पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में इस साल आम के वृक्षों की कटाई के 4 प्रकरण राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत तथा वर्ष 90-91 में 8 प्रकरण आम की लकड़ी परिवहन के राज. वन अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करे गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, किन्तु वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु अधिनस्थ कर्मचारी तैनात हैं जो कि अपने-अपने क्षेत्र में वनों की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार हैं। कर्मचारियों द्वारा वन सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(4) जी नहीं।

जिला श्रीगंगानगर की परियोजनाओं से पानी का वितरण

110. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में तीनों सिंचाई परियोजनाओं जैसे गंग केनाल, भाखरा व राजस्थान केनाल में सिंचाई के लिए कितनी-कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जाता है ? हर योजना में भिन्नता के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रेतीले क्षेत्र में अधिक पानी की आवश्यकता होती है परन्तु इन परियोजनाओं में पानी की उपलब्धि कम है ?

(3) क्या यह सही है कि तीनों योजनायें एक ही स्थान हरिके डेम से पानी लेती हैं, पानी को एक दूसरे में देकर कम ज्यादा भी किया जा सकता है फिर भी पानी का वितरण समान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों की भूमि की आवश्यकता और फसलों के चक्र का भी अध्ययन करवाया है ? यदि हां, तो उसके क्या परिवाद हैं ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में तीन सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् गंग नहर, भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर प्रथम व द्वितीय चरण में प्रति हजार एकड़ सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 2.56 क्यूसेक, 2.40 क्यूसेक, 5.23 व 3.00 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाया जाता है। गंग नहर की एल. एन. पी. व समेजा प्रणालियों के नोन-पेरिनियल होने के कारण इस पानी की मात्रा क्रमशः 5.12 क्यूसेक व 3.84 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ है। गंग नहर परियोजना के ही जी. बी. नहर प्रणाली में यह मात्रा 2.688 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ है। प्रत्येक परियोजना में पानी की उपलब्धता व अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए अलग-अलग समय पर निर्धारण किया गया है। ज्यों ज्यों पानी का उपयोग बढ़ेगा, त्यों-त्यों अन्तर कम हो जायेगा। राज्य के हिस्से का अधिक से अधिक पानी लेने के दृष्टि से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में वाटर एलाउंन्स अस्थायी रूप में अधिक रखा गया जिसे धीरे धीरे कम किया जाना होगा।

(2) गंग व भाखड़ा में पानी की

(सिंचाई मंत्री)

सामान्यतया कमी नहीं है आकल्पिक सिंचाई संघनता 60% के मुकाबले करीब 90% पहुच चुकी है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में पानी अधिक होने से वाटर लोगिग आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

(3) जी नहीं। गंग नहर, राजस्थान नहर एवं भाखडा (अंशतः) हेतु पानी एक ही स्थान हरिके हैड से उपलब्ध करवाया जाता हैं परन्तु भाखडा के बाकी क्षेत्र हेतु चार अन्य कान्टेक्ट पाइन्टस पर पानी उपलब्ध होता है। विभिन्न परियोजनाओं के आंकलन के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि प्रश्न एक में अंकित किया गया है पानी के वितरण में असमानता केवल ट्रांजिस्शल अवधि में है। धीरे-धीरे यह असमानता दूर हो जायेगी ज्यों-ज्यों पानी का उपयोग बढ़ेगा।

(4) इस विभाग से संबधित नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 111

(स्थगित)

पंजाब क्षेत्र में बनाई गई लिंक नहर के निर्माण पर व्यय

112. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंग केनाल परियोजना श्री गंगानगर के सिंचित क्षेत्र के लिये कितने पानी की आवश्यकता होती है ? इस समय कितना पानी दिया जा रहा ?

(2) पंजाब क्षेत्र में बनाई गई नहर के जर्जर हो जाने पर बनाई गई लिंक नहर के निर्माण पर कुल कितना रुपया आज तक खर्च हो चुका है ? उस पर कितना स्टाफ कार्यरत है ? इसका काम कब से बन्द है ?

(3) क्या राज्य सरकार इसका निर्माण पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो उसे पूरा करने के लिये अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गंग केनाल का पानी बीकानेर केनाल से राजस्थान बार्डर पर आज से पांच वर्ष पूर्व कितना मिलता था ? अब उसमें कितनी गिरावट आई हैं ? आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी ?

(5) इस वर्ष गंग केनाल में पानी की कमी से नहरों का रोटेशन क्या रहता है ? वर्ष भर में काश्तकार को कितने दिन के लिए पानी उपलब्ध होता है ? गंग केनाल से सामान्यतया काश्तकार को वर्ष में कितने दिन के लिए पानी उपलब्ध होता है ?

उत्तर

(1) गंग नहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र के लिए अधिकृत 2720 क्यूसेक पानी बीकानेर नहर की बुर्जी 45 पर प्राप्त होना चाहिए वर्तमान में 2400 क्यूसेक पानी

(सिचाई मंत्री)

उपलब्ध हो रहा है। क्योंकि जब से यह नहर बनी है तब से पिछले लगभग 64 वर्षों में इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। अतः रिसाव बढ़ा है। व पानी ले जाने की क्षमता में भी कमी आई है।

(2) जुलाई, 91 तक लगभग 18 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है। हरियाणा राज्य की सीमा में स्थित कार्य लगभग पूरा हो चुका है, परन्तु सिरहिन्द फीडर में क्लोजर न मिलने के कारण लिंक चैनल को सिरहिन्द फीडर से जोड़ने का कार्य शेष है।

राजस्थान सीमा में इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। एम. एल. फीडर लिफ्ट स्कीम का कार्य प्रगति पर है। कार्यरत स्टाफ की तालिका "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। लिंक नहर के निर्माण को पूरा करने में मुख्य बाधा सिरहिन्द फीडर क्लोजर की आ रही है, जो पंजाब को देना है। सिर हिन्द फीडर में क्लोजर प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 7.9.90 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें 10 अक्टूबर से 15 दिन का क्लोजर प्राप्त करने का निश्चय किया था। परन्तु पंजाब सरकार ने अपने पत्र दिनांक 8/11/90 द्वारा इस सुझाव को नहीं माना। अधिकारी स्तर पर राजस्थान और पंजाब के बीच समय–समय पर विचार–विमर्श किया गया है। परन्तु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

माह अप्रैल, 1991 में क्लोजर लेने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंजाब के राज्यपाल को दिनांक 7.2.91 एवं 27.2.91 को पत्र लिखे परन्तु पंजाब के राज्यपाल से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं आने पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस मामले को हस्तक्षेप करने हेतु दिनांक 4.4.91 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा। इसके बाद पंजाब के राज्यपाल ने उनके दिनांक 6.5.91 के पत्र से सूचित किया कि सिरहिन्द फीडर को क्लोजर देना तब ही सम्भव होगा जब राजस्थान सरकार 10.5.84 के समझौते को, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच 5 जल विद्युत परियोजना के बंटवारे बाबत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय करने हेतु रेफरेन्स करने के लिए था, उसको निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। क्योंकि क्लोजर का 10.5.84 के अनुबन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः पुनः यह मामला पंजाब के राज्यपाल एवं भारत सरकार से उठाया गया है पर अभी तक क्लोजर नहीं मिला है। राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस विषय में प्रधान मंत्रीजी से एवं पंजाब के राज्यपाल से समय–समय पर वार्ता भी की है।

(4) बीकानेर नहर से राजस्थान सीमा पर प्राप्त हुए गत 5 वर्ष के जल का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1985–86	1.30 एम. ए. एफ.
1986–87	1.41 एम. ए. एफ.
1987–88	1.13 एम. ए. एफ.
1988–89	1.41 एम. ए. एफ.
1989–90	1.37 एम. ए. एफ.

भविष्य में क्या स्थिति रहेगी के बारे

(सिंचाई मंत्री)

में टिप्पणी करना सम्भव नहीं है परन्तु राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि पानी हिस्से के अनुसार मिलता रहे।

(5) औसतन 8 दिन/15 दिन नहर चलकर 8 दिन की बन्दी रहती हैं। एल. एन. पी. एवं समेजा नहरों में बन्दी की अवधि 15 से 22 दिन तक की हो जाती है। औसतन वर्ष में कृषक को लगभग 200 दिन पानी उपलब्ध हो जाता है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन

113. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में राज्य में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया ? वर्षवार, योजना वार, प्रगति का सार–संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(2) सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन सिंचाई की योजनाओं से कितना–कितना नई सिंचाई क्षमता का सृजन होगा ? सभी योजनाओं का सार–संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(3) गत डेढ़ वर्ष में राज्य में कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ ? वर्षवार, योजना वार सार-संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना तालिका "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की सूचना तालिका "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) सूचना तालिका "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 114

(स्थगित)

नर्सिंग छात्रों को माहवार भत्ता

115. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक रेजीडेंट डाक्टर (एम. बी. बी. एस.) प्रशिक्षार्थी को 2500 रुपये माहवार भत्ता दिया जाता है जबकि एक नर्सिंग छात्र को मात्र 75/– रु. भत्ता दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों प्रकार के कर्मचारियों से ड्यूटी बराबर ली जाती है ?

(3) क्या इस प्रकार नर्सिंग छात्र को मात्र 75/– रु. माहवार देना और 12 से 18 घंटे की ड्यूटी लेना बन्धक की श्रेणी में नहीं आता है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त अन्तर

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

को समाप्त कर नर्सिंग छात्रों का भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। एक रेजीडेन्ट डाक्टर (एम. बी. बी. एस. (प्रशिक्षार्थी) को लगभग 2500/– रु. एवं नर्सिंग छात्र को 75/– रु. माहवार भत्ता दिया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी से 12 से 18 घंटे ड्यूटी नहीं ली जाती है। उन्हें सिर्फ प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्रेक्टिकल हेतु वार्ड में लगाया जाता है।

(4) जी नहीं। क्योंकि रेजीडेन्ट डाक्टर एवं नर्सिंग छात्रों के कार्य की प्रकृति अलग-अलग है।

जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत डाक्टर

116. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितने डाक्टर कार्यरत है और कितने स्थान रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991 में कितने डाक्टर एवं नर्सों के स्थानान्तरण किये गये और कितनों के निरस्त किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नये अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल 142 डाक्टरों के पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में 18 पद रिक्त है। रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1991 में डाक्टर नर्सों के राज्य स्तर एवं निदेशालय स्तर से किये स्थानान्तरणों की सूची निम्न प्रकार से हैं :

श्रेणी	स्थानान्तर किये गये	निरस्त किये गये	स्तर
वरिष्ठ विशेषज्ञ	1	—	राज्य सरकार
कनिष्ठ विशेषज्ञ	6	—	,,
वरिष्ठ चि. अ.	2	—	निदेशालय स्तर
चिकित्सा अधिकारी	17	—	,,
नर्सेज	63	—	,,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) वर्ष 91–92 में सवाईमाधोपुर जिले में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

एस. एम. एस. हास्पिटल में प्रोफेसर इन मेडीसन का आउटडोर

117. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एस. एम. एस. हास्पिटल के यूनिट हैड प्रोफेसर विशेषकर प्रोफेसर इन मेडिसन का आउटडोर कब-कब होता है ?

(2) क्या यूनिट हैड प्रोफेसर अपने आउटडोर के निर्धारित दिनों में वहां बैठ कर मरीजों को देखते हैं ? यदि हां, तो उनके द्वारा देखे जाने वाले मरीजों की संख्या कितनी होती है ?

(1) क्या यह सही है कि प्रोफेसर आउटडोर में थोड़े से समय के लिए ही आते हैं और प्रायः मरीजों को नहीं देखते हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यूनिट हैड प्रोफेसर इन मेडिसन का आउटडोर निम्न प्रकार से निर्धारित है :—

1. मेडिकल यूनिट–I–डा.एस.के. शर्मा, सोमवार, प्रथम रविवार
2. द्वितीय यूनिट-डा. सैयद अजमल हुसैन मंगलवार, द्वितीय रविवार
3. तृतीय यूनिट–डा.एस.सी. माथुर बुधवार, तृतीय रविवार
4. चतुर्थ यूनिट–डा.यू.एस. माथुर गुरूवार, चतुर्थ रविवार
5. पांचवी यूनिट-डा. दिनेश माथुर शुक्रवार, पंचम रविवार
6. छठी यूनिट–डा. कुणाल कोठारी शनिवार

अन्य यूनिट हैड प्रोफेसरों की सूची विभाग बाह्य रोगी दिवसों की संलग्न है। (अनुसूची "क") जी हां।

(2) इकाई प्रभारी आचार्य द्वारा प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की संख्या अलग-अलग इकाई एवं विभाग के अनुसार अलग–अलग होती है। आने वाले सभी मरीजों को देखा जाता है।

(3) जी नहीं। प्रोफेसर आउटडोर में नियमित पूरे समय बैठकर मरीजों को देखते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रेफरल अस्पताल में स्वीकृत पद

118. **श्री श्रीराम मीणा** (राजगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्रीराम मीणा)

(1) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के रेफरल अस्पताल में कितने डाक्टर, मंत्रालयिक, कर्मचारी, सहायक कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? क्या ये पद अस्पताल की बढ़ती हुई मांग के अनुसार पर्याप्त हैं? क्या अस्पताल की सफाई पूर्णतया: समय-समय पर होती रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के पास सफाई व्यवस्था बिगड़ने की कोई शिकायत आई थी ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजगढ़ अस्पताल में एक एम्बूलेंस पिछले साल से ड्राईवर के अभाव में अनुपयोगी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक ड्राइवर उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्तमान में अस्पताल में कितने बैड स्वीकृत हैं ? बढ़ते हुए रोगियों की मांग के अनुसार क्या राज्य सरकार रोगियों के लिए बैड की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजगढ़ स्थित रेफरल अस्पताल में स्वीकृत स्टाफ की सूची संलग्न है। स्वीकृत पर्याप्त स्टाफ है। सफाई समय पर होती है, सफाई न होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) राजगढ़ रेफरल अस्पताल को एक रोगी वाहन 20.4.91 को उपलब्ध कराई गई थी, जिसका उपयोग परिवार कल्याण कैम्पों में लिया गया है। वाहन चालक का पद सृजित किया जा चुका है जिस पर शीघ्र नियुक्ति की जा रही है।

(3) राजगढ़ रेफरल अस्पताल एवं प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत 36 पद स्वीकृत हैं, जो वर्तमान कार्यभार को देखते हुए पर्याप्त हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

अजमेर में कोबाल्ट थैरेपी संयंत्र लगाने की योजना

119. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर में केन्सर के उपचार की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या किसी संस्था द्वारा केन्सर के उपचार व अनुसंधान के लिए, भूमि व अनुदान की मांग की गई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या अजमेर में कोबाल्ट थैरेपी संयंत्र की यूनिट लगाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) अजमेर में केन्सर के उपचार हेतु कीमियो-थैरेपी (Chemotherapy) एवं शल्य चिकित्सा की व्यवस्था है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर लगाया जाना सम्भव होगा।

झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ

120. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में किस श्रेणी का कितना स्टाफ कार्यरत है ? क्या उक्त चिकित्सालयों में कुछ पद अब भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ? उन पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जावेगी ?

(2) वर्ष 1977 से अब तक इन चिकित्सालयों में औषधियों हेतु कितना बजट स्वीकृत हुआ ? उसमें कितनी राशि खर्च की गई एवं कितनी लेप्स हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में विभिन्न श्रेणी का जो स्टाफ स्वीकृत है तथा जो पद रिक्त है, की सूची परिशिष्ट "क" पर अंकित है। रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(2) झालावाड़ जिले की समस्त चिकित्सा संस्थाओं हेतु औषधियों के मद में स्वीकृत बजट एवं खर्च का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, स्वीकृत बजट में से कोई राशि लेप्स नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

राज्य के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

121. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कुछ मापदण्ड हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ना भी एक मापदण्ड है ?

(3) यदि हां, तो क्या अजमेर जिले की पंचायत ढाल, पालरा, दांता, न्यारा, गोला इस मापदण्ड के अनुसार पक्की सड़कों से जोड़ दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना आयोग भारत सरकार के माप-दण्डानुसार (1971 की जनगणनानुसार) निम्न प्रकार गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है :—

(अ) सामान्य क्षेत्र :—

1. 1500 से अधिक आबादी वाले गांव	100%
2. 1000 से 1500 ,, ,,	50%

(ब) रेगिस्तानी एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1. 1000 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

2. 500 से 1000 ,, ,, 50%

(2) जी नहीं। पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार की नीति है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत मुख्यालय ढाल (1248), पालरा (963), दाता (1032), अवल से तथा गोला 2684 एवं न्यारा (1192) डामर की सड़कों से जोड़ दिये गये है।

पंचायतों को भी नगरपालिका के समान अनुदान का विचार

122. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों से पंचायतों को कितना रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिये है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुदान राशि नगरपालिका और पंचायतों की समान है ? यदि अन्तर है, तो क्या और क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार पंचायतों को भी नगरपालिका के समान प्रति व्यक्ति अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1986–87 से 88–89 तक तीन वर्षों में 2·25 रुपये प्रति वर्ष एवं वर्ष 89–90 से 90–91 तक दो वर्षों में 4·00 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की दर से 1981 की जनगणना के आधार पर अनुदान दिया गया है।

(2) जी नहीं, 6/– का अन्तर है। पंचायत अनुदान क्षेत्रीय विकास कार्यों हेतु दिया जाता है जबकि नगर–पालिका अनुदान अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु दिया जाता है। इसी वजह से अन्तर है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य में पंचायत चुनाव

123. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राज्य में पंचायतों के चुनाव कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समयबद्ध कार्यक्रम की योजना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन कराया जाकर ही चुनाव कराये जावें। अतः पुनर्सीमांकन का कार्य पूर्ण होने पर चुनाव कराये जाने के बारे में उचित निर्णय लिया जावेगा।

पंचायत समिति सांगोद के कर्मचारी

124. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सांगोद में दिनांक 20-7-1991 को पंचायत समिति सांगोद के कर्मचारी तथा डेपूटेशन पर आये हुए दो अध्यापक उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करके गायब पाये गये थे ? क्या इसकी रिपोर्ट वहां के किसी कर्मचारी ने माननीय विधायक महोदय के माध्यम से जिला कलक्टर, कोटा और पंचायती राज राज्य मंत्री को दी है ?

(2) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) डेपूटेशन पर आये कर्मचारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए जिला कलक्टर, कोटा को लिखा जा चुका है, तथा दो अध्यापकों को निलम्बित कर दिया गया है, शेष दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री कमलेन्द्रसिंह और 11 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण से कर्मचारियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामीण विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में।

(3) श्री घासीराम यादव और दो अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि भूमि को आपसी आदान-प्रदान करने पर राज्य सरकार के आदेशों के विरूद्ध स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(5) श्री जनार्दनसिंह गहलोत और तीन अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका बांदीकुई के अध्यक्ष के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार के आरोप तथा कई अन्य नगरपालिकाओं के पार्षदों को निलम्बित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री फतेह सिंह और दो अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे के डिग्री कालेज में व्याख्याताओं की कमी के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती रमा पायलट और 10 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के कृषकों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई उपखण्ड जिला नागौर के अधूरे बांधों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्ष 1986 से 1888 के दौरान राजस्थान में हुए अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के विक्रय से हुई आय के 21 लाख रुपये के मुनाफे का राजस्थान राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों द्वारा किये कथित अपव्यय, गबन एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामनारायण वर्मा व 3 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से अध्यापिका श्रीमती मित्तल के साथ बरती प्रशासनिक दुर्भावना के कारण आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर परिषद क्षेत्र के भदासिया-पूंजला क्षेत्र में सरकारी प्रदत्त जमीन खसरा न. 58/2 12 बीघा पर श्री ब्रह्मसिंह एवं मंगलसिंह व अन्य द्वारा अवैध कब्जा करने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(12) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से 26 अगस्त, 1991 को बालक प्रतीक की सवाई मानसिंह चिकित्सालय में हाइड्रोफोबिया से मृत्यु के सम्बन्ध में।

(13) श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद, बीकानेर द्वारा चयनित चित्रकला शिक्षकों की नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) डा. चन्द्रभान और दो अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में गत 6 माह में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार से जनता में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामस्वरूप मीणा और 4 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री को पुनः शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर तथा नवगठित दौसा जिले में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी तथा अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में सन् 1980 की वरीयता सूची के प्रशिक्षित 150 बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(18) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। पूर्व में 11 तारीख को जितने भी स्थगन-प्रस्ताव मेरे सामने आये, उन सब पर, सिवाय दो को छोड़कर, जो अभी विचाराधीन हैं। एक तो डा. हरिसिंह का और एक जुबेर खां का। बाकी सभी पर जो व्यवस्था है मैं आपको सुना रहा हूं :–

(1) श्री नत्थीसिंह और 14 अन्य माननीय सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरकों पर अनुदान उठाने, बड़े व सीमान्त कृषकों में विभेद कर दोहरी मूल्य प्रणाली निर्धारित करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने और खाद की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इस विषय में आज सदन में अन्य माध्यम से बहस होने को है, माननीय सदस्य बहस में भाग ले सकेंगे।

(2) श्रीमती मदन कौर एवं 3 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में।

दिनांक 12 सितम्बर, 1991 को शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षकों की कमी की पूर्ति अक्टूबर, 1991 तक करने का आश्वासन दिया है। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(3) श्री बुलाकीदास कल्ला और 5 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र; विशेषकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर गंगानगर और जालौर में व्याप्त अकाल एवं अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में।

इस पर 17 सितम्बर को व्यवस्था दी जायेगी, माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

पूर्व में प्रस्तुत निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों के बारे में सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो–दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। मैं इस दो मिनट को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट कर सकता हूं। मैं इसलिए आपको पहले बताता हूं कि पांच मिनट से ज्यादा कोई भी सदस्य नहीं बोलेंगे और इसीलिए मैंने अधिक से अधिक लगाये हैं और यदि आप ज्यादा बोलेंगे तो कल से लगाना बन्द कर दूंगा।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह थ्रेटनिंग तो....

श्री अध्यक्ष : थ्रेटनिंग नहीं दे रहा हूं बल्कि मैं आपको छूट दे रहा हूं, दो की जगह पांच। आप और उसको थ्रेटनिंग समझ रहे हैं। ऐसा है कि आपके यह आयेंगे नहीं। आप बात समझिये कि आपके सारे स्थगन प्रस्ताव आने चाहिये। आप समय की सीमा में रहेंगे तो सबके आ जायेंगे, नहीं तो नहीं आयेंगे। अच्छा खैर अब सुनिये। सुनिये अब आप।

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व में प्रस्तुत निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों के बारे में सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(1) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका नोखा के वार्ड नम्बर 14 में सुजानगढ़ रोड के उत्तर की ओर स्थित 20 हजार वर्ग फीट खाली पड़ी व्यावसायिक भूमि को गैर-कानूनी तरीके से नियमन करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में छोटी डूंगरी बांध बनाने की स्वीकृति मिलने तथा उसका कार्य शुरू होने के बाद अचानक उसका निर्माण कार्य अक्टूबर, 1990 में बन्द करने तथा उस पैसे का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जनार्दनसिंह गहलोत, और 11 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से बीड़ लालवास, रामगढ़ रोड, जयपुर की छोटे-छोटे किसानों की भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना अधिग्रहण की कार्यवाही किये, सी.आर.पी.एफ. को आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमीन खां और श्रीमती मदन कौर, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा बाड़मेर में खोले गये पोलीटेक्निक कालेज में अध्यापकों की कमी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री ईश्वरलाल सैनी और सात अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 27/28 जनवरी, 1991 की मध्यरात्रि पश्चात् पुलिस द्वारा जयपुर देहात क्षेत्र में एक जीप का पीछा करके उसमें सवार तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने तथा एक बचे व्यक्ति को टाडा कानून में गिरफ्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

प्रक्रिया के नियम संख्या 295 में आज मेरे पास 26 आये हैं, मैंने 13 लगाये हैं बाकी 13 पैण्डिंग हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : मेरा भी दिया हुआ है, परसों का उसका उल्लेख नहीं किया। मैंने परसों एक स्थगन प्रस्ताव चिकित्सा विभाग में अव्यवस्था के सम्बन्ध में आपको दिया था कल आपने बताया था कि उसको सरकार के पास जवाब के लिए भेजा है। आज 24 घंटे भी हो गये हैं। उस सम्बन्ध में आपने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : 11 तारीख को जो भी दिये हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 11 का ही है।

श्री अध्यक्ष : मेरे से बात करें। रह गया होगा तो बात कर लेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

(1) श्री हबीबुर रहमान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

मुण्डवा के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी को शुद्ध बनाने तथा पेयजल की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अनूपगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. रतनलाल अग्रवाल द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कथित हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना छापर, जिला चूरू में एक महिला के साथ बलात्कार का प्रयास के संदर्भ में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 111/91 पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर में कृषकों को कृषि कनेक्शन का डिमांड नोटिस दिये जाने तथा उनके द्वारा रकम जमा कराने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्टाक एक्सचेंज के एक सदस्य श्री रविन्द्र कुमार केजड़ीवाल को कथित आत्महत्या के लिए बाध्य किये जाने की पुलिस को पुनः जांच हेतु निर्देशित किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले की जनजाति बहुल तहसीलों को सस्ते अनाज की मात्रा कम मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्टील व चद्दर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बिक्री कर में कमी करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह व देवली तहसीलों की डिस्पेंसरियों में व पी.एच.सी. रेफरल अस्पताल में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(10) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से घाटोल, जिला बांसवाड़ा के नान कमान्ड क्षेत्रीय खेतिहर भूमि की सर्वे कर लघु सिंचाई योजना द्वारा तालाब बनाये जाकर किसानों को राहत दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदोन्नति के राज्य में पर्याप्त अवसर न होने के सम्बन्ध में।

(12) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले के आदिवासियों से सरकार द्वारा काम कराये जाने के बाद पेमेण्ट नहीं करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बोलिये। पहले आप मेरा निवेदन सुन लीजिये। शून्यकाल में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता क्योंकि पाइन्ट आफ आर्डर हमेशा किसी बिजनेस पर अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिये होता हैं। जब किसी बिजनेस पर चर्चा नहीं हो तो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता। वैसे कहिये, आप पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन बोलिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। मेरा निवेदन यह था कि आज के सभी समाचार पत्रों में एक खबर छपी है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर जो राष्ट्रीय ध्वज है वह फटा हुआ है और जयपुर के एक नागरिक ने 250 रुपये का चैक जयपुर विकास प्राधिकरण को भेजकर निवेदन किया है कि उस राष्ट्रीय ध्वज को ठीक कराया जाय। मेरा निवेदन यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर फटे हुए राष्ट्रीय ध्वज के होने से यह राष्ट्र का अपमान है और आफेन्स क्रियेट हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। आपने इन्फार्मेशन दे दी। मंत्रीजी इसको ध्यान में रखेंगे, पता करेंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 127 में महंगाई पर चर्चा करने के लिये आग्रह किया था और आश्वासन भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने आश्वासन दिया वह जरूर पूरा होगा।

डा. चन्द्रभान : महंगाई जैसे विषय पर तो आश्वासन....

श्री अध्यक्ष : हां, मैं कह रहा हूं जरूर पूरा होगा।

डा. चन्द्रभान : जल्दी पूरा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जरूर पूरा होगा।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। मेरी नालेज में आपने प्रबोधन के दौरान कुछ बातें कही थीं। मैं भी भूल गया था उस बात को लेकिन मेरी नालेज में आया, माननीय सुरेन्द्र जी व्यास ने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी के खिलाफ में। आपको जो परेशानी है खास तौर से आपकी उसमें काफी मजबूरियां जाहिर की हैं। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानना चाहूंगा, दो और विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव हैं, जो बहुत इम्पार्टेण्ट फैसले कर सकते है। इन तीन विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों पर फैसला कम से कम 157 के तहत आप रिजेक्ट करते या फिर नहीं रिजेक्ट करते तो 158 के तहत आगे कार्यवाही होती। तो आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : वह एग्जामिन हो रहे हैं, व्यवस्था दूंगा मैं। आप बोलें, हीरालाल जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस सत्र में वह व्यवस्था हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : अब यह तो नहीं कह सकता मैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : विशेषाधिकार के प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार में मेरी व्यवस्था तो हो जायगी मगर विशेषाधिकारों का क्या होगा....व्यवस्था हो जायगी।

डा. हरिसिंह : आप रिजेक्ट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जो भी मेरी व्यवस्था है, हो जायगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : हां, मेरी व्यवस्था हो जायगी। बाकी विशेषाधिकार तो जैसा होगा वैसा चलेगा।

डा. हरिसिंह : हम यह चाहते हैं कि इस सत्र में....

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, मेरी व्यवस्था हो जायगी।

डा. हरिसिंह : हमें आपकी व्यवस्था चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं एग्जामिन करते ही व्यवस्था दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मेरे विशेषाधिकार का मामला तो अपन ही तय कर लेंगे। क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदासजी कल्ला, बोलिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। आपने जैसा अभी बताया कि 295 में 26 आज नोटिसेज आपको मिले हैं और आज 26 पर आप सब माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। 13 पर। बाकी के पैंडिंग हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अपने यहां और लोक सभा में और बाकी की विधान सभाओं में पिछले दिनों आपने जब प्रबोधन कार्यक्रम आरम्भ किया था उस समय मैंने अपने स्तर पर जानकारी की थी कि जीरो आवर में और खास तौर से 295 और उसके समानान्तर अन्य राज्य विधान सभाओं में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें पार्टी के आधार पर समय निश्चित किया जाता है। लोक सभा में भी यही है। लोक सभा में किस पार्टी के सदस्य दे रहे हैं और किस आर्डर में अध्यक्ष महोदय देखते हैं कि इनको एक बार अनुमति मिल गयी, दूसरे को दूसरी बार मिल गयी। दूसरी बार भी वह देते हैं, ऐसा नहीं है।

डा. हरिसिंह : यह इतने पुराने समय से चल रहा है और अब आपको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं डाक्टर साहब इसलिये नहीं कह रहा हूं, आप बोलें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सदन में कई इम्पार्टेण्ट इश्यूज जैसा आपने अभी कहा कि अकाल के बारे में चर्चा करनी है, कोई शिक्षा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो ऐसे विषय पर इस 295 के जरिये चर्चा नहीं करें। यदि आप किसी खास विषय पर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आवश्यकता समझें तो उस विषय पर चर्चा करने का समय रख दें ताकि सार्थक चर्चा हो, मैं तो केवल इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी।

डा. हरिसिंह : मेरा एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : जनरली ऐसा ही होता है। जब विशेष उल्लेख में ऐसा सवाल उठता है, जैसे अकाल का उठा, पेयजल का उठा तो उस पर तो चर्चा होती है लेकिन जब माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की किसी विशेष समस्या का उल्लेख करते हैं तो वह मैं अलाउ करता हूं। कल्लाजी, बोलिये। (व्यवधान)

अब आप कल्लाजी को नहीं बोलने देंगे ? (व्यवधान)

मैंने 11 सितम्बर के एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में बताया। यदि 11 सितम्बर का कोई बाकी रह गया हो, हो सकता है मेरे सामने नहीं आया हो तो मेरे से आप वहां मिल लीजिए, हो जाएगा। (व्यवधान) श्री यदुनाथसिंह जी बोल रहे हैं।

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय रामेश्वर जी ने बहुत गम्भीर विषय की ओर सदन का और आपका ध्यान आकर्षित किया था। कई घटनाएं हो चुकी हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होते देखा गया है और इस विषय को हम सभी को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। माननीय मंत्रीजी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खबर पढ़ी होगी और मैं अपेक्षा रखता हूं कि ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। आप यहां बैठे हैं आपने खबर पढ़ी हो तो सदन यह भी जानना चाहेगा कि आपने अब तक इस विषय पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने खबर पढ़ी मैंने उसी समय कहा है। क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले नियम 50 के स्थगन प्रस्ताव पर बोलूं उससे पहले आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि मैंने नियम 119 के अन्तर्गत माननीय उद्योग मंत्रीजी के खिलाफ एक सेंसर मोशन आपको दिया था और उसमें यह बताया था....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, यह सेंसर मोशन जब तक आप एडमिट नहीं करते उस समय तक उसकी मेरिट पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं मेरिट कहां बता रहा हूं। मैं तो केवल जानकारी दे रहा हूं कि मैंने यह दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने नाम ले लिया उनका।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उसके बारे में जानकारी तो चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने आज सुबह साढ़े दस बजे अपने सबूत लाने का कहा। आप साढ़े दस बजे तक नहीं आये। वह आपके पास होंगे। डिले आप कर रहे हैं। अब और बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आज प्रस्तुत कर देता हूं उसके बाद उसको जल्दी लिया जाय। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम चलाया गया था उसके अन्तर्गत....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी आपने व्यवस्था दी है कि पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : निवेदन कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया, वह सूचना दे रहे हैं। मैं जो यहां से कहता हूं वह एक के लिए नहीं सबके लिए है, कोई समझे या नहीं उसका मैं क्या कर सकता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर माननीय कल्लाजी बोलना चाहते हैं यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हमने यहां लिख कर भी दिया है कि न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर यहां बोलने की अनुमति नहीं दी जाय। निर्णय करते वक्त आप उसको देख लें।

(12.25 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था में यह स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किया है राज्य सरकार की जानकारी आने के बाद। माननीय मंत्री महोदय जो बात कह रहे हैं तो राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई थी तो अध्यक्ष महोदय को जानकारी देने में बता सकते थे। अगर नहीं बताया है तो अब इश्यू कहां पैदा हो गया। आपने उठा दिया होता तो अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से उस पर निर्णय देते कि उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपसे जानकारी मांगी गई तो आपने क्यों नहीं दी उसके बाद की जानकारी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है कि जानकारी समय पर नहीं पहुंची और इसी कारण से अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कही लेकिन ज्योंही जानकारी प्राप्त हुई, हमारा तो काम है सदन के नोटिस में लाना और सदन के नोटिस में हम ले आये कि मैटर सब–ज्युडिस है उसके बाद में भी आसन उनको बोलने की अनुमति देता है तो हम आसन को रोक नहीं सकते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दे दी गई है और केवल आदेश को स्टे करने से कोई सब जुडिस मामला नहीं होता। मैंने सब के सामने ऐसे कई मामले उठाये हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय नेता महोदय ने अभी कहा और माननीय मंत्री जी ने बताया कि मामला न्यायालय में है। फिर आप हाउस को भ्रमित कर रहे हैं। सही माने में जो सेंसर मोशन का मामला श्री कल्लाजी बता रहे हैं वह न्यायालय में नहीं है, वह मामला जिस व्यक्ति का हाथ बताया गया उसको सरकार ने क्रियान्विति नहीं किया। वह मामला इस विषय पर न्यायालय में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जनार्दन सिंह जी, या तो पान खालें या इनकी बात सुन लें....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अगर आप चाहें तो मेरे पास डाक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात तो सुनिये। कल्ला साहब ने कुछ मामला उठाया है और आप कुछ बोल रहे हैं। कल्ला साहब नोखा की बात कर रहे हैं, आप सेंसर मोशन की बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं मोटा पान खाने से सही बात ध्यान में नहीं रहती।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आज आपके पास नहीं पहुंचा पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, नोखा नगरपालिका के अन्तर्गत प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम चला उस समय 6 व्यक्तियों ने प्रार्थना की थी कि हमारा यहां आवासीय कब्जा है। हमारे कब्जे का नियमन किया जाय। नगरपालिका नोखा ने यह कहा कि आपका वहां कोई आवास नहीं है। यह व्यावसायिक भूखण्ड है इसलिए आपका नियमन नहीं किया जा सकता और श्री रामचन्द्र, दूलीचन्द, जुगलकिशोर, नरसीराम, सीताराम और राधेश्याम इन 6 व्यक्तियों के आवास नहीं थे, खोखे रखे हुए थे इसलिए उनको हटा कर नगरपालिका ने उनका पूरा कब्जा ले लिया जमीन पर....

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सुन तो लें, उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल स्टे आर्डर दिया हुआ है उसका मैं जिक्र कर दूंगा। व्यवस्था दे दी, मुझे बोलने की इजाजत दे दी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ऐसा मामला लाया हूं उस पर मुझे बोलने का अधिकार नहीं देंगे तो यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 52 sub clause (vii)—the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी है कि अध्यक्ष महोदय जी व्यवस्था देते हैं, उपाध्यक्ष उस व्यवस्था पर दुबारा विचार नहीं करते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवस्था)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने की अनुमति देकर गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह जानबूझ कर भ्रष्टाचार के मामले को खोलने नहीं देते.... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : पहले पाइंट आफ आर्डर को डील करने दें। माननीय कल्ला साहब, पहले मुझको उनको सुनने दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला : आप किस नियम से बोलना चाहते हैं, कौन सा पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवस्था के सवाल पर बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर के नियम नहीं हैं। महावीर प्रसाद जी ने उठाया है, पहले सुन तो लेने दीजिए वह क्या कहना चाहते हैं। माननीय सम्पतराम जी साहब।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्फार्मेशन के रूप में आपको अर्ज करना चाहता हूं। जिस मुद्दे पर आप इस समय निर्णय देने की सोच रहे हैं। एक तो यह कि जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता यह अभी अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय देकर गये हैं। सूचना के रूप में यदि सदस्य कुछ कहें तो अध्यक्ष चाहे तो स्वीकार करके बोलने की इजाजत दे दें। दूसरा, जिस मुद्दे पर कल्ला साहब बोल रहे हैं उस पर अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं और पहले ही वह कह चुके हैं कि आपको बोलने की इजाजत है। इसलिए अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर आप दुबारा विचार करके बदलें, यह आपके देखने की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा प्रश्न इस बात का है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय केदार जी बोल रहे हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : सब-जुडिस का मतलब यह नहीं है कि एम.एल.ए. को बिल्कुल पाबन्द कर दो कि उसके बारे में चर्चा नहीं करे। सब-ज्युडिस मैटर में स्टे का ऑपरेटिव पार्ट क्या है ? हम उसकी मेरिट में नहीं जा सकते मगर जो फैक्ट्स हैं उनको नरेट करने का हमारा अधिकार है, अपनी राय नहीं देंगे, केवल फैक्ट्स नरेट कर देंगे। कौन लोग बसे हुए थे, कितने साल से बसे हुए थे कब उनको हटाया गया। मेरिट में नहीं जाते हुए यह फैक्ट्स नरेट करने का अधिकार तो हर एम.एल.ए. को है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्षजी ने जो रूलिंग दी है क्योंकि मुझे जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए आपको अनुमति देता हूं। मैंने यह निवेदन किया था कि हमारा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जवाब मौजूद है और यह सबजुडिस है। तो जब अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया तब उनकी जानकारी में नहीं था कि यह सब–जुडिस है। वह मैं ध्यान में ले आया हूं कि यह सबजुडिस मैटर है, इसलिए मैंने निवेदन किया कि इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसकी मेरिट में नहीं जाऊंगा केवल इन्फार्मेशन की बात करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये। माननीय श्री महावीर जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मौका दूंगा आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह था और बहुत कुछ तो क्लीयर हो गया है कि पाइण्ट आफ आर्डर किसी भी स्टेज पर रोका नहीं जा सकता है। हाउस की जो नियमों में व्यवस्थाएं हैं, परम्पराएं हैं, उन परम्पराओं और नियमों के पालन कराने की व्यवस्था करते रहे हैं और आसन उसका पालन करवाये, यह उसका दायित्व है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पाइण्टों को अदालत ने छुआ है, जिस पर स्टे है, जो मामला सबजुडिस है, उसके अलावा माननीय सदस्य और बातें कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मामले अदालत में विचाराधीन है, उनको छूना अदालत की अवमानना माना जायेगा और मैं समझता हूं, कि हमको उस पक्ष को नहीं छूना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ओमप्रकाश जी गुप्ता।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब अध्यक्ष महोदय ने इनको बोलने के लिए अलाउ किया, उस समय माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि अध्यक्षजी का कहना यह था कि इसके बारे में उनके कार्यालय में कोई सूचना नहीं आयी। उस वक्त माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने खड़े होकर बताया कि इस प्रकार से यह मैटर सबजुडिस है और इसके बारे में रूल में बहुत स्पष्ट है। "No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any Judicial or quashi–Judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved."

श्री हेतराम बेनीवाल : इसकी व्यवस्था हो चुकी है। सदन में व्यवस्था होने के बाद किसी को अधिकार नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष की व्यवस्था होने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक उसको चैलेन्ज कर रहे हैं। यह खेदजनक बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतकजी को अपना कथन पूरा करने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो कथन कह रहे हैं, वह माननीय अध्यक्ष के फैसले को सुपरसीड कर रहे हैं। कोई भी अध्यक्षजी के फैसले पर कमेण्ट नहीं दे सकता और माननीय मुख्य सचेतकजी उस पर अपने कमेण्ट दे रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैंने कोई कमेण्ट नहीं किये। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष के बारे में यह कहना कि उनको ज्ञान नहीं था, निश्चित तौर से अध्यक्ष के फैसले के बारे में यह कहना कि उनका ध्यान नहीं था इसलिए फैसला दे दिया....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपको नियमों की जानकारी नहीं है। जब एक सदस्य बोल रहे हैं तो परमीशन लेकर बोलना चाहिए। आप खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी को अपना कथन पूरा करने दीजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मेरा निवेदन यह था कि हमारे सदन की परम्पराएं हैं। मैंने अध्यक्षजी की टिप्पणी का कोई अनादर नहीं किया और सम्मान के साथ निवेदन करता हूं कि यदि अध्यक्षजी को ऐसी बात की जानकारी हो जाये, जो कि नियमों के अन्तर्गत दी जा सकती है तो अध्यक्ष महोदय अपने विचार पर पुनर्विचार कर सकते हैं और उसी के आधार पर अध्यक्ष को नियमों में अधिकार है कि वह पुनर्विचार कर अपना निर्णय दे सकते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसकी जगह आप कर रहे हैं। अध्यक्ष की जगह आप विचार कर रहे हैं। आप कैसे दे रहे हैं इसका फैसला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री केदार नाथ जी।

श्री केदारनाथ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रोविजो है, provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry. यह स्पीकर का अधिकार है।

श्री हेतराम बेनीवाल : He has given. The Hon'ble Speaker has already given this decision after consideration.

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका उत्तर यह है कि जब अध्यक्ष इस पर विचार कर लें, अपना माइण्ड एप्लाई कर लें और फिर अपना निर्णय दें। मेरा निवेदन है कि यह फैक्ट्स उनके सामने नहीं था।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने क्यों नहीं भेजा ? आज क्यों आया जवाब ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नया फैक्ट आया है। यह मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री हेतराम बेनीवाल : राज्य सरकार ने क्यों नहीं भेजा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह उनसे अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : जब भी नोटिस में आवे।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले क्यों नहीं भेजते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई बार इस सदन के सामने भी और इससे पूर्व जो सदन रहे हैं, उनके सामने भी आया हुआ है। आपको खुद को ध्यान होगा आसन जिलेलाव का मामला यहां आया था। वह कोर्ट में चल रहा था और उस पर यहां खूब बहस हुई थी। उस पर आप भी बोले थे।

श्री उपाध्यक्ष : कोर्ट में नहीं आया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप स्वयं बोले थे, तीन बार बोले थे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हां कोर्ट में था। वह मामला कई मर्तबा आ चुका है। इसी तरह और भी बहुत सारे मुद्दे जो मर्डर के केस हैं, जिनमें चालान पेश हो गये थे, वह यहां डिसकस हुए हैं और यह तो एक सिविल का मामला है और सिविल के मामले में लॉ यह है, मैं समझता हूं कि श्री भंवरलालजी भी मेरी बात को स्वीकार करेंगे कि सबजुडिस (सिविल) केस तब माना जाता है जब उसमें इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं। अभी कोई इश्यूज फ्रेम नहीं हुए इसके और जैसी कि परम्पराएं हैं कि फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। मेरिट भी नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यह सोचना कि अध्यक्ष महोदय ने बगैर सोचे समझे, फैक्ट्स देखे हुए, आपने फैक्ट्स प्रस्तुत नहीं किये, इन सब बातों को किया है, आप इस कंडीशन पर इनको एलाऊ कर दीजिए कि यह मेरिट की बात नहीं करेंगे, अपने फैक्ट्स की यहां चर्चा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर कोर्ट द्वारा कोई इनजेक्शन जारी कर रखा है या किस स्टेज पर चल रहा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : क्या दे रखा है वह सदन की मेज पर रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्ला साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्षजी, जो भी कानूनी कार्यवाही हुई है वह मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। या तो आप ऐसा करें कि पहले इसको रोक दें और दूसरों को चान्स दे दें, इसके बारे इसको कर दें। उसमें क्या हो गया। आप थोड़ी देर के बाद इसको कर दीजिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप तब तक सदन को स्थगित कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : वाह, खूब सुझाव दिया आपने। क्या होगा स्थगित करने से।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्षजी के आदेश से बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रजातान्त्रिक अधिकार पर आघात हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अगर रूल 52 में करना था तो उसमें क्लीयरकट मेन्डेटरी प्रोविजन है कि हाउस can not discuss such matters. Rule 52 is mandatory.

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्षजी के आदेश को उपाध्यक्षजी भी नहीं बदल सकते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दे दी गई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विषय कोई ऐसा गंभीर नहीं है जिसके बारे में आप चिन्ता कर रहे हो। सवाल नियमों और परम्पराओं का है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपके सवाल से कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। इससे कोई आसमान नहीं गिरेगा। सवाल यह है कि नियम क्या हैं ? उनका पालन करना है या नहीं करना। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अध्यक्ष जी ओवर रूल कर सकते हैं क्या ? आप मुझे इसका जवाब दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मामला अभी चल रहा है। इसको समाप्त नहीं किया गया है। मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं। अब आप बिराजिये। मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं। मामला स्थगित थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, परसों श्री प्रकाश बैरवा के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा हुई, उस वक्त यह कहा गया कि श्री प्रकाश बैरवा केस में स्टेटमेण्ट नहीं है, मामला सबजुडिस है, उनको स्टेटमेण्ट नहीं देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने सबजुडिस होते हुए श्री प्रकाश बैरवा, माननीय सदस्य का यहां स्टेटमेण्ट दिलवाया। ऐसे इम्पार्टेण्ट मैटर में सबजुडिस होते हुए भी स्टेटमैण्ट दे सकते है तो मामला सबजुडिस है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री देवेन्द्र सिंह जी कई मामले इस प्रकार के होते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या प्रकार है इसका।

श्री उपाध्यक्ष : सबको हम एक ही तरीके से नहीं ले सकते, सबको एक ही निर्णय में नही बांधा जा सकता, कौनसा है, कौनसा नहीं है। सिविल वाले मामले सब–जुडिस हुआ करते हैं। उससे न्यायालय के निर्णय पर भी असर पड़ सकता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : इस पर बहस करवा दीजिए कि यह सबजुडिस है या नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जानना चाहता हूं, मेरी जानकारी के लिए कि सब-जुडिस की परिधि में क्या क्या चीजें आती हैं ? आप कृपया मुझे बतायें। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आसन से ही व्यवस्था कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह आपको बताना पड़ेगा कि यह सबजुडिस नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्यतया न्यायालय में जो मामले चलते हैं, उनको सबजुडिस कहते हैं । उस पर न्याय निर्णय में कोई अदरवाइज इफैक्ट पड़ता है । इसलिए हम उस पर बहस करने से यहां पर थोड़ा रोका करते हैं The fact is very relevant. इसी सदन के माननीय भूतपूर्व कई अध्यक्षों द्वारा निर्णय लिया हुआ है वही निर्णय मैं आपको सुना रहा था । यह 15–9–1954 का एक निर्णय है । न्यायालय के विचाराधीन किसी मामले पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते । 15 सितम्बर, 1954 को उनियारा जागीरदार द्वारा हरे पेड़ काटने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न पूछे गये । अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जब यह बताया गया कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो अध्यक्ष जी ने कहा कि....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, यह प्रसंग नहीं है, यह इन्क्वायरी नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि मैं फैक्युअल पोजिशन पर ही बात करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, मेरे को पूरा कथन करने दीजिये । तो उसमें यह किया है, मैं नहीं समझता कि जो मामला विचाराधीन अदालत है उसके बारे में इस सदन में प्रश्न पूछे जाय और मैं आशा करता हूं कि ट्रेजरी बैन्चेज भी इस दफ्तर को सूचना तो कम से कम अवश्य दिया करेंगे । कौन सा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कौन सा नहीं है । यह सेम प्रकार का मेटर है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : प्रश्न नहीं पूछेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपकी व्यवस्था का आदर करता हूं । मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है ।....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कल्लाजी के नाक का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रूलिंग आपने पढ़ी है है उसमें प्रश्न का जिक्र जरूर है पर प्रश्न का मतलब यह है कि यह विषय किसी भी प्रकार से, क्योंकि उस समय प्रश्न का मामला आ गया होगा । अब यह जो बात यहां रखेंगे तो प्रश्नों की बात सामने ही आती है । प्रश्न यहां आता है । वह प्रश्न में आये, चाहे ध्यानाकर्षण में आये, चाहें किसी भी प्रकार से आये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा ।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, मंत्रीजी तो मुझे यह बता दें । यह नोखा की जमीन पर म्यूनिसिपैलिटी जमीन पर 15 साल से....

58

श्री उपाध्यक्ष : अब यह क्या शुरु कर दिया।

श्री केदारनाथ शर्मा : सुनिये तो सही।

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल यह नहीं है कि चर्चा शुरू करने का है, करनी है या नहीं करनी है।

श्री केदारनाथ शर्मा : चर्चा नहीं है, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं फिर चर्चा शुरू होगी। I am prepared to answer it. ऐसा कोई नहीं है लेकिन बात यह है कि....

श्री केदारनाथ शर्मा : आप पढ़े लिखे वकील हैं। मेरिट हैं। मेरिट यह होता कि यह रेगूलराइज करने का हक है या नहीं। इतने सालों से वहां बैठे हैं उन्होंने एप्लाई किया रेगूलराइज के लिये और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वे कोर्ट में चले गये। यह मेरिट में कहां आता है। अपनी राय नहीं देंगे क्या ? केवल फैक्ट्स को नरेट करने का अधिकार है, किसी को रोका नहीं हैं। यह इस हाउस की परम्परा नहीं है ?

श्री यदुनाथ सिंह : कोई भी कोर्ट में चला जायेगा फिर बहस नहीं होगी। जे. डी. ए. पर बहस नहीं होगी, म्यूनिसिपैलिटी पर यू. आई. टी. पर बहस नहीं होगी। यह क्या बात हुई।

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर तो किसी भी चीज पर बहस नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। एक कन्वेन्शन है कि दो पार्टियों के बीच में कोई मामला हो तो गाइड लाइन है उस पर चर्चा नहीं की जाय अगर यही मान्शा होती कि अदालत में जाकर वह पेश हो गया उसके बाद में हम उस पर विचार ही व्यक्त नहीं कर सकते तो सब अपनी कार्यवाही ही व्यर्थ हो जायेगी। कोई भी व्यक्ति अगर कोई मामला सदन के समक्ष आना है तो जाकर अदालत में दर–खास्त दे देगा या वाद प्रस्तुत कर देगा तो उससे हम वंचित रह जायेंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चाहे विचाराधीन हो और यह नियम है shall be may होता है may not do it. लेकिन इसका मतलब हमारे इस अधिकार से हमको वंचित, अगर मान लो हम विचार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि वह पेंडिंग है, कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है हमारे को यह मैं आपको निवेदन कर दूं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन कोर्ट में तो है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह तो ठीक है, हमको एहतियात बरतनी चाहिये कि किसी दो पार्टी के बीच में विवाद हो तो उस सम्बन्ध में हमको नहीं कहना चाहिये वरना हमको पूरा अधिकार है कहने का।

श्री परसराम मोरदिया : मैं एक दु:खद घटना के बारे में हाउस को सूचना देना चाह रहा था। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : इसी सब्जेक्ट पर, इसी पाइंट पर बोलिये ।

श्री परसराम मोरदिया : हां, पाइंट पर ही बोल रहा हूं । मैं सुबह सीकर से करीबन 10 बजे....

श्री उपाध्यक्ष : यह सूचना आप बाद में दीजिये प्लीज ।

श्री परसराम मोरदिया : बड़ी गम्भीर है, एक्सीडेण्ट की है ।

श्री उपाध्यक्ष : दे देना, लेकिन इस टापिक के ओवर होने के बाद ।

श्री परसराम मोरदिया : एक सैकण्ड लूंगा, साहब, बहुत जरूरी है ।....(व्यवधान) उन लोगों को मैंने गाड़ी में डाल कर सीधा एस. एम. एस. लेकर आया । मैं नहीं जानता कि एक्सीडेण्ट में कौन थे क्योंकि सारे बेहोश थे ।....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मामला क्या था ?

श्री परसराम मोरदिया : आप सुनो नहीं तो क्या बोलूं । उसके बाद हास्पिटल ले गया इमरजेन्सी वार्ड में । आपको सुनकर बहुत दुःख होगा कि आधे घण्टे तक स्वास्थ्य मंत्रीजी मैंने बार बार डाक्टरों से रिक्वेस्ट की कि एक पेसेण्ट बहुत ही सीरियस है, चार बच्चे, पति-पत्नी दोनों साथ में थे, मारुति वाहन के अन्दर और एक ट्रक से उनका एक्सीडेण्ट हो गया है । मैं उनको लेकर आया हूं । आप जरा स्ट्रेचर दीजिये ताकि उनको लेकर आऊं । आधे घण्टे पहले की घटना है आप विश्वास नहीं करेंगे हास्पिटल में 300 आदमी इकट्ठा हो गये लेकिन डाक्टरों ने स्ट्रेचर नहीं दिया और आधे घण्टे बाद वह महिला खत्म हो गयी उस गाड़ी के अन्दर । इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती और आप कह रहे हो कि यह हालत है । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्रीजी से, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से कि आप इसी वक्त आपके किसी जांच अधिकारी को भेजिये । आज एस. एम. एस. की क्या हालत हो रही है कि आधे घण्टे तक आपके डाक्टर स्ट्रेचर नहीं दे रहे हैं । उस महिला को हम घसीटते लाये क्योंकि उसका वजन 90 किलो से ऊपर था, छह आदमी उठा कर लाये । इससे बड़ी दुखद घटना हो नहीं सकती । पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तुरन्त आप व्यवस्था करें बाकी के मरीज भी सीरियस हैं उनको छोड़कर आया हूं । यह व्यवस्था आप करायें ।

श्री उपाध्यक्ष : इनको इन्फार्मेशन देनी थी । माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं उन्होंने इसको नोटिस में ले लिया है और नोटिस में लेने बाद कार्यवाही करेंगे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्वास्थ्य मंत्री जी बोले कुछ ।

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस में आयी है बात इस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सीरियस मामला है, माननीय मंत्रीजी यहां पर बिराजे हैं । आप क्या कार्यवाही करेंगे, एक तो मर गया । क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को इस बात से अवगत करा दिया है।

श्री परसराम मोरदिया : अवगत कराने से क्या है। यह तो बताये कि क्या कार्यवाही करेंगे माननीय मंत्रीजी। इतना सीरियस मामला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मंत्री) : अविलम्ब कार्यवाही की जा रही है। सारा लिख कर भेज रहा हूं चिन्ता क्यों कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनको सुन लें या मेरे को सुन लें।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : आपकी सहूलियत के लिये नियम 53 मैं पढ़ देता हूं।

53. Motion for discussion on matters before tribunals, commissions etc. : No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved.

आम तौर से और यह कोर्ट में सबजुडिस होने का नहीं कह रहा हूं, किसी मामले को अगर किसी को सुपुर्द कर दिया हो इन्क्वायरी के लिये तो आम तौर से नहीं होगा। यह अदालत के सामने पैंडिंग है उसे हम डिस्कस नहीं कर सकते यह तो कभी हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री विश्नोई साहब।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : उसके बाद भी अध्यक्ष तो इजाजत दे ही सकता है। पर हमारा मुंह बंद करने के लिए नियम नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सेक्शन 52 सब क्लाज 7 है उसमें कोर्ट का स्पेसिफिक मेन्शन किया है। यह तो आगे दिया है कि स्टेच्युटरी कोई इन्क्वायरी सुपुर्द कर दी गयी है तो उसमें यह है। लेकिन उससे पहले तो सब क्लाज 7 है रूल 52 का उसमें कोर्ट का इंडिकेशन किया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मना नहीं है, नहीं करना चाहिए आम तौर पर इतना ही है। यही कहीं नहीं है कि अदालत के सामने पैंडिग है तो उस पर चर्चा नहीं होगी या हमको पेनलाइज किया जायेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमको सतर्क किया है कि आम तौर पर जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे बोलने की स्वतन्त्रता का अधिकार है, वह सुरक्षित है। मान लीजिए हम बोल देते हैं तो क्या कर लेते ? ना तो अदालत में मुकदमा चल सकता है और न कुछ हो सकता है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर हटा दो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हटाने की बात नहीं है। इसके मायने यह नहीं है। अदालत में तो 50 मामले चल रहे हैं और उन पर डिस्कशन भी होता है अदालत गलती कर रही है तो उस पर भी हम कह सकते हैं कि अदालत ने पक्षपात किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सुप्रीम है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बार-बार मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पाइंट पर कि आया कोई कोर्ट में मामला पेण्डिग है, इस पर अगर आप विचार रखना चाहते हैं तो मैं सुनने को तैयार हूं ताकि उसके बारे में कोई उचित निर्णय किया जा सके । लेकिन आपका स्थगन प्रस्ताव उस पर मत आइये । इस बात को जरूर बोलिये कि इस प्रकार के मैटर सदन में उठाये जा सकते हैं या नहीं उठाये जा सकते हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है । आपने अध्यक्ष महोदय के आदेश के बाद कैसे व्यवस्था दे दी ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस को एडजोर्न करके वापस बुलाया जाय । यह मामूली बात नहीं है मर्जी आये उसको इजाजत दे दी और फिर मना कर दिया । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई अध्यक्ष महोदय ने निर्णय नहीं दिया । माननीय कल्ला साहब, आपके सारे राइट्स इस मामले पर बोलने के लिए रिजर्व हैं पर मैं अन्य माननीय सदस्य और सरकार की तरफ से भी भावनाएं जानना चाहता हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं लीगल पाइंट पर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी और चीफ व्हिप ने सदन में यह रखा कि जिस मामले को मैं उठाने जा रहा हूं वह सब-ज्युडिस है । सब-ज्युडिस कोई भी मैटर जब होता है जब न्यायालय में इश्युज फ्रेम होते हैं । किसी आदेश को जो गैर कानूनी है कोर्ट स्थगित कर दे यह सब ज्युडिस की परिभाषा में नहीं आता है अभी तक मैं कोई बात बोला नहीं हूं । मैं फैक्ट्स के अलावा नहीं बोलने के बारे में आपको आश्वस्त कर चुका हूं । उसके बाद भी यह सदन सुप्रीम है । इस सदन में बोलने की स्वतन्त्रता है । मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला हूं जिससे किसी पर इसका प्रभाव पड़े । फैक्ट्स को नरेट करूंगा । मेरे पास जो भी फैक्ट्स हैं उनको रखने का मेरे पास पूरा अधिकार है । यह विधान सभा 6 महीने में चार–पांच दिन के लिए आती है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब हम तो फैक्ट्स ही नरेट करते हैं पर कोई निर्णय तो करते नहीं हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे को पूरा तो करने दें । 6-7 रोज के लिए विधान सभा एकत्र होती है और जो कोई भी जनहित का मामला होता है उसको हम सदन में रखते हैं । इसमें आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए । दूसरी बात आप स्वयं जानते हैं कि आसन जिलेलाव के सम्बन्ध में वह सब ज्युडिस था और यहां तीन रोज तक बहस

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हुई। इस तरह के मैं आपको सैकड़ों केसेज बता सकता हूं। माननीय श्री प्रकाश बैरबा के मामले में जिसमें चालान पेश हो गया था परसों ही आपके सामने पूरी बहस हुई है। इसलिए यह मामला सब-ज्युडिस नहीं है। आप इस पर मुझे बोलने की इजाजत दें। कोर्ट ने स्टे दिया है, इसलिए मामला सब-ज्युडिस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कोर्ट ने स्टे दिया है यह आप मान रहे हैं ? इसका मतलब कोर्ट ने माइण्ड एप्लाई किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसी आदेश का जिक्र करना इसकी परिभाषा में नहीं आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब एक उदाहरण और देना चाहता हूं उसके बाद मैं अपना निर्णय भी दे दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे अध्यक्ष महोदय ने बोलने की इजाजत दी हुई है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप हमको बोलने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय अध्यक्षजी की भावनाओं के अनुरूप ही चलूंगा। (व्यधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप तो केवल अन पार्लियामेण्ट्री, भद्दे अपमानजनक शब्द कहें तो उनको हटा सकते हैं। बाकी हमारे विचारों की स्वतन्त्रता का आप हनन नहीं कर सकते हैं कोर्ट के बाहर अलोचना करें तो मानहानि का मामला चला सकते हैं लेकिन यहां अन्दर कहते हैं, हालांकि हमको नहीं कहना चाहिए यह सतर्क किया है कि आम तौर पर हम कोर्ट के मामले में नहीं कहें पर अगर कोई कह दें तो उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को एक और अवगत करा दूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी बात सुन लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस सदन में हम बैठे हुए हैं उसमें राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोगों ने हमको भेजा है और इसलिए भेजा है कि हम उनकी भावनाओं को यहां रखें। इसका सुप्रीम फैसला करने वाले हम हैं। इसलिए हम यह समझें कि किसी कोर्ट में, किसी मजिस्ट्रेट के यहां कोई मुकदमा चला गया, कोई ऐसी चीज चली गई जो राजस्थान से सम्बन्धित है, करोड़ों लोगों से संबंधित है और उस पर हम नहीं बोलें ? तो हम एक मिनट के लिए भी चुप नहीं होंगें और अदालत के खिलाफ भी हमको इस सदन में बोलने का अधिकार है। हम अदालत को इस तरह से नहीं कहते कि अदालत गलत फैसले करें या उनका फैसला प्रभावित हो जाय लेकिन ऐसी घटनाएं जिसमें लाखों लोगों का मामला हो, लाखों लोगों से जो सम्बन्धित हों लाखों लोग उजाड़ दिए हों उसके बारे में हम बोलेंगे जो बुरी बात कहें, अन पार्लियामेण्ट्री शब्द कहें उसको आप कटवा दें। बाकी बात हम बोलेंगे ।

श्री देवेन्द्र सिंह : सबसे पहले आप यह फैसला करें कि आप अध्यक्ष महोदय के फैसले को टर्न डाउन करना चाहते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं अध्यक्ष महोदय के फैसले को टर्न डाउन नहीं करना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय श्री कल्ला साहब को अध्यक्ष महोदय इजाजत देकर गये हैं उनको बोलने दें। जब तक आप इस बात का फैसला नहीं करेंगे इस बहस का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने एक माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी है। इतना ही फर्क पड़ा है कि वह पधार गए और आप बैठ गये। आप टर्न डाउन कर रहे हैं तो ही इस बहस को आगे बढ़ाइये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय उपा-महोदय, आपको कोई शंका है तो आप अध्यक्ष महोदय से राय ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर साहब मैं निवेदन कर दूं।

श्री केदारनाथ शर्मा : रूल 53 के बारे में आपको व्यवस्था देने का अधिकार है। परन्तु चूंकि इसका फार रीचिंग प्रभाव पड़ेगा, सब-ज्युडिस क्या है, क्या स्कोप है, एक माननीय सदस्य का क्या अधिकार है ? यह सारी असेम्बलीज में साइट किया जायेगा। आप सक्षम होते हुए भी आप अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दें सारी स्टडी करके कल फैसला दें और तब तक श्री कल्ला साहब को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब और जैसा माननीय श्री देवेन्द्रसिंहजी ने फरमाया अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी वास्तव में अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी लेकिन तब तक अध्यक्ष महोदय के नोटिस में यह बात नहीं थी।....(व्यवधान) It was not in the notice of the Hon'ble Speaker. ज्योंही यह ध्यान में आया कि यह मामला अदालत में पेण्डिग है, तो मैं सदन की भावनाओं का आदर करते हुए इस मामले पर डिसीजन रिजर्व रखता हूं।

डा. हरिसिंह : सदन की भावनाओं का ध्यान नहीं, सदन की भावना यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर मैं रिजर्व रख लेता हूं इस प्रकार के मामले भविष्य में यहां उठाये जाते हैं तो जिस प्रकार की भावना आपने व्यक्त की है। जैसा माननीय श्री हेतराम जी ने कहा और सब माननीय सदस्यों ने कहा कि सदन सुप्रीम है। हम भी मानते हैं लेकिन जो पहले से कोई निर्णय दिया हुआ है और जिस प्रकार हमने अदालत के मामले में किसी प्रकार की बहस नहीं करने की व्यवस्था कर रखी है। मैं अध्यक्ष महोदय, से निवेदन करूंगा कि इसको पेण्डिग रखते हुए कोई निर्णय दिया जाय।

(1.00 म.प.)

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन सर। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एडजोर्नमेण्ट मोशन-माननीय अध्यक्ष महोदय ने और आसन ने 24 घण्टे पहले राज्य सरकार के पास भेज दिया था। 24 घण्टे बाद भेजने पर भी राज्य सरकार या मंत्री महोदय ने माननीय अध्यक्ष को अगर इत्तला दी है तो

(श्री रामकरण सिंह)

आपके रिकार्ड में होगी कि यह मामला सब-ज्युडिस है। ऐसी हालत में अब अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी क्योंकि उनके पास यह जानकारी नहीं थी और 24 घण्टे में माननीय मंत्रीजी ने सूचित नहीं किया आसन को। ऐसी स्थिति में यह नुकसान सदन नहीं भुगतेगा, माननीय-मंत्रीजी भुगतेंगे। इसलिए आप माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण जी, इस बात पर सारा डिस्कशन हो चुका है। डिस्कशन होने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा हूं और जिस प्रकार की भावना व्यक्त की गयी है, इसको मैंने रिजर्व रखा है। जो भी तथ्य रखे जायं....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय के निर्णय को रिजर्व नहीं रख सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कोई मामला अगर सब-ज्युडिस है तो उस मामले में जिस प्रकार की भावना व्यक्त की गयी थी....

श्री रामस्वरूप विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बताओ आप कैसे रिजर्व रख रहे हो ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप यह निर्णय करिये कि मैं अध्यक्ष महोदय के निर्णय को निरस्त करता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : व्यावसायिक भूखण्डों का नियमन कर दिया जाय और सब-ज्युडिस कहकर चर्चा नहीं करने दी जाय, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, यह भावना व्यक्त करते हुए मैंने रिजर्व रखा है।

श्री रामस्वरूप विश्नोई : आप रिजर्व कैसे रख रहे हो, यह बताओ ?

डा. हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आन दी मैरिट माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि क्या तो सब-ज्युडिस है और क्या नहीं। सिम्पली यह कह देना कि सब-ज्युडिस है, बहुत बड़ा आवरण है। माननीय कल्ला जी ने साफ तौर से कह दिया है I am not going in to the merits of the case. I am just going to relate the facts and relating the fact is not sub-judice.

आप क्या बात कर रहे हैं कि क्या आपने स्थगित कर दिया ? आप अपना विवेक दुबारा यूज कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : I have applied my mind.

डा. हरिसिंह : Yes, you apply again.

एक माननीय सदस्य : आदेशों की पालना कीजिए, मुख्य सचेतक जी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी के आदेशों की पालना की जाय और दूसरी तरफ आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : You should apply your mind judiciously and not capriciously.

श्री उपाध्यक्ष : जुडीशस एप्लाई किया है। माननीय डाक्टर हरिसिंह जी, आप बोलिये, आपका है।

डा. हरिसिंह : नहीं, मेरे वाला तो दूसरा है but because this is very important....

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आपका है। यह मैटर विचाराधीन रखा गया है निर्णय के लिए। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए रखा गया है।

डा. हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आप कोई रूलिंग विद सब्सटेंस विद आर्ग्युमेण्ट नहीं देंगे, यह कहना काफी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रूलिंग के 2-4 पेज पढ़ चुका हूं। (व्यवधान) माननीय डाक्टर हरिसिंह जी, आप विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में छोटी डूंगरी बांध बनाने के सम्बन्ध में अपनी भावना रखिये।

श्री रामस्वरूप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को कैसे बदल रहे हो आप, बताइये ?

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर आपने +++ यह फैसला दिया है, यह निश्चित तौर से इस हाउस में इस तरह का फैसला दिया है कि सारी परम्पराओं को तोड़कर ऐसी परम्पराएं डाल रहे हैं....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह एक्सपंज किये जायं +++

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : +++ शब्द एक्सपंज किया जाय।

श्री हेतराम बेनीवाल : सत्ता का इस्तेमाल करके गलत परम्पराएं डाल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय की दी हुई रूलिंग पर आप निर्णय स्थगित कैसे कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, बिराजिये अब आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से खड़ा हुआ हूं और आप उनकी आज्ञा को ओवररूल करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ओवररूल नहीं किया, रिजर्व रखा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिर मुझे बोलने दीजिए। आप रिजर्व नहीं रख सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कल भी आएगा यह मैटर। पेण्डिग रहा है, रिजर्व रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : किस आधार पर पेण्डिग रहा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : I am in possession of the Floor.

श्री रामस्वरूप बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आप रिजर्व नहीं रख सकते इसको। आप बताइये रिजर्व कैसे रख सकते हो ?

+++ अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन तो सभी माननीय सदस्यों के लिए है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इन छः आदमियों के जो खोखे रखे हुए थे नगर पालिका नोखा ने हटा दिये। हटाने के बाद जिलाधीश कार्यालय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, यह मैटर रिजर्व रखा है कल के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं रख सकते।

श्री रामस्वरूप विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्व नहीं रखा गया है कल के लिए। यह आप गलत कह रहे हो। इनको स्वीकृति देकर गये हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिलाधीश की अपील के बाद....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, यह हाउस है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष की आज्ञा से बात कर रहा हूं, आप मेरे अधिकारों को प्रोटेक्ट कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह चेयर तो आपकी प्रतीक है, यहां किस प्रकार की व्यवस्था रखनी है यह आप सब का कर्तव्य बनता है, जब एक मामले पर व्यवस्था दे दी गयी, बार बार इस मामले को उठाया जा रहा है। फिर तो इसका कोई अन्त नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हम इसको हाउस मानते हैं। हाउस को हाउस मानते हैं कोई लोहे का डिब्बा नहीं मानते, जिसको रिजर्व कर लिया जाय या कोई टिकट रिजर्व करा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप कम्पैल नहीं कर सकते कि अभी की अभी निर्णय लें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष जी की रूलिंग को आप कैसे स्थगित रख सकते हैं ? आप अध्यक्ष जी से व्यवस्था करा दीजिए।

श्री रामस्वरूप विश्नोई : अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसको आप कैसे बदल सकते हैं ?

(1.07 म.प.)

ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आ गये, ये बता देंगे व्यवस्था दी कि नहीं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : अब सुन लीजिए। ऐसा है कि मैंने सारी बहस सुन ली आपकी। यह बात सही है कि सबज्युडिस की सूचना पहले नहीं मिली। मगर अब आप बोलिये, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो फैक्ट्स अदालत के सामने हैं उसमें मत बोलिये, बाकी बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह : सबसे पहले सरकार को प्रताड़ना दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। कल आपने जब हम से उत्तर मांगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं, बैठिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नोखा नगर-पालिका का मामला है। कल जब हमने जानकारी ली तो वहां से हमें यह इत्तला मिली कि राजस्थान उच्च न्यायालय में यह मामला पेण्डिग है। इसलिए मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं, आप जैसा कहें, देंगे। सिविल कोर्ट में नहीं राजस्थान में है यह।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका आभारी होऊंगा यदि आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, दो मिनट बोलेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोखा नगर पालिका को छः व्यक्तियों—श्री रामचन्द्र, दुलीचन्द, जुगलकिशोर, नरसीराम, सीताराम और राधेश्याम ने 4.11.88 को प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने खोखों को आवासीय जमीन बताकर नियमन करने की प्रार्थना की। उन प्रार्थना पत्रों को नोखा नगर पालिका ने अस्वीकार कर दिया कि आप यहां पर कोई आवास नहीं करते हैं, ये व्यावसायिक भूखण्ड हैं। व्यावसायिक भूखण्डों को नियमों में नियमन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस निर्णय के खिलाफ ये 6 व्यक्ति जिलाधीश, बीकानेर के यहां गये। 19.5.89 को जिलाधीश ने इसकी अपील को अस्वीकार कर दिया। इसके खिलाफ ये 6 व्यक्ति सम्भागीय आयुक्त के कार्यालय गये। सम्भागीय आयुक्त ने 31.5.89 को इनकी अपील निरस्त कर दी। इसके बाद नगर पालिका अधिनियम की धारा 300 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के पास यह मामला आया। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी के फैसले के आधार पर 29.11.90 को इन व्यावसायिक भूखण्डों के नियमन के आदेश जारी कर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी और सदन की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि आज तक राजस्थान में या देश में कभी भी व्यावसायिक भूखण्डों का नियमन नहीं हुआ है। आवासीय भूखण्डों नियमन तो होता आया है लेकिन व्यावसायिक भूखण्डों के नियमन का आज तक रूल्स में कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरा प्रश्न आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि हाल ही में वरिष्ठ नगर नियोजक के इस फैसले से पूर्व उक्त 6 व्यक्तियों के जिन्होंने कि प्लाट्स के लिए नियमन किए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिए थे, व्यावसायिक भूखण्ड मास्टर प्लान में घोषित किए हुए हैं और यहीं पर अभी हाल ही में 4 हजार स्क्वायर फीट जमीन में नीलामी के द्वारा बेची गई हैं जिससे नगर पालिका को 17 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई।

मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि जिस जमीन का नियमन किया गया है उसकी आज भी 50 लाख रुपये से ऊपर की राशि नगर पालिका को देने के लिए लोग तैयार हैं। ऐसी परिस्थितियों में, मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर पालिका नोखा के चुने हुए जन-प्रतिनिधि के ऊपर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

राज्य सरकार की ओर से यह दबाव डाला गया कि जो आदेश स्वायत्त शासन विभाग ने दिये हैं उन आदेशों को माना जाय, नहीं तो आपको पद से हटा दिया जायेगा । मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि वह इस धौंस में नहीं आया और कब्जे का नियमन नहीं किया । उसके बाद यहां के अधीक्षण अभियन्ता ने एक आदेश और जारी किया कि आप तुरन्त, धारा 307 के अन्तर्गत जो रिवीजन की कार्यवाही की गई है इस रिवीजन की कार्यवाही को नहीं मानेंगे, इसको तुरन्त इम्प्लीमैण्ट किया जाय और राज्य सरकार को सूचित किया जाय । जो नियमन की कार्यवाही के आदेश माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार किये गये हैं उनकी तुरन्त पालना करके रिपोर्ट भेजी जाय ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । डा. हरिसिंह बोल रहे हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में पूरा हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट हो गये हैं, मैंने बीच में टोका नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मर्यादित होकर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप संयत तो बोल रहे हैं लेकिन टाइम 2 मिनट का था, 5 मिनट हो गये हैं । हां, चलिये बोलिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे यहां व्यावसायिक भू-खण्ड के नियमन का कोई प्रावधान नहीं है । जो भी जमीन नगरपालिका के पजेशन में है, नगरपालिका से पत्रावली मंगवाये बगैर जिन मंत्री महोदय के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सर्टिफिकेट दिया था उनके बारे में ये फैक्ट्स हैं । सारी पत्रावली मंगवा कर माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं देखें कि व्यवसायिक भू-खण्ड का जिसकी बाजार कीमत आज 70 लाख रुपये की है, गैर कानूनी तरीके से नियमन किया गया है । उसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन के आदेश जारी किये हैं । इन आदेशों को तब तक स्थगित किया जाय जब तक कि पूरे फैक्ट्स माननीय उच्च न्यायालय के सामने नहीं आ जायं । इस सम्बन्ध में जो भी गैर कानूनी कार्यवाही की गई है उसकी पूरी जांच की जाय ।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिए डा. साहब । आपके विषय पर, आपके एडजोर्नमेण्ट मोशन पर ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : यह मामला सब-ज्युडिस था ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं उस सम्बन्ध में बोलूंगा ही नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों का नाम लिया गया है, नोखा तहसील पहले वहां पर नहीं थी । हमारी तहसील सुरतरा गांव में थी स्टेट टाइम में । ये 6 व्यक्ति पत्थर का काम करने वाले हैं । नोखा आबाद होने से पहले का इन लोगों के पास सबूत है, परन्तु वे गरीब हैं । जिस जगह का माननीय

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सदस्य जिक्र कर रहे हैं; मैं वहां का विधायक हूं और माननीय कल्लाजी, मैं बहुत जागरुक हूं। आप गरीबों को ऐसे नहीं दबा सकते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपकी जागरुकता तो सरकार से मिलकर मालूम पड़ गई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, जिस जगह का ये जिक्र कर रहे हैं उसी भूमि पर 3 मंजिली सेठ की हवेली है। उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये पत्थर के व्यापारी हैं, पत्थर का धंधा करने वाले हैं स्टेट टाइम से। उनके पास रिकार्ड है। नोखा जब से आजाद हुआ है उस वक्त से इनके दादा, पड़दादा, बाप, बेटे और अब पोते उसी जगह पर बैठे हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : वे वहां रहते हैं क्या ? जमीन किसके कब्जे में है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप मुझे मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छा हो गया आपका।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपको मौका तो नियमन कराने में मिल गया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नियमन कराने का सवाल नही है। आप इस तरह से पूंजीपतियों को पनाह नहीं दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, हो गया आपका, बैठें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, नहीं। आप उन 6 व्यक्तियों का रिकार्ड मंगवा कर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छा वह देख लेंगे। आप बिराजें डा. हरिसिंह जी बोलेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप इस तरह से मखौल कर रहे हैं। एक तरफ पूंजीपति लोग हैं जो अदालतों की शरण लेकर गरीबों का शोषण करना चाहते हैं। आप सबूत मंगवाइये।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंह जी बोलिये

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दीजिये। मैं स्टेट टाइम के सबूत लाकर सदन की टेबल पर रखूंगा। अगर मेर पास सबूत नहीं हों तो मैं त्याग-पत्र देकर चला जाऊंगा, वर्ना कल्लाजी, आपको देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंहजी। आप बिराजें। डिबेट नहीं हैं। प्लीज सिट डाउन। कल्लाजी, सिट डाउन। माननीय सदस्य, बैठिये। डा. हरिसिंहजी, बोलिये। आप शुरू करिये, वे बैठ जायेंगे। आप बीच में गेप दे देते हैं तब वे बोलते हैं।

डा. हरिसिंह : (फुलेरा) : माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : कल्लाजी ने क्या करोड़पति और गरीबों की लड़ाई शुरू कर दी ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ऐसा है साहब, गरीबों की बात करने वालों ने सरकार के साथ साथ साजिश करके, विश्वास-

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

घात करके घपला किया है, उसकी लीपा-पोती मत करिये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लीपापोती करने का सवाल नहीं है लेकिन जो माननीय सदस्य ने भावनाएं व्यक्त की हैं, एक तरफ तो करोड़पति तीन-तीन मंजिल के मकान बनाकर बैठे हैं उनका नियमन तो हो गया 1976-77 में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसका नियमन किया है ? अब आपकी सरकार क्यों नहीं उसके ऊपर कार्यवाही कर सकती है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी सरकार और पिछली सरकार, पुरानी सरकार कर गयी ये काले कारनामे । हमारी सरकार ने एक भी नहीं किया है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सब्जेक्ट को डाइवर्ट करते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बहस करेंगे तो इसका अन्त ही नहीं है । कृपया इसे डिबेट मत बनाइये प्लीज ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इमरजेन्सी के समय में आपकी सरकार ने किया है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं किया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने इमर-जेन्सी के समय में लोगों का नियमन कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । डा. हरिसिंहजी, बोलिए । डा. साहब आप बीच में गैप क्यों दे रहे हैं ? आप बीच में गैप मत दीजिए । आप शुरू करिये ।

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्षजी.... अब मंत्रीजी बोलने के लिए खड़े हो गए ।

श्री अध्यक्ष : नहीं वे बैठ गए ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महो-कभी नेता महोदय, खड़े हो जाते हैं और कभी मंत्री महोदय खड़े हो जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : और कभी आप हो जाते हैं । आप बार-बार होते हैं । आप बैठिये । आप डा. हरिसिंह जी को बोलने नहीं देना चाहते हैं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जब सर-कार से आपने जवाब मांगा तब तो बोले नहीं और अब बोलना चाहते हैं ।

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्षजी, डूंगरी के बांध की स्वीकृति फरवरी, 1989 में दे दी गई थी । इसको एक साल में पूरा करना था । इस सम्बन्ध में मैंने यहां पर स्थगन-प्रस्ताव दिया था लेकिन माननीय सिंचाई मंत्रीजी से परसों मेरी अधिकारियों के साथ बात हो गई है । उन्होंने मुझसे यह वायदा किया है कि 7 दिन में काम शुरू हो जायेगा और जल्द से जल्द यह काम पूरा हो जायेगा । तो मैं उनके इस वायदे पर विश्वास करता हूं और अगर वह वायदा खिलाफी करेंगे तो आपके सामने फिर पेश कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : हां, बिल्कुल । धन्यवाद ।

श्री जनार्दन सिंह जी ।

(श्री अध्यक्ष)

श्री जनार्दन सिंह जी, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि आप जिस विषय पर बोल रहे हैं सी. आर. पी. एफ. की जमीन के मामले में एक दावा सिविल कोर्ट में हुआ है। यह दावा किया गया है कि जिन लोगों को वहां से हटाया गया है वह यह समझकर हटाया गया है कि उनका कब्जा अनधिकृत था और वे अपना हक लगा रहे हैं कि हमारे हक में है। इसलिए उन्होंने दावा किया है। दावा पैण्डिग है उनका सिविल न्यायालय, जयपुर में। इसको ध्यान में रखकर बात करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अच्छा, साहब, धन्यवाद।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह भी ध्यान रखें कि यह फैसला पिछली सरकार ने किया है। यह पुरानी सरकार ने किया है यह ध्यान रखना।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सारे सरकारी फैसलों में ऐसे घपले आप ही करते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : ये सारी सरकारें ही ऐसी हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बंगाल में भी ऐसी ही है। यहां से भी बुरी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीड लालआस के नाम से कोई जमाने में रेंज रामगढ़ रोड पर स्थित थी और यह सही मायने में जयपुर एच. एच. के जमाने में उनकी जमीन थी। जयपुर एच एच. ने इस जमीन पर कई मकान मालिकों को पट्टे दे दिये थे कई काश्तकारों के पास उनके पट्टे मौजूद हैं। यह एच. एच. की सन् 60 की जमीन है, आज का मामला नहीं है कि आज के जमाने में वहां पर नाजायज कब्जे हुए हों।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि 1960 से ये लोग यहां बैठे हैं, काबिज हैं। वहां पर मकान बने हुए हैं। कई काश्तकार वहां खेती कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को सी. आर. पी. एफ. को आवंटित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सी. आर. पी. एफ. को जमीन आवंटित करने का प्रश्न है अगर सरकार कहीं भी उनको जमीन देती है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आखिर वह भी एक एजेन्सी है उसको कहीं न कहीं तो जमीन सरकार को देनी ही चाहिए। लेकिन जिस जमीन पर सरकार का कोई अधिकार ही नहीं है, उसका कोई मालिकाना हक ही नहीं, रिकार्ड के ऊपर कहीं पर भी यह जमीन उनके नक्शे में या उनके कब्जे में कहीं पर भी विकास प्राधिकरण के पास नहीं है। आज वहां पर काफी दिनों से बसे हुए लोग हैं जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं। वहां पर स्कूलें बनी हैं, मकान बने हुए हैं। लोग वहां पर खेती कर रहे हैं। आज उस क्षेत्र में जाकर सैकड़ों लोगों के मकानों को गिराया जा रहा है, वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं और मकानों की छत सहित उन्हें गिराया जा रहा है। लोग वहां अन्दर बैठे हुए रोटी बना रहे हैं, आदमी को निकलने तक का मौका नहीं मिलता। लोग भाग भाग कर निकल रहे हैं। ऐसी हठधर्मी तो, मैं सोचता हूं कि किसी भी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सरकार ने नहीं की। अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं जब जयपुर शहर का एम. एल. ए. था 1972 में, तब लाल कोठी में इसी प्रकार का मामला हुआ था। लालकोठी क्षेत्र में हमारी कांग्रेस की सरकार ने इसी प्रकार का एक्शन लिया था। हमने उसे प्रदर्शित किया। बरकततुल्ला साहब ने इमीजिएटली उस मामले को रोका। मुझे समझ में नहीं आता कि आज जयपुर के एम. एल. एज. को सांप सूंघ गया है क्या। सारे एम. एल. एज. इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। स्वायत्त शासन मन्त्री जी जयपुर के हैं और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से जयपुर तहत-नहस हो रहा है, हजारों आदमी बेघर हो रहे हैं। किसानों की खेती वहां पर चौपट हो रही है, उनको उजाड़ा जा रहा है और राजस्थान सरकार इस सारे काम को करवाए जा रही है। यहां के विधायक भी आंख मींचकर बैठे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, उन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सरकार की मैं आंख खोलना चाहता हूं। कम से कम ऐसे मानवीय दृष्टिकोण पर तो, सी. आर. पी. एफ. को दूसरी जगह जमीन दें और उसके ऊपर वहां जो लोग बैठे हैं उनको वहीं रहने दें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में शिक्षा का स्तर नीचा है और वहां के पशुपालक गरीब हैं। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखते हैं कि सत्तर प्रतिशत स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त रहते हैं। उस हालत में वहां के बच्चों का क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : नाम जरूरी नहीं है। यदि मैं 25 आदमियों को पांच-पांच मिनट बुलवाऊंगा तो सारा टाइम इसी में समाप्त हो जाएगा। आज टाइम नहीं है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। सबज्युडिस मामला है, दोनों मामले सबज्युडिस हैं। जो रेस्ट्रिक्टेड बोल सकते थे, आपको बोलने के लिए कह दिया। अब तो मर्जी आएगी वही बोलेगा। जिनका सम्बन्ध था उनको बुलवा दिया, बाकी लोगों ने सहयोग में दस्तखत किए हैं। जो मेन आदमी हैं उन्हें बुलवा दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : अधिकार आपका मेरे आदेश से है।

श्री अमीन खां : हां, तो अध्यक्ष महोदय, यहीं समस्या खड़ी हुई है कि भारत की पूर्व की जो हुकूमत थी उसने यह निर्णय लिया कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लिए विशेष सीमावर्ती विकास कार्यक्रम चालू किया जाए। उसमें रोड्स के कार्यक्रम लिए, शिक्षा के कार्यक्रम लिए और मेडिकल के भी कार्य लिए। शिक्षा के लिए चारों सीमावर्ती जिलों के लिए बाड़मेर में एक पोलीटेक्निक कालेज खोला गया है। उस पोलीटेक्निक कालेज में सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, राज्य सरकार उसमें एक नया पैसा भी नहीं देती है। इन सीमावर्ती जिलों के गरीब छात्रों के

(श्री अमीन खां)

लिए ही वहां प्रवेश की व्यवस्था की। इस वर्ष राजस्थान की हुकूमत ने सारे राजस्थान के छात्रों के लिए उसमें वह नियम तोड़कर के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था कर दी। इससे वही हालत हो जाएगी कि सीमावर्ती इलाके के जो एजूकेशन के पर्सेण्टेज हमेशा कम आते हैं उन छात्रों को वहां से महरूम रखा जाएगा। राजस्थान में जहां का स्तर नीचा है वे लोग जाकर वहां प्रवेश ले लेंगे और वहां से फिर वे लोग नौकरियां पाकर के राजनैतिक लोगों का सहारा लेकर के यहां आ जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों के छात्रों के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा, वे मर जाएंगे। वह कालेज सीमावर्ती छात्रों के लिए ही कायम रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ा मालानी) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर इन जिलों में शिक्षकों का बहुत अभाव है, यह मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुकी हूं। असल बात यह थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए अलग कार्यक्रम बनाए गए लेकिन उन सबके बावजूद आज इन जिलों में शिक्षकों का भारी अभाव है। इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पोलीटेक्निक कालेज जैसलमेर में खुला था और पूर्व में वहां सिर्फ जैसलमेर और बाड़मेर के छात्रों को एडमिशन दिया जाता था, आज वह कालेज सामान्य कालेज बना किया गया है और सारे राजस्थान से कहीं के भी छात्र उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इससे हमारे यहां परेशानी यह हो गई है कि जो बाहर से आते हैं वे पढ़ तो यहां लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद तुरन्त उनकी नियुक्ति कहीं और हो जाती है। नियुक्ति इन जिलों में हो भी जाती है तो वे स्थानान्तरण कराके दूसरे जिलों में चले जाते हैं और हमारे यहां स्थिति यथावत रहती है। यही वजह है कि आज सत्तर प्रतिशत शिक्षकों के पद हमारे बाड़मेर जिले में खाली पड़े हैं। कल शिक्षा मन्त्री जी यह बता रहे थे कि मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी है लेकिन सैकण्डरी स्कूलों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य बात यही है कि सैकेण्डरी स्कूलों में भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था भूणिया, धोरीमन्ना, रावतसर ऐसी जगह जो मेन रोड से जुड़ी हुई हैं, बड़े बड़े गांव हैं उनमें भी सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक की पोस्ट लम्बे समय से खाली पड़ी हुई है। अब इन सबकी नियुक्ति तभी हो सकती है जब वहां के ट्रेनिंग कालेज, वहां के पोलीटेक्निक कालेज में वही व्यवस्था की जाए तो पूर्व में थी। उन्हीं जिलों के छात्रों को एडमिशन दिया जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए, उनका रिजर्वेशन हो तब ही यह व्यवस्था की जा सकती है अन्यथा हमारे ये सीमावर्ती जिले हमेशा शिक्षा से वंचित रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : 295

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उलेलख

श्री हबीबुर्रहमान : (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल इन्दौरा : (अनुपस्थित)

श्री किशनाराम नाई।

छापर जिला चूरू में महिला के साथ बलात्कार

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत थाना छापर जिला चूरू में दफा 454 एवं 354 आई. पी. सी. के तहत दर्ज एफ. आई. आर. नम्बर 111/91 के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 26.8.1991 की रात्रि को श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री डूंगरमल जाति कुम्हार उम्र 20 वर्ष निवासी दड़ीबा थाना छापर अपने मकान की आंगन में बच्चों सहित सोई हुई थी। रात्रि को करीब एक बजे उसके पड़ौस में रहने वाले श्री बीजू उर्फ बृजलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति कुम्हार छत पर चढ़ कर आया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। जब वह चिल्लाई तो बृजलाल कूदकर भाग गया जिसे भागते हुए उसके सास–ससुर व अन्य पड़ौसियों ने भी देखा।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछड़ी जाति की महिला के साथ अत्यन्त शर्मनाक है। इस प्रकार के वातावरण से वहां की महिलाओं में काफी असन्तोष फैला हुआ है और तरह तरह की आशंकाएं फैली हुई हैं कि फिर भविष्य में ऐसी असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाएं घट सकती हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस घटना की पूरी जांच करवाकर दोषी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाय ताकि भविष्य में असामाजिक तत्वों पर पाबन्दी लग सके। मेरा निवेदन है कि एफ. आई. आर. छिपायी गयी है। बहुत शर्मनाक बात लिखी हुई है। अभी–अभी एक कांग्रेस के एम. एल. ए. भंवर–लाल मेरे पास इस सीट पर आकर मेरे को दबाव देते हैं कि इसको सलटा देते इसको हाउस में नहीं लेना चाहिए था। आज बीस दिन हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बात यहां क्यों कह रहे हैं आप ?

श्री रिछपाल सिंह। (अनुपस्थित)

श्री मदनलाल सैनी

जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य श्री रविन्द्रकुमार की आत्महत्या के सम्बन्ध में

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : मान्यवर, श्री रविन्द्र कुमार केजड़ीवाल, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लि. जयपुर की मृत्यु दिनांक 3.7.1991 के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, श्री रविन्द्र कुमार केजड़ीवाल, सदस्य, स्टॉक एक्सचेंज लि. एक 30 वर्षीय नौजवान होनहार युवक था जिसको षड्यंत्र द्वारा 3–7–1991 को आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया गया।

श्री रविन्द्र कुमार केजड़ीवाल करीबन साल भर से जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य था। इस वर्ष के दौरान उसने इस व्यवसाय में अनेक उतार चढ़ाव देखे तथा लाभ अर्जित किया। इतने अल्प समय में अन्य सदस्य उसकी प्रतिभा से जलने लगे और इस प्रकार का षड्यन्त्र रचने लगे जिसके कारण एक दिन रविन्द्र को आत्म हत्या के लिए बाध्य होना पड़ा।

(श्री मदनलाल सैनी)

3.7.1991 की इस घटना के दो घंटे बाद रविन्द्र को एस.एम.एस. हास्पिटल में ले जाया गया था। उस समय वह जीवित था लेकिन पर्याप्त उपचार के अभाव व अत्यधिक खून निकलने के कारण उसे मृत घोषित किया गया। यह भी षड्यंत्र का एक अंग था।

(1.33 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

उसकी तलाशी लेने पर उसकी जेब से स्वयं के तीन परिचय पत्र मिले जिनमें रविन्द्र के घर झुंझुनूं व जयपुर का पूरा पता व टेलीफोन नम्बर लिखा हुआ था तथा जिसे अस्पताल के रिकार्ड में 3.7.1991 को ही ले लिया गया था उसके बावजूद भी लाश को लावारिस घोषित किया था जो कि षड्-यन्त्र का एक अंग है। पुलिस के बाद में केजड़ीवाल के ऑफिस जाकर उसके परिवार वालों की उपस्थित में जो तलाशी ली, उसके चार पत्र बन्द लिफाफे में मिले जिनमें आत्महत्या के कारणों का वर्णन था तथा आत्महत्या के लिये जिम्मेदार व्यक्ति श्री महेश गुप्ता का नाम भी लिखा था। बड़े खेद का विषय है कि पुलिस ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना एफ.आर. लगा दी। यह एफ.आर. भी षड्यन्त्र का एक अंग है। जानकारी मिली है कि गृह मंत्री द्वारा इस विषय की जांच सी.आई.डी. द्वारा किये जाने के आदेश के बावजूद इस पर आज तक कोई कार्यवाही न होना भी षड्यन्त्र का एक अंग है।

पुलिस ने महेश गुप्ता से न तो बयान लिये और ना ही स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों व पदाधिकारियों के बयान लिये जो केजड़ीवाल के व्यवसाय से सम्बन्धित थे।

मान्यवर, स्टॉक एक्सचेंज जयपुर भी संदेह के घेरे में आता है। उसने केजड़ीवाल के व्यवसाय का जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट्स आत्महत्या से पूर्व बताया था, उसके बाद उसके घरवालों द्वारा वास्तविक स्टेटमेंट ऑफ अकाउण्ट्स मांगने पर पता लगा कि पूर्व में बताया गया उसमें 24,37,752.50 रु. के घाटे का उनका स्टेटमेंट था क्योंकि बाद में स्टॉक एक्सचेंज ने 7,20,490 रुपये के घाटे का स्टेटमेंट दिया है। इनसे पुलिस जानकारी करती तो आत्महत्या के अन्य तथ्य भी सामने आते। जिससे वास्तविक षड्यन्त्रकारी के विरूद्ध कार्यवाही हो सकती थी। वह व्यक्ति साफ-साफ बच गया।

मेरा माननीय गृहमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस विषय में पुलिस को पुनः जांच हेतु निर्देशित करें जिससे दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाराम जी परमार।

उदयपुर जिले की जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सस्ते अनाज की दुकानों से गेहूं कम मिलने के सम्बन्ध में

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की खैरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, कोटड़ा, झाडोल, धरियावद, एवं गोगुन्दा आदि जन जाति बाहुल्य क्षेत्र की तहसीलें हैं। यद्यपि जनजाति समुदाय के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है किन्तु काश्त

(श्री दयाराम परमार)

के लिए भूमि बहुत ही कम होने के कारण एक परिवार का भरण पोषण अपनी खेती के अनाज से साल भर नहीं हो पाता है और उन्हें छः महीने के बाद सस्ते अनाज की दुकानों की तरफ दौड़ना पड़ता है ऐसी स्थिति में सस्ते अनाज की दुकानों पर आवश्यकता के अनुसार अनाज उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

लेकिन अभी तक जो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है उसके अनुसार डेढ़ किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाता है जो कि एक महीने के लिए मुर्गे की खुराक के लिए भी अपर्याप्त है।

सस्ते अनाज की दुकानों से पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिलने के कारण आदिवासियों को काले बाजार में जाना पड़ता है जहां पर पांच रुपये किलो से कम कोई भी अनाज नहीं मिलता है। सात रुपये लीटर केरोसीन मिलता है न ही लोगों के पास इतना पैसा है कि काले बाजार से भर पेट खाना खा सके या उतना अनाज खरीद सके। इसलिए सस्ते अनाज की दुकानों पर आये दिन अनाज लेने की होड़ में झगड़े होते रहते हैं।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि प्रति यूनिट प्रतिमाह दस किलोग्राम गेहूं या अन्य कोई भी अनाज एवं केरोसीन पर्याप्त मात्रा में आवंटन कराने की तत्काल व्यवस्था करायी जावे अन्यथा भूखे मरते लोग लूटपाट पर उतारू हो सकते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

डा. अग्रवाल की मनमानी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत डाक्टर अग्रवाल की मनमानी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, अनूपगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डाक्टर रतनलाल अग्रवाल ने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पूल नहीं खोला बाद में तीन डाक्टर के बोर्ड ने दुबारा पोस्ट मार्टम किया तब उन्होंने स्पूल का खोलना नहीं पाया जबकि डाक्टर ने बिना स्पूल खोले ही रिपोर्ट लिख दी। यह करीब एक महीने पूर्व की बात है। इसी डाक्टर ने अनूपगढ़ के बी.डी.ओ. श्री विश्नोई की चोटों का मुआयना किया पहले फायर लिखा गया बाद में बदल कर उसको साधारण चोटें दिखाई। दोनों में ही हस्ताक्षर हैं इस प्रकार उसने बार बार रिपोर्ट बदलकर भ्रष्टाचार और मनमानी की है इसके कारण उसको निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़। (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित), श्री घासीराम चौपड़ा (अनुपस्थित)

श्री नवनीतलाल नीनामा।

घाटोल जिला बांसवाड़ा के किसानों को राहत

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र की जानकारी विधान सभा में देना चाहता हूं, जिला बांसवाड़ा में माही डेम नाम का बहुत बड़ा डेम बना हुआ है यहां पर जब जब चर्चायें आती हैं तो माही डेम से बांसबाड़ा

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

जिला हरा भरा हो गया है लेकिन जो इस डेम से बंचित इलाका है जहां सूखा क्षेत्र है वहां की जानकारी मैं देना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा के नानकमाण्ड क्षेत्रीय खेतीहर भूमि की सर्वे कर लघु सिचाई योजना द्वारा तालाब बनाये जाकर किसानों को राहत देने बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदयजी, निवेदन है कि तहसील घटोल में ऊंची-नीची घाटियों में नदी नाले से वर्षा के मौसम में पानी बहता है, वह नदी नालों का पानी माही डेम में इकट्ठा होता है। कई नदियों व नालों का पानी वाला ही माही डेम बांध के नीचे माही नदी में मिलता हुआ, गुजरात प्रान्त की ओर तालाबों के अभाव में बहकर चला जाता है व तहसील घाटोल के किसान सूखी भूमि में खेती कर सूखे का सामना करते रहते हैं।

अत: मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि तहसील घाटोल के निम्नलिखित गांव व पंचायतों में नदी व नालों पर सर्वे कर लघु सिंचाई योजना द्वारा छोटे तालाब बनाये जाकर घाटोल की जनजाति बहुल जनता को लाभ दिलावें :—

क्र. स.	नाम पंचायत	नाम गांव	नदी व नाले का नाम जहां तालाब बांधना है	पंचायत समिति का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सेमलिया	बोरी बानघटी	बोरी वाला नाला	पीपलखूंट	अकाल में कार्य चला
2.	बोरी	वक्तोड़	बक्तोड वाला नाला	,,	,,
3.	सोड़लपुर	पन्थोल	छेरी वाला खोरा	,,	सर्वेशुदा
4.	केलामेला	कालीघाटी	कालीघाटी वाला नाला	,,	अकाल में कार्य चला
5.	सिमलिया	सीदड़ी मउड़ी	मोयाखाल पर बांधना	,,	,,
6.	सिमलिया	कुण्डल गणावा	हाड़िया माल	,,	,,
7.	सेमलिया	सूरजपुरा	आमलिया बावजी व मजेड़िया पहाड़ी वाला नाला बांधना	,,	,,
8.	घन्टाली	मोवाईपाड़ा	कणजवाला खोरा बांधना	,,	,,
9.	घन्टाली	जामली	मोका टोंक वाला नाला बांधना	,,	,,

78

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

1	2	3	4	5	6
10.	डुंगलावाणी	डुंगलावाणी	भूरा कुण्ड वाला नाला बांधना	पीपलखूंट	
11.	डुंगलावाणी	पीपल्दा	जाट का पानी वाला नाला बांधना	,,	
12.	पृथ्वीपुरा	बड़लीखेड़ा	लीलीयों वाला नाला बांधना	,,	
13.	पीपलखूंट	पीपलखूंट	डोलर वाला नाला बांधना	,,	
14.	पीपलखूंट	मोवाइपाड़ा	गालियों वाला खोरा बांधना	,,	
15.	सोड़लपुर	लाम्बाडाबरा	रीछड़ी पाडा वाला नाला बांधना	,,	
16.	बोरी	बोरी	ढाबला मउड़ा वाला नाला बांधना	,,	
17.	केलामेला	मेलापाड़ा	भूरिया कुआं वाला नाला बांधना	,,	
18.	केलामेला	भेंहा	ठेंसला वाला नाला बांधना	,,	
19.	बस्सीआड़ा	धाटापाड़ा	खातेला तालाब बांधना	घाटोल	
20.	देलवाड़ा	तरतड़पाड़ा	लाम्बाडाबरा वाला नाला बांधना	,,	
21.	खैरवा	गोलियावाड़ा	फूटन तालाब बांधना	,,	
22.	बाड़गुन	जाम्बोई	भोपाड्वाला खोरा बांधना	,,	
23.	मुड़ासेल	म्यासा	नहर के ऊपर नानकी माता वाला खोरा बांधना	,,	

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

मान्यवर, उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार नये तालाब बांधे जाकर आदिवासी किसानों को राहत दिलाने की मैं राजस्थान सरकार को नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। अतः इन प्रस्तावों के आधार पर इनका सर्वे कराकर जो वहां के आदिवासी किसान सूखे का मुकाबला करते हैं उन्हें राहत दिलाने की मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह जी।

डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति के अवसर

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव निम्न प्रकार है :—

राजस्थान में डिग्रीधारी कनिष्ट अभियन्ता (सिविल) के पदोन्नति के अवसर प्रायः समाप्त से हो गये हैं ऐसे अभियंताओं की कुल संख्या लगभग 2000 हैं। हालत इतनी विकट है कि जो कनिष्ट अभियता (डिग्री धारी) 1980 के बाद नियुक्त किये गये वे अपनी सेवा-निवृत्ति तक एक भी प्रमोशन नहीं पा सकेंगे। और उसी पद पर सेवा-निवृत्त हो जायेंगे। सिचाई विभाग में कनिष्ट अभियन्ता 14 साल से सार्वजनिक निर्माण विभाग में, 11 साल से और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 8 साल से बिना पदोन्नति के बैठे हैं। इस स्थिति से राज्य के डिग्रीधारी कनिष्ट अभियन्ताओं में बड़ी मायूसी व्याप्त है जिसका प्रभाव उनकी कार्यकुशलता पर पड़ता है।

इन अभियन्ताओं के पदोन्नति के अवसर खुले इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी नियुक्ति बन्द करें और ऐसे पद पदोन्नति से भरने के आदेश प्रसारित करें।

साथ ही इन डिग्रीधारी कनिष्ट अभि-यन्ताओं के वेतनमान राज्य में अनेक समकक्ष तहसीलदार फोरेस्ट रेंजर पशु चिकित्सक के समान 2000-3500 का वेतनमान निर्धा-रित किया जाय।

डिग्रीधारी कनिष्ट अभियन्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर 8 जनवरी, 1991 से धरना एवं क्रमिक भूख हड़ताल के माध्यम से अनुशासित जनसेवकों की तरह शान्तिपूर्वक संघर्ष किया था। उसी से प्रभावित होकर मा. मुख्यमंत्रीजी ने दिनांक 21-2-91 को उनके धरना स्थल पर गये और उनकी समस्याओं का समाधान दो माह में करने का आश्वासन दिया था।

सात महीने बीत जाने के बाद भी इन अभियन्ताओं की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अतः अब यह आवश्यक है कि तत्काल ठोस निर्णय लेकर अभियन्ताओं को संतुष्ट किया जाय और उनके पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त किये जाय।

तत्संबंध में मुख्यमंत्री जी को सचेष्ट करने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द-कृपलानी।

छोटी सादड़ी में विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत में निम्बाहेड़ा क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था समस्या के समाधान के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निम्बाहेड़ा क्षेत्र में अक्टूबर, 1988, में 132 केवी. जीएस. निम्बाहेड़ा पर स्थापित 10/12.5 एमवीए. 132/11 केवी. का ट्रांसफार्मर जल गया। जिसकी एवज में एक माह पश्चात् 10/12.5 एमवीए. 132/33 केवीए. का ट्रांसफार्मर लगाया गया जिससे निम्बाहेड़ा 132 केवीजीएस. पर 11 केवी. की 4 एमवीए. क्षमता कम हो गयी, इस प्रकार 11 की 8 एमवीए. क्षमता के बजाय 4 एमवीए. क्षमता ही वहां पर उपलब्ध है उससे काफी समस्या उत्पन्न हो गई है।

132 केवी जी. एस. एस. निम्बाहेड़ा से निम्न फीडर निकलते हैं—

क्र.	फीडर का नाम	औसत लोड	पिक लोड
1.	निम्बाहेड़ा शहर	150 एएमपी	220 एएमपी
2.	रानी खेड़ा	50 एएमपी	80 एएमपी
3.	अरनिया माली	80 एएमपी	125 ,,
4.	हाथी माल	50 ,,	80 ,,
5.	इण्डस्ट्रीयल एरिया	50 ,,	75 ,,

इसके अलावा मांगरोल सब स्टेशन पर उपलब्ध ट्रांसफार्मर 2×1 6 एमवीए. 33/11 केवी. की क्षमता कम होने के कारण जब तब हाथी माल से फीड होने वाले क्षेत्र को बढ़ाकर मांगरोल क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति करनी होती है मांगरोल सब स्टेशन के अंतर्गत कनेक्टेड लोड 8 एमवीए. के अनुपात में 2×1.6 एमवीए. क्षमता ही उपलब्ध है जिसके कारण गत वर्ष रबी फसल के मौसम में बार–बार (करीब 6 बार) 1.6 एमवीए. के ट्रांसफार्मर जलते रहे हैं और उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत आपूर्ति रबी की फसल के दौरान पूर्ण रूप से नहीं हो पाई।

इसी प्रकार लसडावन क्षेत्र में 33/11 केवी सब स्टेशन पर गत वर्ष 1×1 एमवीए. के ट्रांसफार्मर तथा 1×1/6 एमवीए. के ट्रांसफार्मर लगे हुये थे जो कि दोनों जल चुके हैं इसी एवज में अभी तक कोई ट्रांस–फार्मर नहीं लगाया गया है। लसडावन क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति क्षेत्र का कुल लोड 4.5 एमवीए. ट्रांसफार्मर जलने आदि व्यवधान के दौरान इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी निम्बाहेड़ा 11 केवी फीडर जोड़कर की जाती है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

इस तरह निम्बाहेड़ा शहर व उसके आसपास क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध होने के बावजूद भी विद्युत आपूर्ति नियमित व सुचारू नहीं है। हर समय जबरन पावर कट लागू रहता है। स्थिति शोचनीय है, हमें अपेक्षा करते हैं कि—

1. 132 केवीजीएसएस निम्बाहेड़ा पर 10/12.5 एमवीए 132/11 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाय।

2. मांगरोल सब स्टेशन पर अतिरिक्त 1×3.15 एमवीए 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाय।

3. लसड़ावन सब स्टेशन पर 2×1.6 एमवीए 33/11 केवी के ट्रांसफार्मर लगाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार छोटी सादड़ी क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं। छोटी सादड़ी में पिछले वर्ष 90–91 में 132 केवी ग्रिड एस/एस चालू किया गया जहां 1×6 एमवीए 132 केवी/11 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया जबकि इस क्षेत्र का संबंध भार 10 एमवीए से भी ज्यादा है। इसी कारण पिछले वर्ष रबी के मौसम में किसानों की पिलाई नियमित समय पर नहीं हो सकी और विद्युत उपलब्धि के बावजूद भी एस/एस ओवरलोड होने के कारण जबरन कट लगाकर विद्युत आपूर्ति में रुकावट पैदा की गई।

छोटी सादड़ी के पास ही सियाखेडी में 33/11 केवी एस/एस पर 500 केवीए का ट्रांसफार्मर कई वर्षों से लगा हुआ है। पिछले तीन साल से बराबर 1.6 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति प्राप्त होकर फेस प्रोग्राम में हर वर्ष सम्मिलित किया जाता है लेकिन ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगा है। सियाखेडी एस/एस के अन्तर्गत करीब 2.5 एमवीए संबंध भार है इसलिए इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी छोटी सादड़ी 132 केवी जीएसएस से एक 11 केवी फीडर जोड़ कर की जाती है। इस प्रकार छोटी सादड़ी के किसानों को विद्युत आपूर्ति से वंचित रहना पड़ता है जबरन पावर कट के कारण तथा सियाखेडी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा पावर कट बराबर लागू होता है।

इसी प्रकार बम्बोरी में 33/11 केवी एस/एस पर वर्तमान में 5 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस एस/एस पर वर्तमान में 8 एमवीए लोड हो चुका है अतः बम्बोरी एस/एस पर एक अतिरिक्त 2.5 एमवीए 33/11 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाये। हम अपेक्षा करते हैं कि छोटी सादड़ी 132 केवी जीएसएस पर 132/11 केवी ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जायेगी जिससे मौजूदा उपभोक्ताओं एवं भविष्य में आने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति से बराबर जोड़ा जा सके। इसी प्रकार सियाखेडी 33/11 केवी एस/एस पर 1.6 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जावे तथा बम्बोरी 33/11 केवी एस/एस पर 2.5 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जावे ताकि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूराम जी अहारी।

डूंगरपुर में आदिवासियों के भुगतान कराने के सम्बन्ध में

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में इस वर्ष जो काम हुए थे जे. आर. वाई. के और अन्य जो भी काम हुए थे उसके पेमेन्ट के अभाव में जो स्थिति पैदा हुई है इस बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। डूंगरपुर जिला एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहां के लोगों का धन्धा खेती और मजदूरी है। इस वर्ष डूंगरपुर में सरकार द्वारा जो विभिन्न कार्य कराये गये हैं उनके पेमेन्ट के अभाव में लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों को समय पर पेमेन्ट नहीं मिलने से जो स्थिति सामने आई है वह इस प्रकार है।

सरकार ने इस वर्ष परिवार नियोजन जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें एक नई परिपाटी कायम की है, वह यह है कि यदि नया कुआं मंजूर कराना है तो उसको दो परिवार नियोजन के केस और एक पुराना कुआं तथा इन्दिरा आवास के भवन मंजूर कराने हैं तो उनको एक कुए के लिएं कहा गया था। लोगों ने काम की महत्ता को देख कर कुएं, इन्दिरा आवास के भवन आदि मंजूर कराये और इसमें यह भी कहा गया कि अगर उसके पास कोई केस नहीं है तो वह बिकाऊ केस भी ला सकता है। यह एक नया सिस्टम चालू किया है। लोगों ने काम मंजूर होने के पहले ही दो–दो हजार रुपये देकर केस लिए और केस लाकर काम मंजूर कराये। इस प्रकार लोगों ने काम की स्थिति को देखते हुए काम मंजूर कराये, अधिकारियों ने अपना सरकारी कोटा पूरा कराने के लिए दिन रात करके ऐसे काम मंजूर कराये और सरपंचों ने, जन प्रतिनिधियों ने काफी सहयोग दिया। इसके बाद भी इसका पेमेन्ट अभी तक हुआ नहीं है। इस बारे में जरा सरकार यह भी ध्यान दे कि हम लोग जो सरकार में हैं और यहां बैठे हुए हैं, उन लोगों को अगर चार–पांच दिन पेमेन्ट लेट मिले, वेतन लेट मिले तो हमारी क्या स्थिति होती है, वह स्वयं सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अहारी साहब, इस वाला ही पढ़िये।

श्री नाथूराम अहारी : मैं यही पढ़ रहा हूं। वह ही है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके अलावा दर्ज भी नहीं होता है। आप यह पढ़िये। व्यवस्था यही है।

श्री नाथूराम अहारी : ठीक है। श्रीमान्, पेमेन्ट के अभाव में लोगों की क्या हालत होगई है, यह सरकार नहीं समझ रही है। पिछले महीने जो भयंकर बरसात हुई, पेमेन्ट के अभाव में सैंकड़ों मकान और कुएं गिर गये। मकान और कुएं गिरने से लोग मकानों में और कुओं के किनारे–बैठे–बैठे भयंकर रोये हैं और उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे आगे–पीछे कोई नहीं है। ऐसी सरकार, जो गरीबों को ऊंचा उठाने की हामी है, सरकार की गरीबों के प्रति हमदर्दी कहां गई ? मैंने कई बार जिलाधीश और स्थानीय मंत्री को कहा लेकिन यह कह कर टाल दिया गया कि जिले में तीन करोड़ और चार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च हो गये हैं, ऊपर से जांच आयेगी, कोई आयेगा, वह देख कर यह पेमेन्ट किया जायेगा। सरकार ने एक

(श्री नाथूराम अहारी)

तरफ जिला परिषदें, पंचायतें भंग कर दी हैं, न प्रमुख रहे, न प्रधान रहे, न सरपंच रहे, न वार्ड पंच रहे, लोग जायें तो कहां जायें ? रोयें तो किस के पास रोयें ? इसी तरह सिंचाई विभाग और वन विभाग के पेमेन्ट भी बाकी है। जून से लेकर जुलाई तक तीन महीने का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है। लोग रोज कहते हैं कि कम से कम आधा पेमेन्ट तो कराइये ताकि कम से कम हमारी आधी समस्या तो हल हो। दूसरी तरफ दुकानों में अगर गेहूं लेने जायें तो गेहूं, मक्का, तेल, केरोसीन, डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। किसान जिन्दा रहे तो कैसे रहें ? कांग्रेस सरकार में भी दो–तीन, चार–चार साल अकाल पड़ा था लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई।

श्री किशनाराम नाई : दस–दस पैसे पेमेन्ट मिलता था।

श्री नाथूराम अहारी : नहीं आयी, बिल्कुल नहीं आयी। क्या काम हो रहे हैं, नये आये हैं, आप तो, पता नहीं है। बैठिए, आपको पता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम अहारी : आप बैठ जाइये, बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : 295 में लिखे हुए के अलावा नहीं पढ़ सकते।

श्री नाथूराम अहारी : जो स्थिति है वह बोल रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चालू रखिये। बिराजिए आप।

श्री नाथूराम अहारी : बैठिये आप। अधिकारी और मंत्री लोग जो कहते हैं कि तीन अथवा चार करोड़ रुपये ज्यादा हो गये हैं, बाहर से पार्टी आयेगी, जांच करेगी तो ही पेमेन्ट करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसने कहा था आपको कि यह काम मंजूर करो। आपके पास पैसा नहीं था, योजना नहीं थी तो आपने क्यों काम करवाये और आज दिन तक उसका पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री किशनाराम नाई : यह भाषण दे रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ाया जाये।

श्री नाथूराम अहारी : वही सुना रहा हूं मैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

आप बैठ जायें। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र, अगर सरकार है तो, जाकर उसका पेमेन्ट किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है, फरमाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने दो बार तो 295 के प्रस्ताव पेश कर दिये, नियम 131 के मैंने पेश कर दिये,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

नियम 50 का मैंने पेश किया, मेरा एक भी आज तक नहीं आया। दो–दो बार पेश कर दिये हैं। सुबह ग्यारह बजे यहां आता हूं, रात्रि को चाहे ग्यारह बजे तक विधान सभा चले, लगातार बैठता हूं, मेरा आज तक उसमें नम्बर नहीं दिया गया है। जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं हैं उनके नाम बोले जा रहे हैं, उनको लिस्ट में लिया जा रहा है और जो व्यक्ति सदन में मौजूद रहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं सत्य कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बुखार चढ़ रहा है लेकिन जनता की समस्याओं को उठाने की वजह से यहां आकर बैठता हूं। आप मेरी समस्याओं को क्यों नहीं उठाने देना चाहते ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो भी प्रस्ताव है वह लगा दिया जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, यहां जन समस्याओं को उठाने के लिए मैं बीमार हालत में भी बैठा हुआ हूं, आप मुझे अवसर दें, ऐसा मेरे साथ भेदभाव क्यों बरत रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा, निस्संदेह....

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर क्यों नहीं मेरा नम्बर आया ?

श्री उपाध्यक्ष : आने वाली तिथि में लग जायेगा, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : 295 का यह सप्ताह तो मेरा निकल गया, अगले सप्ताह में मेरा नम्बर आयेगा, एक सप्ताह गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जनता की समस्यायें, जो पानी की थी, हिण्डौन का बहुत बड़ा हत्याकांड, जे. ई. एन. की हत्या कर दी सरे आम, उसको मैंने रखा। ऐसे बड़े–बड़े मसलों को मैं रख रहा हूं, तबीयत खराब है, बुखार चढ़ रहा है उसके बावजूद भी लगातार पूरे समय बैठा रहता हूं और मेरा नम्बर नहीं देते हैं आप, बड़े दुख की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। कृपया बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मेरी जगह होते तो आप पर क्या गुजरती ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनेंगे मुझे ? आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं सुबह यहां आता हूं। विधान सभा जब शुरू होती है तब आकर बैठता हूं, शाम तक विधान सभा चलती है, मेरा एक भी नम्बर आपने नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं बताऊं आपको। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करिये कि इन मामलों को लें....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो जनता की भयंकर समस्याएं हैं उनको मैं उठाता हूं। मैं उठाऊंगा। आप अवसर नहीं दोगे, मैं उठाऊंगा, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, मेरा नम्बर क्यों नहीं आता ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, मैं बताऊं आपको।

श्री रामस्वरूप मीणा : कारण क्या है ? यह तो बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, मैं आपको बताऊं।

श्री रामस्वरूप मीणा : इतने दिन विधान सभा चलते हुए हो गये, सही समय पर मैंने अपने प्रश्न पेश किये हैं, मेरे प्रश्नों के नम्बर क्यों नहीं आये, खाली एक लॉटरी में आता है, वह मेरे भाग्य के ऊपर है, लॉटरी में आता है इसलिए मैं समस्याएं उठा लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही।

श्री रामस्वरूप मीणा : बाकी मेरा न तो 50 का है, न 131 में है, न 295 में है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो तो सही।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। इस विषय में माननीय अध्यक्ष जी से सम्पर्क कीजिये। एक दिन में कितने स्थगन प्रस्ताव, कितने 295 के लगाये जाते हैं, सबकी क्रमशः बारी आ रही है, आपका भी नम्बर आ जायेगा, आने वाली तिथि में।

(2.00 म.प.)

श्री हेतराम बेनीवाल

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के उपस्थित न रहने के सम्बन्ध में

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं नियम 131 के तहत माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री गंगानगर जिले में ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में कमियों का उल्लेख किया है। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि गत वर्ष बजट सत्र के समय चिकित्सा विभाग की रीति-नीति के क्रम में मैंने कहा था कि हमारा लक्ष्य है "सब स्वस्थ रहें, सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो" और इस क्रम में ग्रामीण चिकित्सा को मैंने प्रथम वरीयता देने का वायदा किया था। मैंने उस समय इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि चिकित्सक गांवों में नहीं रहते, ऐसी शिकायतें मुझे समय-समय पर मिलती रहती हैं। मेरे प्रवासों के समय भी मुझे ऐसा अनुभव में आया है कि कहीं-कहीं चिकित्सक अपने मुख्यालयों पर नहीं मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता कि चिकित्सक अप-डाउन करते

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हैं। मैं इस बात को भी अस्वीकार नहीं करता कि कहीं-कहीं चिकित्सक अपने मुख्यालयों पर नियमित रूप से नहीं जाते और कभी-कभी जाकर कई दिनों की उपस्थिति अंकित कर देते हैं। मैं इस बात को भी अस्वीकार नहीं करता कि चिकित्सक कहीं-कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं या अन्य नर्सिंग होम पर समय-समय पर जाकर अपना काम करते हैं। किन्तु इसके पीछे मूल मुद्दे का जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था को सुचारू रूप से करना संभव नहीं होगा। समाज में जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति पनप रही है उससे चिकित्सक अछूता रहेगा, यह मानना सत्य से मुंह मोड़ने के समान है। अन्य लोगों की भांति चिकित्सक भी अपने ज्ञान का उपयोग धनोपार्जन करने में लगाते हैं किन्तु वह धनोपार्जन में अपने कर्तव्य से विमुख हो जाय, यह किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। पिछले कई दशकों की अव्यवस्था ने चिकित्सक को इस बात के लिये प्रेरित किया कि वह सरकारी नौकरी को केवल "रिटर्न्स अलाउंस" माने और येन-केन-प्रकारेण धनोपार्जन में लगा रहे। परिवेक्षण व्यवस्था बड़ी ढीली थी और कई बार तो यह पता नहीं लगता था कि चिकित्सक गांव में जाते भी हैं या नहीं। इसके साथ सैकड़ों पद रिक्त होने से व्यवस्था के परिवेक्षण का प्रश्न भी नहीं उठा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमने यह प्रयत्न किया है कि ग्रामीण चिकित्सा को प्रथम वरीयता माना जाय। तदनुसार हमने यह निश्चय किया है : (1) ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को प्रथम वरीयता देकर भरा जाय ताकि पद रिक्त नहीं रहें और ग्रामीण क्षेत्रों को अविलम्ब चिकित्सक उपलब्ध हो। गत एक वर्ष में लगभग 1300 चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति की गयी है। अभी कल ही 325 नये चिकित्सकों की और नियुक्तियां कर दी गयी हैं। नये चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही नियुक्त किया गया है और उन्हें प्रथम 3 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में काम करने दिया जाय, इससे नये चिकित्सकों की शहर की ओर भागने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। चिकित्सक अपने मुख्यालयों पर रहें, इस क्रम में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। मैं यह मानता हूं कि केवल निर्देश जारी कर देने मात्र से व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। परिवेक्षण जब तक प्रभावी नहीं होगा तब तक व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में मेरे अनुभव में यह आया है कि सी.एम.एच.ओ., जो अस्पताल का प्रमुख चिकित्सक होता था, इतना समय नहीं निकाल पाता था कि वह गांवों में जाकर व्यवस्था की देखभाल कर सके। अतः हमने सी. एम. एच. ओ. का अलग पद सृजित किया। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। अब इसके अगले कदम में एस. डी. एम. मुख्यालय पर एक उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लगाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्रीगंगानगर जिले में जून, 1991 में, एक महीने में, 19 चिकित्सकों को मुख्यालय पर नहीं रहने एवं अप-डाउन करने के कारण ग्रामीण भत्ता बन्द कर दिया गया है। जुलाई, 1991 में 24 चिकित्सकों का,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जिसमें 16 चिकित्सक जून, 1991, के शामिल हैं, ग्रामीण भत्ता बन्द कर दिया गया है। अगस्त 1991 में भी ऐसे चिकित्सकों की संख्या 24 थी। इस अवधि में 33 चिकित्सक ऐसे पाये गये जो अपने मुख्यालय पर नहीं रह रहे थे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। दो चिकित्सक ऐसे भी पाये गये जो प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करते हैं। एक, लम्बे अर्से से अनुपस्थित हैं, इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवास करते हैं और महीने की मीटिंग में इन सब की समीक्षा होती है। पिछले 7 महीनों से एक महीने में प्रत्येक सी.एम.एच.ओ. की मीटिंग हो जाय और उन सारे जोईण्ट डायरेक्टर्स की मीटिंग डायरेक्टर लैवल पर हो जाय, जहां इसकी सारी व्यवस्था पर विचार हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी घूमने-फिरने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हूं। जब कभी प्रवासों पर जाता हूं तो कभी–कभी मैंने भी चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया है। जो चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये, उनका दूर स्थानांतरण कर दिया गया ताकि वह अप-डाउन नहीं कर सके। अभी तक अधिकांश पद रिक्त होने के कारण सेवाओं में गुणात्मक सुधार त्वरित गति से संभव नहीं हो पा रहा था। अब निर्देश दिये हैं कि अप-डाउन करने वाले एवं कार्य में समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं पाये जाने वाले चिकित्सक एवं स्टाफ के विरुद्ध ढिलाई बरतने पर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सुपरवाइजरी ड्यूटी के लिये भी की जायेगी। प्रत्येक चिकित्सालय में एक शिकायत पेटी रहेगी जो केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खोलेंगे और प्राप्त शिकायतों को अलग रजिस्टर में रखा जायेगा तथा उन पर कार्यवाही की जायेगी। मैंने यह भी व्यवस्था की है कि जिस किसी स्थान पर चिकित्सक या अन्य कर्मचारी नहीं रहते या नहीं आते, वहां से एक पोस्टकार्ड पर सी.एम.एच.ओ. की शिकायत की जाने पर वह इसकी तुरन्त जांच करेंगे एवं शिकायत सही पाये जाने पर सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे। ऐसी शिकायत की जाने पर भी व्यवस्था नहीं की गई तो एक पोस्टकार्ड द्वारा मुझे अवगत करा देने पर मेरे स्तर से जांच कराऊंगा। अप-डाउन की व्यवस्था को सहन नहीं किया जा सकता। इस विषय में मैं सभी माननीय सदस्यों का भी सहयोग और जनता का भी सहयोग मांगना उचित समझता हूं और मुझे सहयोग मिलेगा, ऐसा विश्वास है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अनुपस्थिति या अप-डाउन की प्रवृत्ति के पीछे एक कारण यह भी है कि चिकित्सक का पदस्थापन ऐसे स्थानों पर हो जाता है जहां से वह अप-डाउन कर सके। पदस्थापन माननीय सदस्यगण की अभिशंषाएं एवं भावना के साथ यह भी जोड़ना चाहूंगा कि चिकित्सा जैसी पावन सेवाओं में पदस्थापन के समय रिश्तों नातों आदि को न जोड़ कर मुझे सहयोग करें तो मैं आपका बहुत–बहुत आभारी होऊंगा। जहां तक उपकेन्द्रों एवं ए.एन.एम. के रहने का प्रश्न है, इस प्रश्न को दो भागों में विभाजित करके देखना होगा। एक तो ऐसे स्थान हैं जहां ए.एन.एम. के आवास की व्यवस्था नहीं है। ऐसे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

स्थानों पर जब तक ए.एन.एम. की सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो तो किसके भरोसे वहां जाकर रहेंगी। स्वाभाविक है कि ऐसे स्थानों पर ऐसे पदस्थापन अवाइड किये जायेंगे या पदस्थापन हो गये तो ए.एन.एम. वहां रुकेगी नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि ए.एन.एम. के निवास की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करें तो ही ए.एन.एम. को अपने मुख्यालय पर रहने को बाध्य किया जा सकेगा। इस वर्ष लगभग 14 करोड़ की लागत के भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था भी सुधर जायेगी। ए.एन.एम. उपकेन्द्रों और चिकित्सा के पैरा मेडिकल स्टाफ क्वार्टर बन जाने के साथ सम्बन्धित व्यक्तियों को मुख्यावास पर रहने को बाध्य किया जा सकेगा। दानदाता भी इस क्रम में आगे आकर सहयोग करें तो व्यवस्था में त्वरित सुधार हो सकेगा। दूसरा, जहां भवन बने हुए हैं और ए.एन.एम. वहां पर रुकती नहीं है तो उसके लिये स्थानीय लोग जब भी उसकी अनुपस्थिति ध्यान में लायेंगे उस पर निश्चित रूप से व्यवस्था और एक्शन किया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि व्यवस्था में जो दीर्घकाल से विकार आ रहा है उसे इतने अल्प समय में पूर्णतया सुधार कर परिमार्जित कर जाना, यह तो कभी क्लेम नहीं किया जा सकता। फिर भी इस ओर कदम उठाये गये हैं। व्यवस्था में सुधार भी आया है। सुधार आने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किन्तु हम सभी, सरकार, जनता और जन प्रतिनिधि मिल कर सामूहिक रूप से प्रयास करें। मेरी तो मान्यता है कि डाक्टर केवल आफिस जैसा नहीं होता, 10 से चार काम कर ले। रोगी तो रात को भी बीमार होता है। इसलिए डाक्टर का उस स्थान पर रहना आवश्यक है। इन सभी बातों को लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मैं जानता हूं। सगरिया से आने वाले माननीय विधायक ने गंगानगर का जो जिक्र किया, बहुत अधिक है। मुझे भी उसका दुःख है। वहां के सी.एम.एच.ओ. को इस प्रकार के एक्शन लेने का जिसकी मैंने चर्चा की है, हमने प्रयास किया है हम और करेंगे। और इसमें सबका सहयोग रहेगा। इतनी बात करके, जो ध्यान मेरा आकर्षित किया मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं, मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, वह मेरा और मार्गदर्शन करें ताकि उस सुरक्षा और व्यवस्था में सुधार ला सकूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की भावनाओं से निश्चित तौर से मैं सहमत हूं। मैं हाउस में यह भी स्वीकार करता हूं कि वह दिल से चाहते हैं कि यह व्यवस्था लागू हो। सबसे बड़ी कठिनाई इस मामले में जो है, जो उनके मस्तिष्क में है, जोइन्ट डायरेक्टर या नीचे के पदाधिकारियों ने यह पैदा कर दी कि इसमें सुधार हो रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा उनसे कि मेहरबानी करके इसको दुरुस्त कर लें।

मुझे अफसोस इस बात है, मुझे दर्द इस बात का है कि डेढ़ साल से मैं जब से विधान सभा का सदस्य बना हूं, मुझे एक ही चीज महसूस हो रही है, जो कुछ नहीं होता था पहले, वह होने लगा है। तीस

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तीस किलोमीटर से पहले कोई डाक्टर अप डाउन नहीं करता था। विजयनगर से गंगानगर 50 किलोमीटर है, माननीय उपाध्यक्ष जी। विजयनगर से गंगानगर कोई अप डाउन करे, इससे बड़ी बात समझ में नहीं आ सकती कि विजयनगर से 50 किलोमीटर कोई डाक्टर जाय और वहां से अटेण्डेंस देकर वापस गंगानगर आ जाय और वह डाक्टर वहां विजयनगर का कहलाये। इस तरह की स्थिति अब पैदा हो गयी इस डेढ़ दो साल में। इसलिये मैने इस पर क्वेश्चन भी किया और आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा है।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा। राजस्थान के उन जिलों की बात नहीं करता...

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : कुछ डाक्टरों के नाम तो बता दें।

श्री हेतराम बेनीवाल : बता देंगे, नाम भी बता देंगे। उसका तबादला लालगढ़ कर दिया फिर। गंगानगर का डाक्टर है उसको सजा यह दी गई, पचास किलोमीटर से वह अप-डाउन करता है, शिकायत हुई, उसका भत्ता बन्द हुआ, यह सही है। पर उसको बाद में लालगढ़ कर दिया गया, पांच किलोमीटर, दस किलोमीटर गंगानगर के नजदीक, ताकि उसको आराम हो जाय।

मैं यह निवेदन कर रहा था, राजस्थान के जिलों में गंगानगर ऐसा जिला है, जहां के लोग कम्पेरेटिवली ज्यादा खुशहाल हैं। वहां के घर और वहां के मकान माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने देखे होंगे। मैं आपको हाउस के फ्लोर पर कह सकता हूं, हर गांव में डाक्टर को रहने की व्यवस्था और नर्स को रहने की व्यवस्था हो सकती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : है, है।

श्री हेतराम बेनीवाल : बहुत सी जगह मुझे अफसोस है, मेरे हल्के का एक गांव है जहां सब सेण्टर है। वहां रहते हैं मुसलमान रिफ्यूजी और राव सिक्ख। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चन्दा करके ढाई तीन लाख की बिल्डिंग बनाई। उनके दिमाग में यह था कि उनके यहां अस्पताल बन रहा है। उनको पता नहीं था कि सब सेण्टर है। अस्पताल बन रहा है ढाई तीन साल से। पिछले सवा साल से उसका दरवाजा नहीं खोला और मैं जब गांव में गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है किसी का उद्घाटन करने का, मैंने कहा, बन्द क्यों रहता है? इत्थे कोई आवंदा ही नहीं। कभी आया ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुए। मैं आपसे अर्ज करूं, पन्नीवाली एक डिस्पेन्सरी है जो गंगानगर से 20 किलोमीटर पर है और 20 किलोमीटर उस डिस्पेंसरी में सादुलशहर के एक डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया। सादुलशहर का डाक्टर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन महीने तक अपने घर पर बैठकर हाजरी लगाता रहा। यह ताज्जुब की बात है। सारे महीने की पूरी हाजरी वहां लगा करके तनख्वाह लेता रहा। मैंने लिखित में सी. एम. एच. ओ. को शिकायत की। सी. एम. एच. ओ. ने उसको बुलाकर कहा तो गांव के तीन आदमियों के पैर पकड़ कर लिखा लाया कि मैं गांव में आता था उस पन्नीवाली में जो सादुलशहर से 20-30 किलोमीटर दूर था। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को पता नहीं किस तरह झांसा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दिया कि उन्होंने उसको सजा देने के बजाय सादुंलशहर के बिल्कुल पास में सड़क के ऊपर लगा दिया। यानी जिन लोगों ने गड़-बड़ियां कीं, नहीं बैठे, गांव में, नहीं रहे उनको सुविधा दे दी। मैं अर्ज करूं, दीनगढ़ एक डिस्पेन्सरी है। मैं डाक्टर का नाम नहीं लूंगा, वह अपने आप ही उस पर कुछ करेंगे तो वह संगरिया में रहता है। कभी दीनगढ़ नहीं जाता, किसी कीमत पर नहीं जाता। नर्सिंग स्टाफ में से एक नर्स जाती है। उस गांव के लोगों ने बिल्डिंग बनाई उसके लिए अलग क्वार्टर बनाया। बिल्डिंग क्वार्टर बनाने के बाद उसमें लोगों ने दान दिया, पंखे और फर्नीचर। उन्होंने अपने पिता का नाम लिखा, किसी ने अपने बेटे का लिखा, जो मर गया उसका नाम लिखा। वह फर्नीचर और फैन अस्पताल से उठाकर नर्सिंग होम में ले गया, संगरिया में। वहां से अस्पताल से सामान ही उठा लिया। तो उन्होंने कहा, डाक्टर गया सो गया, हमारा सामान ही साथ ले गया। ढाबा गांव में बिल्डिंग बनाई लोगों ने बड़े चाव से, दोनों के लिये लिए। डाक्टर के रहने के लिए अलग बनाई और हास्पिटल के लिए अलग बनाई। एक दिन भी वहां डाक्टर ठहरा नहीं। एक नहीं कह रहा मैं। गंगानगर जिले में जितनी भी डिस्पेन्सरीज हैं, गंगानगर जिले के नजदीक अगर 10–15 किलोमीटर पर है उसमें तो कोई ठहरता ही नहीं है। लालगढ़ जैसी डिस्पेन्सरी में या मिर्जावाली जैसे बड़े बड़े गांव जहां दस दस पन्द्रह–पन्द्रह हजार की आबादी है, उन डिस्पेन्सरियों के अन्दर कोई डाक्टर ठहरता ही नहीं, चाहे उसके रस्सी बांध दो। पर जो दूर–दराज के गांव हैं, जो तीस–तीस, चालीस–चालीस किलोमीटर हैं और बड़े बड़े गांव हैं गंगानगर जिला ऐसा जिला है जहां दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह, आठ-आठ, दस–दस हजार आबादी के बहुत गांव हैं। कम से कम सौ डेढ सौ गांव होंगे जिनकी आबादी दस हजार या आठ हजार है। ऐसे बड़े बड़े गांव हैं। आस-पास तो उनके आबादियां हैं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने आज मुझे जवाब दिया है उससे साबित होता है कि चिकित्सालयों में जो मरीज आते हैं उनकी संख्या पांच या सात है। क्या दस हजार की, आठ हजार की आबादी में कोई गांव है उसमें मरीजों की संख्या आठ या सात होगी, या पांच या सात होगी रोज की? इससे साबित होता है कि वह चिकित्सालय वास्तव में खुलते ही नहीं है, उनमें कोई बैठता ही नहीं है। पैरेलल चिकित्सालय जो चल रहे हैं आर.एम.पी. के, ऐसे लोगों के वह वहां फल–फूल रहे हैं, पनप रहे हैं।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि एक बात जो उन्होंने कही है, यह जो रहने के लिए क्या किया है, वह तो खैर उन्होंने नहीं बताया बाकी तो बताया है, गंगानगर जिले में उन्होंने कितना रहने के लिए खर्च किया है। उनकी खुद की रिपोर्ट यह कहती है कि 33 डाक्टर मुख्यालय पर नहीं पाये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिला में आखिर कितनी डिस्पेंसरीज होंगी। 33 नहीं तो 50 सारे जिले में होगी। सारे जिले की 50 डिस्पेंसरीज में से या 45 डिस्पेंसरीज में 33 डाक्टर नहीं पाये गये। 33 डाक्टर मौके पर नहीं मिले और हम समझते हैं कि हालत सुधर रही है, हालत में सुधार हो रहा है। 33 के साथ साथ

(श्री हेतराम बेनीवाल)

आपने बताया है; 24 का ग्रामीण भत्ता बंद हुआ। पहले 19 का बंद हुआ। यह ग्रामीण भत्ता कितना मिलता है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय ? 150 रुपये।

एक डाक्टर जो बाजार में रह कर नर्सिंग होम चलाता है वह एक दिन में हजार रुपये कमा रहा है। आप उसको जो वेतन दे रहे हैं पांच हजार रुपये। वह वहां सरकारी डॉक्टर बना हुआ है और सारी सुविधायें लेता है। आपके अस्पताल में न जाय तो पूरी की पूरी चिकित्सा व्यवस्था भंग हो जाय। मैं अर्ज करूंगा सिर्फ यही नहीं है कि डाक्टर नहीं जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि डाक्टर के नहीं जाने की वजह से नीचे का कोई स्टाफ नहीं जाता। यह हम पूरे गंगानगर जिले में देखते हैं। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हर गांव में सब–सेंटर या एड पोस्ट है। इससे ऐसा लगता है कि अगर हम कागजों में देखें तो पूरा इलाका चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हर गांव में एड पोस्ट या सब सेंटर या डिस्पें–सरी हैं। पर उसके बावजूद एक भी एड पोस्ट पर, करते क्या हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है वह दौरा करने जाता है चार या पांच दिन बाद और गांव के किसी प्रमुख आदमी से मिल कर आ जाते हैं। सब सेंटर पर लोगों ने बिल्डिंग बना रखी है उस पर आपने कहा कि जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ है या ए.एन.एम. है उनके लिए गांव में व्यवस्था सम्भव नहीं है। वैसे तो मैं आपसे कहूं; राज्य सरकार को करना चाहिए पर गांव के लोगों ने कर भी दिया पर जो मेल स्टाफ है उनका क्या है। मेरे खुद के गांव सूरपुरा गांव में सब–सेंटर बना हुआ है, पिछले दो साल से; एक साल भर तो कम्पाउण्डर गया नहीं और उसको एक साल तक तो कोई नोटिस की ही बात नहीं। कम्पाउण्डर का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद ज्वाइन नहीं करे और जाए नहीं और उसके बाद उसको रियायत दे दी कि उसका वापिस गंगानगर कर दिया। वह एक साल नहीं गया तो पता नहीं कैसे अफसर राजी हो गये, उन्होंने वापिस गंगानगर कर दिया। वह जगह खाली पड़ी है। तो गंगानगर जिले की जहां तक चिकित्सा व्यवस्था का सवाल है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयत्नों के बाद भी, तो मैं चाहूंगा कि इस बात को स्पष्ट करें कि जिन लोगों ने उन गांवों में अप-डाउन किया उसका सबूत आपको मिल गया, चिकित्सालय में नहीं रहे वह सबूत आपको मिल गया। नर्सिंग स्टाफ नहीं पहुंचा, आपको सबूत मिल गया। उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय अगर उनको सुविधा के अनुसार ट्रांसफर करे दो और उनकी जगह पर पहुंच दो तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इसलिए मुझे यह स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया कि यह अव्य-वस्था और बीमारी बड़ी जड़ जमाए हुए है और लगातार जिस नाते डाक्टर्स का वे आफ थिंकिंग हो गया है उसमें से निकली हुई बात है। दो बातें माननीय सदस्य ने कहीं। पहले चरण के नाते एक बार यह बन्द किया गया है। शिकायत ध्यान में आते ही पहले चैकिंग हुई तो ग्रामीण भत्ता बन्द किया और बन्द करने के साथ साथ एक्शन की कार्यवाही भी शुरू हो गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक एक महीने बन्द किया, फिर वापिस चालू कर दिया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, तीन–तीन महीने । अगर आप सूची देखेंगे, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं— नरेशचन्द धनखड़, योगेन्द्रपाल डूंगरविला, हंसराम भादु, ढोलीपाल । श्रीमती कमला अग्रवाल, चक महाराजा, देवेन्द्रकुमार भाटिया, ढ़ालीवाला, 3–3 महीने तक बन्द रखा है । यह पहले कदम के नाते । इन्क्वायरी अलग से शुरू हो गई । आपने बताया कुछ लोगों के ट्रान्सफर्स दूर कर दिये थे दूसरे जिले में, यह डाक्टर्स ऐसी किस्में हैं, सबकी नाड़ी पकड़ लेते हैं । और इतना दबाव आता है, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, आप भी उपाध्यक्ष हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आपकी बात सच्ची है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी ही बात निवेदन कर रहा हूं । जिन माननीय सदस्य ने कहा, ओ. पी. मित्तल, पन्नीवाले का जो डाक्टर था, आपने शिकायत की थी, भत्ता बन्द कर दिया, पांच लोगों ने आपको पकड़ लिया, आपको आना पड़ा सी. एम. एच. ओ. के पास कि वापिस भत्ता चालू करो ।

श्री हेतराम बेनीवाल : इस शर्त पर कि वहीं रहे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों ही आपस में सहमत हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं आपसे विनम्र कह रहा हूं, मैं मानता हूं, जैसा आपने कहा कि सुधार नहीं आया है इस बात को मानने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सेवक और डाक्टर तो थे ही, क्वालिटेटिव दोनों का सवाल ही नहीं था, लोग नियुक्त नहीं थे । आज नियुक्ति देने के बाद फिर वह जाते हैं कि नहीं यह देखने की प्रक्रिया तो बाद में शुरू हो जाएगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हम सब मिल कर सहयोग करें और जो पोस्टकार्ड की व्यवस्था की है उसको प्रबल करें । आप जो भी शिकायत देंगे, वहीं नहीं, दूर बाड़मेर ट्रांसफर कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, दूर जैसलमेर....

श्री चम्पालाल बांठिया : यह बाड़मेर कोई सजा है क्या ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे एक सुझाव देना है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : चिकित्सा मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है जिस डाक्टर के खिलाफ शिकायत हो, आप और कुछ मत करें, आप तो तनख्वाह काट रहे हैं वह बिल्कुल न काटें । फाइनेंशियल पनिशमेंट गंगानगर में डाक्टर को कोई पनिशमेंट नहीं है । आप उनका चित्तौड़गढ़ से परली तरफ ट्रांसफर कर दीजिए । अगर गांव में जाना नहीं शुरू करें तो मुझे कहना । यह एक ही रास्ता है ।

एक माननीय सदस्य : यह बाड़मेर जैसलमेर काला पानी है क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह ध्यानाकर्षण का जनरल प्रस्ताव है, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं इन्होंने गत सत्र में यह कहा था कि 20 जून तक सारे अस्पतालों में जो स्थान खाली हैं, डॉक्टर्स नहीं है उन सब में भर्ती कर दी जाएगी लेकिन वहां पर आज तक डॉक्टर नहीं पहुंचे, कई ऐसी डिस्पेंसरीज हैं। मेरे फागी में मण्डावरी ऐसी जगह है वहां जब से पी. एच. सी. खुली है तब से लेकर आज तक डाक्टर का अपाइंटमेंट तो कर दिया लेकिन आज तक नहीं गया।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि शिकायत होगी तो उसको बाहर बाड़मेर भेज दिया जाएगा लेकिन मंत्री जी, आप बाड़मेर भेजेंगे तो इस्तीफा देकर गंगानगर में ही रहना चाहेगा। वह जहां बस जाता है वहां से बाहर निकलना चाहता ही नहीं। अपने दबाव से, अपने पैसे से, माफ करना, आपके जमाने में पैसे का धन्धा तो बन्द हुआ यह मैं विश्वास से कह सकता हूं लेकिन कई प्रकार के साधन जुटा कर वहीं रहना चाहता है। गंगानगर में पैसा बहुत है, अगर दूर तबादला किया तो गंगानगर की सारी डिस्पेंसरीज बगैर डाक्टर के रहेंगी। प्राइवेट धन्धे चलेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : सारा गंगानगर कोई अमीर तो नहीं है, पांच प्रतिशत अमीर होंगे बाकी सारे गरीब हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि आपने इन अस्पतालों पर काफी चोट की और यह प्रयास आपका चलता रहना चाहिए। कुछ सुधार भी हुआ। कुछ सेक्टर में आपने देहात के लिए अलग और शहर के लिए अलग सी. एम. एच. ओ. बना दिया। सब डिवीजन और कह रहे हो। वेकेन्सीज भर दी। यह काफी अच्छा काम है। मगर जो पांच कि. मी. दूर बोर्डर के पास हैं वह वहां ठहर नहीं सकते। आप जानते हैं हमारा पाकिस्तान के पास का इलाका है उनको स्पेशल इन्सेंटिव्ज दें तभी वह ठहर सकते हैं। जो क्वेक्स हैं उनका थोड़ा इलाज करें। जो देहात में डाक्टर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कीजिए। इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वह डिस्पेंसरीज में जाएंगे नहीं। दूसरी बात, जो नई मेडीशन निकल रही हैं, नये इलाज आ रहे हैं, नई बीमारियां हैं तो उनका रिफ्रेशर कोर्स भी होना चाहिये, 10-10 साल से बैठे हैं डाक्टर देहात में वह कोई मेगजीन, बुलेटिन पढ़ते नहीं। नई मेडीशन और बीमारियों की जानकारी से उनका वास्ता नहीं। तो इस पर ध्यान दें। देहात के लोग जब शहर में आते हैं इलाज के लिए तो उनको कोई इंटेन्सिव केयर नहीं, शहर में कई पोस्टें खाली पड़ी है। खैर, आपने भर दी वह तो ठीक बात है फिर भी वहां मेडिकल ऑफीसर की गिनती कम है। ज्युरिस्ट, स्पेशलिस्ट जैसे मेडीशन में एक आपने किया है वहां तीन होना चाहिए यह इक्विपमेंट भी आप पूरा कर देंगे तो देहात के लोग जो शहर में आते हैं, हरियाणा पंजाब के लोग आते हैं। थोड़ा शहर को भी ध्यान दीजिए। यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय अचलाराम जी (अनुपस्थित) समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री हरिशचन्द्र (नावां) : मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी गयी है कि अभी स्थगित किया गया है तो 16 तारीख तक ले लिया जायेगा । बिराजिये आप ।

श्री हरिशचन्द्र : सोमवार को ले लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वहीं 16 तारीख है ।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गूर्जर (अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सभापति, जनलेखा समिति, 1991–92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1978–79 के अनुच्छेद संख्या 4.10 व 5.3, 1979-80 के अनुच्छेद संख्या 4.4, 4.7, 5.3 व 5.4, 1982–83 के अनुच्छेद संख्या 4.9 तथा 1983–84 के अनुच्छेद संख्या 4.1, 4.5, 4.6, 4.7 व 4.8 में समाविष्ट सार्वजनिक विभाग विषयक उन्तीसवां प्रतिवेदन,

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से संबंधित वर्ष 1983-84 अनुच्छेद संख्या 4.2 तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित वर्ष 1978–79 अनुच्छेद संख्या 6.4 विषयक तीसवां प्रतिवेदन,

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के वर्ष 1982–83 में समाविष्ट 'सहायता विभाग' से संबंधित अनुच्छेद संख्या 4.1 एवं वर्ष 1983–84 के अनुच्छेद संख्या 41 तथा वर्ष 1979–80 के प्रतिवेदन में 'कोष एवं लेखा विभाग' से संबधित अनुच्छेद संख्या 3.13 विषयक इक्तीसवां प्रतिवेदन, एवं

(4) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट समाज कल्याण विभाग से संबंधित वर्ष 1978–79 अनुच्छेद 28, वर्ष 1979-80, 6.5 वर्ष 1981–82, 3.1, 6.3 पंचायत राज एवं विकास विभाग से संबंधित वर्ष 1979–80 अनुच्छेद संख्या 6.3, वर्ष 1980–81 अनुच्छेद 6.2, वर्ष 1982–83 अनुच्छेद संख्या 4.1.8 एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित वर्ष 1978–79 अनुच्छेद संख्या 2.7 विषयक बत्तीसवां प्रतिवेदन ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकायें उपस्थापित करता हूं :—

(1) ग्राम पंचायत रोटू, तहसील जायल, जिला नागौर में पशु चिकित्सालय खोले जाने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

(2) ग्राम रोटू, तहसील जायल, जिला नागौर में पानी की टंकी बनवाने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि आपको मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूं इस विषय में....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप....

श्री मोहनलाल बारूपाल : मैं निवेदन कर रहा हूं आपने पांच व्यक्तियों की पंचायतें बनाई हैं कि पांचों में परमात्मा बसे हैं और झूठ नहीं बोलना चाहिए तो यहां तो 200 आदमी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं महात्मा क्या कह रहे हैं :

'पंचों में परमात्मा क्यों बोले तू झूठ

झूठ बोल फल ओ मिले जासी जड़या बूंट

अमरापुर की आसन है चाहे नर्क का कुण्ड

सत्य वचन को छोड़ के झूठ पंचायत ढूंढ

पंचायत पाने पड़ी तो पहले भोगो पाप

औरां ने शिक्षा करे धक्का खावे आप।'

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल बारूपाल : 'ओरी जारी जगत में काला मुंहड़ा जान,

जाट और राज में लग रही खेंचातान।।

सांच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप

जाके हृदे सांच है ताके हिरदे आप।।

आज कलयुग के जमाने में पहले जैसा नहीं है। आज तो ;

झूठ बराबर तप नहीं, सांच बरोबर आप,

जाके हृदे झूठ है जाके हिर्दे आप।।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991

श्री जगमालसिंह यादव (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : जनमत जानने के लिए संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण वर्मा — (अनुपस्थित)
श्री हेतराम बेनीवाल — ,,
डा. उज्जला अरोड़ा — ,,
श्री बुलाकीदास कल्ला — ,,
श्री रामस्वरूप टोडा — ,,
श्री प्रभुलाल — ,,
श्रीमती रमा पायलट — ,,

सभी अनुपस्थित हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री जगमालसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ? ..

श्री केदारनाथ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल से इसकी स्वीकृति ले ली क्या यह सेन्ट्रल लॉ एक्ट के बीच में आप अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत समझी आपने, आमदनी को बढ़ाने के लिए-नम्बर एक । उसके साथ ही साथ जो ट्रक बाहर से आते हैं उनका सारा मेकेनिकल एग्जामिनेशन कभी किया क्या ? लाइट्स पूरी रखते हैं या नहीं और क्या वह डिपर करते हैं या नहीं ? देखिये कितने एक्सीडेन्ट्स होते हैं । मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि टोल टैक्स आपका ठीक है आपकी आमदनी बढ़ाने का । दूसरी स्टेट्स ने शुरू कर दिया और आप शुरू कर रहे हैं और रूल्स बनेंगे लागू करने के लिए । वहां तक तो ठीक है लेकिन जो ट्रक बाहर से आते हैं उनका सारा फिजिकल और मेकेनिकल एग्जामिनेशन टेस्टिंग की जो मशीनरी और एपेरेट्स हैं उसमें बड़ी कमी है, कमजोरी है । उसको भी आप ठीक कीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय यातायात मंत्री जी राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक को लेकर आये हैं उसके बारे में मैंने जनमत जानने के लिए एक प्रस्ताव रखा है...

श्री उपाध्यक्ष : वह सारी स्टेजेज पास हो गयीं । वह तो खतम हो गया । अब थर्ड रीडिंग चल रही है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने पड़ौसी राज्यों से आने वाले मोटर यानों के बारे में ट्रक्स वगैरह के बारे में जो यह एक्ट लेकर आये हैं....

(2.37 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

इसके संबंध में मेरा यह सुझाव है कि पड़ौस के राज्यों में कई बार ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है जिसमें हमारे प्रदेश के लोग जाकर वहां वाहनों को खरीदते हैं और खरीदने से जो राज्य को बिक्री कर और अन्य कर मिलने चाहिए उनका नुकसान होता है । जब कोई भी विधेयक लाया जाता है तो इन सब चीजों के बारे में पूरे तौर पर विचार करने के बाद विधेयक को लाया जाना चाहिए और समय समय पर मोटर यानों पर जितने भी प्रकार के कर लगते हैं चाहे वह बिक्री कर हो, चाहे वह पथकर हो, चाहे वह सेन्ट्रल सेलस टैक्स का कर हो इसमें पड़ौसी राज्यों में एकरूपता होनी चाहिए वरना लोग राजस्थान में ओटोमोबाइल की खरीद करने आगरा, मध्यप्रदेश और आसपास के इलाकों में क्रय करने के लिए चले जाते हैं और राज्य को बड़ी भारी कर की हानि होती है । ऐसा भी अध्यक्ष महोदय, देखने में आया है कि कुछ लोग राजस्थान में आटोमोबाइल की दुकानें करते हैं, यहां पर अपने मोटर यानों को बेचते हैं लेकिन उनके हैड आफिसेज हमारे देश के उन हिस्सों में होते हैं जहां पर बिक्री

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कर या किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों की ऐसी दुकानें हैं जैसे दादर नागर हवेली है, हमारे केन्द्र-शासित प्रदेश हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता है वहां उनके हैड आफिसेज हैं। मोटर यान और उनके जितने भी प्रकार के व्हीकल्स हैं वह यहां बैठ जाते हैं लेकिन खरीद फरोख्त केन्द्र शासित प्रदेश में दिखाई जाती है जिससे स्टेट को बहुत बड़े धन की हानि होती है। इसी प्रकार से पिछले वर्ष हरियाणा की सरकार ने हरियाणा से निकलने वाले जितने भी वाहन हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का पथकर लगाया था उससे भी हमारे प्रदेश के लोगों को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे प्रदेश जो हमारे वाहनों के ऊपर अधिक से अधिक कर लगाते हैं उनसे बातचीत की जाये और करों में एकरूपता हो इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि पथ कर, मोटर यान और जितने भी संबंधित कर हैं, उनमें एकरूपता लाने के लिए पड़ौसी राज्यों के कर ढांचे को देखकर हम अपने करों का निर्धारण करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभारी मंत्रीजी।

स्पष्टीकरण

राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के सम्बन्ध में मंत्रीजी का स्पष्टीकरण

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अभी एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय ध्वज जो जे.डी.ए. का था, वह फाड़ दिया गया था। उसके बारे में मेरी जानकारी है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। दिनांक 9.9.91 को सूचना मिली कि बन्दरों द्वारा जे.डी.ए. का राष्ट्रीय ध्वज फाड़ा गया है। उसी दिन ही नया झण्डा लगवा दिया गया। कल सवेरे दिनांक 12.9.91 को फिर यही हुआ और फिर झण्डा बदल दिया गया। इस बदलने में चौकीदार को चोट भी कील द्वारा लग गई जिसकी पट्टी कराई गई।

यह ठीक है कि एक व्यक्ति श्री ज्ञानप्रकाश कामरा द्वारा जे.डी.ए. के आयुक्त के रिसीप्ट क्लर्क के पास एक बन्द लिफाफा गोपनीय कह के रखा गया व रसीद ले गया। आवेदन पत्र की तारीख 12.9.91 है एवं उसमें 250/– रुपये का चैक तारीख 13.9.91 का है। आवेदन पत्र में उसने यह लिखा है कि वह यहां से गुजर रहा था तो उसने राष्ट्रीय ध्वज को फटी हालत में लहराते देखा और उसके बदलवाने के लिए यह चैक भेज रहा है एवं उसने यह भी लिखा है कि इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का लहराया जाना नेशनल फ्लेग एक्ट का पूरा नाम (प्रिवेन्शन आफ इन्सल्ट टू नेशनल आनर एक्ट 1971 है) (Prevention of insult to national honour Act, 1971) की धारा 71 का उल्लंघन है।

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी। संक्षेप में।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी टोल टैक्स के बाबत जो बिल, मैंने पेश किया, या तो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य उसको समझ नहीं पाये। उन्होंने दो, तीन बातें रखीं, दो, तीन शंकाएं प्रकट की हैं कि

(श्री जगमालसिंह यादव)

दादर नागर हवेली और दूसरी जगह जहां टैक्स सिस्टम है, वहां से हमारे राजस्थान के लोग व्हीकल परचेज करेंगे तो उनको यह दिक्कत होगी। दूसरा, आपने कहा कि पड़ौसी स्टेट्स कई बार अपने व्हीकल्स बेचने के लिए मेलों का आयोजन करते हैं जिसमें वह टैक्स की छूट देते हैं जहां से कोई भी स्टेट उसको परचेज कर ले। माननीय सदस्य, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो बिल आ रहा है, इस बिल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इस बिल का मकसद केवल इतना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो हमारे एडजोनिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने आज से कुछ दिनों और महीनों पहले यह पथकर, टोल टैक्स लगाये उसके नतीजे यह होने लगे कि मिसाल के तौर पर धौलपुर और करौली में जो पत्थर आता है, यू.पी. में दिन प्रतिदिन हमारे हजारों ट्रक जाते हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश से लगते हुए जो हमारे जिले हैं, उनमें जो ट्रक हमारे रोज जाते हैं, जिनका रोज का आना है। इसी तरह से हरियाणा स्टेट से लगते हुए जो हमारे जिले हैं, उनसे हरियाणा में हमारे व्हीकल्स आवागमन है। वह प्रतिदिन सौ रुपये टोल टैक्स के रूप में उस स्टेट को देते हैं, एक बार की एण्ट्री फीस ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में जिस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है, वह अगर हरियाणा में जाता है तो प्रतिदिन सौ रुपये के हिसाब से, अगर दस दिन रुकेगा तो एक हजार रुपये हरियाणा को हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए धौलपुर, भरतपुर, अलवर और मध्य प्रदेश से लगते हुए जो हमारे एडजोर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, पिछले महीनों में हमने देखा कि हमारे यहां जिन व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता था, उनके रजिस्ट्रेशन यहां से समाप्त करके पड़ौसी राज्यों में कराये गये। वह इस डर से कि उनको दिन प्रतिदिन दूसरी स्टेट्स में जाना आना है, वहां उनको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। इस टैक्स से बचने की नीयत से हमारे यहां जितने व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन थे, उनमें से ज्यादातर का रजिस्ट्रेशन व पलायन दूसरी स्टेट्स में होना तय हो गया। इस टोल टैक्स का हमको तो नुकसान हुआ ही। बाकी जो टैक्स मिलता था, हमारे यहां हैवी व्हीकल्स पर, मीडियम व्हीकल्स पर लाइट व्हीकल्स पर, वह सब दूसरी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी आपने हरियाणा का सन्दर्भ दिया, यह सही है कि आज से 4, 5 माह पूर्व यह टैक्स सबसे पहले हरियाणा गवर्नमेण्ट ने इम्पोज किया था और इसका ट्रक यूनियन द्वारा विरोध भी हुआ, जाम भी लगा, इसकी वार्ताएं भी चली, भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को यह भी लिखा कि इसको समाप्त कर दिया जाये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज चूंकि वहां सरकार बदलने से भजनलाल जी की सरकार ने उसको हटाने से तो इन्कार कर ही दिया, प्रधानमंत्री के पत्र के बावजूद। उन्होंने इतना संशोधन जरूर किया कि जो भारी व्हीकल होगा, ट्रक हो या दूसरा, उस पर सौ रुपये टोल टैक्स होगा। जो मीडियम व्हीकल होगा उस पर 75 रुपये कर दिया जायेगा और जो लाइट व्हीकल होगा सेवन इन आल, या सिक्स प्लस वन, उन पर यह 50 रुपये कर दिया जायेगा, तो इससे हरियाणा गवर्नमेण्ट की नीयत साफ हो गई कि उन्हीं की दिल्ली में सरकार है और दिल्ली की सरकार के लिखने के

(श्री जगमालसिंह यादव)

बावजूद भी उन्होंने यह नहीं हटाया बल्कि उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया तो हरियाणा सरकार ने जो संशोधन किया, भारत सरकार उससे सहमत भी हुई है और उसी पेटर्न पर हमने भी भारी व्हीकल्स पर सौ रुपये, मीडियम पर 75 रुपये और लाइट व्हीकल्स पर 50 रुपये का प्रस्ताव रखा है। इससे हमको राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही। इसके साथ ही हमको यह फायदा भी हुआ कि हमारे राजस्थान के जो पड़ौसी स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उनमें जो हमारे व्हीकल्स जा रहे थे और वहां रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, हमको जो टैक्स का नुकसान हो रहा था, उससे हम और बच जायेंगे। इसलिए इसके लाने का मकसद राजस्व प्राप्ति नहीं है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय सदस्य ने जो पूछा है तो मैं बता दूं कि हमारी स्टेट में जो रजिस्टर्ड हैं चाहे वह ट्रक है, या मध्यम दर्जे का वाहन है उन पर यह कोई टैक्स नहीं है, यह तो हमारे राजस्थान स्टेट से बाहर का जो भी व्हीकल, कामर्शियल व्हीकल है, उन पर टैक्स लगाने का प्रावधान है। राजस्थान के ट्रक आपरेटर्स, या बस मालिक, प्राइवेट ट्रान्सपोर्टर्स और कामर्शियल ट्रान्सपोर्टर्स, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह तो केवल यह है कि हमारा जब जाये तो हम तो टैक्स चुकता करें और हरियाणा का जब हमारे यहां आये तो हम उस पर कुछ नहीं लगायें। तो जो पलायन हो रहा है, हमारे जितने एडजोनिंग डिस्ट्रिक्ट थे, दूसरे स्टेट्स में जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, वह रुकेगा और निश्चित तौर से उसके साथ साथ राजस्व की प्राप्ति होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने जो एक वित्तीय ज्ञापन उसमें दिया है, उसमें छह लाख रुपये जो नई व्यवस्थाएं कर रहे हैं उस पर खर्च होंगे और यह भी लिखा है कि इसमें 2 प्रतिशत जो कुल आय प्राप्ति होगी, उसका होगा। लेकिन यह जानकारी नहीं मिली कि इससे कुल कितनी आय स्टेट को प्राप्त होगी। एक तो इसके बारे में आप बता दें और दूसरा मेरा यह सजेशन था कि जब आपने रिप्लाई दिया था, उसमें इन्टेंशन यह थी कि जब आप पूरी तरह से परिवर्तन कर रहे हो तो आप दूसरी प्राब्लम्स के बारे में भी सारी समस्याओं के बारे में एक बार ही विधायी कार्य में लें तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता। अभी जो बिल आ रहा है, इससे औसतन जो राजस्व की प्राप्ति सरकार को होगी वह 15 और 20 करोड़ के बीच में है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अशासकीय

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली

(श्री रमाकान्त शर्मा)

नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित समय चाहते हैं इसलिए वह बाद में पेश करेंगे। श्रीमती उजला अरोड़ा अभी तैयार कर रहीं हैं इसलिए अभी पहले संकल्प नं. 13 मैं ले रहा हूं। श्री जीतमल जैन।

गैर सरकारी संकल्प

भारत सरकार द्वारा खाद के मूल्यों में की गयी वृद्धि में कमी

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, निम्न. गैर सरकारी संकल्प आपके, सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं :

"भारत सरकार ने जो खाद के मूल्यों में गत बजट द्वारा वृद्धि की है उससे यह सदन असहमति प्रकट करता है तथा केन्द्र सरकार से मांग करता है कि इसको अविलम्ब कम किया जाय।"

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां सत्तर से अस्सी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है। इस प्रकार की नीति अपनाई जाती है, जिससे किसान और अस्सी प्रतिशत आबादी प्रभावित होती है। अच्छाई और बुराई उसी पर निर्भर करती है। देश में अगर किसान खुशहाल है तो देश भी खुशहाल होगा, देश में अगर किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो देश भी आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगा लेकिन गत वर्षों के अन्दर चालीस साल की आजादी के बाद भी अस्सी प्रतिशत जो किसान हैं, उसको जिस आर्थिक स्थिति में हम ले जाना चाहते थे; उसका जितना विकास हम करना चाहते थे, उसकी जितनी समृद्धि हम चाहते थे; हम चालीस वर्षों के अन्दर उसको अपना समर्थन नहीं दे सके। उसका एक मात्र कारण यह है कि कृषि को हमने उद्योग नहीं माना। अगर हम कृषि को उद्योग मानकर तैयारी करते तो शायद किसान अधिक समृद्ध होता और देश अधिक आर्थिक विकास की ओर जाता। मैं इस बात की मना नहीं करता चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो उन्होंने उद्योगों की प्रगति के लिये काफी कार्य किया है; किसान की बहबूदी के लिये भी काफी कार्य इस देश के अन्दर हुआ है उनको कई प्रकार की सुविधा प्रदान की गयी, उनके लिये; आर्थिक विकास के लिये काफी प्रयास किये गये। लेकिन मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि अगर कृषि को उद्योग माना गया होता तो उनकी आर्थिक प्रगति होती और किसान अगर खुशहाल होता तो आज देश की अधिक प्रगति होती। पिछले दिनों के अन्दर और भारत सरकार ने और विशेष रूप से अपने बजट के अन्दर और किसान के काम

(श्री जीतमल जैन)

आने वाली खाद की कीमतों में 40 पर्सेण्ट वृद्धि की और बजट के अन्दर बात कही गयी थी लेकिन जब यह बात कही गयी और फिर सारे देश के अन्दर सब प्रकार से जब दबाव आने लगे, सभी प्रान्तों में इस बात का विरोध हुआ, सब क्षेत्रों से जब विरोध होने लगा तो बजट भाषण के अन्दर माननीय वित्त मंत्रीजी ने उस दबाव के अन्दर आकर उस 40 पर्सेण्ट से घटाकर 30 पर्सेण्ट उर्वरक के अन्दर, रसायनिक खादों के अन्दर, वृद्धि का प्रस्ताव पारित करवाया।

सब्सिडी की बात समाप्त करने की कही गयी जो आज तक किसान को मिलती रहती थी लेकिन उसके पीछे एक मात्र कारण यह रहा कि हमारी जो घाटे की व्यवस्था और अन्न उत्पादक खर्च पिछले वर्षों के अन्दर बढ़े हैं उसके कारण देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आर्थिक संकट से पार पाने के लिये सब्सिडी को समाप्त करना और रसायनिक खाद के अन्दर मूल्य वृद्धि की बात सरकार की ओर से कही गयी। लेकिन जब यह बात सामने आयी और 30 पर्सेण्ट जब भाव बढ़ा दिये गये तो इस बात को लेकर जब हल्ला मचा तो यह सब्सिडी की बात भी सरकार ने दबाव के अन्दर हां भरी और कहा कि जो छोटे और सीमांत किसान है उनको हम सब्सिडी देंगे। लेकिन सब्सिडी देने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं उससे भी किसान को नुकसान होने वाला है वह नुकसान नहीं होगा और बलराम जाखड़जी जो कृषि मंत्री हैं केन्द्र के, उन्होंने एक बात बड़ी पत्ते दार कही कि किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य देने के बारे में उपज के मूल्य को निर्धारित करने की निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिये। यह व्यवस्था मूल्य सूचकांक वृद्धि के बारे में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में निर्धारित प्रक्रिया जैसी होनी चाहिये। यह बात हमारे कृषि मंत्रीजी ने कही लेकिन पिछले कुछ साल को छोड़ कर लगभग केन्द्र के अन्दर एक ही दल की सरकार रही है। क्या यह बात उनको समझ में नहीं आयी और अब भी सरकार के अन्दर है वह चाहे तो, किसान को अपनी उपज का मूल्य ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता, उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को प्राइस इन्डेक्स के साथ साथ जैसे उसके भाव बढ़ते हैं महंगाई भत्तों में वृद्धि हो जाती है उसी प्रकार से किसान को अपनी उपज का मूल्य मिल सके। प्राइस इन्डेक्स के साथ-साथ उसको जोड़ा जाना चाहिये और उसके साथ-साथ उसके भाव के अनुसार सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिये। सपोर्ट प्राइस बढ़ायें, लेकिन उसके जो भाव केन्द्र सरकार के सामने आये उससे अधिक भावों में माल बाजार में बिक रहा है। इसलिये उस सपोर्ट प्राइस से कोई बहुत बड़ा किसान को लाभ होने वाला है ऐसी स्थिति यहां पर नहीं है।

उसके साथ साथ सरकार ने दोहरी मूल्य नीति की बात भी शुरू की है। दोहरी मूल्य नीति हम शक्कर के मामले में देख चुके हैं उससे किसान को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। दोहरी मूल्य नीति से एक नयी प्रकार की कठिनाई किसान के सामने पैदा हो जायेगी। इस देश के अन्दर 75 पर्सेण्ट किसान लघु या सीमांत है और

(श्री जीतमल जैन)

उसकी कठिनाई इतनी अधिक बढ़ जायेगी। सबसे पहले तो उसे प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा कि वह लघु या सीमांत किसान है और उसके लिये उसे सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ेंगे जिससे भ्रष्टाचार पनपेगा और अन्य प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जायेगी। इसके साथ-साथ संग्रह की प्रवृत्ति इस प्रकार के कामों के अन्दर पैदा होती है। जब संग्रह होगा तो निश्चित रूप से क्योंकि जिस चीज की अनुपलब्धता होती है या किसी प्रकार से चीज कुछ लोगों को मिल पाती है तो उसके परिणामस्वरूप संग्रह की प्रवृत्ति इस देश के अन्दर बढ़ती है और महंगाई का परिणाम होगा कि किसान खेत के अन्दर रसायनिक खादों का उपयोग कम करेगा और उससे उत्पादन घटेगा और निश्चित रूप से जिस किसान को और विशेष कर सीमांत-लघु किसान को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं इस दोहरी मूल्य नीति से वह और अधिक पीड़ित होगा, उसकी कठिनाइयां अधिक बढ़ेंगी। आज विदेशों के अन्दर गेहूं की 1550 नम्बर की बहुत बड़ी मांग है और जहां मांग हो तो आज अगर देश के अन्दर उत्पादन बढ़ता है तो हम इसको बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं उससे भी हमको वंचित होना पड़ेगा। राजस्थान की एक विशेष स्थिति है कि राजस्थान के अन्दर बाढ़, अकाल और फसल बीमारी, यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई कठिनाइयां पैदा होती हैं और किसान आज वैसे ही बड़े संकट से गुजर रहा है। इस प्रकार जब खाद के अन्दर भावों की बढ़ोतरी हो गयी तो उसको अधिक परेशानियां होंगी और जो लाभ मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। इसलिये राजस्थान की स्थिति को देखते हुये इस टैक्स को वापस लिया जाना और जो खाद के मूल्य बढ़ाये हैं उनको वापस लिया जाना आवश्यक है। इसका एक मात्र उपाय यही है कि किसी भी प्रकार से हम खादों, रसायनिक जैसे उर्वरक हैं उनकी कीमतें कम लायें। इन उर्वरकों में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है नैफका। इसको हम विदेश से आयात करते हैं। इसमें बहुत बड़ी एक्ससाइज ड्यूटी है जिसके कारण जो कास्ट आफ प्रोडेक्शन है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिये आयात ड्यूटी को कम करें और किसी भी प्रकार से हम कास्ट आफ प्रोडेक्शन से हटा कर इस प्रकार की स्थिति लाये कि किसान को जो इस देश का सबसे बड़ा प्राण है जिसकी बहबूदी आवश्यक है, उनको खुशहाल बनाना आवश्यक है। इस प्रकार की कीमतें लाये कि उसको सस्ते भाव के अन्दर खाद व अन्य उपकरण मिल सके जिससे वह उत्पादन बढ़ा सके और देश को खुशहाल के साथ देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके। उसके साथ साथ यह बात ध्यान में रखकर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करे और भारत सरकार से यह दबाव डाले कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुये किसान की आर्थिक स्थिति और यहां की विपदाओं को इन सबको देखते हुए, इसका बढ़ा हुआ मूल्य है उसको वापस लिया जाय। इसमें राजस्थान का भला है और राजस्थान की भलाई के साथ इस सारे सदन का और आपका और हम सब का भला है। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : मेरा भी इसी प्रकार का संकल्प था। जब एक ही प्रकार के 4, 5, 10 संकल्प हों तो उनके अन्दर आपस में लाटरी नहीं होती। भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रस्ताव हों तो उसमें लौटरी से निकाल कर एक प्रस्ताव निकाल दिया जाता है। परन्तु यदि एक ही प्रकार के कई हों तो उसमें लाटरी नहीं करके सब के साथ में क्लब करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में कोई रूल है क्या ?

श्री रमाकान्त शर्मा : रूल तो है।

श्री अध्यक्ष : बताइये ना पढ़ कर कौन सा रूल है, पढ़ कर सुनाइये। (व्यवधान)

जो अमेण्डमेण्ट है मैं उनके नाम बोलता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (अनुपस्थित)

श्री परसादीलाल मीणा (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा (अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (अनुपस्थित)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैं उपस्थित हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, आप अपना पेश करिये अमेण्डमेण्ट।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं हमेशा मौजूद रहता हूं। सुबह 11 बजे आता हूं, रात के 11 बजे तक रहता हूं। मेरे को आप कभी भी नम्बर नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने पहले भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं नहीं बोलूगा, साहब। मेरे को बोलने का अवसर कभी भी आप नहीं देते हो।

श्री अध्यक्ष : आप अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे कि नहीं। आप संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : इन लोगों को तो आप....

श्री अध्यक्ष : आप कर रहे है कि नहीं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मेरा भी नाम दे रहे हो इसके अन्दर....

श्री अध्यक्ष : लिया है ना। आप प्रस्तुत कर रहे है क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं तो नहीं बोलता, मैं सदन से जा रहा हूं।

(सदन से बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष : नहीं कहते हैं। श्री यदुनाथ सिंह।

(3.00 म.प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खाद से ही डर गये क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में कुछ लोग पूंजीवादी व्यवस्था में देश को जकड़ना चाहते हैं। उनका एक सोच चला है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गयी है और हमें फिसकल एडजेस्टमेण्ट करने हैं और उसके लिए हमें कड़ी पाबन्दी लगानी पड़ेगी। लोगों को तैयार रहना चाहिये कठिनाइयों को बर्दाश्त करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे लोगों के षडयंत्र से राजस्थान और देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं। देश में अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, यह माहौल बनाकर आम आदमी पर वजन डालने की बात चलाई जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं है। आज उद्योग की स्थिति खराब नहीं है, आज व्यापार बरबाद नहीं हो रहा है उद्योग मुनाफा कमा रहा है, व्यापारी मुनाफा कमा रहा है, व्यापार और उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं और माहौल बनाया जाय कि हमारे विदेशी मुद्रा के भण्डार घटते चले जा रहे हैं इसलिए देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई और इसके भार को वहन करने लिए देश के आम नागरिक को तैयार रहना चाहिये। मैं इस प्रकार का जो माहौल बनाया जा रहा है और देश को दक्षिण पंथी विचारधारा की ओर धकेलने का षडयंत्र हो रहा है इससे सचेत रहने के लिए सदन को आगाह करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 3400 करोड़ रुपये की सब्सिडी खत्म की गई है। देश में माहौल बनाया जा रहा है कि किसानों की सब्सिडी खत्म कर दी। अध्यक्ष महोदय, किसान को सब्सिडी खाद पर मिलती ही नहीं है। सब्सिडी उद्योग को मिलती है जो खाद पैदा करने वाले उद्योग हैं, उनको सब्सिडी मिलती है। उसको उद्योग पर खत्म करके किसान की खाद की कीमत को बढ़ाने का काम किया है। देश के सामने इसके बहुत घातक परिणाम आने वाले हैं देश में अरबनाइजेशन बढ़ रहा है। गांव की पैदावार कम होने से लोगों में बेरोजगारी और बढ़ेगी, खेती की पैदावार कम होगी और शहर की तरफ लोग भागेंगे और गरीबी बढ़ेगी और देश में जो गैर बराबरी का सिलसिला तेजी से चला आ रहा है उसमें और बढ़ोत्तरी होगी।

आजादी के बाद दुर्भाग्य से अध्यक्ष महोदय, गांव और शहर की आमदनी का जो रेशियो है वह गांव का रेशियो दिन प्रतिदिन और कम होता चला जा रहा है चाहे हम कितनी ही तरक्की की बात करें कि देश तरक्की कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश में पूंजी पैदा हो रही है, विकास दर हमारी बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है। इस प्रकार की चर्चा करने का अर्थ नहीं रहता है जब तक गांव में रहने वाले बहुसंख्यक आदमी की आमदनी को बढ़ाने की बात नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, अगर देश में इस प्रकार से खेती पर अटैक किया गया तो खेती पर अटैक करने का परिणाम उद्योग के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हिन्दुस्तान या दुनिया के जितने उद्योग हैं, 90 प्रतिशत

(श्री यदुनाथसिंह)

उद्योग खेती पर आधारित हैं । खेती के प्रोडक्शन से बाई प्रोडक्ट तैयार करते हैं । इसलिए खेती की हालत खराब होगी तो उद्योग की भी खराब होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार का रास्ता निकल आए तो यह भी ठीक नहीं होगा । जब जब भी देश में, चाहे सी.डी. देशमुख हो या कृष्णमाचारी हों, चाहे मनमोहनसिंह हों, नोन पोलिटिकल लोग जब भी देश के वित्त मंत्री बने हैं वह एक अच्छे बैंक मैनेजर हो सकते हैं, अच्छे व्याख्याता हो सकते हैं मैनेजमेण्ट के अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच क्या पोलिटिकल कमिटमेण्ट है, राजनैतिक कमिटमेण्ट क्या है उसकी पूर्ति करने में इस प्रकार के और राजनैतिक लोग सहायक नहीं हो सकते हैं ।

हम जनता से चुनकर आते हैं, हम कुछ वायदे करके आते हैं, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही होती है, और जो फायदे हम करके आये हैं उनको पूरा करने का हम काम करेंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार से बजट के अन्दर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और जनता की दिक्कतों को दूर करने का कोई न कोई जरिया अपनायेंगे । लेकिन देश में प्रारम्भ से ही चाहे श्री सी. डी. देशमुख रहे हों, चाहे श्री कृष्णामाचारी रहे हों, चाहे अब मनमोहन सिहजी हो, मैं उनकी विद्वता पर अंगुली नहीं उठाना चाहता, उनकी योग्यता में कोई शंका प्रकट नहीं करना चाहता हूं लेकिन जनता के बीच में रहने वाले लोग और उनके प्रतिनिधियों के जो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हैं, उस राजनैतिक कमिटमेन्ट के हिसाब से कितना लोगों को दिया जाय इसका आभास नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, खेती की पैदावार बढ़ाने का एक सिलसिला और चला दिया । उनमें झगड़ा शुरू करा दिया । छोटे किसानों और बड़े किसानों में फर्क करना शुरू कर दिया । छोटे किसान की परिभाषा कौन तय करेगा और कैसे तय होगी ? एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट से पूछेंगे तो वह कहेगा जमीन की फर्टिलिटी कैसी है, उससे माना जायेगा । इरिगेशन डिपार्टमेण्ट से पूछेंगे तो कहेगा जिस किसान के पास सिंचाई के साधन पूरे नहीं हैं वह छोटे किसान की परिभाषा में आयेगा । रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट से पूछेंगे तो वह एरिया के हिसाब से परिभाषा बतायेगा यानि छोटे किसान की परिभाषा क्या हो, उसकी व्याख्या करने में भी अलग-अलग लोगों की राय अलग-अलग होगी, दृष्टिकोण अलग हो सकता है ।

इसलिए हमको अगर देश और गांव को आबाद रखना है, देश में महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना है और देश की तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो खेती की पैदावार बढ़ाने के जितने भी एलीमेंट्स हैं उन पर चोट नहीं की जाय, उनको और सपोर्ट देने का मानस बनाया जाय । मैं इसलिए सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि खाली जो फिसकल इम्बेलेंस हो गया कन्ट्री के अन्दर, उसको दूर करने के बहाने या ट्रेड बेलेंस हमारा गड़बड़ा गया है उसको पूरा करने के बहाने से, आम आदमी पर चोट नहीं करे ।

(श्री यदुनाथ सिंह)

विदेशी मुद्रा कौन खा रहा है ? विदेशी मुद्रा को इस देश की इण्डस्ट्री खा रही है। किसानों के लिए बाहर से खाद मंगानी पड़ती है उस पर सिर्फ 600 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है और इस देश में रद्दी माल बनाने वाले उद्योग हैं, वह दुनिया के मार्केट में टिक पायें उसको 4500 करोड़ की सब्सिडी देने का काम सरकार करती है।

कितने उद्योग सिक पड़े हैं ? मारुति उद्योग के लिए 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा खर्च होती है। यहां पर माल पैदा करके विदेशों में भेजे और विदेशी मुद्रा अर्जित करें। परन्तु मारुति उद्योग द्वारा एक नये पैसे की कार विदेशों में नहीं बेची गई और उसका दोष आप इस देश के किसान पर देते हों। किसान ने क्या कसूर कर दिया, उससे क्या अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम किया है उसने फिसकल बेलेंस को, भुगतान को बिगाड़ने का काम किया है ? वह दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है और देश में अन्य चीजों की वजह से जो मंहगाई बढ़ी है उस मंहगाई से वह पहले से पीड़ित है।

माननीय कृषि मंत्री महोदय, श्री बलरामजी जाखड़ ने दो बयान दिये थे। पहले में कहा था खाद पर सब्सिडी खत्म नहीं की जायेगी, थोड़े दिनों बाद बयान आता है, मनमोहनसिंहजी ने बिना उनसे सलाह किये ही खाद पर सब्सिडी खत्म कर दी। फिर बयान आता है कि खाद पर सब्सिडी को किसान की उपज का मूल्य बढ़ाकर पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ के परे है कि जब मुद्रा स्फीति की दर 20 प्रतिशत पर आज पहुंच रही है और जिस प्रकार से भाव बढ़ाने का काम किया है उससे किसान की हालत कैसे सुधरेगी ? अध्यक्ष महोदय, आज किसान की जो हालत बनती चली जा रही है. पानी नहीं है, भगवान राजस्थान से वैसे ही नाराज रहता है, खाद नहीं मिल रही है, खाद की वजह से पैदावार गिरेगी, दूसरे धन्धे हैं नहीं। लोगों के ऊपर जो भार पड़ने वाला है और जो भारी समस्या इस देश में आने वाली है उसके प्रति सचेत करते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को कि आप अपने तन्त्र को भी सुधारिये। आपकी व्यवस्था बिलकुल छिन्न-भिन्न है। गांव के 80 प्रतिशत आदमी को-ऑपरेटिव के माध्यम से खाद लेते हैं। आप अभी तक को-ऑपरेटिव के व्यवस्थापकों की हड़ताल को समाप्त नहीं करवा पाए। फसल का टाइम है और किसान मारा-मारा फिर रहा है। उसको खाद नहीं मिल रहा है। कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कराते। उनसे बातचीत करके समस्या का निदान कराएं, उनकी हड़ताल को समाप्त कराएं। मार्केटिंग सोसाइटी की मार्फत, क्रय-विक्रय संघ की मार्फत खाद ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसकी व्यवस्था करवाइये। इसलिए, अध्यक्ष महोदय मेरे इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूर किया जाय और इसी रूप में इसको पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजा जाय ताकि हिन्दुस्तान के किसान पर जिस प्रकार का आघात और चोट की गयी है वह उससे बच सके और देश में खुशहाली आ सके, खेती की पैदावार बढ़ सके और देश तरक्की के रास्ते पर आ सके।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से....

श्री अध्यक्ष : संशोधन है इनका, वे संशोधनकर्ता हैं। इनका संशोधन पेश हो रहा है।

श्री सम्पत राम : मैंने ले ली इनकी मंजूरी।

श्री अध्यक्ष : वे पेश करके बैठ जायं फिर आप बोलिये। आप अपना संशोधन प्रस्तुत करके बैठ जाइये, फिर आप बोलेंगे।

डा. चन्द्रभान : ऊपर आप अध्यक्ष जी हैं, नीचे ये अध्यक्ष जी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों के बीच में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों के बीच में केदार जी हैं।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय जीतमल जी जैन ने खाद की बढ़ी हुई कीमतों के सन्दर्भ में जो प्रस्ताव रखा है उसमें मैंने एक संशोधन दिया है। प्रस्ताव मूल रूप में यह है : "भारत सरकार ने जो खाद के मूल्यों में गत बजट द्वारा वृद्धि की है उससे यह सदन असहमति प्रकट करता है तथा केन्द्र सरकार से मांग करता है कि इसको अविलम्ब कम किया जाय।" कम की जगह हमने खत्म शब्द को जोड़ने की मांग है।

श्री यदुनाथ सिंह : ये भी दक्षिणपंथी हैं, आप खत्म करवाना चाहते हो ?

डा. चन्द्रभान : केन्द्र सरकार की ओर से खाद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी। यह भ्रम अभी बना हुआ है कि यह सब्सिडी देश के किसानों को दी जाती थी। असल में यह सब्सिडी खाद उत्पादकों को दी जाती थी, जो फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज हैं उनको दी जाती थी और फिर उसका लाभ देश के किसानों को मिलता था। सब्सिडी उनको दी जाती है जिनको जरूरत होती है। जहां तक यह सवाल है कि खाद पर से केन्द्र सरकार ने सब्सिडी में कटौती की है, यदि असल में देखा जाय तो हिन्दुस्तान के किसानों के नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में जिस सुधार की बात हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी करते हैं उसके विपरीत है। इससे कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। देश के किसानों ने खून-पसीने से मेहनत करके हिन्दुस्तान में हमारे जो अन्न के भण्डार हैं उनको भरा है, बढ़ाया है और कृषि उत्पादन बढ़ा है। बिजली का अभाव है, पानी का अभाव है। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं कभी अकाल कभी बाढ़, इसके बावजूद भारत के किसान ने, राजस्थान के किसान ने मेहनत करके कृषि उत्पादन बढ़ाया है। अब जब कृषि खाद के ऊपर से सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो उसका भुगतान ये फर्टिलाइजर इण्डस्ट्री के लोग नहीं करेंगे, उसका भुगतान देश के गरीब किसानों को करना पड़ेगा। हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी ने कहा कि फसलों के दाम बढ़ाकर हम इसकी पूर्ति करेंगे। फसलों के दाम से उनका मतलब समर्थन मूल्य से है। समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी की भी है केन्द्र सरकार ने, लेकिन उसका वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। क्या भाव बढ़े हैं, चाहे बाजरा हो चाहे मोटा अनाज हो या चाहे गेहूं हो ? आज बाजार में आटा पांच से साढ़े पांच रुपए किलो है,

(डा. चन्द्रभान)

300–400 के बीच गेहूं बिक रहा है। किसानों को इससे क्या लाभ होगा ? अन्य चीजों के दाम कितने बढ़े हैं पिछले 10-15 सालों में और उसके मुकाबले में किसान को उसकी फसल का कितना दाम मिलता है ? यह तो जनता दल–राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी जिसने पहली बार किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाया। मैं लाभकारी की बात नहीं करता, उचित मूल्य दिलाया। आज यह भी कहा जाता है कि जनता दल–राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ कर दिये इसलिए सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। हमने कर्ज भी माफ किये थे और किसान को सही दाम भी फसल का दिलाया था और सब्सिडी को भी जारी रखा था। एक साल तक हमारी सरकार चली थी। विरोधी दलों चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता दल–राष्ट्रीय मोर्चा हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हों और यहां तक कि चाहे कांग्रेस में जो लोग किसान तबके से चुनकर आते हैं, उन सबने सब्सिडी की कटौती को वापस लेने की केन्द्र सरकार से मांग की। काफी लम्बा विचार विमर्श हुआ। इसके बाद जो नतीजा आया उसका लाभ भी देश और प्रदेश के किसानों को नहीं मिलने वाला है। दस प्रतिशत कटौती की वापसी हुई और उसमें भी किसानों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया छोटा किसान, सीमान्त किसान। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब सीलिंग का कानून बना हुआ है, भूमि सुधार भी हुए हैं तो सरकार क्यों नहीं उसे सख्ती से लागू करती ? ये बड़े किसान क्यों हैं मौजूद ? यदि सरकार यही मानती है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बड़े किसान हैं उनको आइडैंटिफाई करें और उनके लिए सब्सिडी न हो। उनकी संख्या कितनी है ? कितने लैण्डलार्ड हैं ? मैं बिहार की बात नहीं करता। क्या उनकी आर्थिक स्थिति है ? इस तरह किसानों और आम जनता को भ्रमित करने का काम किया गया है।

इसी के साथ दोहरी मूल्य नीति की बात है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह अव्यावहारिक है। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन सीमान्त या छोटे किसानों को सरकार लाभ देना चाहती है। सब्सिडी का लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि जिन तथाकथित, गिनती के जो बड़े किसान हैं वे ही इसका लाभ उठाएंगे और इसमें भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खाद उत्पादन की कीमतों में कमी हो सकती थी। यह कहा गया है कि 10 साल से खाद की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। क्या जरूरी है कि दस साल से वृद्धि नहीं हुई इसलिए कीमतों में वृद्धि हो। खाद के मूल्य में 4 प्रतिशत की कमी आ सकती है यदि ये जितने भी कारखाने हैं ये आधुनिक टैक्नालाजी का उपयोग करें। ये लोग करते क्या हैं, इनकी एक ही दृष्टि रहती है धन कमाने की। ये रिसर्च पर एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। मैं यह केवल फर्टिलाइजर इण्डस्ट्री के सन्दर्भ में नहीं कह रहा हूं, हिन्दुस्तान के तमाम उद्योगों के संदर्भ में कह रहा हूं। जितने बड़े उद्योगपति हैं, दूसरे लोग हैं ये इम्पोर्टेट टैक्नालाजी की बात करते हैं, अपने यहां रिसर्च पर एक नया पैसा भी

(डा. चन्द्रभान)

खर्च करना नहीं चाहते हैं और सब्सिडी की सुविधाएं ये लोग मांगते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, खाद उत्पादन की कीमतों में कमी की जाय, यदि इसके लिए सरकार कोई प्रयास करती तो उसका स्वागत हो सकता था। लेकिन चूंकि खाद की कीमतों में ये कमी कर नहीं सकते, सरकार उनको बाध्य कर नहीं सकती और रिसर्च करके कोई टैक्नालाजी डवलप नहीं की, उसका भार गरीब किसानों पर डाल दिया।

इसी के साथ मैं राजस्थान के सन्दर्भ में भी थोड़ा कहना चाहूंगा, जो रही-सही खाद का स्टाक था वह भी यह सरकार पुराने मूल्यों पर नहीं बिकवा पायी। ऊंचे दामों पर किसानों को खरीदना पड़ रहा है। इसके लिए कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि जितना भी स्टाक था उस पर यह मारामारी हो गयी कि पुराने दामों पर मिले; लेकिन वह किसानों को नहीं मिला।

राजस्थान में किसानों के साथ एक और चोट हुई है। जो परिभाषा की गयी है सीमान्त और लघु किसान की, वह ढाई एकड़ की है। राजस्थान को इस दृष्टि से और नुकसान होगा। पर मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमको उस दृष्टि से सोचना ही नहीं चाहिए। इस सदन को तो स्पष्ट रूप में यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए, और मैं कांग्रेस के हमारे साथियों से भी कहना चाहूंगा कि वे भी इसमें सहयोग करें। सब लोग सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित करें और केन्द्र सरकार से अनुरोध करें कि खाद की सब्सिडी में यह जो कटौती की गयी है उसे वापस लिया जाना चाहिए। एक बात और, मैं केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री, मनमोहन सिंहजी की नालेज पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाता लेकिन उनकी पार्टी की नीतियों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सब्सिडी जब खतम करनी थी तो और लोगों को ही बहुत सब्सिडी मिलती है। रसोई गैस हो सकती है मध्यम वर्ग भी उसका उपयोग करता है लेकिन रसोई गैस में उन्होंने कोई सब्सिडी खतम नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः सदन से निवेदन करता हूं कि हम सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लें....

श्री यदुनाथ सिंह : डा. साहब रसोई गैस का महत्व नहीं जानते हैं। सिर पर सिलेण्डर रखकर हम ही ढोलते हैं।

डा. चन्द्रभान : मैं जानता हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : ज्यादा जानते हैं। क्योंकि खुद को खाना पकाना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब जानने लग जायेंगे, दाढ़ी कटवा दी है।

डा. चन्द्रभान : आप इसकी इतनी ज्यादा चर्चा करेंगे तो यह दाढ़ी फिर रखनी पड़ेगी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप कोई तजवीज कर रहे हैं क्या इनके लिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : कोई इनके लिए तजवीज कर रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल आपने जो सुझाव दिया था मैं बताऊंगा इनको।

श्री केदारनाथ शर्मा : फेश फील्डस् एण्ड न्यू पाश्चर्स ।

श्री डूंगरराम पंवार (टी. बी.) : जल्दी दाढ़ी वाला बनना है तो चरित्र में दाढ़ी लगाकर आवें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले श्री केदारजी का प्रयास हो फिर डा. चन्द्रभान जी के लिए कोशिश हो । यह तो गिनना पड़ेगा शादी करने के पहले । क्योंकि श्री केदारजी मेरे साथ जेल में रहे हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो चाहती हूं कि पहले श्री केदार जी की शादी का प्रस्ताव आये फिर बाद में डा. चन्द्रभानजी का और फिर बाद में सुश्री पुष्पा का ।

श्री डूंगरराम पंवार : जेल में ये अपराध तो करके नहीं गए थे ?

श्री सम्पतसिंह (कृषि मंत्री) : इनकी व्यक्तिगत बातों को तो हम इनकी आत्मकथा में पढ़ लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब आप यहां पर शादियां कर रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

डा. चन्द्रभान : मेरी और श्री केदारजी की शादी की चिन्ता नहीं करें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हर शादी में परामर्श की आवश्यकता होती है ।

श्री अध्यक्ष : मैं बैठा हूं । इसलिए कह रहा हूं कि आप कर रहे हैं, मैं बैठा हूं ।

डा. चन्द्रभान : सबसे पहले हमको यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि खाद की सब्सिडी में जो कटौती की है उसको केन्द्र सरकार वापस ले ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्तावक महोदय, क्या इन संशोधनों को आप स्वीकार करते हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी डिबेट बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंहजी और डा. चन्द्रभानजी जो संशोधन रखा है उसको आप स्वीकार करते हैं या मैं उसको पूछूं । नहीं सारे में नहीं होगा साहब । पहले इस पर होगा । आप स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : हम कर रहे हैं वह यदुनाथसिंहजी वाला ।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री यदुनाथसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उसे स्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभानजी का ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक ही है ।

श्री अध्यक्ष : एक ही है ? चलिये । मा. श्री सम्पतरामजी ।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और उस पर जो संशोधन डा. चन्द्रभान जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

दरअसल मैं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को ठीक तरह से सोचा ही नहीं गया है । भारत का जब बजट बनाया गया तो यह

(श्री सम्पतराम)

चरमराती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम उन्होंने सोचा। भारत की अर्थ-व्यवस्था कैसे ठीक होगी ? यह सब्सिडी है यह अलग तरीके से सोची जा रही है किसान के लिए है। यह किसान के लिए नहीं है। आपको पिछला इतिहास मालूम होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को भी मालूम होगा कि एक दफा देश में अन्न की इतनी कमी हो गई थी कि हमारे श्रद्धेय श्री लालबहादुरजी शास्त्री ने भारत की जनता से अपील की थी कि एक दिन आप अन्न खाना बन्द कर दीजिए। इस किसान ने इस देश में हरितक्रान्ति की। माना कि सरकार ने भी उसमें मदद की लेकिन बहुत बड़ा काम उन्होंने कृषि के क्षेत्र में किया और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा मुल्क अनाज के मामले में आत्म निर्भर है।

यह सब्सिडी किसान के लिए नहीं है बल्कि देश की गरीबी हटाने के लिए सब्सिडी है, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए सब्सिडी है। जो किसान खेती करता है, क्या गारन्टी है कि उसकी फसल उसके घर में आ जायेगी। किसान के रूप में कोई भी देखे। किसान अपनी फसल के दौरान में जब रबी की या खरीफ की फसल बोई जाती है तो मेढ़ की डोली पर वह कई दफा रोता है, कई दफा हंसता है। जब फसल तैयार होती है ओले पड़ते हैं, कभी अतिवृष्टि होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है। मैं कहता हूं कि श्री मनमोहनसिंहजी ने क्या व्यवस्था की इस बात की कि उन किसानों का पसीना और जो मेहनत उस जमीन में से एक तरीके से छोड़कर धन-दौलत देश के सामने लाता है, उनकी बहबूदी के लिए क्या किया है ?

आज अगर देश में देखें तो दौलत कौन पैदा करता है ? वकील पैदा नहीं करता है, व्यापारी पैदा नहीं करता है, सटोरिया पैदा नहीं करते हैं, इण्डस्ट्रीयलिस्ट भी नहीं करते हैं, आज देश की दौलत पैदा करता है इस देश का किसान, इस देश का मजदूर जो लोहा पैदा करते हैं, कोयला निकालते हैं, अधिक से अधिक दौलत बढ़ाते हैं अपने यहां पर सारी इण्डस्ट्रीज और उद्योग-धंधे चलते हैं। यदि खाद के ऊपर या फर्टीलाइजर है इसके ऊपर हमने सब्सिडी हटा दी है तो सबको बड़ी खेद पहुंची है। और सारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले इन्हीं किसानों पर लेवी लगाई गई थी और लेवी लगाकर अनाज लाठी के बल से और बन्दूक के बल से किसानों से वसूल किया गया था और कई जगह, भोपालगढ़ या दूसरी जगह पर किसानों को गोली का शिकार होना पड़ा था। भारत के लोगों को, राजस्थान के लोगों को इन किसानों ने सब्सिडाइज्ड फूड दिया है एक समय में और आज आप इन्हीं से सब्सिडी वापस लेना चाहते हैं, क्या औचित्य है ? आज उसकी फसल पैदा होती है, मैंने देखा है अध्यक्ष महोदय, कि फसल पैदा हुई सरसों की, 350 रुपये मन बिकी और वही सरसों 3 महीने के अन्दर 750 रुपये कीमत की हो गई। उसकी जीत, उसकी खाद, उसकी मेहनत, उसका लगान, उसकी जोखिम सारा 350 रुपये में शामिल है, उसको 350 रुपये

(श्री सम्पतराम)

मिलते हैं और मिडल मैन को क्या मिलता है ? 750 रुपये से ज्यादा मिलते हैं ।

एक बात और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो बजट बनाने वालों ने कभी सोची नहीं है । देश में दो प्रकार के धंधे हैं । कुछ लोग बेईमान हैं, डिस-आनेस्ट बाई प्रोफेशन हैं, पर किसान समुदाय डिस-आनेस्ट बाई प्रोफेशन नहीं है । अगर वह बेईमान भी है तो बाई एक्शन बेईमान है । आप देखते हैं कि कितनी मिलावट होती है, आप हल्दी में देखिये, दूसरी चीजों में देखिये । क्यों नहीं बजट बनाने वालों ने सोचा कि जो डिस-आनेस्ट बाई प्रोफेशनल हैं उनके ऊपर वजन डाला जाय । प्रोफेशनल बाई आनेस्ट हैं उन पर वजन क्यों डाला गया जो देश की रक्षा करते हैं । यह फैक्ट है या नहीं ? मैं खेत में बैठता हूं, किसी खेत से गन्ना चुराता हूं, रात को कहीं चोरी करता हूं । मैं बेईमान हूं, उस हद तक बेईमान होऊंगा लेकिन जो लोग रोजाना मिलावट करते हैं, जिन लोगों के पास दुनिया-भर का दो नम्बर का पैसा है, हिम्मत नहीं है उस काले धन को निकालने की उनमें और सब्सिडी पर चले आये । जो हमको अनाज देता है उसको प्राइस कौन देता है ? उसकी तो बोली लगती है और जो किसान और दूसरे लोगों को जो अनाज मिलता है गरीब लोगों को, जिनके पास खेती नहीं, जमीन नहीं है, मजदूर हैं उनका क्या होता है ?

देखिये, अध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क का किसान समुदाय और खेतिहर मजदूर दोनों असंगठित हैं । उनकी यूनियन नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है । नहीं तो भारत की जनता को और भारत सरकार को दो मिनट में भारत का किसान और मजदूर झुका सकता है । पर यह कब तक बर्दाश्त होगा कि वह गरीब रहे, जो कमाता है, पसीना बहाता है उसको रोटी नहीं मिलती है, उसको खाने को नहीं मिलता है और जिसको हजम नहीं होता है उसको खाने को मिलता है । इस व्यवस्था को आपको ठीक करना होगा, आपको सब्सिडी देनी होगी । इससे क्या होगा ? आपके आइल सीड्स हैं, उसके ऊपर भारत सरकार अब जोर देती है, हमारी सरकार भी जोर देती है वहां सबसे ज्यादा फोरेन एक्सचेंज खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि तेल की प्राइस बहुत ऊंची चली गई है । इसलिए आपके फोरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए भी सब्सिडी देनी चाहिए । यदि आपने सब्सिडी बन्द कर दी और खाद के भाव महंगे हो जायेंगे तो निश्चित तौर से किसान उतना खाद उपयोग में नहीं लेगा और हमारा प्रोडक्शन गिर जायेगा । हमारा एक्सटेंसिव प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है, सारे देश में चल रहा है । किसानों ने बहुत मुश्किल से अब पकड़ा है । और जहां हम कहते हैं कि डी. ए. पी. डालिए वह यूरिया डालता है । क्योंकि सारी टेक्नोलोजी किसान तक अब पहुंची है जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ा सके और यह दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में हमारे पास जितने भी बीज आये थे, इम्प्रूवड वैरायटी आफ सीड्स वह बहुत अच्छी थी । उनका पर एवरेज प्रोडक्शन बहुत ऊंचा था । आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीजों की क्वालिटी बहुत पीछे चली गई है, मैं एक कल्टीवेटर की हैसियत से यह बात कर रहा हूं । सोना कल्याण

(श्री सम्पतराम)

जहां चालीस मण बीघे का पैदा होता था, वहीं चीजें लगाते हैं, उतना ही सब कुछ देते हैं, उतना ही पानी देते हैं उसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा तीस मण से ज्यादा वह नहीं बढ़ता है। इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए अपने को। यह जो दोहरी नीति चलाई है यह बिल्कुल फॉड है। आप गरीब लोगों की बात करते हैं, मैंने हरिजनों को, गरीब लोगों को पहली सरकार ने, इस सरकार ने जो जमीन दी है उनको देखा है, उबड़ खाबड़ है। कुआं उनमें है नहीं। जिसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती उसमें खाद की क्वान्टिटी बहुत कम डाली जाती है। बारानी जमीन होती है, बाजरा बोया जाता है। पानी नहीं होता तो उसमें फर्टिलाइजर नहीं डाली जाती। आपने दूसरी स्कीमें चलाई हैं वह भी दूसरों के खेतों पर, दूसरों के कुओं पर चल रही हैं। आज यह जो सारा का सारा भेद किया है इससे भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, डीजल की समस्या हो गई। समस्या तो नहीं आई, कमी नहीं थी इस प्रदेश में लेकिन कुछ लोग पीपी लेकर के पैट्रोल पम्प पर पहुंच गए वह पांच लीटर के लिए बैठे रहे और लेकर के वह ब्लैक में बेचते। तो ईमानदार जो तबका है सरकार अपने कारनामों से उनको बेईमान न बनाए उसकी ईमानदारी को कायम रखे और हमारे मुल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने की पूरी कोशिश करे। यह सारे के सारे काम जब तक इसकी तरफ पूर्णतया ध्यान नहीं दिया जाएगा, सम्भव नहीं होगा।

इसके अलावा पैदावार आती है, हमेशा धोखा दिया गया है। शुरू में मार्केटिंग सोसाइटी बनाने की कल्पना जो की थी उसका आधार यह था किसान की पैदावार को-ऑपरेटिव में आएगी और उस समय जो मार्केट में भाव होंगे उसका 75 प्रतिशत रुपया किसान को दिया जाएगा सस्ती रेट पर और जब अच्छी प्राइसेस होंगी उसकी पैदावार को बेचा जाएगा। अब क्या हो रहा है। सारे गोदामों में देखिए आप व्यापारी का माल आता है, हमारे किसान का माल वहां नहीं आता है। तो जो फ्लक्चुएशन्स होता है उसका लाभ उसको नहीं मिलता है। तो जो किसान है उसकी पैदावार का पता नहीं कितनी आएगी, कितनी नहीं आएगी और खलिहान में आ जाती है उसके बाद भी कभी आग लग जाती है। वह बैठा रोता रहता है उसको कौन देखता है। एक दफा हमें कह रहा था कोई आदमी, दो तीन बकरी मर गई, मैं वहां बैठा था तो वह बच्चे, औरतें बहुत रो रही थीं तो मैंने कहा कि भई क्यों रोते हो, यह तो भाग्य की बात है, हो जाता है, तो मुझे कहने लगी कि बाबूजी आपके हो जाता तो आप क्या करते, मैंने कहा मैं किसान हूं किसान जो करता मैं भी रोने लग जाता। मैंने कहा मेरे तो कई रेवड़ कट गए। अभी बीस बीघा का अरहड़ का खेत खड़ा हुआ था जिसमें 10 मण बीघा से अरहड़ कम नहीं होती वह एक दिन का जाड़ा ले गया उसको। तो महाराज इसमें दलबंदी का सवाल नहीं है, इसमें पार्टीबाजी का सवाल नहीं है, इसमें और किसी का सवाल नहीं है। यह किसान का प्रश्न है इस किसान के मुद्दे पर हम अपने सारे दल चाहे, सारे भेदभावों को मिटाकर हमें वो निर्णय लेना

(श्री सम्पतराम)

चाहिए जो इस प्रान्त के और इस देश के हित में हो।

जो संशोधन रखा है मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं, जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोल रहा हूं। मेरी पुरजोर आपसे अपील है कि सब लोग एक एक वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में दें ताकि भारत सरकार को मजबूर होकर यह सब्सिडी चालू करनी पड़ जाय जो पहले की वहीं चालू की जाय। यही मुझे अर्ज करना था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द) : मान्यवर, अभी जो अलवर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था, उसमें पहले तो उन्होंने यह सब्सिडी समाप्त करने के कारण उर्वरकों के भावों में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसको कम करने की बात कही थी लेकिन बाद में माननीय यदुनाथसिंह जी ने संशोधन प्रस्तुत किया उसमें सहमति प्रदान कर दी उन्होंने। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस संशोधन के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए इस सदन के माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसके पक्ष में सभी सदस्यगण सहमति प्रदान करें। क्योंकि यह मामला किसानों से सम्बन्ध रखता है इस दृष्टि से इस सदन के सभी सदस्यगण सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करें कि जो सब्सिडी समाप्त करने के कारण उर्वरकों के भावों में बढ़ोत्तरी हुई है उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। डा. मनमोहनसिंहजी ने जब केन्द्र का बजट प्रस्तुत किया था तो उन्होंने सब्सिडी समाप्त करने का एक औचित्य बताया था। बजट की बुकलेट में जो उन्होंने वर्णन किया है मैं उसको पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुलाई, 1981 से उर्वरकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है लेकिन इन दस वर्षों में धान और गेहूं के खरीद मूल्यों और अन्य फसलों के बाजार मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की भरपाई मूल्यों में उपयुक्त वृद्धि करने की घोषणा की है। मुझे इस औचित्य को पढ़ने से ऐसा लगता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय मनमोहनसिंहजी, ने इस बारे में एक्सपर्ट ओपीनियन प्राप्त नहीं की है। हो सकता है वह खुद ही एक्सपर्ट हों। लेकिन मैं समझता हूं कि यह मसला हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत जनसंख्या से सम्बन्ध रखता है। ऐसी स्थिति में चाहिए यह था कि इस बारे में किसानों की माली हालत के बारे में, किसान की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करा लेते और इसके कांसीक्वेन्सेज अभी हो रहे हैं उसके बारे में भी वह जानकारी प्राप्त कर कर लेते तो शायद आज यह स्थिति नहीं आती। दरअसल उर्वरकों के भावों में बढ़ोत्तरी करने से किसान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में विशेष तौर से मेवाड़ में एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स बहुत छोटी हैं और इन छोटी होल्डिंग्स पर किसान दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता, कोई धंधा नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण नौकरी नहीं कर सकता उन्हें तो अपनी छोटी होल्डिंग्स पर ही अपने पूरे परिवार का भरण पोषण

(श्री शांतिलाल)

करना है और इधर केन्द्र सरकार बजट से उर्वरकों के भाव बढ़ा देती है तो स्वाभाविक है कि खेती में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जायगी और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जायगी और यदि इसके अनुरूप उनके उत्पादन में बाजारों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई और उसका मूल्य किसान को नहीं मिला तो जो आर्थिक स्थिति किसानों की है वह और बदतर हो जायगी।

ऐसी स्थिति में मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो, चाहे वह कांग्रेस के सदस्य हों, जनता दल के या कम्युनिस्ट पार्टी के या किसी अन्य दल के हों। यह एक अहम् मसला है, राजस्थान की जनता का मसला है। राजस्थान की गरीब जनता और गरीब किसान का मसला है। ऐसी स्थिति में सभी लोग इस संकल्प के समर्थन में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करें और इस बढ़ी हुई उर्वरकों की कीमत को समाप्त करने के लिए अनुरोध करें तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : पण्डित रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आज हमारे देश के सामने जो आर्थिक संकट है उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग है और यह आर्थिक संकट क्यों पैदा हुआ अभी मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा लेकिन सबसे पहले तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि आर्थिक संकट है क्या। अध्यक्ष महोदय, अभी केन्द्रीय बजट से पहले जो आर्थिक समीक्षा दी गई है उसके अनुसार हमारी विकास दर जो 1990 में थी उसके मुकाबले आज वैसी की वैसी विकास दर है 5.2 प्रतिशत विकास दर पिछली साल रही और अबकी साल भी विकास दर 5.2 प्रतिशत के आस पास है। इसी प्रकार खाद का उत्पादन पिछली साल बढ़ा था 4 प्रतिशत, अबकी बार खाद्य का उत्पादन बढ़ा है 4.2 प्रतिशत। उद्योगों के उत्पादन में 2 प्रतिशत की कमी है। जहां तक हमारी बचत दर का सवाल है वह पिछली साल थी 23 प्रतिशत और अबकी साल हो गई 24 प्रतिशत। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह आर्थिक संकट है किस प्रकार का। हमारी विकास दर ठीक खेती ठीक, अनाज का उत्पादन भी ठीक।

अध्यक्ष महोदय, अबकी साल साढ़े सत्तरह करोड़ टन के आस पास हुआ तो जो यह हवा बनाई जा रही है देश में कि हमारा देश आर्थिक संकट में है कि हमारे देश में कि हमारा देश में आर्थिक संकट है तो मैं देश के अर्थ शास्त्रियों से निवेदन करूंगा कि पहले वह बतायें तो सही आर्थिक संकट किस प्रकार का है। अब सवाल केवल हमारे सामने यह उठता है चलो विकास का संकट भी नहीं है, अनाज का संकट भी नहीं है। हम ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमारी विदेशी मुद्रा का संकट और चूंकि हमारी विदेशी मुद्रा एक महीने के आस पास रह गयी है इसलिए सरकार ने प्रचार शुरू कर दिया कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का संकट है। अध्यक्ष महोदय, मैं दोष किसी को दूंगा नहीं और दोष देने से समस्या का समाधान भी नहीं होगा लेकिन दोष किसी का है तो हमारी पंच-

(श्री रामकिशन) .

वर्षीय योजना पहली जब शुरू हुई थी तो अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि हमारी रेलें कोयले से चलती थीं और हमारे देश में आज भी सवा सौ साल के लिए कोयले का भण्डार है। हमसे किसने कहा था डीजल का उपयोग शुरू कर दो, पश्चिमी तकनीक और पश्चिमी व्यापारी चाहते थे कि हमारे देश में पश्चिम की तकनीक का विकास हो और पश्चिमी पूंजीवाद की जो प्रणाली है उसे हमारे देश में अपनायें तो हमने नई तकनीक के नाम पर कोयले की रेलों को बन्द कर दिया और डीजल का उपयोग शुरू कर दिया, पैट्रोल पदार्थों का आयात शुरू कर दिया। इसी प्रकार से आयात बढ़ते चले गये 1980 में शताब्दी में छलांग लगाने की बात शुरू हुई तो हमने आयात को बढ़ा दिया। हमारे पास निर्यात तो कुछ था नहीं केवल थोड़ा बहुत दस्तकारी चमड़े का सामान और चाय इसके अलावा हमारे पास निर्यात के लिए कुछ था नहीं और आयात हम उन चीजों का करते रहे जो हमारे देश की जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, आज देश में संकट पैदा किया है तो सन् 1980 के बाद जो देश ने आर्थिक नीतियां अपनाई थीं उनकी वजह से हमारे देश का संकट गहरा हुआ है इसलिए विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ा है और विदेशी मुद्रा का भण्डार समाप्त हो गया तो इसके कई कारण हैं। एक कारण जैसा मैंने बताया तो इसके कई कारण हैं। हमारे नागरिक विदेशों से आ रहे हैं नागरिकों को विदेशी मुद्रा नहीं भेजी जा रही है।

(3.44 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अरब संकट के समय हमारा निर्यात भी घट गया था तो यह सारे संकट है। लेकिन इन सारे संकटों का इलाज हम लोग विश्व बैंक की वजह से और मोनिटरी फण्ड की मदद से करने जा रहे है। अब इसके लिए देश में बड़ी हवा चलाई जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है जैसे मुक्ति का मार्ग हमें मिल गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विश्व बैंक और मोनिटरी फण्ड से हमको जो कुछ मदद करने की बात कर रहे हैं, हमने रुपये का अवमूल्यन किया, हमारा निर्यात बढ़ाने की बात हुई थी लेकिन आपने देखा होगा पिछली तिमाही में हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार और कम हो गया है। उधर हमसे वायदा किया था कि मुद्रा का संकट नहीं बढ़ेगा, मंहगाई नहीं बढ़ेगी। जिस दिन बजट पेश किया था श्री मनमोहन सिंह ने उस समय हमारे देश में मुद्रा स्फीती की दर 12 प्रतिशत थी और अब साढ़े सत-रह प्रतिशत पहुंच गयी है। तो हम जिस लक्ष्य के लिए विदेशी कर्जा लेना चाहते थे हमने उनके दबाव से मुद्रा का अवमूल्यन किया था वह लक्ष्य पूरा होने नहीं जा रहा है। मैं इसके सम्बन्ध में विस्तार से नहीं कहूंगा जब बजट पर चर्चा होगी तो उसके आर्थिक पक्ष में भी चर्चा करूंगा। इतना सा कह देता हूं कि यह माडल जो हिन्दुस्तान अपनाने जा रहा है यह कोई नया माडल नहीं है। ईरान ने माडल अपनाया था, तुर्की ने माडल अपनाया था और अभी कुछ दिन पहले श्रीमती थेचर जिसके नाम से थेचरिज्म शुरू हो गया था इंग्लैण्ड की पांच साल में उसकी हालत को सुधारा लेकिन आज हालत क्या है इन सारे तरीकों से इंग्लैण्ड यूरोप का फिर सबसे

(श्री रामकिशन)

बीमार राष्ट्र बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह खाद का अकेला सवाल नहीं है इसके साथ हमारे देश में आर्थिक संकट की नीतियां बढ़ी हुई हैं और आर्थिक नीति अगर हम आज, बहुत से लोग खुश होते हैं कि साम्यवाद यूरोप में समाप्त हो गया, रूस में समाप्त हो गया। मैं कोई साम्यवाद का पक्षधर तो हूं नहीं। हम लोग सम्यवादी कई चीजों के बारे में अपना विरोध करते थे और हमें खुशी है कि विरोध ज्यादा सही साबित हुआ है लेकिन जो लोग साम्यवाद की पराजय से पूंजीवाद की विजय को हवा दे रहे हैं मैं समझता हूं दुनिया गलत रास्ते पर जा रही है, बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रही है। आज अमेरिका जिस तरह का जाल फैला रहा है इस प्रकार का जाल फैला कर हमसे कहा जा रहा है कि नई उद्योग नीति आई है, हमारे लिए स्वप्न दिये हैं, बड़े अजीब स्वप्न दिखाये कि विदेशी पूंजी एकदम बहकर हमारे मुल्क में आने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, आ जायेगी क्या हमारे मुल्क में, आपको ऐसा लगता है क्या ? आप जानते हो स्थिति क्या है। पूर्वी यूरोप की जो दशा हो रही है, रूस के अन्दर जो रूसी व्यवस्था में जो कमियां निकली हैं उसका नतीजा यह हुआ अगर विदेशी पूंजी आयेगी भी तो वह सारी विदेशी पूंजी पूर्वी यूरोप और रूस की तरफ जायेगी और असल में कम हो जायेगी। यह साम्यवाद और पूंजीवाद यह दोनों पश्चिम के थे। पूंजीवाद और साम्यवाद एक ही सिक्के के दो सिरे थे। उनकी सभ्यता जब संकट में है तो पहले वह अपनी सभ्यता के संकट को दूर करेंगे। हमारी मदद को आने वाला है नहीं। लेकिन हमें सुनहरे वाद दिखाये गये और सुनहरेवाद दिखाने के बाद विश्व बैंक ने जो हमारे साथ शर्त लगायी है अगर इन शर्तों पर हम चलते गये तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा इसके बारे में मैं आपसे कुछ निवेदन नहीं कर सकता। अक्सर हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने विकास व्यय को कम करो और गैर विकास व्यय बढ़ रहे हैं। आज हमारी सब्सिडी थी, हमारी सेनाओं का बजट था और हमारी ब्याज की रकम थी आज की तारीख में विश्व बैंक के कहने से जब पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं हो पायेंगे क्या अपन सैनिक बजट को घटा सकते हैं। जब हम सैनिक बजट को घटा नहीं सकते तो किसान का गला हम कैसे काट सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे सवाल इन आर्थिक नीतियों से जुड़े हुये हैं और आर्थिक नीतियों के बारे में सभी राजनैतिक दलों को बड़ी गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए। लोग जो रूसी व्यवस्था के पतन पर प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं मैं उनको सचेत किये देता हूं वह बड़े खतरनाक रास्ते पर जाना चाह रहे हैं और साथ-साथ दूसरे रास्ते में हम चल रहे हैं वह माडल की दुनिया, दूसरे देश में प्रयोग हो चुके हैं और विदेशी पूंजी और विश्व बैंक का जहां-जहां पालन हुआ है, वहां विल्ड अप हुये हैं। राज व्यवस्था खतम हो गयी यह सारे खतरे हैं इन सारे खतरों के बाद सवाल आ जाता है खाद की सब्सिडी करने के बाद ऐसा समझ रहे हैं कि अपने बजट को सन्तुलित कर लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा जो लोग पढ़ते लिखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग पढ़ते रहते हैं उन्होंने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ी

(श्री रामकिशन)

होगी। परसों अखबार में कुछ अंश आये हैं और आपने देखा होगा कि चार महीनों की नीतियों का नतीजा क्या होने जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट सही है, मैं कोई अर्थ शास्त्री तो हूं नहीं।

श्री सम्पत सिंह : जिनको कोई काम नहीं वही पढ़ें।

श्री रामकिशन : कामी लोग नहीं पढ़ते।

श्री सम्पतसिंह : जो बेरोजगार हैं उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं आपकी बात मान लेता हूं तो पढ़ाई निकम्मों का काम सही। पढ़ाई तो है।

श्री सम्पतसिंह : कुल मिलाकर आज मुल्क में लग्जरी है।

श्री रामकिशन : मैं सम्पतसिंहजी का जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मेरी और उनकी उम्र में काफी अन्तर है। बता देता कि अर्थ क्या है अगर कोई दूसरा छेड़ता तो आप जानते हैं मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज मालूम पड़ा कि आपको छेड़ते भी हैं।

श्री सम्पतसिंह : आप डेढ़ साल से इस सदन में एक ही आदमी को छेड़ रहे हैं वह भी हम उम्र को, वह लोड नहीं उठाता आपकी बात का।

श्री रामकिशन : रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखी है उसमें फोरकास्ट किये जाने के लिए अबकी साल नई औद्योगिक नीति अपनाने के बाद हमारी विकास दर 3 प्रतिशत होगी और अगर हमारी विकास दर 3 पर्सेन्ट हो गई और आबादी जिस दर से बढ़ रही है तो मैं पूछना चाहता हूं इस नई औद्योगिक नीति से और नए बजट से हमारे देश का कौनसा कल्याण होने जा रहा है तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल है कुछ नीतियों का और इन नीतियों पर मैं सभी दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे गंभीरता से चिन्तन करें, गंभीरता से विचार करें।

अब सवाल यह उठता है कि तात्कालिक उपाय क्या किया जाय ? आज सरकार का दिमाग साफ नहीं है। पहले सरकार कहती है किसान के माल की कीमत बढ़ा दो। एक तरफ जब किसान के माल की कीमत बढ़ायेंगे तो देश के उपभोक्ता का शायद उसे ख्याल नहीं है। आज देश की 50 पर्सेन्ट आबादी जो गरीबी की रेखा से नीचे है अगर वो 400 रु. क्विंटल का गेहूं खायेगी, 1000 रुपए क्विंटल की दाल खायेगी या सब्जी खायेगी तो मनमोहनसिंहजी और श्री जाखड़ साहब आपको हिन्दुस्तान की सही तस्वीर की जानकारी नहीं है। इसमें अर्थ नीति भी है, इसमें राजनीति भी है और यदि हम तीनों संदर्भों को सम्पूर्ण रूप से समझे बिना एक-एक कदम उठायेंगे तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं तात्कालिक उपाय के रूप में नहीं लेकिन 3-4 साल के उपाय के हिसाब से मैं निवेदन करूंगा इस सदन से कि यह सरकार जितना भी आयात हो रहा है लग्जरी का, उसे बन्द कर दे। आज 10 साल में आपने देखा होगा, 10 साल

(श्री रामकिशन)

पहले राजस्थान में कितने व्हीकल्स थे, कितने मोपेड थे, कितने स्कूटर थे, कितनी मारूति थी। आज बाजार में इनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है, प्रदूषण बढ़ रहा है एक नए समाज का निर्माण हो रहा है और यह सारी विदेशी मुद्रा कहां खर्च हुई है ? न उपभोक्ता पर खर्च हुई है, न गरीब पर खर्च हुई है, न नई तकनीक पर खर्च हुई है। हम जो तकनीक का आयात करते हैं वो नं. 2 की तकनीक होती है। यूरोप में जो तकनीक बासी हो जाती है जापान और अमरीका जिसको रिजेक्ट कर देते हैं उस तकनीक को हमें आयात करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको खत्म करें और मुख्य बात यह है कि जब तक देश को कसेंगे नहीं, जब तक आमदनी की सीमा नहीं बढ़ायेंगे और ऐशो-आराम की चीजों पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे, टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा इसको जब तक बन्द नहीं करेंगे यह विदेशी मुद्रा का संकट दूर होने वाला नहीं है। अगली बार हमें कर्ज का ब्याज ज्यादा चुकाना है तो विश्व बैंक हमारे लिए क्या प्रस्ताव देगा। मैं समझता हूं इन सारे सवालों पर सोचकर हमें निवेदन करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से नीतियों के सवाल पर हम लड़ सकते हैं लेकिन हमारे देश का जिस प्रकार का करेक्टर है कोई आवश्यक नहीं है हम हर मामले में उनसे बोलेंगे लेकिन साथ ही साथ उनको मेहनत करके, हिम्मत करके उन वर्गों पर हाथ डालना चाहिए जो इस विदेशी मुद्रा के संकट के जिम्मेदार रहे हैं और चूंकि उन पर हाथ नहीं डाल रहे हैं इसलिए यह सारा वजन किसान पर आ रहा है इसके भी कुछ तात्कालिक उपाय हों और कुछ दीर्घकालिक उपाय भी हों। दीर्घकालीन उपाय के संबंध में निवेदन किया कि हम एशो-आराम की चीजों को बन्द करें और ऐसी तकनीक का आयात बन्द करें जिस तकनीक के मार्फत कोई निर्यात नहीं हो सके और इसका तात्कालिक उपाय यह है कि हम अपनी आमदनी की सीमा बढ़ाकर खर्च को सीमित करें अन्यथा किसान को तो हम रिलीफ दिला देंगे लेकिन उस गरीब उपभोक्ता का क्या होगा उस भूमिहीन किसान का क्या होगा, उस हरिजन का क्या होगा, उस भील का क्या होगा, उस आदिवासी का क्या होगा और यह तमिलनाडु के किनारे पर बसने वाले समुद्र के मछुआरों का क्या होगा ? हमें उनके भविष्य के बारे में चिन्ता नहीं है, चिन्ता है तो बड़े सम्पन्न लोगों के लिए है और यह सारा दिमाग उन लोगों के बीच में ही फंस रहा है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रभानजी ने और मेरे दल के व दूसरे सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन मानकर जो सुझाव रखे हैं वहां तक तो मैं सहमत हूं लेकिन इसका उपाय भी बताना पड़ेगा। आप लोग इसके उपाय पर जब तक चर्चा नहीं करेंगे, यह संकट था कांग्रेस की गल्तियों का है और इस संकट की सजा वे भुगत रहे हैं लेकिन हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते इसलिए तत्कालिक उपाय के रूप में न सही कोई दूसरा मौका हो तो चर्चा करनी चाहिये चर्चा करके हमें कोई रास्ता निकालना चाहिये जब तक इन सारी चीजों पर मामला नहीं बैठायेंगे, हमारा विदेशी कर्जा और बढ़ रहा है, केवल विश्व बैंक ने जो कर्जा, जो रकम दी है अगली साल उसकी किश्त चालू हो जायेगी

(श्री रामकिशन)

हमें कोई सॉफ्ट लोन मिलने वाला है नहीं, विश्व बैंक की सदस्यता चीन को भी मिल गई है तो न हमें कर्जा मिलने वाला है और न विदेशी पूंजी आने वाली है और हम एक ऐसे भंवर जाल में फंस गए हैं जिससे निकलने वाले नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर इस सदन के नेता गंभीरता से सोचें क्योंकि वो दलगत राजनीति से राज चला रहे हैं इसलिए उनको अनुभव भी है इस बात का कि कहना बहुत आसान है और करना क्या चाहिए इस पर उनको भी सोचना चाहिए और हमारा जैसा दल जो सदन में 6 महीने रहते हैं और 2 साल बाहर रहते है उनको भी उन नीतियों के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हम दीर्घकालीन या अल्प–कालीन कौनसा रास्ता अपना सकते हैं और इस रास्ते के बगैर हम इन चीजों से निजात नहीं पायेंगे तो अगली साल संकट और बढ़ेगा और जैसे टर्की का हाल बना है, जैसे यूनान, ईरान का हाल बना था वो ही हाल हमारे देश का बनेगा, इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनी–पार्क) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो पश्चिमी देशों और इन्टरनेशनल मोनि-टरी फण्ड को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस नई अर्थव्यवस्था के ग्लोबल संदर्भ में समीक्षा करने की उन्होंने सोची थी, वह लम्बे समय तक चलने वाली नहीं है। ग्लोबल एक्सपेंड करना पड़ेगा और आई. एम. एफ. व वर्ल्ड बैंक एजेंसी उन्होंने कोट की, लेटिन, अमरी-कन देश तो उसमें फंसते रहे और रिपब्लि-कंस उसमें फंसते रहे लेकिन हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान जैसा विशाल देश और नीति निर्धारक लोग इस तरह की लगातार अपनी राजनीतिक गलती करते रहेंगे कि देश की आर्थिक आजादी तक एक बार गिरवी हो जायेगी कि वो वर्ल्ड बैंक के कहने पर या आई. एम. एफ. के कहने पर बजट के डेफि-सिट को कम करने के लिए आपको सब्सिडी खत्म करने की बात सोचनी पड़ेगी। पूरे हिन्दुस्तान की 40 साल या 50 साल की अर्थव्यवस्था पर हम नजर डालकर देखें तो आपको यह महसूस होगा कि हिन्दुस्तान के ये नीति निर्धारक लोग वोटों की राजनीति में फंसकर जिस तरह की डेफिसिट प्लानिंग करते रहे ग्रोस डोमेस्टिक को बढ़ाने के लिए बोरोविंग्स बढ़ाते रहे और जो टारगेट जी. डी. पी. का बढ़ाने के लिए इन्होंने बोरो–विंग्स इस कदर शुरू की कि आपको डेट्स चुकाने के लिए रेवेन्यू अकाउन्ट का 40 पर्सेन्ट के करीबन खर्चा करना पड़ता हैं। इस तरह की स्थिति आपने फर्टीलाइजर सब्सिडी खत्म की है कल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पावर के ऊपर पैसा बढ़ाना पड़ेगा यह कहते हुए कि बिजली एक रुपए 18 पैसे आती है और किसानों को 32 पैसा देना पड़ रहा है यह वाजिब नहीं है। 1970 से 1980, 85 से यह कीमतें बनी हुई है इसलिए यह बढ़ाया जाय।

आई. एम. एफ. के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, वेस्टर्न कन्ट्रीज के सामने, अमरीका के सामने जिस तरह के घुटने टेके गए हैं,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कांग्रेस ने इस डाक्यू साल बजट पेश नहीं किया इस बात का डोकूमेंट पेश किया कि इस देश का राज चलाने में वे कतई सक्षम नहीं हैं। डिवेल्युएशन का मामला हो, सोने को बेचने का मामला हो, फर्टीलाइजर से सब्सिडी खत्म करने का मामला हो या इण्डस्ट्रीयल लिबेराइज के नाम पर इन्टरनेशनल मल्टी नेशनल्स देश के अंदर आने का न्यौता देने की बात हो, देश को सम्पूर्ण रूप से गिरवी रखने की बात हो कांग्रेस अपने पिछले 40 सालों के नीतिगत निर्णयों से करती रही है। इस वर्ष का उनका बजट इस बात का, उनकी आर्थिक नीति का दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है हिन्दुस्तान इम्पीरियलिस्टिक ट्रैप के अंदर फंसता चला जा रहा है और कांग्रेस की यह प्रजेन्ट सरकार आज की तारीख में चलाने में सक्षम नहीं है।

जहां तक फर्टीलाइजर की बात है एग्रो बेस्ड इकोनोमी के अंदर 1981 से अब तक फर्टीलाइजर की कीमत नहीं बढ़ाई गई इसलिए सब्सिडी खत्म कर दी जायेगी। इस तर्क के ऊपर मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी को खत्म कर देना, पीछे 40 पर्सेन्ट सब्सिडी को विदड्रा कर लेना बाद में दबाव पड़ने पर 30 पर्सेन्ट इस बात का सबूत है कि इसका पहले कोई रेशनल नहीं था। केवल बजट डेफिसिट को कम करने के लिए आई. एम. एफ. की गाइड लाइन्स पर चलने के लिए इसको कम किया और जब सब्सिडी 40 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट की और उसके बाद मार्जिनल और स्माल फार्मर्स का नाम लिया और 405 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रखा और यह कह दिया कि 405 करोड़ रुपया स्टेट में नहीं दिया जायेगा और स्टेट में बेचने के बाद जो पैसा आयेगा उस पैसे के हिसाब से सीमान्त किसानों को, लघु किसानों को सरकार सब्सिडी के रूप में छूट देगी या सरकार उस प्राइस पर बेचे जो बजट से पहले थी।

जहां तक राजस्थान का ताल्लुकात है डबल प्राइसिंग से कनफरटेशन तो पैदा होगा। हिन्दुस्तान का कोआपरेटिव चैनल इतना इन्टीरियर में पहुंचा ही नहीं है सरकार सीमान्त किसानों को, लघु किसानों को कोई चीज मुहैया करा पाये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हिन्दुस्तान की इस स्थिति में आई हुई है कि यह सबके सामने हैं। भ्रष्टाचार का बढ़ना एक अलग बात है और भ्रष्टाचार बढ़ने के अलावा जिस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर लघु किसान, सीमान्त किसान का मामला सरकार के समाने है। आमतौर पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट 2 हेक्टेयर से ऊपर जमीन जिसके पास है उसको लघु किसान माना हैं न सीमान्त किसान माना है। राजस्थान की स्थिति राजस्थान का इलाका जहां पहले से ही राजस्थान की एग्रीकल्चर मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर है जिसका बहुत बड़ा इलाका एरिड एरिया है या सेमी एरिड एरिया है। कुछ इलाकों के लिए सरकार का दूसरा मंत्रालय लघु किसान और सीमान्त किसान की डेफिनेशन देता है। जहां पर 5 से 10 हेक्टेयर को लघु और सीमान्त मानता है जहां पर कुछ इलाकों के अंदर साढ़े तीन और 7 हेक्टेयर को लघु और सीमान्त मानता है।

कुछ इलाकों में साढ़े तीन और सात हैक्टेयर को सीमान्त और लघु मानता है, कुछ इलाकों के अन्दर डेढ़ और तीन हैक्टेयर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

को सीमान्त और लघु मानता है, दो हैक्टेयर का जो पैरामीटर बनाया, उस पैरामीटर के हिसाब से राजस्थान के छह लाख लघु और सीमान्त किसान इस सब्सिडी की कथित छूट से या इस सब्सिडी को अबालिश नहीं करने की परमिशन से, लाभान्वित नहीं होने से रह जायेंगे। पांच करोड़ रुपये के अन्दर राजस्थान के सारे के सारे लघु और सीमान्त किसानों को फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी की छूट मिल पाये, यह सम्भव नहीं है और राजस्थान सरकार को या तो इसके लिए अपने खुद के रिसोर्सेज मोबेलाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फाइनेन्स करने की बात सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने तय नहीं की है और सब्सिडी के ऊपर भी इन्स्टालमेंट सैन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। पहले स्टेट गवर्नमेंट इस बर्डन को वहन करें, चाहे कॉ-आपरेटिव बर्डन को वहन करे, कॉ-आपरेटिव मूवमेंट जिस स्थिति में है उस स्थिति के अन्दर यहां पर इस वजन को वहन कर पायें, ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। राजस्थान के अन्दर लगातार अकाल पड़ता रहा है। अकाल के कारण गये सालों के अन्दर खाद की खपत यहां पर काफी कम रही है और पर हैक्टेयर कितना कन्जम्पशन गये सालों में हुआ, गये साल हुआ, इस बात को तय करके इन्होंने सब्सिडी का जो पैसा अलॉट किया है उसके ऊपर यह पैरामीटर रखा हैं। राजस्थान में पहले से खाद के अन्दर पर हैक्टेयर कन्जम्पशन काफी लो था और इसके अन्दर आगे और बढ़ने के, एक्सपांशन के काफी एवेन्यूज थे। उनको एक्सप्लायट किए बिना जो एरिया, जहां पर खाद को अभी और यूज किया जाना चाहिए था, खाद जितनी पर हैक्टेयर यूज होनी चाहिए, उसका ऑप्टीमल यूज आने से पहले लास्ट ईयर को बेस बना कर पैसा अलॉटेड करना, ऐसी इर-रेशनल सब्सिडी पर छूट लघु और सीमान्त किसानों के नाम पर दी गई जो धोका है और धोके के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में देश के एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, देश की आम जनता को, आम किसानों को जो सुविधाएं आज तक मुहैया कराने की कोशिश हम लोगों ने की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी को खत्म करना निहायत जरूरी है। सारा सदन इस बात पर एक मत होकर दिल्ली में अपनी बात रखे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

(4.00 म. पं.)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री जीतमलजी जैन एवं श्री शांतिलालजी ने एक प्रस्ताव रखा है जो इस प्रकार है—"भारत सरकार ने जो खाद के मूल्यों में गत बजट द्वारा वृद्धि की है उससे यह सदन असहमति प्रकट करता है तथा केन्द्र सरकार से मांग करता है कि इसको अविलम्ब कम किया जाय।" मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इसके मायने यह नहीं है कि खाद की कीमत बढ़े, उसके पक्ष में मैं हूं। लेकिन यह संकल्प जो लाया गया है यह दिखावे के लिए है और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आपकी पार्टी की यह नीति होती, जनता दल के

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

माननीय सदस्य भी यहां विराजमान है, बी. जे.पी. के भी विराजमान हैं, दिल्ली में हमारी अल्पमत सरकार है, अगर आप यह सोचते थे कि किसी भी स्थिति में खाद की सब्सिडी विद्ड्रा नहीं होनी चाहिए तो जनता दल और बी.जे.पी., यह दोनों मिल कर वोट दे देते और सरकार को गिरा देते, वह आपने क्यों नहीं किया ? यह दिखावा करने से क्या लाभ है ?

आप जानते हैं कि यदि हम कोई प्रस्ताव पास भी कर देते हैं तो उससे क्या लाभ होने वाला है ? वह भी कुछ नहीं है। सिर्फ राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं कि हमने तो इसका पक्ष किया और आप चाहते थे कि हम बोलें नहीं, मौन सुनते रहें, ढोंग करना तो मुझे आता नहीं। जब हमारी सरकार ने यह सब्सिडी विद्ड्रा की है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसका समर्थन करें और आपने जो पक्ष खड़ा किया है उसकी कमजोरी क्या है, यह मैंने पूर्व में आपको निवेदन कर दिया। देश में जो खेती के इनपुट्स है उनके कारण किसान को घाटे में रहना पड़ता है, यह मूल कारण नहीं है। मूल कारण यह है कि किसान को सही मूल्य नहीं मिलते और बढ़े हुए दामों का फायदा हमेशा बिचौलिए खा जाते हैं। जब नया जीरा इस साल बाजार में आया और किसान के पास था उस वक्त वह बीस, बाईस रुपये, पच्चीस रुपये किलो बिक रहा था परन्तु जब किसान के हाथ से वह निकल गया तो अट्ठावन और साठ रुपये किलो में बिक रहा है। जब इसबगोल बाजार में किसान के पास से आई तो उस वक्त उसकी छह–सात रुपये कीमत थी, अब उसकी कीमत पन्द्रह–सोलह रुपये हो गई। ग्वार हो या मोठ हो, तिल हो, सरसों हो, इन सब में यह होता है कि जब किसान बेचने को जाता है उस वक्त तो कीमत कम मिलती है और जब किसान के पास से यह निकल जाती है तो बिचौलिए उसका सही फायदा उठा लेते हैं। किन परिस्थितियों के अन्दर यह सब्सिडी विद्ड्रा करनी पड़ी, उससे आप और हम अच्छी तरह से परिचित हैं। जिस तरह से पिछले डेढ़–दो साल के अन्दर देश में जो पुरानी विपक्ष की पार्टियां थीं उनकी सरकारें, चाहे जनता दल की सरकार थी तो उसके आप समर्थक थे आठ-दस महीने तक, उसके बाद सजपा की सरकार आई, उसको हमने समर्थन दिया लेकिन कुल मिला कर केन्द्र सरकार इस तरह से चलाई गई कि आज स्थिति खराब हो गई, इसके कारण और भी हैं, दीर्घकालीन कारण भी हैं लेकिन कुल मिलाकर पिछले डेढ़–दो साल के अन्दर जैसी राजनीति रही, जैसा राजनीतिक वातावरण रहा, जिस तरह की सरकारें रही, उसके कारण भारत सरकार की आर्थिक या वित्तीय स्थिति खराब हो गई। उसके और भी कारण हैं। इन परिस्थितियों में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक कारण बता दें पिछले डेढ़ वर्ष का, जिसके कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : आपने दस हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप सोचेंगे कि मैं डर जाऊंगा। कर्जा माफी के खिलाफ

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

मैंने अपने इस चुनाव तक भाषण दिया, मैंने कहा कि यह गलत चीज है।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : आपकी राय में किसानों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए था, यह मानते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप जो बात कह रहे हैं, मैं यह सदन में कह रहा हूं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों की ग्राम सभा के अन्दर हमेशा कहता आया हूं और खुला कह सकता हूं, मैं अपने लड़के को पीटूं तो उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन दूसरा नहीं पीट सकता।

डा. चन्द्रभान : कर्जा माफ किया, सब्सीडी को खत्म तो नहीं किया। उसका क्या मतलब है ? इससे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सब्सिडी इतनी ही अच्छी आपको लगती थी और देनी थी तो आपने हमारी सरकार क्यों नहीं गिरा दी ? सरकार गिरा देते।

श्री हेतराम बेनीवाल : लक्षण तो ऐसे कर रहे हैं, वह वक्त आ जायेगा देश में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई साहब, मैं एक निवेदन करूं आपसे, आप तो बहुत साहसी आदमी हैं और गम्भीर आदमी हैं और आपने कहा कि दस हजार रुपये तक का माफ किया, इसके कारण से आर्थिक स्थिति खराब हुई है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने पूछा कि एक कारण, तो मैंने कहा कि एक कारण यह मैं और बता देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही बोल रहा हूं। आपको याद होगा, 1989 का विधान सभा का चुनाव हुआ उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में लिखा था कि 15 हजार रुपये तक का कर्जा माफ कर देंगे....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने उसका भी विरोध किया था कि देखा-देखी क्यों करते हो, असलियत में रहो, कर्जा माफ कब तक करोगे, कर्जा माफ हो जायेगा, चुनाव फिर आ जायेंगे।

डा. चन्द्रभान : आपका कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : किसानों के बीच में पचास साल से काम करता आया हूं। जब सब कहते थे कि नसबंदी नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट का मैं उम्मीदवार था कांग्रेस का, और जोधपुर के अन्दर खुला भाषण दिया, मैंने कहा कि नसबंदी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्यों नहीं होनी चाहिए, उससे हम कोई दबते या डरते थोड़े ही हैं। जो असली बात है उस बात को हम बराबर कहते हैं और असली जो किसान की तकलीफ है, मैंने कहा कि बिचौलिए हैं। जो पुरानी कीमत वाली खाद थी, प्रशासन के हाथ में था, किसानों को उसी कीमत पर मिल जाती, वह तो आप दिला नहीं सकते और आपका प्रवर्तन निदेशालय बैठा रह गया, उन्होंने नई कीमत वसूल कर ली। तो दरअसल जो ढांचे में खराबी है वह यह है कि किसान को हम सही कीमत नहीं दिला सकते।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

उनके सही कीमत के ऊपर जितने भी कृषि के इनपुट्स हैं उनको दिला नहीं सकते और इसका लाभ बिचौलिए ले लेते हैं। इस बात से क्यों बचना चाहते हैं यह तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें भी तय किया है कि छोटे काश्तकार और सीमान्त काश्तकार हैं इनसे बढ़ी हुई कीमत नहीं ली जायेगी। आप कहते हैं कि उसका तो हम इन्तजाम नहीं कर सकेंगे कि बड़ा किसान कौन है। क्यों नहीं कर सकते आप? इसका मतलब यह है कि आपका प्रशासनिक ढांचा इतना शिथिल और इतना ढीला है और आपके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए उसको यह दिला नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रांग प्रपंच तो हमको करना नहीं चाहिए राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे राजनैतिक लाभ भी कुछ मिलने वाला है नहीं। देश मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है सोना पहले 15–20 टन चन्द्रशेखर जी ने बेचा, बेचा क्या अढ़ाणे रखा, उसके बाद हमने अढाणे रखा। स्थिति सामने हैं। डर करके हम कितने तक चलेंगे? अगर इसकी ठीक करना है तो आपको और हमको साहस से काम लेना पड़ेगा। किसानों को भी समझाना पड़ेगा। इस पर सब्सिडी नहीं होती तो दूसरे पर सब्सिडी उनको तोड़नी पड़ती। तो सब पर गहराई से विचार करते फिर यह तय किया गया था और जो तय किया है उसका हमको समर्थन करना चाहिए ताकि निकल सकें इस मुश्किल परिस्थिति से और किसान की बहबूदी वाकई आप चाहते हैं तो बिचौलियों से आप उनको बचाइये। होता क्या है कि पहले तो जीरा और ईसबगोल के एक्पोर्ट को यहां रोककर रख लेते हैं कि इसका खोला नहीं विदेशों में भेजने का और उसके बाद में जब किसान शादी ब्याह के टाइम पर जीरे को बेच देता है उसके बाद में उसको खुली कर दी जाती है। तो उस तकलीफ को मिटाने की कोशिश कीजिए और बिचौलियों से बचाने की कोशिश कीजिए तो हमारा भला हो। नहीं तो खाली सब्सिडी रेस्टोर करने से ही किसान को लाभ हो जायेगा। किसान को लाभ नहीं होगा। लाभ होगा बिचौलियों की व्यवस्था को आप जब तक ठीक नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : छोटी सी चीज जानना चाहता हूं। आपने जो अभी अभी बात कही उसके माने यह हैं कि आप सब्सिडी को बिथड्रा करने के पक्ष में नहीं हैं–एक बात। किसानों का कर्जा माफ हुआ उसके आप पक्षधर नहीं हैं और किसानों की जबरन नसबन्दी हुई उसके पक्षधर हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बिथड्रा के पक्ष में आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप यह कह कर डराना चाहते हैं कि यह पक्ष में नहीं थे। हम पास कर देंगे-उसका नतीजा क्या होगा? आप कहीं भी जाकर कह दीजिए जो मैंने यहां कहा है वह किसानों के बीच में कहूंगा। मैं किसानों के बीच में आपको साथ ले जाकर कह सकता हूं यह बात।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सदन में राय व्यक्त की है माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई ने, कांग्रेस के नेता ने इससे तो हमारा कोई एतराज नहीं है। उन्होंने अपनी राय दी है और कांग्रेस पार्टी के वफादार कार्यकर्ता के नाते उन्होंने कोई बात कही है लेकिन जो कहा है कि यहां पर कुछ भी कर दीजिए उसका असर नहीं पड़ेगा। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि राजस्थान की पूरी असेम्बली, राजस्थान के 311 करोड़ लोग यह फैसला करते हैं कि हम इस नीति को स्वीकार करते हैं और उसका असर नहीं पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं हाउस में....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप संवैधानिक तरीके से बता दीजिए कि क्या असर पड़ेगा ?

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर सारी स्टेट्स यह लिखकर देती हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते और केन्द्र सरकार इस देश की यदि एकता रखना चाहती है, अगर केन्द्र सरकार चाहती है कि यह देश रहे और एक साथ हम रहें तो उनकी राय को मानना पड़ेगा। यह क्या बात हुई ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां के कांग्रेसी डर गए। शायद इनको लगता है कि टिकट मिलते ही जीत जायेंगे। इस बात से समझते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने, आंध्रप्रदेश के लोगों ने और कर्नाटक के लोगों ने वहां असेम्बली में और जनता में जाकर कहा है और इसके खिलाफ विद्रोह किया है और मुकाबला किया है इसका और नरसिंह राव तो मंजूर कर रहे हैं और आपको यह दिन देखना पड़ेगा कि जो निश्चित तौर से आप आज यहां वफादारी जाहिर कर रहे हैं जनता के भाव के आगे, यह आज आप बारबार कह रहे हैं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको मुगालता है कि जनता आप कहते हैं उसी के पीछे है। आप तो पहली बार आये हैं यहां।

श्री हेतराम बेनीवाल : कोई कितनी दफा आया इससे मतलब नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो जनता की राय है, जो सरकार यह समझती है कि हमको हटा दें आपने शायद यह समझ लिया कि चुनाव बारबार हो रहे हैं हमको हटा नहीं सकते इसलिए आप जो बार–बार चेलेन्ज कर रहे हैं हम अल्पमत में है हम तो यहीं करेंगे। निश्चित तौर से यह जो नीति का सवाल है आपको और आपकी पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं। आपने जो नारा दिया था लोगों में। आपने अपना घोषणापत्र रखा था लोगों के सामने कि किस तरह का आप समाजवाद लायेंगे, किस तरह की नीति तय करेंगे। अगर आपने एक आर्थिक कदम उठाया होता, अगर केन्द्र सरकार ने सिर्फ आर्थिक कदम उठाया होता तो मैं मान लेता इसको। कुछ सोर्सेस इकट्ठा करने का तो मैं मान लेता। लेकिन यह आर्थिक कदम सोर्सेस इकट्ठा करने का नहीं है। माननीय कांग्रेस के सदस्यों मैं कहना चाहता हूं कि यह निर्देश है जो हमको कर्जा लेना है उसके पीछे। जो हमको कर्ज लेना है आई.एम.एफ से....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब तो आई.एम.एफ. से कर्ज हम क्या आपके जो धर्मगुरू

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

और आपकी विचारधारा के हैं और उसके जो सबसे बड़े इमाम हैं वही कर्जा लेने को हैं। हम तो गरीब देश हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यही बात कह रहा हूं कि जो धर्मगुरू हैं, इमाम हैं और थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री में बहुत मजबूती से उनके साथ खडे होकर लड़ते थे. आई.एम.एफ. का लोन अमेरिका की नीतियां जो उनको डुबो रही हैं आप कहां बचोगे ? आपके तो पैर ही नहीं टिकेंगे। खतरा इस बात का है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं दो साल और चले तो इस देश के अन्दर राजनैतिक गुलामी आ सकती है। आप यह स्थिति पैदा कर सकते हैं। यह ठीक है मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट था। आई.एम.एफ. का लोन लेना जरूरी था। यह भी जरूरी था कि हमारे पास एक्सचेन्ज नहीं बचा इसलिए हमको बचाना है किसी तरह से सोना देकर लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि अगर इस देश के करोड़ों किसान जो कि इण्डस्ट्री का आधार भी हैं, मैं इस सब्सिडी को इसलिए जरूरी नहीं समझता कि किसान को बचाया जाये। अगर हमारा अनाज मंहगा हो गया, अगर हमारी कच्ची वस्तुएं मंहगी हो गई तो निश्चित तौर से इस देश की अर्थव्यवस्था खतम हो जायगी। अगर 600 रुपया गेहूं हो गया और 1000 रुपया दाल हो गई और इस देश में बिकी तो निश्चित तौर से इस देश के अन्दर कोई मजदूर भी नहीं ठहरेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं तो कह रहा हूं 6 रुपये किलो गेहूं दिला दो। देखिये खर्चा तो मध्यम वर्ग का लिपस्टिक, पाउडर, गाड़ी और पेट्रोल का है। अनाज दस किलो खाता है एक आदमी महीने में 60 रुपये का।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने छूट जो दी है किनको दी है ? इण्डस्ट्रीज के अन्दर आपने जो लिबरेलाइजेशन किया है वह किस को फायदा पहुंचाया है ? आपने किसके लाइसेन्स फ्री किये हैं ? किस तरह से 51 पर्सेन्ट पूंजी देश के अन्दर आयेगी और वह पूंजी राज करेगी उसका फायदा किस को होगा ? क्या इस देश के गरीब आदमी को होगा ? क्या इस देश के आम व्यापारियों को होगा ? इसलिए जो नीति आप अपना रहे हैं आपने इस देश के अन्दर उन पूंजीपतियों से जो बाहर से माल मंगाते हैं उसके ऊपर आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारा एक्सचेंज का खर्चा होता है उसको कन्ट्रोल नहीं कर सकते। उसको कन्ट्रोल करके पैसा बचाने के बजाय इस देश के जो 60 करोड़ किसान हैं उनका आपने गला दबाया है। निश्चित तौर से यह ठीक है। आपको लगता है कि आपको अभी हटायेंगे नहीं पर जिस दिन भी जनता के सामने जाओगे यह सब्सिडी आपके सामने उस वक्त तलवार बनकर खड़ी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा और मित्रों से भी कि औरों से सबक लें महाराष्ट्र से, उन किसानों से जो किसान हैं और कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी किसान नहीं हैं उनकी तो अलग बात है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ इस पक्ष में रहें। एक बात जरूर कहूंगा उसका कोई सिस्टम केन्द्र सरकार ने एक तरीका निकाला है वह प्रचार का है जो आप कह रहे हैं वोट का, ठीक है राजस्थान की असेम्बली में कुछ लोगों ने वोट

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लेने के लिए प्रस्ताव किया होगा, तालियां बजाई होंगी । केन्द्र सरकार ने जो यह किया है कि 67 पर्सेन्ट स्माल फार्मर्स हैं। यही किया है । मनमोहनसिंहजी ने यही कहा है, 67 पर्सेन्ट स्माल फार्मर्स हैं, उनको एग्जेम्प्ट करते हैं। यह किसने किया है ? क्या प्रैक्टिकली लागू कर सकते हैं ? आपकी सरकारों ने सबसे पहले विरोध किया। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सच्चाई है तो आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले क्यों लिखकर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। कर्नाटक की सर–कार ने इसमें क्यों विरोध किया कि हम लागू नहीं करेंगे। अगर ईमानदार हो तो राज्य सरकार को चाहिए था कि राज्य सरकार कहती कि इसको लागू करेंगे। उन्होंने कहा है। सबसे पहले अगर किसी राज्य सरकार ने विरोध किया है तो कांग्रेस की शासित राज्य सरकारों ने विरोध किया है कि हम इसको लागू नहीं कर सकते ।

तो यह आंकड़े हैं । आप सिर्फ राजी करना चाहते हो। सिर्फ आप उनको दिखा-कर राजी करना चाहते हो कि देश के गरीब किसान को हमने छोड़ दिया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उनमें हिम्मत है, इनमें नहीं है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी व्यवस्था कर सको, ऐसा कहीं है तन्त्र में, किसी देश में, किसी कौने में, किसी के पास, प्रशासन या जो मशीनरी बैठी हुई है जो छांट दें कि गरीब कौन है और अमीर कौन है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : भैरोंसिह जी हमारे प्रिय मुख्य मंत्री करके बतायेंगे। भैरोंसिह साहब, इनके चैलेंज को स्वीकार करो ना आप ।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसा है कि आपने 40 साल तक सीलिंग लागू की, एक भी बीघा जमीन नहीं लिखी।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : जो यह कह रहे हैं कि ऐसी कौनसी मशीनरी है जो गरीब को, अमीर को छांट दें, तो इसमें जो जे.आर.वाई. योजना है, एन. आर. ई. पी, आर. एल. ई. जी. पी, जिसमें पैसे गये हैं गरीबी की रेखा के नीचे लोगों के लिए, यह कैसे छांटे गये हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : असल में, मान-नीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मशीनरी है, 40 साल तक जिन लोगों ने स्तेमाल किया है। क्या मुझे बतायेंगे कि सीलिंग लागू की क्या ? मुझे बतायेंगे, गांवों के अन्दर बड़े बड़े लोगों से जमीन छीन ली ? क्या मुझे बतायेंगे कि राजा-महाराजाओं से जमीन छीन ली ? सारे के सारे, कुछ नहीं, जागीरदारों को बड़ा जागीरदार बना दिया । आपके राज में ही बने वे । सारी जमीन उनकी बची हुई है । यहां लोगों ने जब जनता पार्टी का राज था, महाराजाओं के खिलाफ नोटिस देकर जमीन ली । आपको चुनाव लड़ना था और चुनाव लड़ने के बहाने कांग्रेस पार्टी ने शहर के अन्दर जमीन ले ली। (व्यवधान)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि निश्चित तौर से आज देश के अन्दर जो कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया है कि गरीब किसानों को, सीमान्त किसानों को सब्सिडी पर रियायत देकर हम उन्हें फायदा दे सकते हैं, यह प्रेक्टिकल नहीं है, असंभव है। इसमें कुछ रिलीफ मिलने की गुंजाइश होती, इस पर कोई राजनीतिक विचार किसी जगह हो सकता था। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में निश्चित तौर से अगर हम सब्सिडी पर कटौती जारी रखेंगे, इस देश में सब्सिडी पर कटौती रही तो खेती बर्बाद होगी, इस देश का जो ढांचा है नीचे, वह बिगड़ जायेगा। हमारे पास, इण्डस्ट्री का पूरा हाल हम जानते हैं। उसकी क्या स्थिति है। इसको बर्बाद कर दिया, देश को भी बर्बाद करेंगे।

मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि इस मामले में जो गड़बड़ होती है बंटवारे में, बेचने में, खाद बेचने में और उसकी व्यवस्था में, वह राज्य सरकार का काम है। जो पिछला यह 3–4 महीनों का हमारा अनुभव है, हमारे पास में पंजाब है, वहां अभी भी 117 रुपये खाद मिल रहा है। पंजाब में हम लोग, गंगानगर के लोग लाते हैं वहां से खाद। अब भी 117 रुपये में ट्राली भरकर वहां से खाद लाते हैं और गंगानगर में, हनुमानगढ़ में 160 रुपये मिलती हैं। तो निश्चित तौर से हमारी राज्य सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि वितरण या इस तरह की परिस्थितियां हैं, उन पर काबू रखें। इस मामले में किसान को फायदा पहुंचे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेंगे

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री जीतमल जैन ने भारत सरकार द्वारा खाद पर बढ़ाये गये भावों पर जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ साथ जो यदुनाथ सिंहजी और डा. चन्द्रभान ने इस पर विचार व्यक्त किये, उनको भी धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की अजीब स्थिति है। धनवान जो लोग हैं, उनके पेट में अनाप–शनाप खाना हजम नहीं हो रहा है और इस देश का जो गरीब है उसके लिये खाद का भाव किस तरह से बढ़ाया। वह भी हमारी भारत सरकार, चुनी हुई सरकार है। और देश में बहुत बड़ी लोगों की दुहाई देने वाली सरकार है। अगर सही मायने में देखा जाय तो देश का जो किसान है, वह ही भारत है और भारत में बसने वाले लोगों पर भारत की सरकार चलाने वाले लोग अगर उन पर कुठाराघात करेंगे, उसकी महंगाई से कमर तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से, उपाध्यक्षजी, देश कमजोर होगा। यह भाव बढ़ाकर इन्होंने किसको धनराशि दी है ? यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी है। वह क्यों दी है ? वह इसलिये दी है कि हाल ही के लोक सभा के चुनावों में जो वायदे किये थे, उन फैक्ट्रियों के मालिकों को खुश करने के लिये यह गरीब 37–38 करोड़ रुपये की मामूली सी धनराशि देकर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उनको राजी किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर है कि आज जो भारत सरकार है, वह भारत सरकार गांव के काश्तकार के और इस राष्ट्र के पक्ष की सरकार नहीं है। अगर इस देश के गरीब काश्तकार के पक्ष की सरकार होती और गांव के बारे में कुछ सोचने वाला व्यक्ति होता तो वह कहता, निश्चित रूप से लोक सभा में इसका विरोध होता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा का हाल ऐसा है, वह ही मुगलों के जमाने का। जिस तरह से एक बहुत बड़ा आदमी, जिसको मैं गुरु मानता हूं, बोलें। उनकी भाषा, उनके विचार जो आज मैंने सुने, मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैं उनका अन्ध भक्त हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सीनियर हैं लेकिन किन्हीं कारणों से, पता नहीं हो सकता है माननीय सदस्य में कोई कमजोरी हो, भय हो लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही बात कहे बिना नहीं रहूंगा। बोले कि 600 रुपये क्विटल गेहूं हो जाय तो भी काम चलेगा। 600 रुपये क्विटल गेहूं ? गेहूं पैदा कैसे करोगे ? खाद तुम दोगे नहीं। ट्रैक्टर का भाव आपने बढ़ा दिया। डीजल का भाव बढ़ा दिया और किसान को कमजोर कर दिया। (व्यवधान)

वह आपके नहीं बढ़े हैं, गरीब के बढ़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसलिए इन लोगों की एक ड्यूटी है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वह ही बात करेंगे। यह तो इनकी ड्यूटी है।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय सदस्य, डीजल के भाव कब बढ़ाये और किसने बढ़ाये ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपको तो वह काम करना है, आपकी ड्यूटी है। एक जिद्दी आदमी की जिद थी की मुर्गे की टांग टांग एक है। फैसला कराया दो व्यक्तियों से। सुमित्राजी जैसे दो बैठे हैं, ऐसे जिम्मेदार लोगों से फैसला कराया कि मुर्गे की कितनी। उन दोनों ईमानदारों ने कहा कि टांग तो दो हैं लेकिन जिद्दी आदमी कहता है कि दो नहीं, टांग एक ही है। वह तो मुड़कर नीचे आई है। तो आपको तो वह ही करना है। आप कीजिये, हमारी दखलंदाजी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का गांव के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनकी हार और जीत, उपाध्यक्ष महोदय, टिकट पर निर्भर करती है।

(4.30 अपराह्न)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

देश में बदलाव आया और, अध्यक्ष महोदय, बदलते हुए हालातों में यह लोग वह ही बात कर रहे हैं पुराने जमाने की। अध्यक्ष महोदय, मुझ पर इनकी बात का कोई असर नहीं होगा।

आज जिस तरह से खाद का भाव बढ़ाया गया है, उससे देश में भारी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस देश का जिम्मेदार कोई है तो वह किसान है। अध्यक्ष महोदय, किसान गरीब काश्तकार है और जिस किसान की गरीब मां हैं, वह इस देश को अनाज, धरती का पेट चीरकर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

अन्न पैदा कर देता है। यह टर्र-टर्र कर रहे हैं बंगलों में बैठे हैं। अगर किसान के खेत में गेहूं नहीं होगा, आज दूध की क्या हालत है ? एक बोतल के लिये मेम साहब और बन्ना साहब दोनों बूथ पर खड़े हैं। दूध है नहीं। गाय हम रखते नहीं। हिन्दू का नारा लगाते हो। दूध चाहते हो बीकानेर से। कैसे आयेगा ? इसमें खतरा है अध्यक्ष महोदय।

मैं कह रहा हूं कि किसान की मां जो है, जो जमीन में अनाज पैदा कर राष्ट्र को देती है और वह मां है जो सैना में, सीमा पर लड़ने के लिए जवान देती है और बर्फीले पहाड़ों में, नेफा और लद्दाख पर वह मोर्चे पर खड़ा है। सुमित्राजी, किसी सेठ और सेठानी का बेटा नेफा और लद्दाख पर नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा वही, जो झोंप–ड़ियों में जापा जनने वाली औरतें हैं, उनकी सन्तान ही नेफा और लद्दाख में मिलेगी और वही सन्तान है जो देश की धरती का पेट चीरकर अन्न पैदा करके और दुनिया को हिन्दुस्तान अनाज भेजता है। इसलिए, मेरे दोस्त मैं घबराने वाला नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : ठीक कह रहे हैं, खेत में किसान और सीमा पर जवान।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : इसलिए आपको सुनना चाहिए यह बात कि लाल-बहादुरजी शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान, जय किसान। वह बेटे किसके हैं ? वह हैं, खेती करने वालों की सन्तान। आज ऐसे लोगों की आप कदर नहीं कर रहे हो। मेरे पर असर नहीं होगा। जब हम जागीरदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे तो वह भी आपकी तरह विरोध करते थे। लेकिन वह नहीं रहे, वह साफ हो गये। इसलिए, आप थोड़ी शान्ति रखिये। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जो खाद पर भाव बढ़ाया, भारत सरकार को उस खाद के बढ़ाये हुए भाव हैं, उनको वापस लेना चाहिए जिससे देश में जो खेती है वह बढ़ेगी। अनाज की जो पैदावार है वह दिन दूनी रात चौगुनी होगी। गन्ना पैदा होगा। सरसों पैदा होगी। आज तेल का भाव कहां चला गया।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लेकिन जब तक खेत में सरसों पैदा नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से तेल में कमी आयेगी। चना पैदा नही होगा तो दाल का भाव बढ़ेगा। गेहूं पैदा नहीं होगा तो देश में अनाज का संकट पैदा होगा। मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से इसका समर्थन करना चाहिए। इनको तो करना नहीं। इनको तो वही कहनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष, महोदय, मेरा।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम लिख लिया है मैंने। आ जाएगा।

एक माननीय सदस्य : और मेरा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका भी आ रहा है। सबके नाम लिखे हुए हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी बोलने से पहले माननीय पूनमचन्दजी ने कहा कि जो अनुदान का प्रश्न है वह राजनीतिक कारणों से है। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि यदि हम अनुदान के बारे में यह कहें कि राजनीतिक से प्रेरित है तो यह सोच स्वयं के अन्दर अस्वस्थ है। सच बात तो यह है कि सब्सिडी या अनुदान दो परिस्थितियों में दिया जाता है। एक, कोई वर्ग या कोई कार्य ऐतिहासिक कारणों से हैंडिकेप्ट हो या कोई परिस्थितियां इस प्रकार की हों, कोई जंगल है, कोई रेतिला मैदान है, कोई रेगिस्तान के अन्दर कोई काम करने का है, पिछड़े हुए इलाके के अन्दर काम करने का है तो, परिस्थिति जब होती है तब जाकर के अनुदान की बात होती है और खाद का जो अनुदान दिया गया था वह इन्हीं दो कारणों की वजह से प्रारम्भ हुआ था। अध्यक्ष महोदय, किसान को सबसे ज्यादा सब्सिडी इस दुनिया के अन्दर कहीं मिलती है तो अमेरिका के अन्दर मिलती है। अमेरिका का किसान बहुत ताकतवर है। इतना बड़ा ताकतवर है कि अमेरिका के अन्दर गेहूं का भाव क्या होगा ? किस भाव पर गेहूं एक्सपोर्ट होगा ? यह वहां का किसान तय करता है। वहां का राज, वहां की सरकार तय नहीं करती। उसके बावजूद भी जब उस वेचान पर उसका इतना अधिकार है, पैदावार पर उसका अधिकार है। उसके पास सभी प्रकार इनपुट, सभी प्रकार का इन्फ्रास्ट्रेक्चर मौजूद है और उसके बावजूद भी वह सब्सिडी लेता है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाहरी शक्तियां, बाहरी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं उन्होंने यह देखा कि इस देश के अन्दर उद्योग तो जो, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलोजी है, उसके आधार पर नहीं बढ़ रहे है इसलिए उन्होंने उद्योगों के मामलों के अन्दर कोई खास साजिश नहीं की। इतनी-सी बात की कि अपनी लेटेस्ट टेक्नोलोजी हमको नहीं दी। परन्तु उन्होंने यह देखा....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। यह आपको पता ही है कि पांच बजे तक का टाइम है....

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा साहब। मैं बोलने लगा हूं तो पांच मिनट की बात आ गयी। दूसरे लोग, 20 मिनट ज्यादा हैं तो चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को समाप्त नहीं कर रहा हूं आज आप मर्जी आये जितना बोलिये लेकिन पांच के पहले-पहले इसको समाप्त करना है। इस वजह से आप ध्यान रखें इसका। जितने अधिक लोग बोल सकें उतना ही अच्छा है। मैं किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट तो दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप मर्जी आये तब बोलिये। मैंने स्थिति ऐसी रखी है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरा कहना है। मुझे तो वैसे ही आपने लास्ट में टाइम दिया है। वैसे ही मैं बहुत संक्षिप्त में बोलता हूं। मतलब की बात बोलता हूं। बेकार की बात बोलता नहीं हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को ऐसी जानकारी है, एक संकल्प पर ढ़ाई घण्टे का समय होता है। यह तीन बजे शुरू हुआ है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पांच बजे तो समाप्त होने की कोई बात नहीं है। मेरा जो संकल्प है,वह निश्चत आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हां वह आएगा। आप बिराजिये। निश्चित इंट्रोड्यूस होगा।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद के विषय पर चल रहे संकल्प पर विचार एवं निर्णय होने एवं डॉक्टर उजला अरोड़ा द्वारा हिन्दी राज भाषा के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्तुत किये जाने तक कृपया इस सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

गैर सरकारी संकल्प पर अग्रेत्तर विचार

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 20 बरस पहले जब यहां इस देश के अन्दर खाद्य पदार्थों की बहुत कमी थी और यह प्रश्न पैदा हो गया था कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थों की बढ़ौतरी की जाए ? तो जिस प्रकार से हिन्दुस्तान के कृषि वैज्ञानिकों ने जितना प्रयास किया, काम किया और जिस प्रकार से किसान ने यहां पर काम किया, तो जो विदेशी ताकतें थीं, उन्होंने आज अपने दांतों तले अंगुली दबा ली। आज अमेरिका का कृषि वैज्ञानिक यह कहता है कि किसी भी हाल में हिन्दुस्तान का कृषि वैज्ञानिक हम से किसी प्रकार कम नहीं है। दुनिया के अन्दर यदि यह श्रेय मिलता है, अमेरिका के बाद तो हिन्दुस्तान के कृषि वैज्ञानिक को और ठीक इसी प्रकार के यदि इस दुनिया में किसी को श्रेय मिलता है तो हिन्दुस्तान के किसीन को जिसके पास पानी नहीं हो, जिसको बिजली कभी मिले या न मिले, जिसको कभी धनराशि की आवश्यकता हो तो मिले या न मिले, बीज मिले या न मिले, खाद कभी ऊंचे भाव पर कभी नीचे भाव पर मिले, उसके बावजूद भी कृषि वैज्ञानिकों ने, जो उनको विज्ञान दिया, बिना पढ़े–लिखे होने के बावजूद भी और इसलिए जिस प्रकार से हरित क्रांति लाई, इसके पीछे आज जो बाहरी ताकतें हैं उनकी साजिश है। अभी कृषि के अन्दर जो पैदावार हो रही है, कृषि के अन्दर जो क्रांति हो रहो रही है, इसको हिन्दुस्तान के अन्दर रोका जाए। और 5–6 वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान के प्रशासकों और हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्रियों के पीछे जो अमेरिकन या जो दूसरे लोगबाग हैं उन्होंने इस प्रकार के दिमाग के अन्दर घुसा दिया कि हिन्दुस्तान तो डूब जाएगा। सब जगह सब्सिडी–सब्सिडी दे रहा है। उद्योगपतियों को सब्सिडी दे रहा है, जानवर खरीदते हैं, उनको, किसान को सब्सिडी दे रहा है और इस प्रकार से मायाजाल-सा फैला दिया। इस प्रकार से विभ्रमित कर दिया सारे के सारे लोगों को और यह उसका परिणाम है।

अकाल के जो मनमोहनसिंह अर्थशास्त्री हैं, उनके ऊपर यह जो दूसरे समसामयिक जो आस–पास के अर्थशास्त्री हैं उन्होंने उनके

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दिमाग में इस तरह से विभ्रमित कर दिया और उसका परिणाम है, अब यह सब्सिडी की बात हटाने की बात कही गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी जो दी जा रही है, ना तो वह किसान को दी जा रही है, सब्सिडी जो दी जा रही है वह जो बेचने का मूल्य है उससे भी सम्बन्धित नहीं है। सब्सिडी जो दी जा रही है, उत्पादक मूल्य है, उससे सम्बन्धित नहीं है। सब्सिडी जो इण्डस्ट्री को दी जा रही है, उसके पेरामीटर्स कुछ अन्य और भिन्न हैं। उन पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। समय की बात है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा किसान तो चाहे उनको उन पेरामीटर्स में क्या तब्दीली करना चाहते हैं। उनकी सारी सब्सिडी खत्म कर देना चाहते हैं। तो यह चाहते हैं कि जिस मूल्य पर खाद मिलता था इस बजट से पहले, उसी मूल्य पर खाद मिले। यह 30 प्रतिशत की पहले, 40 प्रतिशत की जो वृद्धि की थी, अब यह 30% की वृद्धि है, प्रश्न यह है कि 30% की खाद की कीमत के अन्दर वृद्धि की गयी थी, वह समाप्त की जाए। अब सवाल यह आता है कि आर्थिक परेशानियां इण्डस्ट्री के सामने, सरकार का काम है अब उस इंडस्ट्री के पास में जाकर के देखे, आपके उत्पादन की कीमत बाहरी देश के उत्पादन की कीमत से ज्यादा क्यों आ रही है ? जो आप सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के अन्दर, यूरोप के अन्दर; मैं निवेदन कर देना चाहता हूं इस प्रकार के जो बड़े, जो मनी इंटेन्सी जो कारखाने होते हैं, उनके अन्दर पांच प्रतिशत से ज्यादा लाभ कोई प्राप्त नहीं करता है और यहां पर हमारी सरकार, भारत सरकार कहती है कि 14 प्रतिशत तो इनको ब्याज की राशि मिलनी चाहिए क्योंकि 14% इस वक्त में ब्याज का भाव है। 12% तो कम-से-कम इनको लाभ मिलना चाहिए। 26% इस प्रकार से जो भी कीमत है, इशू प्राइस है उसमें 26 प्रतिशत तो यह लगा दिया जाता है। आज देश में तीन तरह की टेक्नोलोजी है। अमेरीकन, जर्मन और इटालियन टैक्नोलोजी। तीनों टैक्नालाजी में इतना फर्क है, करीब 5200 रुपये प्रति टन खाद बिकता है और 4100 रुपये प्रति टन कास्ट प्राइस बताई जाती है। इस कास्ट प्राइस के अन्दर इस टैक्नोलोजी के आधार पर ही चार सौ रुपये का वेरीयेशन है। एक टैक्नोलोजी में चार सौ रुपये ज्यादा लगते है, एक टैक्नोलोजी में चार सौ रुपये कम लगते हैं।

इसी प्रकार से तीसरी चीज बड़ी भयंकर पैदा हो गयी, सब्सिडी के दौरान, जिसका किसान से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। लोगों ने गलत उत्पादन के आंकड़े देकर सब्सिडी ले ली है। सौ करोड़ रुपये के मामले तो सी.बी.आई. के पास मौजूद हैं जिसमें इस तरह का मामला है एक तो कि जो गोबर भी पैदा नहीं करता उससे पांच करोड़ रुपये ले लिये। सौ करोड़ रुपये के मामले तो सी.बी.आई. के पास हैं परन्तु इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों के अन्दर सब्सिडी दे दी जाती है। आज तक 1991 के हिसाब से सब्सिडी टोइल इण्डस्ट्रीज को जो दी गई है वह 4100 करोड़ रुपये दिये गये हैं, 2000 करोड़ रुपये दिये हैं बिजली के ऊपर। वह 2000 करोड़ रुपये तो बिजली के शायद

(श्री रमाकांत शर्मा)

अभी भी लागू रखना चाहते हैं। प्रश्न यह चार हजार करोड़ रुपये का है जो मैंने आपको निवेदन किया यदि टेक्नोलोजी के अन्दर सुधार हो, यदि इनपुट प्राइस के अन्दर फर्क डाल दिया जाय। तो जो खाद हैं, खाद का मुख्य इनपुट गैस है। गैस की प्राइस के अन्दर यदि सौ करोड़ रुपये का फर्क डाल दिया जाय तो सडनली सब्सिडी के अन्दर करीब 50 या 60 करोड़ रुपये का फर्क पड़ जाता है। गैस पर सौ रुपये का कंसेशन दे दिया जाता है ओ. एन. जी. सी. को तो उससे सरकार को करीबन 10–11 करोड़ रुपये की बचत हो जाती है। यह कुछ मुद्दे हैं जिनके अन्दर इनपुट्स के अंदर, बिजली के अन्दर, टेक्नालाजी के अन्दर, प्रोडक्शन टैकनीक के अन्दर, इन सब चीजों पर यदि खयाल रखा जाय तो मैं समझता हूं सब्सिडी का जो प्रश्न है वह हमारे बीच में नहीं आयेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य सरकार यह देख नहीं रही है कि स्टाक ऊंचे भाव पर बिक रहा है। यह काम भारत सरकार का था, जिस रोज सब्सिडी वह विदड्रा कर रही थी उस रोज उसको राज्य सरकार को निवेदन करना चाहिये था और रेगुलेट करना चाहिये था कि वह नयी प्राइस पर बिकेगा या पुरानी प्राइस पर बिकेगा। राज्य सरकार को कांफिडेंस में लेना चाहिये था बहुत पहले कांफिडेंस में ले लेना चाहिये था। उस वक्त यदि वह सारे का सारा स्टाक फ्रिज हो गया होता तो यह परिस्थिति पैदा नहीं होती।

श्री हीरालाल इन्दौरा : स्टेट की ड्यूटी नहीं है यानि ?

श्री रमाकांत शर्मा : स्टेट की ड्यूटी जब है जब पता तो चले कि ऐसी चीज होने वाली है। आप अपनी बात कह देना, मैंने अपनी बात कह दी है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं पहले भी बात आ चुकी है परन्तु थोड़े से फिगर दे देना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर प्रति हैक्टेयर 21.46 किलोग्राम माना गया है जब कि नेशनल एवरेज 60 किलोग्राम पर हैक्टेयर है और पंजाब का 70 से 72 है।

एक माननीय सदस्य : क्या ?

श्री रमाकांत शर्मा : 70 से 72 किलो ग्राम फर्टीलाइजर या यूटिलाइजेशन। पर हैक्टेयर यहां पर, यह है।

अब सवाल यह है कि हमारी पालिसी के तहत अनुदान की राशि कम मिलती है तो उससे कहां तक पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पिछड़ों को और पीछे करना चाहते हैं। स्थिति तो यह होनी चाहिये थी कि जहां 60 किलोग्राम पर हैक्टेयर यूज होता है वहां कुछ कम सब्सिडी इसकी होती, हमको और ज्यादा सब्सिडी होती क्योंकि हमारे पास पैसा न होने के कारण से, वर्षा के अभाव के कारण से, और कई प्रकार की किसानों को दिक्कत होने की वजह से, यहां पर ज्यादा इरिगेशन न होने की वजह से हमारा कम कंजम्पशन है। हम उस कंजम्पशन को ज्यादा जब ही

(श्री रमाकांत शर्मा) :

बढ़ा सकते हैं। जब हमको कम प्राइस पर फर्टीलाइजर मिले। यह एक देखने की बात है।

अंत में यह बात निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार पांच करोड़ रुपये देकर बंटवाना चाहते हैं, यह यहां पर व्यावहारिक नहीं है, सम्भव नहीं है इसलिये इस बात को राज्य सरकार को बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहिये जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रामेश्वर दयाल यादव।

श्री अर्जुनदास मदान : यह जानकारी करना चाहता हूं, मुख्य सचेतक महोदय ने एक प्रस्ताव रखा जिस पर सदन ने अपनी सहमति दे दी कि सदस्या उजला अरोड़ा जी के प्रस्ताव तक समय बढ़ाया जाय। क्या मैं यह मान कर चलूं उसके बाद उस पर विचार विमर्श नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : हैं जी ?

श्री अर्जुनदास मदान : प्रस्ताव के अन्तर्गत यह निर्णय हुआ है कि सदन का कार्यकाल।

श्री अध्यक्ष : प्रस्तुत होने तक के लिये।

श्री अर्जुनदास मदान : प्रस्तुत होने तक के लिये। इसका मतलब प्रस्तुत होने के बाद उस पर विचार विमर्श की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आगे होगा विचार। पैण्डिंग रहेगा वह।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सदस्य जीतमलजी जैन और शांतिलालजी के द्वारा जो प्रस्तुत प्रस्ताव है उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार से खाद ने ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको समाप्त करके एक ऐसा काम किया है कि देश की 80 प्रतिशत जनता जो किसान है उसके ऊपर सीधी चोट मारी है। दूसरा, कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के दौरान जनता से कुछ वायदे किये थे कि हम सौ दिन के अन्दर महंगाई को खतम कर देंगे। लेकिन सौ दिन पूरे नहीं होने दिये उसके पहले ही जितनी महंगाई थी उसमें और बढ़ोतरी करके यह साबित किया है कि कांग्रेस के लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ हैं। खाद की सब्सिडी कोई किसान को नहीं दी जाती है, किसी व्यापारी को नहीं दी जाती है लेकिन उस सब्सिडी का सीधा ताल्लुक उस मूल्य से होता है, उस मूल्य में रियायत होती है। किसान को उस खाद के उपयोग से जो वर्तमान समय में उत्पादन में वृद्धि होने लगी है और देश आत्मनिर्भरता से ऊपर जा रहा है उसमें किसान को कहीं और कोई इनाम दिया जाता और कोई रियायत दी जाती तो यह निश्चित रूप से होता कि जो काम करता है, जो देश की हड्डी किसान है उसको हम कोई रियायत पहुंचा रहे हैं। माननीय विश्नोई साहब ने कहा, गेहूं की कीमत 600 रुपये हो तो होने दीजिये। मैं यह कहना चाहूंगा, अच्छे विचार हैं विश्नोईजी के कि गेहूं की कीमत 600 रुपये हो तो होने दीजिये। आपकी वहां सरकार है, आपको यह विचार व्यक्त करना चाहिये कि

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

गेहूं कि कीमत जहां छः और सात रुपये बढ़ाई है उसके मुकाबले आपको 500 रुपये सपोर्ट प्राइस तय करनी चाहिये । पांच रुपये और छः रुपये बढ़ाये हैं । तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट रेट के हिसाब से लाभकारी मूल्य उसे मिले । मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस का जब शासन राजस्थान में था, कई बार इस बात की चर्चा हुई, प्रश्न रखे गये । कांग्रेस के शासन में कभी इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि राजस्थान में किसान एक क्विंटल जो गेहूं पैदा करता है, एक एकड़ में जो गेहूं पैदा करता है उसमें लागत मूल्य टोटल उत्पादन कितना रुपया होता है, कितना खर्चा होता है । इस सदन का मैं भी सदस्य रहा हूं, कई बार प्रयत्न किया गया पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लेकिन कांग्रेस के लोग जो सरकार में बैठे थे, उस साइड में जो बैठा करते थे उन्होंने इस बात की हिम्मत नहीं की, एक क्विण्टल गेहूं पैदा करने में लागत मूल्य किसान का कितना होता है ।

दूसरा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम जो किया कि पहले कृषि मंत्रीजी ने कहा कि कीमत नहीं बढ़ेगी । फिर दूसरा अपना बयान बदला । फिर जब चारों तरफ से थोड़ा दबाव आया, पार्टी में भी और दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कहना चालू किया, आन्दोलन चालू हुआ तो उन्होंने दूसरा एक रास्ता निकाला कि हम छोटे किसान, सीमान्त किसान को सब्सिडी का फायदा देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, कि कांग्रेस की सरकार ने यह दोहरी नीति लागू करके इस बात को साबित कर दिया, जैसी आज आम समाज में चर्चा होती है, एक प्रथा सी बन गयी है हमारे समाज में कि जब लड़का पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं और जब लड़की पैदा होती है तो उस समाज में मायूसी सी नजर आती है ।

श्रीमती रमा पायलट : मैं आब्जेक्शन करती हूं इस बात का । वह जमाना बदल गया ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : वह जमाना बदल गया, आप आब्जेक्शन करती हैं लेकिन आज भी ऐसा होता है ।

श्रीमती रमा पायलट : आज नहीं होता ऐसा ।

श्री अध्यक्ष : आप मां के नाते आब्जेक्शन कर रही हैं, लड़की के नाते नहीं । मां के नाते ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : कांग्रेस ने दोहरी नीति लागू करके इस बात को साबित कर दिया कि कांग्रेस की जब सरकार आती है तो भ्रष्टाचार को पुनर्जन्म मिलता है । दोहरी नीति कायम करने से क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा ? मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा जो मौजूदा स्टाक है उसको उसी मूल्य पर खाद मिलेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, जिस रोज खाद की कीमत बढ़ी, जितने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक थे, जितने मार्केटिंग के मैनेजर थे उन्होंने अपना जो स्टाक था उसको पुरानी कीमत से इस्तेमाल किया । उन्होंने अपना जो स्टाक

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

था उसको पुरानी कीमत के हिसाब से इस्तेमाल किया। जितने प्राइवेट डीलर थे, जिनके पास स्टाक था उन्होंने उस खाद को, कागजी कार्यवाही दिखाकर रफा-दफा कर दिया। किसी किसान को एक यूरिया या बी. एच. सी. का कट्टा भी पुरानी रेट से वितरित नहीं किया। मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में एक डीलर ऐसा है जिसके पास कम से कम एक हजार क्विंटल खाद का स्टाक है और सौ डीलर मेरे एरिया में ऐसे हैं जिनके पास एक हजार टोटल नहीं तो उससे कम है। आप पूछेंगे वह भी किसान है और वह कांग्रेसी हैं। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां सबसे बड़ा स्टाकिस्ट जो डीलर था वह आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता था और उसने एक का एक कट्टा नई रेट से या ब्लैक मार्केटिंग के हिसाब से सेल किया। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : तो सरकार में बैठे हुए लोग उनको पकड़ते क्यों नहीं, आप कांग्रेस का नाम लेकर उसको बदनाम करने की बात कर रहे हैं। उनको जेल के सींकचों में बन्द करिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : बिल्कुल होने चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बिल्कुल होने चाहिए, ऐसे एक आध लोग हजारों लोगों को बदनाम कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं यही कह रहा हूं यह डीलर वही है जो आपके शासन में चौमूं विधान सभा क्षेत्र में जो टमाटर का बीज जारी किया जिससे चौमूं के किसानों को करीब दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह वही डीलर है जिसको आपकी सरकार ने बचाया, हमने नहीं बचाया। (व्यवधान)

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह खाद की दोहरी कीमत तय करके इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है इसलिए मैं इस सदन के मार्फत सभी दलों के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ कर किसानों के हित में इस प्रस्ताव का समर्थन करके राजस्थान की विधान सभा से सर्व सम्मति से प्रस्ताव भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने किसानों को जो खाद पर सब्सिडी मिल रही थी....

श्री अध्यक्ष : आप जनार्दनसिंह जी के बाद बोलना चाहेंगी या पहले ? बाद में ठीक रहेगा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इतना फेवर तो मैंने कभी दुनियां में नहीं देखा।

श्री अध्यक्ष : अब सारे ही फेवर ले रहे हैं महिलाओं के नाम पर। थोड़ा सा मैं भी ले लूं।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : किसानों के हितों पर जो कुठाराघात किया है किसानों की पार्टी होने का दम भरते थे और दावा किया था कि हम राज आने के बाद 100 दिन में महंगाई खतम कर देंगे। बजाय

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

महंगाई खतम करने के पहला वार किसानों पर किया और खाद की सब्सिडी खतम कर दी। किसान गांव में किस प्रकार अपना पालन पोषण करता है। आज उसकी क्या स्थिति है। शहरों में रहने वालों के जीवन से उसकी तुलना की जाय। कितनी उनके पास पहनने की पोशाकें हैं, कैसा खान-पान का स्तर है, कैसा उसका मकान है यह तुलना की जाय तो किसानों की दशा आज भी बड़ी दयनीय है आज भी किसानों का शोषण खुले आम हो रहा है....जरा सुनने की क्षमता रखें।

श्री अध्यक्ष : सब में क्षमता है, आप बोलते जांय।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : इन बड़े बड़े किसानों ने अपने नाम जमीनें अलाट करवाई। अपने सगे संबंधियों के नाम अलाट करवाई और आज असली किसान हिस्से पर बोने के लिए मजबूर है और उसका खुले आम शोषण किया जा रहा है। जितना उत्पादन होता है, आधा उसके घर में और आधा किसान के घर जाता है। इतना होते हुए भी किसान की ओर नहीं देखा गया और जब इधर बरसात में किसान की फसल पानी में डूब रही थी उस समय भाव बढ़ा करके, और भाव जो बढ़ाये उस भाव पर मार्केट में माल तक नहीं मिला और आज किसानों की फसल गल चुकी है, रुपये में चार आना रही है, और ऐसी हालत में किसान पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। आज जो खरीफ की फसल है, अधिकांश फसल बारानी है और खरीफ की फसल पर ही किसान को आशा होती है कि इससे जो कुछ मिलेगा उससे अपना पेट भरेगा, पालन पोषण करेगा लेकिन अधिक पानी बरसने से वह भी चौपट हो गई। इस प्रकार से किसान और गरीब होता जा रहा है और जो केन्द्रीय सरकार ने किसानों को मिलने वाली खाद पर छूट भी खतम करके कुठाराघात किया है इसका हम सब मिल कर विरोध करते हैं और जो प्रस्ताव माननीय जीतमल जी ने रखा, उसमें संशोधन होगा, उसका मैं पुर-जोर समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि भारत सरकार इसको खतम करे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 6-7 साल बाद यह नान-आफिसियल डे रख कर मौका दिया उसके लिए अध्यक्ष जी आपको भी धन्यवाद देती हूं। आपको और सरकार को दोनों को देती हूं। आज जो संकल्प प्रस्तुत किया है अलवर से आने वाले माननीय सदस्य और राजसमन्द से आने वाले सदस्य जी ने, मैं इसमें एक संशोधन करना चाहूंगी। यह बात तो सही है जैसा फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह संकल्प की जो भाषा है इससे तो बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होती है कि यह संकल्प राज-नैतिक फायदे उठाने के लिए ही रखा गया है। मैं इसलिए यह बात कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गरीब को गणेश मान कर चलते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि राजस्थान के खजाने में गरीब का हक पहले है। यदि इस संकल्प को आप अब भी यों कर दें तब तो मैं मानूंगी कि सरकार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की मन्शा स्पष्ट है और सरकार चाहती है भारत सरकार के ऊपर दबाव डालकर खाद की सब्सिडी में जो कटौती की गई है उसको वापिस लेने के बारे में। यह संकल्प आपको यों करना चाहिए "भारत सरकार ने जो खाद के मूल्य में गत बजट द्वारा वृद्धि की है उससे यह सदन असहमति प्रकट करता है" यहां तक तो सही है उसके बाद यह कर दें कि राजस्थान की सरकार, यह सदन किसानों को आश्वस्त करता है कि खाद की सब्सिडी की कटौती की भरपाई राजस्थान सरकार अपने खजाने से करेगी। यह यदि आप करें तब तो मैं मानूंगी कि असली मन्शा आपकी जो है वह किसान को मदद देने की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी मन्शा क्या है यह भी मालूम हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अपनी बात तो कहूंगी, मेरी बात कहने का तो मुझे अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, महावीर जी।

(5.00 म. प.)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कर्नाटक की सरकार कर्नाटक के लिए और महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र के लिए करे, आप अपनी बात करिये। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि तब तो मैं मानती कि सचमुच में आप गरीब को गरीब मान कर, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहती हूं कि किसान इस देश का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला वर्ग है और किसान जिन परिस्थितियों में काम करता है, वह जिन भौगोलिक परिस्थितियों में, जिन प्राकृतिक आपदाओं में काम करता है उसका जीवन बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि एक ओर जब हम उद्योगपतियों को कई प्रकार की सहुलियतें दे सकते हैं। हमारे मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य को पता नहीं कितनी पीड़ा हो रही है कि वह दस बार कहते हैं–गैस, गैस। गैस अपर गरीब जिसे कहना चाहिए, अपर लोअर वर्ग इस्तेमाल करता है, क्लर्क अपने घर में करता है। शहर में रहने वाला हर आदमी गैस का उपयोग करता है और गांवों में भी करने लगे हैं कुछ लोग, लेकिन गांव में फ्युएल की प्राब्लम नहीं है। गांवों में उतनी प्रोब्लम नहीं है जितनी शहरों में है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान की सरकार जिस किसान की बात करती है और कहती है कि हम किसानों के हमदर्द हैं, हमने 20 बीघा तक की जमीन को राजस्व में, लगान में छूट दी है, वह सरकार क्या इतना ही कर रही है ? एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहती है।

एक माननीय सदस्य : बारानी भूमि का तो पूरा माफ किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यदि आपने बारानी भूमि पर लगान माफ करने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो यह करने के लिए कौन रोक रहा है, आप यह भी कर सकते हैं। खाद की सब्सिडी में जो कटौती भारत सरकार द्वारा की गई है, उस कटौती की सरकार अपने खजाने से भरपाई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करेगी, मैं इसलिए कह रही हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान के खजाने का पैसा भारत सरकार को दें, इनका मतलब यह हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : यह किसानों पर कहर ढाया है ना आपने, आपको आगे लेकर बैठेगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं यह निवेदन कर रही थी कि भारत सरकार को देने की बात नहीं है। यह छूट किसान को मिलेगी और उस किसान को मिलेगी जिससे पिछले दशक के अन्दर हरित क्रान्ति करके राजस्थान को खाद्य उत्पादन में स्वावलम्बी बनाया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह दोहरी नीति, खुद मुख्य मंत्रीजी स्वीकार कर चुके हैं। मुख्य मंत्रीजी ने 8 अगस्त को जैसे ही बजट रखा गया था उसके बाद 8 अगस्त को स्वयं ने स्वीकार किया है, अखबारों में आया है। उन्होंने कहा है कि दोहरी नीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार को यूं बढ़ावा मिलेगा, सदस्यगण आप जानते हैं कि आज भी जो बीजों के मिनिकिट्स मिलते हैं, यह प्रोवीजन है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट रबी और खरीफ दोनों फसलों के अन्दर मिनिकिट्स बांटता है। क्या कोई ऐसा माननीय सदस्य है जो इस बात को कह सके कि ईमानदारी के साथ जिस व्यक्ति को मिलना चाहिये, उसे मिलता है। क्योंकि वह तो मिलता है सीमान्त और लघु कृषक को, 'क्या वह उन्हें मिलता है'? वह सारा का सारा, सीधा का सीधा मिनिकिट्स बिक जाता है। पैसा कहां जाता है? कौन ले जाता है, किसी को मालूम नहीं है। वही हाल इन लघु और सीमान्त कृषकों का होने वाला है। जो फर्टीलाइजर, खाद आप देंगे उसका भी यही हाल होगा। वह कहां जाएगा, कहां नहीं, क्योंकि उस खाद का उपयोग कौन करता है। अध्यक्ष महोदय, करीब करीब खेती करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि धरती की उर्वरा शक्ति धरती की खुराक गोबर की खाद होती है। लेकिन फसल की खुराक यह कैमीकल फर्टीलाइजर है। जो जमीन साल में तीन फसल देती है उसकी खुराक, उस फसल की खुराक यह कैमीकल, फर्टीलाइजर और खाद ही है और इसीलिए इस खाद के बिना इस धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और जैसे जैसे हमारा इरिगेशन का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उतनी ही हमारे उर्वरकों की खपत मात्रा भी बढ़ती जा रही है और इसीलिए जब हम एक साथ यह कहते हैं कि आल इन्डिया एवरेज 60 किलोग्राम खाद के कन्जम्प्शन का है। लेकिन राजस्थान में केवल 21 किलोग्राम की एक हैक्टेयर का कन्जप्शन है। गंगानगर में आज भी 60 हैक्टेयर प्रति किलोग्राम से अधिक खपत है इससे ज्यादा की होगी, कम नहीं होगी। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाके जहां केवल एक ही फसल होती है, वहां पर चूंकि खाद की खपत कम है इसलिए हमारा एवरेज कम हो जाता है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लेकिन इरिगेशन के साधन जैसे जैसे बढ़ेंगे और इस बार तो कई जिलों में अनुमान से, एवरेज से अधिक बरसात हुई है, उस हालत में हमें अधिक खाद की आवश्यकता होगी और क्या इस दोहरी नीति को अपना कर आप यह चाहते हैं कि सारी की सारी खाद को सीधे के सीधे, यूं का यूं ही बेच-कर ब्यूरोकेट्स अपना घर भर लें ? यदि दोहरी नीति कहीं भी लागू कीजिए, यह कभी भी सफल नहीं होगी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। या फिर यह होगा कि जो लघु और सीमान्त कृषक हैं, उससे बड़ा काश्तकार उनको कहेगा कि तू ला । तुझे में एक रुपया ज्यादा दूंगा । जो आपकी मंशा है, वह कभी पूरी नहीं हो पायेगी। जैसा कि 8 अगस्त को मुख्य मंत्रीजी का अखबारों में बयान आया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है और लिखित में बयान दिया है कि प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, अकाल एवं फसली बीमारियों ने इन वर्षों में किसानो को बहुत हानि पहुंचाई है। इनसे किसान पहले ही त्रस्त है। रासायनिक खाद के मूल्यों में वृद्धि का परिणाम यह होगा कि सीमान्त एवं लघु किसानों के रासाय-निक खाद का अनुदान यथावत जारी रहेगा एवं अन्य किसानों के लिए अनुदान में 40 प्रतिशत की कटौती के स्थान पर 30 प्रति-शत की कटौती की जायेगी। दोहरे मूल्यों की यह नीति पूर्णतया अव्यवहारिक है और निश्चय ही असफल होगी। जब मुख्य मंत्री जी यह मानते हैं तो मैं समझती हूं कि गरीब को गणेश बनाने का जो आपका जो पवित्र प्रयास है, कहीं वह गोबर गणेश न बन जाये। इसलिए यह जो कटौती भारत सरकार ने तो कर दी, क्या भारत सरकार की विशेषताएं थीं मैं उनको तो जस्टीफाई नहीं करना चाहती। आप उसे गोबर गणेश बनाने जा रहे है। यदि आप नहीं करोगे, यदि यह दोहरी नीति लागू करोगे, यदि आप कटौती की भरपाई नहीं करोगे तो वह गोबर गणेश बनेगा।

श्री मदनलाल सैनी : नहीं हम तो गोबर को गणेश बनायेंगे। यह तो आपकी ही आदत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय का ध्यान रखें। बैठिये आप।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में अधिक न कहते हुए यही निवेदन करूंगी कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना संकल्प प्रस्तुत किया है मैं इससे असहमति प्रकट करती हूं। खाद के मूल्यों में गत बजट के द्वारा जो वृद्धि की गई हैं, उससे यह सदन असहमति प्रकट करता है, यहां तक तो सही है लेकिन असहमति प्रकट करते हुए राजस्थान के किसानों को यह सरकार आश्वस्त करती है कि खाद की सब्सिडी की कटौती भरपाई राजस्थान सरकार करेगी, यह इसमें मेरा संशोधन स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मदनलाल सैनी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपका नाम हो जायेगा और राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

(5.10 सांय)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) किसानों के बारे में अभी बड़ी चर्चा हो रही थी। विपक्ष के, कांग्रेस के सदस्यों ने बातें कहीं। लेकिन आज जो स्थिति किसानों की बनी है, यह स्थिति कांग्रेस के पिछले 40 वर्षों की उस गलत नीति का परिणाम है जिससे आज किसानों की यह स्थिति बनी है। देश में उत्पादन हुआ लेकिन ट्रैक्टर्स का उत्पादन नहीं हुआ। यहां पर कार, विलायती कार, फ्रीज का निर्माण करने वाली इण्डस्ट्रीज को महत्व दिया गया। महत्व दिया जाना चाहिए उन विषयों को जिससे किसानों को लाभ मिलता। लेकिन इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया और उसका परिणाम यह है कि राजस्थान में नयी सरकार आने के बाद किसानों के ऊपर ध्यान दिया गया। बजट का 62 प्रतिशत हिस्सा गांवों के गरीब और किसान के घर, द्वार तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई और विकास की गंगा गांवों तक ले जाने की योजना बनाई गई। अभी माननीया सुमित्राजी कह रही थीं कि यहां पर इस प्रकार की योजना दी गयी है।

वास्तव में गरीब को गणेश मानने की योजना, अंत्योदय योजना, भागीरथ योजना इस प्रकार की योजनाएं हैं जिनमें किसान का हित करने की मनोवृत्ति इस सरकार की झलकती है और उस दिशा में इस सरकार ने पिछले एक साल में जितना काम किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस साल तीन करोड़ रुपये पिछले साल से और अधिक खर्च किये गये हैं। केवल खाद के ऊपर तीन करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पिछले साल सात करोड़ रुपये खर्च किये थे इस बार 10 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और आने वाले वर्ष 1991 और 1992 में यह सरकार 60 करोड़ रुपये 17 के मुकाबले खर्च करने जा रही है। यह है किसान के हित की चिन्ता करने वाली सरकार।

माननीय उपाध्यक्ष जी, खाद के बारे में केवल किसान की एक तरफ यह सरकार चिन्ता नहीं कर रही है, खाद के अतिरिक्त पानी की भी ठीक व्यवस्था कैसे हो, पानी कम यूज हो खेती में और किसान ज्यादा दूर तक, ज्यादा सिंचाई कर सके। इस प्रकार से फव्वारों पर सरकार ने इतना खर्च किया है कि पिछले वर्षों में जो खर्चा हुआ उस खर्चे को हम देखेंगे तो इस वर्ष 4 करोड़ रुपया केवल फव्वारों पर खर्च होगा ताकि किसान खेती के उन्नत तरीकों को अपना सके।

यह नहीं आज तक जो पाताल तोड़ कुएं खोदने की व्यवस्था थी। किसान अकेला बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकता था, और इस सरकार ने 5 आदमी मिल कर सामूहिक कुएं खोदे। 25 से 33 हजार रुपये उनको सहायता, अनुदान देने का निर्णय इस किसान हितैषी सरकार ने किया है, यह सारी व्यवस्था की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिलहन के लिये तिलम संघ की स्थापना, किसान की उपज का मूल्य ठीक मिले इस प्रकार का मन में विचार है इस सरकार का। तो सारा यह मामला है और केन्द्र सरकार ने जो किसानों की उत्पादन वृद्धि का एक साधन था खाद, उसमें सब्सिडी को वापस लिया उसके कारण मंहगाई बढ़ी है। यह मंहगाई किसान को मार गिरायेगी। इसके कारण से देश के बाकी विषयों पर, देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर होगा। खाद महंगा होगा, अनाज महंगा होगा, अनाज महंगा होगा तो मजदूरी महंगी होगी और

(श्री मदनलाल सैनी)

मजदूरों में जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं उनकी संख्या इस कारण से बढ़ जायेगी । लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और सरकार ने जो औद्योगिक नीति घोषित की है उसके कारण से माननीय उपाध्यक्षजी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को न्यौता दिया है वह देश के अर्थ तंत्र को जकड़ कर रख देगा और इस कारण से नयी जो टेक्नोलोजी आयेगी उसके कारण से मजदूर बेकार होंगे। लेकिन कहा यह गया कि नयी टेक्नोलोजी के साथ–साथ और पिछली सरकारें भी आ जाती है कोई विचार नहीं किया इस बात पर । माननीय उपाध्यक्ष जी, कहा यह गया कि जिस देश का किसान खड़ा है वह देश गिर नहीं सकता लेकिन जिस देश का किसान टूट गया है, जिस देश का किसान आर्थिक दृष्टि से गिर गया वह देश बच नही सकता, वह देश खड़ा नहीं रह सकता। यह जो खाद की नीति केन्द्र सरकार लायी है वह एक तरह से किसान को तोड़ने वाली प्रक्रिया है । किसान को इस प्रकार से और गिरा देगी उसके कारण से किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और अभी बातचीत चल रही थी बिचौलियों की। किसान की उपज का मूल्य नहीं मिलता और बिचौलिये पैदा हो गये। बिचौलियों ने उसके हिस्से का बंटवारा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में अखण्ड राज्य रहा कांग्रेस सरकार का और इन बिचौलियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । यह इस प्रकार की नीति लाती जिस नीति के कारण से बिचौलिये खत्म होते । वास्तव में ये बिचौलिये और कोई नहीं थे, ये बिचौलिये कानून वाले, विधान सभा में कांग्रेस के माननीय सदस्य उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे । इसलिये इन्होंने ऐसी योजना बनायी जिसके कारण से किसान गरीब रहेगा, किसान दुखी रहेगा तो इसको वोट दे देगा और सब्जबाग उसको दिखाये गये उसका अखबार में स्टेटमेंट दिया गया लेकिन धरती पर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी । कहा गया कि कर्ज के कारण से देश की स्थिति यह बन गयी, हमको और विदेशों से कर्जा लेना पड़ा । इस कारण से किसान की सब्सिडी खत्म की गयी है। सब्सिडी देने की आदत बन्द करना चाहते हैं । केन्द्र सरकार का कोई नेता, कांग्रेस के लोग इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते देश के सामने । लालबहादुर शास्त्रीजी ने अनाज की कमी के समय उदाहरण प्रस्तुत किया था और कहा था कि देश के लोगों ने सोमवार को भोजन नही करके उपवास करना शुरू कर दिया । देश ने उनके पीछे लाइन लगा दी । आज भी हमसे कई बैठे हुए लोग होंगे जो अनाज की बचत करते हैं, सोमवार को उपवास रखते हैं। जहां कांग्रेस के हमारे प्रधान मंत्रीजी, हमारे अध्यक्षजी, सोनिया गांधी....(व्यवधान)

तो राजस्थान का कोई नेता कहता, देश का कोई नेता कहता कि देश पर आर्थिक संकट है । इस संकट से बचने के लिये भाइयों में आपको निवेदन करता हूं कि मैं अपनी सम्पत्ति का यह हिस्सा राष्ट्र को समर्पित करता हूं । इस प्रकार से देश में कांग्रेस के लोग लाइन लगाते और देश को अपनी सम्पत्ति या कोई हिस्सा या भेंट करते तो लोग उसका अनुसरण करते और एक झटके में यह देश विदेशों का कर्जा उतार देता । आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में खेलने

(श्री मदनलाल सैनी)

का जो षड़यंत्र किया जा रहा है माननीय उपाध्यक्षजी, उन लोगों के साथ यह केवल किसान के साथ, अनाज उत्पादन करने वाले लोगों के साथ अन्याय नहीं है यह दूध उत्पादन करने वाले, अण्डा उत्पादन करने वालों पर भी इसका असर पड़ेगा और इस प्रकार का असर पड़ेगा माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके कारण से चौतरफा महंगाई पर असर पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि आज भी किसान को सब्सिडी दी जानी चाहिये। पिछले 40 वर्षों में जो किसान रेगिस्तान को और बालू को कृषि योग्य बनाया है उस किसान को क्या सब्सिडी दी गयी। उस किसान के साथ इस प्रकार का जो अन्याय हुआ है, माननीय उपाध्यक्षजी, आज 124 के स्थान पर 175 में यूरिया का कट्टा बिक रहा है, 195 में जो कट्टा बिक रहा था वह आज 275 में बिक रहा है। इस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसके कारण से किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। इसका खेती पर असर पड़ेगा और देश के अन्य हिस्सों में महंगाई बढ़ने में भी असर पड़ेगा। माननीय अलवर से आने वाले श्रीमान जीतमल जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसको पास करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जीतमलजी जैन व शांतिलालजी ने गैर सरकारी संकल्प जो प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मेरी यह मान्यता है कि सुमित्राजी ने जिस प्रकार का प्रस्ताव रखा है मैं सोचता हूं उससे ज्यादा उपयुक्त प्रस्ताव कोई हो नहीं सकता जो संशोधन के रूप में उन्होंने रखा है। सही मायने में आज जिस प्रकार की देश की स्थिति है, चाहे इधर बैठने वाले लोग हों, चाहे उधर बैठने वाले लोग हों, किसी प्रकार से देश की स्थिति से वह अपरिचित नहीं हैं। वह किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस प्रकार पिछली सरकार के अन्दर, हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई है वह शायद पहले कभी नहीं चरमराई होगी। इसके मूल में कुछ कारण कांग्रेस सरकार के भी रहे हैं, मैं यह नहीं कहता कि पिछली कांग्रेस सरकारों की कमियां नहीं रही होंगी लेकिन पिछले डेढ़ साल के अन्दर जिस प्रकार के हालत बने और उसके अन्दर जिस प्रकार देश की आर्थिक हालत बिगड़ी उसका मुख्य कारण है कि हमें देश का सोना गिरवी रखना पड़ा और आज कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आयी उसको भी रखना पड़ा। इन सारी परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए आज खाद की नीति के ऊपर भारत सरकार का निर्णय हुआ।

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को फायदा पहुंचाने का प्रश्न है सारे हाउस के लोगों को, चाहे इस साइड में बैठने वाले लोग हों, चाहे उस साइड में बैठने वाले लोग हों, सबको इस बात की चिन्ता है कि किसान को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाय। हम इस बात के विरुद्ध नहीं है कि किसानों को सब्सिडी कम की जाय। भारत सरकार ने तीन हिस्सों में किसानों को बांटा है मार्जिनल, छोटे और बड़े किसान। आज यदि

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

भारत सरकार की मंशा होती, हिन्दुस्तान में छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत रहती तो यह छोटे, मार्जिनल किसानों को सब्सिडी नहीं देती। भारत सरकार की मंशा साफ है कि वह छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर यह टी.वी. पर कम किया है, टैक्स में छूट दे रहे हैं तो यह इन्कम टैक्स वालों को छूट नहीं मिलनी चाहिए ? केवल एग्रीकल्चर पर ही बढ़ाते जा रहे हो, दूसरी चीजों पर छूट दे रहे हैं। इसके लिए भी कोई न कोई रास्ता अपनाओ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उस पर विचार कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही मायने में इसका फायदा बड़े किसान उठाते हैं। आज चाहे राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो। सही मायने में बड़े साधन सम्पन्न व्यक्ति ही इस का फायदा उठाते हैं।

गरीब आदमी तो सही मायने में इन सब बातों को समझ नहीं पाता है, इनका फायदा कम उठाता है। चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, वह कोई भी नीति बनाती है तो उसमें जो चतुर होते हैं वह तो फायदा उठा लेते हैं। इस फैसले में यह जरूर खतरा लगता है कि इस प्रकार के हालात बन सकते हैं, वह एक प्रश्न चिन्ह बन सकता है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार के आते ही डीजल के भाव बढ़ गये। मैं कहना चाहता हूं कि आज मिट्टी के तेल के भाव बढ़ गये राजस्थान में लेकिन भारत सरकार ने मिट्टी के तेल के भाव कम किये हैं। यह सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है क्या ? भारत सरकार ने मिट्टी के तेल के भाव कम कर दिये तो अब क्या यह जिम्मेदारी सीधी राजस्थान सरकार की नहीं बनती है कि राजस्थान में भाव क्यों बढ़े ? राजस्थान में भाव ज्यादा क्यों बढ़े हैं ? इसके लिए दोषी राजस्थान सरकार है या नहीं ? यह काला बाजरी करने वाले, जमाखोरी करने वाले लोगों को संरक्षण देकर वह भाव बढ़ा रही है।

मुझे खुशी है कि यह भारतीय जनता पार्टी गैर सरकारी संकल्प लायी है, मुझे आसन के माध्यम से यह समझने का मौका मिला माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुने हुए सदस्य ऐसा गैर सरकारी संकल्प लाये हैं। ऐसा लगता है कि यह किसानों के बड़े हिमायती हैं, बड़े हमदर्द हैं और खास तौर पर श्री जीतमल जैन और श्री चपलोत साहब निश्चित तौर पर किसानों के हमदर्द हो सकते हैं। इनसे ज्यादा कोई हमदर्द किसानों का हो नहीं सकता है। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते रहे हैं वही लोग आज गैर सरकारी संकल्प रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गहलोत साहब एक राजसमंद के भी माननीय सदस्य हैं शांतिलाल चपलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्रीजी बहुत चतुर हैं इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर उनसे यह प्रस्ताव रखवाया होगा लेकिन हमारे जनता

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

दल में बैठे हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि श्री भैरोंसिंहजी जैसा चतुर व्यक्ति कोई नहीं है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने तो चतुर के भी कान काट दिये थे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पहले भैरोंसिंहजी ने जनता दल के चुनाव चिन्ह के अन्दर जो गोलाई का चिन्ह था, उसमें 6 फावड़े थे उसमें से एक फावड़ा तोड़कर श्री दिग्विजय सिंह को अलग कर दिया, एक फावड़ा टूटकर जनता दल इधर बैठ गया, एक चन्द्रशेखर के साथ चला गया। अब तीन बचे हैं पता नहीं उनके इशारे पर किस दिन यह प्रस्ताव लायेंगे और उसके बाद कितने फावड़े बचेंगे मुझे पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : राज करने वाले में तो चतुराई होनी चाहिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। किसानों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे यह कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत से लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपनी पार्टी के नेताओं से, वित्त मंत्रीजी से और प्रधान मंत्रीजी के सामने इस मुद्दे को बार-बार उठाया और यह कहा कि किसानों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उनको सब्सिडी देनी चाहिए। लेकिन देश के अन्दर कुछ हालात इस प्रकार के बन चुके हैं कि यह करना पड़ा। मैं सोचता हूं कि अब भी भारत सरकार इस बात की मंशा रखती है अब भी शायद इस बात का फैसला कर सकती है। मैं सोचता हूं मुख्य मंत्रीजी अभी हाउस में नहीं हैं, वह चर्चा कर रहे थे तो हम ने एक बात कही थी कि आप एक प्रस्ताव ले आयें कि भारत सरकार इस नीति पर पुनर्विचार कर ले और यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास कर दें। कांग्रेस वालों को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुख्य मंत्रीजी चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से छींटे उछले। अखबार में छपे क्योंकि उनकी नीयत यह नहीं है कि सब्सिडी मिले। उनकी नीयत यह है कि कांग्रेस पर किसी प्रकार से कीचड़ उछले। नहीं तो एक लाइन का प्रस्ताव था उससे हम सब सहमत थे। उस दिन भी जब यह प्रस्ताव आया तब भी मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि हम तैयार हैं। आज भी जब मुख्य मंत्रीजी से चर्चा हुई तो हमने कहा हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वह इसका राजनैतिक फायदा उठाना चाहते थे। अच्छा तो यह होता कि मुख्य मंत्रीजी यह प्रस्ताव करते कि यह प्रस्ताव पास करके सारे दलों के नेताओं को दिल्ली ले जाते, हमें भी ले जाते। हमारे प्रधान मंत्रीजी के सामने यह प्रस्ताव रखते कि यह मामला है और इसमें राजस्थान के सब लोग एक हैं और इस पर आप पुनर्विचार करें। लेकिन भैरोंसिंहजी निश्चित तौर पर इस सारे मामले को राजनैतिक दांव पेच में उलझाकर राजस्थान के किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बहन सुमित्राजी ने जो प्रस्ताव दिया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से हमदर्दी रखने वाली सरकार है तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके राजस्थान की सरकार किसानों को सब्सिडी देती तो लगता कि भारत सरकार तो किसानों को फायदा नहीं पहुंचा पाई पर राजस्थान सरकार ने

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

किसानों को फायदा पहुंचा दिया। मैं इस बात का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो माननीय सुमित्राजी ने प्रस्ताव दिया है कि हम भारत सरकार पर दबाव डालें और कहें कि सब्सिडी देने से जो भाव बढ़ेंगे, भार पड़ेगा उसका खर्चा हम दे देंगे तो फिर प्रस्ताव ही क्या रह जायेगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि यह सदन असहमति प्रकट करते हुए खाद के सारे खर्च की भरपाई राजस्थान सरकार करती हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर इस प्रस्ताव में क्या बचेगा ?

श्री शांतिलाल चपलोत : केन्द्र सरकार को फिर किसी प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, अगर सरकार पूर्ति कर देगी ? देअर इज नो मीनिंग।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो संकल्प है, आप उसे पूरा करिये, खत्म हुई बात। दिल्ली भेजने की आवश्यकता ही क्या है ? दिल्ली तो असहमत है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने खाद की सब्सिडी को जो कम किया है या तो कटौती की है। वह किसानों का गला घोंटने का प्रयत्न किया है। यह किसान का गला घोटने वाली नीति है, निर्णय है। खाद की सब्सिडी कम करने से इसका सारा वजन छोटे काश्तकारों पर पड़ा है। सामान्य काश्तकार, जिसके पांच बीघा जमीन होती है चार बीघा जमीन होती है, पता नहीं किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पता नहीं किस प्रकार से अपना परिवार चलाता है। जब उसको डेढ़ गुना राशि में खाद खरीदना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि उसकी मजदूरी भी नहीं निकल पाएगी और वह कर्ज से दबता हुआ चला जाएगा। केन्द्र सरकार ने लाभ देने के लिए यह जो कहा है कि हमने 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दी है, यह एक चाल है। इसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा कि लघु और सीमान्त कृषकों को हम छूट देंगे या इससे इनको लाभ देंगे। लेकिन इन्होंने लघु और सीमान्त कृषक की परिभाषा क्या की है ? लघु और सीमान्त कृषक की अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं देते हैं। रेवेन्यु विभाग जिनकी रेवेन्यु कम हो, उसे मानता है। कृषि विभाग की भी अलग परिभाषा है और सिंचाई विभाग की भी अलग परिभाषा है। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से कि किस प्रकार की परिभाषा को मानकर लघु और सीमान्त कृषक को ये लाभ देंगे ? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है राजस्थान में जो बरसात हो रही है उससे अनुमान लगाया जाता था कि ठीक तरह की फसल हमारी जमीनें पैदा करेंगी, काश्तकार खुशहाल होगा और अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह करेगा। काश्तकार इस खुशी में था और उसी समय केन्द्र सरकार ने यह सब्सिडी समाप्त कर उसके ऊपर तलवार लटका दी। वह कहां से इस समय कर्जा लेगा ? कर्जा लेगा तो कब तक उसको चुका पाएगा ? कर्जा लेकर किस प्रकार अन्न पैदा करेगा, यह समझ में नहीं आ रहा।

(श्री मदन दिलावर)

मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों ने सब्सिडी को समाप्त करके किसानों का गला घोंटा है और किसानों के ये लोग विरोधी हैं। किसान असंगठित तो था ही, इन्होंने उसे लघु सीमान्त, सीमान्त और बड़े काश्तकारों में बांटने का प्रयत्न किया है ताकि काश्तकार संगठित नहीं होने पाये। खाद के पिछले उपयोग के आधार पर इन्होंने राजस्थान को खाद देने का फैसला किया है। परन्तु पिछले कई वर्षों से राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ता आया है, खाद का उपयोग नहीं होता था या बहुत कम खाद का उपयोग होता था। उसी को आधार मानकर खाद देंगे, जब कि इस साल बरसात ठीक हुई है। बरसात ठीक हुई है तो खाद की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। आज जो खाद की जरूरत है उतनी खाद काश्तकार को नहीं मिल पाएगी तो काश्तकार टूटेगा। जब काश्तकार को खाद नहीं मिलेगी तो फसल में क्या डालेगा? फसल में क्या डालेगा तो उत्पादन कहां से होगा? उत्पादन नहीं होगा तो यहां का काश्तकार भूखा मरेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से यह कहना है कि आज की आवश्यकता के अनुसार खाद दें, आज जितनी आवश्यकता है उतनी खाद दें। जो सब्सिडी ये देते हैं वह उद्योगों को दी जाती है। उद्योगों को नहीं देकर वह सब्सिडी सीधी काश्तकार को मिलनी चाहिए। सीधे काश्तकार को सब्सिडी मिलेगी तो उसका लाभ काश्तकार को मिलेगा, अदरवाइज यह लाभ केवल उद्योगों को मिलेगा और उद्योग काश्तकार के नाम पर लूटेंगे। इसलिए इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि सारा सदन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष माननीय हीरालाल जी आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक समय सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज अपनी आर्थिक विपन्नता और दुर्दशा पर रो रहा है, आंसू बहा रहा है इस देश की सम्पन्नता को देखकर विदेशी यहां पर आये और इस देश की धन-सम्पत्ति को लूटकर ले गये। सबसे पहले मुस्लिम लुटेरे, आक्रान्ता आये और यहां की धन-सम्पत्ति को लूटकर ले गये। फिर अंग्रेज यहां व्यापार का बहाना बनाकर आये और इस देश की धन-सम्पत्ति को लूटकर ले गये। जब देश आजाद हुआ, हमारा देश आर्थिक दृष्टि से विपन्न नहीं था। हम किसी के कर्जदार नहीं थे, हमारा बजट इस प्रकार होता था कि जो हमारे देश का काम चलाने और विकास के लिए पर्याप्त था। लेकिन लम्बे समय तक इस देश पर राज करने वाली कांग्रेस सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का ही यह परिणाम है कि आज यह देश कंगाली में अपना जीवन बिता रहा है। भ्रष्टाचार में लीप्त होकर इस देश पर लम्बे समय तक राज करने वाले कांग्रेस के लोगों ने इस देश को बर्बाद किया। देश की राशि ही नहीं बल्कि विश्व बैंक से ऋण लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर भी और भ्रष्टाचार को पनपा कर इस देश में लम्बे समय तक राज करने वाले लोगों ने इस देश को कंगाल किया और आज देश की स्थिति यह है। देश की स्थिति को तो खराब किया ही अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाकर इस देश को आर्थिक दृष्टि से और

(श्री हीरालाल आर्य)

पिछड़ा किया। फलस्वरूप देश में आयात बढ़ा और निर्यात घटा और देश एक तरह से सब तरफ से कंगाल हुआ। देश को विपन्न करने में कांग्रेस के लोगों का मुख्य हाथ रहा है। पिछले 10-15 सालों से तो, गैर कांग्रेसी सरकारों को छोड़कर, जो हालत देश की हुई उससे तो देश और गर्त में चला गया। भ्रष्टाचार से कमाये पैसे और आर्थिक सत्ता के आधार पर एवं देश की जनता को 100 दिन में महंगाई कम करने का झांसा देकर ये लोग फिर सत्ता में आ गये। ये अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर सत्ता में नहीं आते हैं, देश में जब भी चुनाव आते हैं हर बार सहानुभूति का वोट बटोरकर इन्तजार करते रहते हैं। कभी इन्दिरा गांधी की सहानुभूति के नाम पर, कभी राजीव जी की सहानुभूति के नाम पर ये लोग वोट बटोरते रहे हैं। देश की इनको बिलकुल चिन्ता नहीं है। वापस सत्ता में आने के बाद 100 दिन में तो ये लोग महंगाई कम नहीं कर सके उल्टे इस देश के खजाने में से सोने को बेचा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अघोषित वाक आउट दिखता है।

श्री रामनारायण वर्मा : हमारी पार्टी मीटिंग है, हम एक पहलवान को छोड़कर जा रहे हैं। डिगों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पांत। अकेला ही होता है शेर तो।

श्री हीरालाल आर्य : जब जनता राज में थोड़ा सोना बेचा था तो इन लोगों ने पूरे देश में एक हंगामा खड़ा किया था, लेकिन इन्होंने तो देश के खजाने का सोना बेच डाला। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसे लेकर रुपये के कर्जदार हुए और रुपये का अवमूल्यन हुआ। आज हालत यह है कि कर्जा ही नहीं कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये दूसरों के पैसे पर मोहताज रहना पड़ता है। आखिर इस देश की विफलता का कारण क्या है? एक वक्त सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश आज कंगाल है। आज हर व्यक्ति में हीनता की भावना है, आज का बच्चा बच्चा कर्जदार है और इस बात को लेकर देश के नौजवानों में हीनता की भावना व्याप्त है।

मेरा निवेदन है कि जब बजट आया तो देश के प्रधान मंत्रीजी ने 15 अगस्त को सारे देश में एक वातावरण बनाया कि भारी आर्थिक संकट चल रहा है और इसके बोझ को सहन करने के लिए देश की जनता तैयार है। अब देश की जनता में क्योंकि दूसरे लोग तो संगठित हैं केवल अकेला किसान मात्र ऐसा है जो अशिक्षित है, असंगठित है, उसकी लोक सभा में तगड़ी लाबी नहीं है, वह अपने काम में सारे दिन इस तरह से व्यस्त रहता है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि सरकार का मुकाबला कर सके। इसलिए कांग्रेस सरकार ने जब वह पुनः राज में आई तो राज में आने के बाद सबसे पहली गाज जो ढाही वह किसान पर ढाही। केन्द्रीय कांग्रेस सरकार एक किसान विरोधी सरकार है, यह किसान को बर्बाद करना चाहती है।

आखिर यह देश किसानों का देश है। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, हमारे देश का व्यापार और व्यवसाय कृषि पर निर्भर करता है, सारे

(श्री हीरालाल आर्य)

उद्योग-धंधे कृषि पर निर्भर करते हैं, बैंकिंग, छोटे छोटे उद्योग धंधे सब कुछ कृषि पर भी निर्भर करते हैं और कृषि पर ही इस तरह की गाज ढाहना देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। क्योंकि कृषि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का सम्बल है, हमारे देश में जितने मजदूर यहां पर काम करते हैं, हमारे देश के बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा सम्बल कृषि है, गरीबी को दूर करने का एक बहुत बड़ा सम्बल कृषि है लेकिन कृषि के ऊपर जिस प्रकार से गाज ढाही गई है उससे सारे देश की अर्थ-व्यवस्था लड़-खड़ा गई है। मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि किसान भी संगठित होकर जो केन्द्रीय सरकार ने खाद पर मिलने वाली सब्सिडी थी, उसको कम किया है, एक तरफ तो खाद के भाव बढ़े हैं और आज जब किसानों को अपनी फसल बोने का अवसर दिया, उसको खाद की आवश्यकता थी लेकिन किसान को कहीं पर खाद नहीं मिली जिसके कारण से किसान अपनी फसल देर से उगा पाया। कहने के नाम पर सरकार ने व्यवस्था की थी कि पुराना जो माल पड़ा है उसको पुरानी रेट पर बेचें लेकिन इस प्रकार की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसान को खाद मिली नहीं और वह बर्बाद होता चला गया।

आवश्यकता तो इस बात की थी कि किसानों को सुविधाएं दी जानी चाहिए थीं। केन्द्रीय सरकार इस बात की चिन्ता करती कि कृषि को उद्योग घोषित करती ताकि उद्योग के नाम पर किसानों को आज लोन मिलता, सब्सिडी और दूसरी सुविधाएं मिलतीं जिससे देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत होती। आवश्यकता तो इस बात की थी कि कृषि को बीमा योजना के अन्तर्गत लिया जाता और कृषि बीमा योजना लागू की जाती। आज किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होती है, कभी अतिवृष्टि से फसल नष्ट होती है, कभी अकाल पड़ने से बर्बाद होती हैं, कभी बीमारी की वजह से किसान बर्बाद होते हैं और कभी पाला पड़ जाता है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि कृषि बीमा योजना चालू की जाती। आवश्यकता इस बात की थी कि आज किसानों पर विभिन्न प्रान्तों में चुंगी लगती हैं उसकी भरपाई केन्द्रीय सरकार देने की व्यवस्था करती लेकिन किसान को खाद में मिलने वाली सब्सिडी में जो कटौती की है वह एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। कहने के नाम पर 10 पर्सेन्ट की छूट देकर जैसे कोई बहुत बड़ी किसानों को राहत देने की व्यवस्था की गई है। समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कह करके किसानों को बहकाने की कोशिश की है किसान के पास जब माल आता है तो किसान तुरन्त उसको बेच देता है और समर्थन मूल्य का लाभ बड़े बड़े व्यापारी उठाते हैं, किसानों को उसको लाभ नहीं मिल पाता है।

इसलिए मैं आपके और सदन के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जो सब्सिडी की व्यवस्था थी वह व्यापारियों या उद्योग वालों को दी जाती है ताकि उसका लाभ खाद उत्पादन करने वाली फैक्टरियां हैं वह उठाती हैं वह केवल सरकार से सिर्फ सब्सिडी प्राप्त करती हैं लेकिन उसका वास्तविक लाभ किसान को नहीं मिलता है।

(श्री हीरालाल आर्य)

इसलिए सब्सिडी दी जानी थी तो सब्सिडी सीधे किसानों को दिये जाने की व्यवस्था की जाती ताकि इस देश का किसान धन्यवाद देता। लेकिन किसानों के ऊपर सब्सिडी की दोहरी नीति अख्तियार कर जो सब्सिडी देने की बात की गई है कि लघु कृषक को सब्सिडी देंगे लेकिन आखिर छोटे किसानों को सब्सिडी देगा कौन ? उसकी कौन व्यवस्था करेगा ? छोटे किसान इस दुकान से उस दुकान तक भटकता रहेगा लेकिन कहीं कोई सब्सिडी मिलने वाली नहीं है यह केवल भ्रम जाल है, किसानों के साथ अन्याय है।

इसलिए पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि जो संकल्प अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री जीतमल जैन ने प्रस्तुत किया है उसका एकमत होकर पास करें। इस मंच के माध्यम से मैं किसानों को भी आह्वान करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो सब्सिडी समाप्त करके किसानों के ऊपर जुल्म किया है। सारे किसान संगठित होकर केन्द्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष करें और इस सरकार को घुटने टेकने के लिए बाध्य करे ताकि सरकार उसे वापस चालू करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्रजी पारीक।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के हितैषी आज कहां चले गए ?

श्री हेमराज मीणा : बनावटी किसानों के हितैषी चले गये किसानों के मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : आप पारीक साहब प्रारम्भ कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : (स्वायत्त शासन मंत्री) : श्रीमती सुमित्राजी ने जो प्रस्ताव दिया है ना वह तो कांग्रेस की तरफ से दे दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने तो मेरी अकल से दिया है। न कांग्रेस के कहने से दिया ना आपके कहने से दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने एक तरीका निकाल लिया ना। आपने यह तरीके से समर्थन किया है उनका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह मेरी होशियारी है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अभी बचे हैं, यह भी चले जायेंगे बोलकर वापस।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य क्या बात थी आज ?

श्री उपाध्यक्ष : वह अभी मंत्रणा कर रहे हैं, फिर आयेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : वह आपके और मेरे बीच में जो बातें हुई थीं वह बाद में बताऊंगा। आपने जो किसान विरोधी बातें कहीं वह बाद में कहूंगा।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्र गुजार हूं कि मुझे आपने बोलने का समय दिया। मैं तहेदिल से, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की तरह से कंजूसी करना पसन्द नहीं करता। इसलिए तहेदिल से....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : केन्द्र या स्टेट में ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इस बात का शुक्र-गुजार रहा कि भले ही कार्यों में न सही अपने मन में इस बात का इन्होंने ख्याल तो किया कि देश का किसान बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। कारण कुछ भी रहे हों। कारण एक दिन में नहीं बने। इसके पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समझे या कांग्रेस समझें या अन्य दल समझें, मैं इस बात को कहने में कभी संकोच नहीं करता कि आज के दिन सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां स्वयं इस बात की दोषी हैं कि इस देश के किसान को इस हालत और इस दुख के दरवाजे तक पहुंचाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बैठकर किसान की चर्चा करना एक अलग बात है और कार्य क्षेत्र में जाकर देखेंगे किसान को तो रात के 3 बजे कड़कड़ाती ठण्ड में जब वह उठता है, पानी देने की उसकी नीयत होती है और उस वक्त के अन्दर बिजली चली जाती है। किसान ठण्ड में अपने शरीर और पांव को ठिठुराता रहता है। उस पीड़ा को यदि कोई समझता है तो मैं समझता हूं, कि मात्र किसान ही समझता है। बाकी उस पीड़ा को केवल हम राज-नीति समझिये या और बात समझिये हम केवल अपने मन में हल्का सा अहसास कर सकते हैं। अहसास जो वह अलग है लेकिन उस किसान की पीड़ा को किसान स्वयं ही भुगतता है। उस किसान की पीड़ा को वास्तव में दूर करना चाहते हैं तो हमें तहे-दिल से यह संकल्प लाना होगा, पार्टी और दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर कि हम वास्तव में ही इस देश के किसानों का, इस देश के गरीबों का, इस देश के मजदूरों का भला करना चाहते हैं अन्यथा यहां संकल्प भी लाये जाते रहेंगे और राजनीतिक भाषण भी ऐसे ही होते रहेंगे और जो नतीजा पहले निकला वही निकलेगा।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी बात पर इन पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं लेकिन पूर्व में एक परम्परा ऐसी बन गई है कि जो भी सरकार सत्ता में आकर बैठती है वह सबसे पहले एक शब्द जो उसका रटा–रटाया होता है वह बोलती है कि हमें खजाना खाली मिला है। खजाना खाली हमें भी मिला है और खजाना खाली इन्हें भी मिला और उस खजाने के खाली होने के क्या कारण हैं ? मैं तो इतना सा छोटा सा वर्कर हूं, उस स्टेज तक और उस स्थिति तक बात सोचने की बात नहीं सोचता हूं। लेकिन आज इस सदन में यह संकल्प रखा गया है कि केन्द्रीय सरकार की खाद्य मूल्य नीति के बारे में....

श्री यदुनाथ सिंह : क्या बुराई है इसमें ?

श्री राजेन्द्र पारीक : बड़ा अच्छा सोचा इन्होंने। किसानों का वास्तव में हित करना सोचना चाहिए और तहेदिल से सोचना

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चाहिए केवल मन से नहीं उसको कार्य रूप में परिणित करने हेतु सोचना चाहिए। लेकिन इस सबके पीछे एक बात और भी सोचनी है क्या किसान केवल मात्र इस खाद के लिए ही पीड़ित है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप जो है भाषण से नहीं, वो तो खाद डालेंगे, बीज डालेंगे तब ही पैदा होगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, मैं आपको सुबह से सुन रहा हूं, मैंने बड़ी तन्मयता से, बड़ी शालीनता से आपको सुना। उपाध्यक्ष महोदय, किसान के लिए जितनी खाद जरूरी है उतनी ही जरूरी किसान के लिए उसके खेत में बिजली का कनेक्शन जरूरी है। आज किसान ने डेढ़ साल पहले जो पैसा जमा कराया था प्रायोरिटी बेसिस पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं सामने बैठे हुए लोग यदि इस बात को अपनी आलोचना समझकर बीच में हो हल्ला मचाने की जुर्रत करते हैं तो उनकी मर्जी है मैं इसके लिए उन्हें पाबंद नहीं करता।

(5.52 सांय)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन कम से कम उनको यह सोचना चाहिए कि जिन किसानों ने और किसान भी मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कनेक्शन सीकर में हैं। मैं दावे के साथ यह बात कह रहा हूं कि राजस्थान में सीकर में एग्रीकल्चर कनेक्शन सबसे ज्यादा हैं। राजस्थान में एग्रीकल्चरल कनेक्शन्स के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ है लेकिन आज भी वह गरीब किसान, अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने अपनी औरतों के गहने गिरवी रख कर 60–60, 70–70 हजार, लाख रुपए आर.एस.ई.बी. को जमा करवाए वो किसान आज मुंह ताक रहे हैं इस बात के लिए कि कब यह सरकार हमें बिजली का कनेक्शन दे और कब हम अपने खेतों में हरियाली देखें। इस सरकार की अपनी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी कुछ भी रही हो लेकिन माल की बिक्री करने वाला आदमी जब किसी वस्तु के पैसे ले लेता है तो उसका नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो उस पैसे के बदले वो वस्तु जिसके पैसे उसने लिए हैं वह मुहैया करवाए। लेकिन यह सरकार इस काम में नाकामयाब रही है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, बड़े लम्बे दिनों बाद करबद्ध निवेदन करके आपसे थोड़ा सा समय चाहा था यदि आप दो मिनट और देंगे तो....

श्री अध्यक्ष : खाद पर बोलिए ना आप। दो मिनिट क्यों पांच मिनिट बोलिए आप, संकल्प पर बोलिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : संकल्प पर ही बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जिस तरह से खाद जरूरी है किसान के लिए वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है क्योंकि उधर बैठे हुए लोगों ने यह संकल्प किया है कि किसान का हमें भला करना है तो इस भले के साथ

(श्री राजेन्द्र पारीक)

साथ यह फैसला भी आज ही कर दें तो ज्यादा उत्तम होगा कि उन गरीब लोगों को कनेक्शन भी मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : यह संकल्प में नहीं है ना। जो संकल्प में है वही होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन इस संकल्प में माननीय सुमित्रा जी ने एक एडिशन किया था कि जो कार्य केन्द्र सरकार नहीं कर पा रही है उसको स्टेट अण्डर प्रोटेस्ट कर दे। जब तक केन्द्र से इनको वह मदद नहीं मिलती है तब तक अण्डर प्रोटेस्ट जो है किसान को तो कम से कम सुविधा देना शुरू कर दें आज से ही ताकि किसान का तो भला हो जाएगा और राज्य सरकार है जिस दिन इनकी वसूली, इनका आपस में बैठकर समझौता हो जाए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का उस दिन वो फैसला मान्य हो जाएगा। लेकिन आज इस देश का गरीब किसान इस पीड़ा को क्यों भुगते, तो कम से कम बड़ा उदार दिल है यह सरकार, गरीबों की हितैषी है, रोज सुनते भी हैं यह सब बातें। सारी योजनाएं जो बनती हैं मेरा गांव, मेरा घर, अपना घर, उसका गांव पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं इन्होंने लागू कर रखी हैं। तो इतनी उदार दिल सरकार ज्यादा भी नहीं करे तो कम से कम इतनी सीनियर मोस्ट जो माननीय सदस्या है उनका लिहाज करते हुए ही कर दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसानों की ओर देखने की आवश्यकता है, मेरा लिहाज करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ज्यादा नहीं तो कोई 50 पर्सेंट, 60 पर्सेंट, 70 पर्सेंट कर दें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, बैठिए आप। श्री सम्पतसिंह जी।

श्री सम्पतसिंह (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आज बीस से अधिक माननीय सदस्यों ने इस महती विषय पर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो नोन ऑफिशियल डे है यह तो ऑफिशियल आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बिजनस नोन आफिशियल है।

श्री सम्पतसिंह : इस विषय पर अलवर से आने वाले और राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य के संकल्प पर अपने बहुमूल्य विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, एक भावना उभर कर आई निश्चित रूप से, एकदम से डर लग रहा था, बारिश नहीं हो रही थी कि हमारे प्रान्त में कहीं अकाल नहीं हो जाए और अभी भी कई जिलों में अकाल से भी भयकर हालत हो सकती है। ऐसे मौके पर खाद के ऊपर राजस्थान की ही नहीं हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में खलबली मच गई और केन्द्र ने जिस तरीके से अपनी खाद पर नीति स्पष्ट की, न सिर्फ संसद में बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी इसका विरोधाभास सबके सामने उभर कर आया और यहां तक हुआ कि उनके मन्त्री और उनकी कार्य समिति के सदस्य भी प्रधान मंत्री के सामने उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया और पुरजोर शब्दों में प्रधानमंत्री से यह मांग की कि खाद पर जो आपने सब्सिडी

(श्री सम्पतसिंह)

खतम की हैं और मूल्य वृद्धि की है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में जब कुल 405 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने रखा है पूरे देश में वितरित करने के लिए और उसमें से हमको मिलेगा कुल पांच करोड़ रुपया और वो पांच करोड़ रुपया भी मिलेगा कोई दो महीने में जाकर, 6 महिने में जाकर किश्तों में। तब तक हमारा प्रान्त किस मुश्किल से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाकर अपने पूरे प्रावधान करके कैसी उस पर योजना बना पाएगा, इस पर काबू कर पाएगा यह एक विचारणीय विषय है और यह एक खुशी की बात है कि आज पूरे सदन ने पार्टी भावनाओं से ऊपर उठकर इस पूरे प्रान्त के हित के हिसाब से विचार किया है और अपना मन बनाया है। उन्होंने भी गोल मोल सही लेकिन इस संकल्प की आत्मा को, इस भावना को उन्होंने तहे दिल से जैसा कि सीकर से आने वाले सदस्य कह रहे थे। बार बार इस शब्द पर जोर दे रहे थे तहे दिल से, निश्चित रूप से उन सबका भी मन है। लेकिन कहीं न कहीं कोई राजनैतिक मजबूरियां रही होंगी और आज उनके वरिष्ठ नेतागण मौजूद नहीं हैं इसलिए मन नहीं बना पाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन तो यहां छोड़ गए हैं और शरीर बाहर ले गए हैं। (व्यवधान)

(6.00 सायं)

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज कितनी पूंजी आपने लगा रखी है कृषि जैसी मद पर उस पर विस्तार से तो आज चर्चा करने का वक्त नहीं है क्योंकि सारे ही विचार करीब करीब आ चुके लेकिन संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा और इस मूल संकल्प के साथ सरकार की और सदन की भावना के साथ जोड़ते हुए कुछ ही बातें निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर खाद की खपत को हम अपने प्रान्त में पिछले दो–चार वर्षों में ही देखें तो एकदम से बढ़ोतरी हुई है। 1986–87 में 2.47 लाख टन, 1989–90 में 2.85 लाख टन और 1990–91 में 3.72 लाख टन बढ़ोतरी हुई है खपत में और कुल मिला कर प्रतिशत में देखें तो 26 फीसदी बढ़ोतरी हमने अपनी खाद की खपत में की है। अध्यक्ष महोदय, एक हैक्टेयर में कुल हमारी खपत होती थी 14 किलो और आज 19.6 किलो जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे यद्यपि एक जिले पर देखा जाय तो उनका ज्यादा है लेकिन अनुपात के तौर पर एक हैक्टेयर की खपत की अपनी बढ़ोतरी आंकड़ों में दिखती है। अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान साल में कृषि जैसी मद पर 17 करोड़ रुपये हमने इसके लिए आवंटन किया हुआ है और आने वाले पांच वर्षों में थोड़ा बहुत गरीब प्रान्त की पृष्ठभूमि में एक हजार करोड़ रुपये की राशि विनि–योजन करने का इरादा राजस्थान की सरकार का है और ऐसी सूरत में जहां हमने लगातार जिस प्रान्त में अकाल पड़ते हों, लगातार प्रकृति के ऊपर टुकुर टुकुर देखते हैं, यहां की अर्थव्यवस्था चलती हो। जहां स्थायित्व आया खेती के उत्पादन में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि खेती के उत्पादन का एक भरोसा है कि हम दुनिया के बाजार में टिक सकें, सो

(श्री सम्पतसिंह)

हैरियर जैसे लड़ाकू विमान तो नहीं बना सकते लेकिन हमारे इस बायलाजिकल प्रोडयूस को दुनिया के बाजार में जाकर निर्यात कर सकने की हैसियत में हो तो निश्चित रूप से जो उनको चिन्ता हो रही थी जो पूर्वी यूरोप के देश का हश्र हुआ हैं, ईरान का हुआ है, ईराक का हुआ है, चिली का हुआ है वह इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आमद से हमारे देश का कहीं हश्र नहीं हो जाये, उनकी चिन्ता वाकई इसमें गौर करने की है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज जैसा मैंने शुरू में कहा कुल 405 करोड़ रुपया पूरे हिन्दुस्तान के लिए है। 5 करोड़ रुपया देंगे जरा हम कल्पना करें 5 करोड़ रुपये का वर्गीकरण कैसे करेंगे। माननीय सदस्यों ने बताया कि जैसे तमाम परिभाषा दी हुई है केन्द्र में और हमारे राज्य में परिभाषाओं में है कि कौन लघु, कौन सीमान्त, इसमें हमारे कुल चार तरह के वर्गीकरण हैं और सबसे पहला अगर देखें तो हमारे जिले बाड़मेर और जैसलमेर जिनमें लघु किसान सीमान्त किसान 10 हैक्टेयर जमीन वाला माना जाता है उसमें अगर आप देखें तो कोई इस नीति के तहत में एक किलोग्राम भी हम खाद नहीं पहुंचाने की स्थिति में होंगे अगर वर्तमान अक्षरशः केन्द्र की नीति को मान लिया जाय तो। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बीकानेर, चूरू, नागौर, जालौर, पाली और जोधपुर उनमें साढ़े तीन हैक्टेयर से सात हैक्टेयर तक की सीमा मान कर चलते हैं सीमान्त और लघु किसान की, झुन्झुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसबाड़ा इनमें डेढ़ हैक्टेयर से लेकर 3 हैक्टेयर मानते हैं हैं और चौथी श्रेणी यह है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हैक्टेयर के जोत के किसान को लघु किसान कह सकते हैं। उसमें वर्गीकरण करें तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की पहल हो जाती है उसमें कोई भी सरकार एकदम काबू नहीं पा सकती है और उसके बाद अगर देखें तो कुल इस व्यवस्था को अक्षरशः लागू भी किया जाय तो 6 लाख से अधिक किसान इसमें वंचित रह जायेंगे और अध्यक्ष महोदय, 2-3 पंक्तियां निवेदन करके मैं चाहूंगा कि उसका असर क्या होगा।

बाड़मेर जिले में लगभग 66 हजार किसान, जैसलमेर में 11 हजार किसान, बीकानेर में जिले में 44 हजार किसान, नागौर जिले में 99 हजार किसान, जालौर में 56 हजार किसान, पाली में 1 लाख 3 हजार, चूरू में 52 हजार किसान, जोधपुर में 71 हजार किसान, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झुन्झुनू में लगभग 1 लाख 20 हजार किसानों को इस जोत की इस नीति की सुविधा नहीं मिलेगी तो एक तरफ तो मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोधपुर में कितना बताया आपने।

श्री सम्पतसिंह : जोधपुर में 71 हजार। तो उसमें इतने लोग वंचित रह जायेंगे और 25 लाख हैक्टेयर भूमि मोटे तौर पर देखें तो वह भी खाद की खपत से वंचित रहेगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में यह तो विडम्बना रहेगी लेकिन इसका राजनैतिक, आर्थिक जो भी आप खामयाजा देखेंगे वह निश्चित रूप से बढ़ोतरी लायक नहीं रहेगें। उस वक्त तक जितनी भी हमारी फसल

(श्री सम्पतसिंह)

उसमें राष्ट्रीय सकल उत्पादन में हम राज-स्थान की तरफ से योगदान कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लग जायेगा। जैसे चीनी का उदाहरण दिया छोटे काश्तकार, लघु और सीमान्त किसान से मान लीजिए आपने कार्ड व्यवस्था भी करी तो उसको बड़ा किसान निश्चित रूप से इकट्ठा कर लेता है और वह खाद को खरीद लेता है और उसके लिए भी केन्द्र और राजस्थान की नीतियों के हिसाब से हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उस खाद को खरीद सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाओं का जो स्वरूप हमारे प्रान्त में बना हुआ है वह इस स्थिति में नहीं है कि रबी की फसल के आते हुये समय में इस खाद का वितरण का विनियोग कर सकती हो। इन सारी चीजों को देखते हुये अध्यक्ष महोदय. एक मोटे तौर पर हिसाब लगाये तो डेढ़ सौ करोड़ रुपये के इसमें बजट की खपत होगी जो अब...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को अपने डिपार्टमेंट की पूरी जान-कारी है इस बात से तो हम कनविन्स हो गये लेकिन संकल्प पर वह बोल नहीं रहे हैं इसलिए आप उन्हें कहें यह बात। वह तो अपने डिपार्टमेंट की पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। संकल्प पर बोल नहीं रहे हैं, बोलने का मौका मिला नहीं है, डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं दे पाये...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी संकल्प पर बोलिये।

श्री सम्पतसिंह : संकल्प पर ही निवेदन कर रहा हूं और संकल्प के अलावा रीति नीति विस्तार से सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी भी कहेंगे की आप थोड़ा सा धैर्य रखिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हम सब कनविंस हो गये हैं, डिपार्टमेण्ट की जानकारी है आपको।

श्री सम्पतसिंह : आप तो कनविन्स हो गये लेकिन मेरी जानकारी है, मेरी जिज्ञासा है जब तक विभाग में हूं मैं रखूंगा। इसे 195 करोड़ रुपये की खाद का मूल्य बढ़ने पर होगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक तरफ से पूरा सदन इस पर सर्व सम्मति से कोई प्रस्ताव लाने की मान लीजिए मनः स्थिति बना रहा है। मैं सिर्फ दो पंक्तियों में अपनी बात कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सर्व सम्मति नहीं है।

श्री सम्पतसिंह : सर्व सम्मति नहीं है तो "विनाश काले विपरीत बुद्धि" इससे आपके भविष्य का अन्दाजा लगाया जा सकता है। मैं सिर्फ दो बातें निवेदन करूं हमारे जो मक्का है, गेहूं है, बाजरा है इसको बीज का उत्पादन जैसी चीज कर दी, सीधा गरीब के खाने से रिश्ता है। इन चीजों को देखते हुए, वितरण प्रणाली को बनाने करने के हिसाब से देखते हुए और 5 करोड़ रुपए की राशि को देखते हुए जो माननीय सदस्यों ने अपना संकल्प रखा है उसको देखते हुए आज हिन्दुस्तान की सर-कार के सामने जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे अगर इस सरकार की नीति और रीति से, खाद की नीति से आपको नाइत्तफाकी थी तो वह अल्पमत की सरकार है आपको उसका समर्थन वापस ले लेना चाहिए या गिरा देना चाहिए। यह

(श्री सम्पत सिंह)

कहना बहुत आसान है लेकिन जिस पल में वह सरकार बनी तमाम हिन्दुस्तान के एक-एक नागरिक की यह राय रही है कि कितनी ही लचर-पचर सरकार हो, चाहे वह केले के छिलके पर खड़ी हुई सरकार हो....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : चलाना है उसको, चलाए जाओ।

श्री सम्पत सिंह : उनसे काम लेना है और यह बहुत गंभीरता की बात है कि इस वक्त सरकार को गिरा दिया जाय। हिन्दुस्तान का नागरिक जहां आज चुनाव में, इस चुनाव में आपने राजीव गांधी जैसी बेशकीमती जान को खोया और अब किसको खोने का इरादा है और किसकी लाश पर वोट मांगने जाओगे ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अब वी.पी. जी की पार्टी का वोट नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप किसके सहारे से जीतेंगे (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : राजीव गांधी जी के असामयिक निधन से हम सबको उतनी ही तकलीफ है और आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम भी तकलीफ नहीं है। मेरे ख्याल से राम को मारने की मेरे जैसा तुच्छ प्राणी तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप कैसे सोचते हैं राम को, हनुमान को, खुदा को मारने की बात ? हमारी समझ में आने की बात नहीं है।

मैं सिर्फ खाद पर निवेदन कर रहा हूं। आज जो हमारी कम से कम कृषि में, खेती में, किसान में, मजदूर में इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उत्पादन के हिसाब से कहां आप हरित क्रान्ति का बखान करते हैं कहीं आप दुग्ध क्रान्ति का बखान करते हैं और कांग्रेस पार्टी में बिलकुल खुर तरीके से, दूसरी हर पार्टियों में मुखर तरीके से इस बात को केन्द्र में रखा गया है, प्रान्तों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां रखा गया है। तो आज कम से कम दो तिहाई सदन ने यह हिम्मत जताई है, मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से विनती करता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है हम पूरे प्रान्त की बहबूदी के लिए अगर प्रधानमंत्री से यह गुजारिश करते हैं कि आपने जो 30 फीसदी बढ़ोतरी की है और जो माननीय सदस्यों के इस मूल संकल्प के हिसाब से संशोधन भी आये जिनको हम अक्षरशः मानने की बात भी कहते हैं उस पूरे 30 फीसदी को तोड़ा जाय और देश में एक ही तरह का, एक अनुरूप तरीके का नियम और कानून खाद के मुतल्लिक बनाया जाय जिससे कि जो हमारे राजस्थान की खेती में और कृषि में खासतौर से आ गया है वह कम से कम गिरे नहीं वह बढ़े नहीं तो गिरे तो नहीं और यह स्थायित्व बना रहे जिससे आम आदमी की क्रयशक्ति बढ़ेगी और खाद में, और फसल के दामों में बिचौलिएपन की बात आती है इसको अक्षरशः मानते हुए इस व्यवस्था में जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सकता है इसमें राजनीति कहां से आ गई ? इसमें अगर सर्वसम्मति से आप तय करते हैं तो सभी पार्टियों को इसका राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए और जो माननीय सदस्यों ने कहा कि इस दौरान राजस्थान की सरकार ने क्या किया ? मैं ब्यौरेवार सदन का समय नहीं लेना चाहता....

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : आगे नहीं बताएं कि क्या किया, समाप्त कर दो।

श्री सम्पत सिंह : चलिए मैं नाम नहीं लेता लेकिन....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इस दौरान जितनी खाद की ब्लेक मार्केटिंग राजस्थान में हुई उतनी कभी नहीं हुई और इसके ऊपर आपकी इनफोर्समेंट विंग और आपका कृषि विभाग बिलकुल फेल हो गया है।

श्री अध्यक्ष : यादव साहब, आप बस-बस भी कर रहे हैं और इनको उसका भी रहे हैं, दोनों बात है।

श्री सम्पत सिंह : इस दौरान जितने राजस्थान में खाद के डीलरों के केस बनाए गए उतने राजस्थान के पिछले इतिहास में कभी नहीं बनाए गए। मैं आपकी जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि न उसमें पार्टीबाजी देखी जायेगी, जैसा कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि कोई कांग्रेस पार्टी के डीलर हैं, जनता दल या बी.जे.पी. के डीलर हैं। डीलर पहले डीलर हैं बाद में किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं और राजनीतिक पार्टी का सदस्य भी क्यों न हो, अगर वह सरकार में मंत्री भी क्यों न हो, अगर उनका रिश्तेदार डीलरशिप में है और उन्होंने खाद में कोई बेईमानी की है तो उनको सख्त सजा देने की यह सरकार कार्यवाही करेगी यह प्रण हम आपके सामने करते हैं। अभी डा. चन्द्रभान जी ने कहा कि मुकदमे नहीं बनाए गए....

डा. चन्द्रभान : मुकदमे बने लेकिन जो लोग क्यू में लगे हुए थे कि हमको पुरानी रेट से खाद दी जायेगी उन लोगों को नहीं दी गई उनमें आपस में झगड़े हुए और दूसरे लोगों ने इस खाद को ऊंचे दामों में बेच दिया। इसलिए उनमें आपस में झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो डीलर्स जिन्होंने ब्लेक मार्केटिंग की है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं।

श्री सम्पत सिंह : उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं इसलिए मैं कह रहा था आपका समय लिया जायेगा, मैं एक-एक पढ़कर सुना सकता हूं और इसमें....

श्री यदुनाथ सिंह : सुना दीजिए।

श्री सम्पत सिंह : अब मैं आपके गांव की तो सुनाऊंगा नहीं चाहे आप कितना ही कहें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : खाद की ब्लेक मार्केटिंग के प्रत्येक जिले में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब खाद की रेट बढ़ गई उसके बाद में कम रेट में खाद देने का आदेश हुआ है तो जिलेवार आपने ब्लेक मार्केटर्स जो खाद वाले थे उनके खिलाफ कितने-कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं ?

श्री सम्पत सिंह : जिस दिन केन्द्र में बजट पेश हुआ उसके 10-15 दिन बाद टेलेक्स आया है और तुरन्त हमने गोदाम सीज किए, तमाम खुदरा व्यापारियों के हिसाब से उनका हिसाब-किताब रखा और फिर मैं कहता कि जहां भी अनियमिततायें पाई जाती हैं उनको इस नाम से नहीं छोड़ा जायेगा कि वह भारतीय जनता पार्टी का है, जनता दल का है या कांग्रेस है। इस राष्ट्रीय उत्पादन जैसे पवित्र काम में कोई गड़बड़ी की बात पाई जायेगी, यह कोई बहुत बड़ी

(श्री सम्पत सिंह)

बात नहीं है जिसकी घोषणा पवित्र सदन में करें, यह एक रूटिन की बात है।

डा. चन्द्रभान : आप तो केवल इतना बता दीजिए कि खाद का कितना स्टाक था और जो खाद का स्टाक था उसमें कितना पुरानी दरों पर बेचा गया और कितने का ब्लैक मार्केटिंग हुआ ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : और जितने लोगों ने अनियमिततायें की उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए ? (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : यह मैं तमाम रिपोर्ट सदन की पटल पर रख देता हूं। इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है और माननीय सदस्यों को मुझसे बेहतर जानकारी है कि हिन्दुस्तान में खाद की कमी ही नहीं है, जब कमी ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। सवाल सीधा सा है इसलिए इस संकल्प के समर्थन में....

डा. चन्द्रभान : खाद की कमी नहीं, खाद के दामों की बढ़ोतरी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप इनको कन-क्लूड करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : इसलिए यह संकल्प जो माननीय सदस्यों ने संकल्प रखा है, खाद की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : खाद तो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं कमी कैसे नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री सम्पत सिंह : उसमें एक तरह की खाद की इम्पोर्ट होती है इसके बावजूद स्टाक हमारे पास इतना है कि कोई कमी नहीं है आप जितनी खपत करना चाहे कर सकते हैं। इम्पोर्ट होकर ही कोई चीज पूर्ति होती है, अभी अगर मैं आई.एम.एफ. से लोन लेने के लिए निवेदन करूं तो उसमें वक्त जायेगा, बाकी बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ती हैं। आज अमरीका की अर्थव्यवस्था भी कर्जे पर चल रही है और दुनिया में पहले नम्बर पर अमरीका है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है लेकिन आपने मुझे जो हिदायत दी कि मैं संकल्प पर बोलूं और मेरे लिए सरकार की तरफ से संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए यह पहला मौका है। मैंने आपसे बहुत सारी बातें सीखी हैं आपके तमाम बहुमूल्य सुझावों के लिए और पुरजोर समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं एक बार पुनः इस माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को जो अलवर से, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्यों ने पेश किया है, जिसके ऊपर 20 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने बेशकीमती सुझाव रखे हैं उसको अक्षरशः सर्वसम्मति से पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप क्या बोलेंगे ? सब्सिडी की जो कटौती की है उसे आप देंगे क्या, यह मान रहे हैं यह बोलेंगे क्या ? तब तो बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप बोलीं उस समय मैंने आपसे पूछा नहीं था कि आप क्या बोलेंगी ? आप मुझे कैसे पूछ रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नॉन आफिशियल डे है, यहाँ आप हमारे संशोधन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसलिए आप बोल रहे हैं तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो बोल रहा हूं वह सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के संबंध में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने व्यक्तिशः विरोध किया है पार्टी का उनको समर्थन प्राप्त नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसी बात नहीं है कि पार्टी का समर्थन नहीं है, पूरी पार्टी का समर्थन है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा हो, माननीय सदस्य इन्टरप्शन न करें। (व्यवधान)

मगर आप सोच समझ कर करिए, इन्टरप्शन भी करते हैं तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार व्यक्त किये उनमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं थी। विश्नोई साहब ने जरूर कहा कि हम यदि प्रस्ताव पारित भी कर देंगे तो इस प्रस्ताव का भारत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय बजट पेश किया गया और सब्सिडी विथड्रा की गई, उस समय भी कांग्रेस की एक लॉबी थी जो इस बात का समर्थन कर रही थी कि पूरी सब्सिडी खत्म कर दी जाय। उस लॉबी ने बड़े प्रभावी ढंग से प्रचार किया और इस बात का प्रयत्न किया कि बजट में जिस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं उन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य ऐसे नहीं हैं जैसे राजस्थान विधान सभा में बैठे हैं। ऐसे सदस्य भी हैं जो संगठन में अपना प्रभाव रखते हैं, अपने तर्क से संगठन को प्रभावित कर सकते हैं, जो सरकार को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार के सदस्यों ने मुखरित होकर कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और सरकार के प्रधान मंत्री से निवेदन किया कि इस प्रकार की नीति या इस प्रकार सब्सिडी विथड्रा करना किसान के हित में नहीं है। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि कांग्रेस पार्टी की जहां राज्य सरकारें हैं, कई राज्यों ने वहां पार्टी के नाते प्रस्ताव पास किया, कई राज्यों में विधान सभा में चर्चा हुई और वहां के मुख्य मंत्रियों ने उस चर्चा के आधार पर सदन की भावना को प्रधान मंत्रीजी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और वह भावनाएं उन्होंने वहां पहुंचाई। अब इस आधार पर इतना निवेदन मैं कर सकता हूं, विश्नोई साहब, यही प्रभाव था कि भारत सरकार, जो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं थी, वह सरकार झुकी और चालीस से तीस प्रतिशत के ऊपर आई और स्माल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को इससे मुक्त किया। अब आप बताइए--आपकी तरह से यदि सभी समर्थन करने लग जाते तो पूरी की पूरी चालीस प्रतिशत की सब्सिडी खत्म हो जाती और गरीब हो, चाहे अमीर हो, सारे किसानों को खाद इसी भाव से क्रय करनी पड़ती।

लेकिन अब एक तो मानते हो कि मान लीजिये, हमारा प्रभाव नहीं था लेकिन

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कांग्रेस पार्टी का तो प्रभाव तो था, इस प्रभाव को लोगों ने एक्सरसाइज किया और उसका यह नतीजा निकला कि वह सब्सिडी चालीस से तीस प्रतिशत तक आई और गरीब एव मझौले किसानों को उससे राहत दी गई। मेरा विश्वास है, मैं राज–स्थान की कांग्रेस पार्टी को देखना चाहता हूं कि या तो आप यह स्वीकार कर लें कि दिल्ली में हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हमारा किसी प्रकार का वर्चस्व नहीं है और इस कारण से हम कोई प्रस्ताव भी पास करें, इस प्रस्ताव का समर्थन भी करें तो हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है । मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस अवस्था में तो नहीं पहुंची है लेकिन विश्नोई साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यदि आप उस अवस्था में कांग्रेस को ले जायें तो मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप विधान सभा का सत्र बुला कर उस वक्त कहते तो हम उसको सपोर्ट करते। जब तय हो गया, फाइनलाइज हो गया, चालीस प्रतिशत से तीस प्रतिशत पर वह आ गई, इसका मत–लब कुछ समझौता हुआ है और फिर पारित हुआ है। उसके बाद अब आप समर्थन चाह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महो–दय, इसका मतलब मेरी एक गलती हुई कि मैंने पहले यह प्रस्ताव नहीं रखा। केवल दिनों का ही तो झगड़ा है, मन का तो झगड़ा नहीं है, सिद्धान्त का झगड़ा नहीं है, नीति का झगड़ा नहीं है, दिनों का झगड़ा है, अब इस दिनों के झगड़े के लिए मैं आप से क्षमा चाहता हूं, आप किसानों के हित में समर्थन कर दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब सब कुछ तय हो गया है, अब परिणाम नहीं निकलने वाला है तो मरे हुए सांप को पीटने से कोई फायदा नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि आपकी ताकत का अनुमान आप को नहीं है। हनुमानजी की ताकत का अनु-मान आपको नहीं था। विश्नोई साहब, आप अपने को इतना कमजोर क्यों मानने लगते हैं? आप हिम्मत करके खड़े हो जायें, मैं समझता हूं कि हिम्मत करके खड़े हों और खड़े होकर हिन्दुस्तान की सरकार को जाकर कहें कि राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने यह निर्णय किया है कि खाद की सब्सिडी आपने विथड्रा की है, इसको विथड्रा मत करिये, मैं आपकी ताकत को समझता हूं इस सारी फौज को लेकर दिल्ली में जाकर बैठ जायें तो खाद की सब्सिडी निश्चित रूप से कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में आपका यह कहना कि राजनीति है, इसमें राजनीति कहां से आ गई? कोई राजनीति नहीं है। राजनीति तो यह है कि आई. एम. एफ. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर अपना वर्चस्व कायम रहना चाहता है। राजनीति यह है, जिस ढंग से हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे, एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से व्यापार चला था और व्यापारी के रूप में अंग्रेज यहां आये थे और व्यापारी के रूप में उन्होंने धीरे-धीरे यहां अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाया। उस वर्चस्व के विरोध में यदि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई बात आती और उस संबंध में यदि विरोध में भी बोलते तो मेरी समझ में आता कि हम लोग राजनीतिक आधार पर भी सोचने की क्षमता रखते हैं। सवाल इतना सा है, आज आई. एम. एफ. जिस प्रकार से भारत की नीतियों को प्रभावित कर रहा है, यह मैं मानता हूं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब थी, अब आपने तो उसको सीमित कर दिया कि केवल डेढ़ वर्ष के अर्से में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि फोरेन एक्सचेन्ज का मामला भी आ गया, इस कारण से हमें 47 टन सोना भी बेचना पड़ा, उसके कारण हमें दो बार रुपये का अवमूल्यन भी करना पड़ा, उसके कारण घाटे का बजट भी पेश करना पड़ा और उसके कारण लगभग तीन हजार करोड़ के टैक्स भी लगाने पड़े। तो क्या आप ईमानदारी से कहते हैं कि केवल एक वर्ष की बुराई है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ढाई साल में आपने स्थिति बिल्कुल खराब करी, उसको ठीक करने में दस साल लगे हमको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब यह है....

श्री रामकिशन : माननीय बिश्नोई साहब, यह सदन है और आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि उन ढाई सालों में स्थिति क्या हुई। आप जानते हैं, अनाज का भण्डार बढ़ा था, सोने का भण्डार बढ़ा था, विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा था....

एक माननीय सदस्य : विकास की दर भी बढ़ी थी।

श्री रामकिशन : विकास की दर भी बढ़ी थी, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आर्थिक समीक्षा में देख लीजिए आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर वह लोग गए। मन से क्या बोले हैं, वाणी से क्या बोले हैं। मैं केवल इसलिए आपको कहना चाहता हूं, आज खाद का मूल्य, यदि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार यह सब्सिडी विदड्रा करती और स्वतन्त्र रूप से विथड्रा करती तो यह विषय अलग था लेकिन सब्सिडी विथड्रा की है केवल आई. एम. एफ. को खुश करने के लिए और आई. एम. एफ को खुश भी किस की कीमत पर कर रहे हैं? हिन्दुस्तान के 72 फीसदी किसानों की कीमत पर इन्टरनेशनल मॉनिटरी फण्ड को खुश करने की प्रक्रिया है। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हमारी जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है वह चिन्तनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सबको मिलकर इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम इस संकट से बाहर कैसे निकलें। और संकट से बाहर निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है खर्च में किस प्रकार से कटौती करें।

किस प्रकार से ऐसे सामान का निर्यात करें जिसके कारण से हमें फौरन एक्सचेन्ज मिले। जैसा पंडित जी ने कहा है कि फालतू की चीजों का आयात बन्द करें जिससे फौरन एक्सचेन्ज पैदा हो। मैं एक बात और भी कहूं भावों के संबंध में और आपने कहा कई बार चीजों के भाव बढ़ जाते हैं, चीजों के भाव कम हो जाते हैं। क्या आप जानते

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

हैं कि चीजों के भाव मार्केट के कारण से नहीं गिरते। हिन्दुस्तान में कौन से ऐसे एग्रीकल्चरल प्राड्यूस हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करें, कौनसी ऐसी चीजें हैं जिनका इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि काटन का एक्सपोर्ट बन्द किया जाये। और काटन का जिस दिन एक्सपोर्ट बन्द होगा, फर्टीलाइजर की कीमतें आपने बढ़ा दीं, मैं आपको आज कह सकता हूं कि किसान के लिए इससे बड़ी तबाही का कारण और नहीं हो सकता और जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के आधार पर हमारी एग्रीकल्चर प्राड्यूस की कीमतें निर्भर करती हैं तो एक बार यदि राजस्थान की विधान सभा भारत को यह कह दे कि आपने अमुक प्रकार से खाद की कीमतें बढ़ाई हैं जिसका हम विरोध करते हैं तो आपको दावे से कह सकता हूं कि काटन का एक्सपोर्ट रोकने की हिम्मत भारत सरकार की नहीं है। मैं आपको यह भी दावे से कह सकता हूं और मुझे याद है और आपको भी ध्यान है कि आज के दो या तीन वर्ष पहले लस्हन के भाव इतने बढ़ गये थे कि जिसके कारण से एक ट्राली भरकर कोई लस्हन ले गया, नीमच ले गया मेरी खुद की कान्सटीटुएन्सी नीम्बाहेड़ा से तो एक ट्रैक्टर खरीदकर ले आता था। ट्राली में लस्हन कोई ले गया और उसकी कीमत से एक ट्रैक्टर खरीदकर ले आता था। कारण यह था कि लस्हन का उस समय एक्सपोर्ट होता था। आज काटन के भाव में जिस दिन आपने एक्सपोर्ट बन्द कर दिया प्राइसेस इतनी क्रैशडाउन कर जायेगी कि किसान को अपनी काटन बेचनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आखिर विधान सभा का वर्चस्व भी कायम होना चाहिए कि आखिर विधान सभा राजस्थान की विधान सभा है। 4।। करोड़ का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। 4।। करोड़ में जो किसान हैं उन किसानों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। उन किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय हो तो राजनीति भूल जायेंगे। मैं राजनैतिक खेल खेल रहा हूं यह मान लीजिए लेकिन आप राजनीति हमसे क्यों कर रहे हैं ? आप राजनीति उन किसानों से क्यों कर रहे हैं ? भैरोंसिह के साथ आप इलजाम लगा सकते हैं कि भैरोंसिह राजनीति का खेल खेल रहा है और सम्पतसिहजी के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं कि राजनीति खेल रहे हैं लेकिन जोधपुर जिले के 72 हजार किसानों के साथ आप राजनीति क्यों कर रहे हैं ? आपको तो राजनीति करने की ताकत उन्होंने दी है और किसी ने नहीं दी। 72 हजार किसानों के साथ जिनका वोट लेकर आये हैं आप उनके साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आया ? मैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। यदि आपने विरोध करने का फैसला कर लिया है तो मैं समझता हूं कि बुद्धिमानी इसी में है ...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप अभी इतनी बात कह रहे हैं, यदि हम कुछ लोगों को बुलाकर आप अपने कमरे में बुलाकर बात ही कर लेते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह मैं अपनी गलती ही मानता हूं। आप माफ कीजिए और हमारे साथ खड़े हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाइये। मैं राजस्थान के किसानों के हित में आपसे माफी मांगू यह मैं समझता हूं कि मेरा गर्व है। शायद किसी प्रकार का अपमान नहीं है लेकिन यदि आपने मुझे माफी नहीं दी तो राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय है, आपके खुद के साथ अन्याय है और शायद मेरे साथ ही एक प्रकार का अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के मित्र इस सारी स्थिति में हमारा निश्चत रूप से समर्थन करेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि खाद की बिक्री के संबंध में जिस समय कीमतें बढ़ाई गई पुरानी कीमत पर क्यों नहीं बेची। मैं समझता हूं कि बिश्नोई साहब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मंत्रि मण्डल में रहे हुए सभी जानते हैं कि बजट में जिस समय कभी भी टैक्सेशन का प्रपोजल आता है उस समय सारे डिपार्टमेन्ट्स को सतर्क किया जाता है। आज किसी चीज पर हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं या किसी के ऊपर हम टैक्स कम करना चाहते हैं तो मैंने तो एज फाइनेन्स मिनिस्टर और एज चीफ मिनिस्टर यह अनुभव किया है कि बजट में क्या होगा इसका पता नहीं रहता है लेकिन सारे डिपार्टमेन्ट्स को अलर्ट कर दिया जाता है कि बजट के कारण से कहीं चीजों के भाव न बढ़ जायें और यदि चीजों के भाव घट गये उनको ज्यादा कीमत पर न बेच पायें, यह सब कुछ बजट के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्थायें होती हैं। सैल्स टैक्स इन्सपैक्टर ज्यों ही बजट का अनाउन्समेन्ट हुआ सीधे दुकानों पर जाकर खाते पकड़ते हैं। ज्यों ही अनाउन्समेंट हुआ जिसके खिलाफ कार्यवाही करनी होती है कार्यवाही करते हैं लेकिन यहां तो बजट के पहले न तो राज्य सरकार को इस बात की जानकारी मिली कि खाद के व्यापारियों के पास कितना स्टाक है, न इस बात की जानकारी मिली कि किसको बेचा है या नहीं बेचा है। आखिर राजस्थान के मुख्य मंत्री को तो कान्फीडेन्स में ले सकते थे कि खाद के ऊपर हम सब्सिडी घटायेंगे और उसके परिणामस्वरूप पहले के भावों पर लोग नहीं बेचेंगे और बढ़े हुए भाव पर बेचेंगे। राज्य सरकार को प्रिकाशनरी रूप में इसमें कोई न कोई प्रबंध कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सेंक्टिटी का क्वेश्चन है, यह प्रोपराइटी का क्वेश्चन है और यह एक दूसरे के कान्फीडेन्स का क्वेश्चन है। यदि भारत सरकार राज्य सरकार पर भरोसा नहीं करे तो उसका नतीजा यही निकलेगा जो माननीय सदस्य अभी कह रहे हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें ज्यों ही इस बात की जानकारी मिली उसके बाद में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह सकता हूं कि इन खाद के व्यापारियों ने 1990-91 में हमने 51 मामले दर्ज किये हैं। 51 मामलों में लाइसेन्स अधिकांश में निरस्त किये हैं, कई मामलों में प्रासीक्यूशन किया है और कई मामलों में प्रासीक्यूशन हो जायेगा उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं करूंगा लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितना एक्शन लेना चाहिए था यदि सूचना उस समय मिलती तो हम स्टाक जब्त करते, स्टाक का रजिस्टर जब्त करते, स्टाक कितना है इसकी जानकारी करते, हम अपने आदमी लगाकर सही मूल्यों के ऊपर उस खाद की बिक्री करवाते लेकिन मैं जानता हूं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

और आप भी जानते हैं कि व्यापारी ज्यादा चतुर हैं और ज्यों ही उनको मालूम हुआ और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि को ऑपरेटिव सोसाइटीज ने तो पुराने भावों के ऊपर बेचा और डीलर्स ने नये भावों पर बेचा। तो इसके कारण से यह विसंगति हो सकता है इसमें किसी प्रकार का कोई और अकारण नहीं मानना चाहिए। मैं एक बात जो सम्पतसिह जी ने कहीं विश्नोई साहब आप जानते हैं कि अपने यहां स्माल फामर्स और मार्जिनल फामर्स की स्थिति क्या है और कितने तक में स्माल फार्मर्स माना जाता है और कितने एरिया में मार्जिनल फार्मर्स माना जाता है। भारत सरकार ने फैसला कर दिया कि 2॥ हैक्टेयर तक के किसान को हम ऐसा किसान मानेंगे जिसको सब्सीडाइज्ड रेट पर 30 पर्सेन्ट ऊपर खाद की कीमत वसूल नहीं की जायेगी। अब आप ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान में आपका जोधपुर जिला नहीं आयेगा, राजस्थान में आपका बीकानेर जिला नहीं आयेगा, राजस्थान में बाड़मेर जिला नहीं आयेगा, राजस्थान का जालौर जिला नहीं आयेगा, राजस्थान के और कई जिले नहीं आयेंगे। कम से कम आप इतनी तो मदद करो कि 450 करोड़ रुपये में जो भी मापदण्ड उन्होंने तय किया है राजस्थान की सरकार को केवल 5 करोड़ रुपया मिला है। यदि इस प्रस्ताव का समर्थन आप करें तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसको माने या नहीं माने लेकिन विश्नोई साहब मैं आपको कह सकता हूं कि यदि इस प्रस्ताव को लेकर राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता और हम सब लोग मिलकर भारत सरकार के पास जायेंगे तो 5 करोड़ की राशि निश्चित रूप से 25 करोड़ तक जायेगी—इसमें किसी प्रकार का सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी आप सहयोग नहीं देना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि राजनीति है तो यहां राजनीति क्या है ? यदि 5 की जगह 25 करोड़ रुपये मैं राजस्थान के राजस्व खाते से लगाऊंगा तो कई विभागों की एक्टीविटीज में मुझे कमी करनी पड़ेगी, कई स्कूलें नहीं खुल सकेंगी, कई अस्पताल नहीं खुल सकेंगे। तो क्या आपका इसमें विरोध है कि 5 करोड़ की जगह राजस्थान को 25 करोड़ मिलना चाहिए ? मैं समझता हूं कि आप मन से और वाणी से विरोध नहीं करेंगे लेकिन दबाव कैसे डालेंगे। दबाव तो तब पड़ेगा जब हम दोनों एक होकर भारत सरकार पर दबाव डालेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस खाद के वितरण को और ऐसे मामले को तोड़ने की कोशिश नहीं करें। सुमित्रा जी ने एक और नयी बात कही कि राजस्थान की सरकार बिना सब्सीडाइज्ड रेट पर बेचे—अगर बेचने का ही काम होता तो प्रस्ताव पास करने की जरूरत ही क्या थी ? कोई प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं थी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप थे नहीं। मैंने यह कहा कि जो सब्सिडी में कटौती भारत सरकार ने कर दी तो फिर उस सब्सिडी की भरपाई आपकी सरकार कर दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यही मैं कह रहा हूं। फिर यह प्रस्ताव लाने की जरूरत क्या थी ? मैं अपने आप घोषणा कर देता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि भारत सरकार ने सब्सिडी के रूप में जो कटौती की है, उस कटौती की पूर्ति राजस्थान सरकार करेगी। फिर प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता। विश्नोई साहब ने एक बात कही। मैं उसका उत्तर देकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। विश्नोईजी ने यह कहा कि अगर हमारी सरकार को आप लोगों ने बचाया, उस समय आपको सरकार को खत्म कर देना चाहिये था। मैं समझता हूं कि आपकी भावना यदि मुझे पहले मालूम हो जाती कि आप दिल्ली की सरकार को खत्म कराने के पक्ष में हैं तो मैं निश्चित रूप से अपनी पार्टी के लोगों को कहता कि हमारे राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस पार्टी की इच्छा है कि दिल्ली की सरकार को समाप्त कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि मेरे कहने में भी बल होता और बाकी की चीजें भी पूरी हो जाती। आज उसका आप कोई बहाना बनाकर, आधार बनाकर यह एक प्रकार से उचित सी नहीं लगती।

आखिर में, अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोईजी जैसा आदमी यह कहे कि विधान सभा प्रस्ताव पास कर देगी तो क्या होगा। मैं समझता हूं विधान सभा ने कई प्रस्ताव पास किये हैं, कई कानून बनाये हैं और कानून सब लागू हैं। सब कुल लागू हैं। ऐसी कोई बात नहीं हैं। विधान सभा का महत्व मत घटाइये। आप विरोध करें या हां भरे, यह आपकी मर्जी की बात है लेकिन विधान सभा का महत्व घटाने की बात राजस्थान की विधान सभा के 10 वर्ष तक स्पीकर रहे हुए के मुंह से निकले, यह उचित नहीं समझता। आप यह कह सकते हैं कि हम विरोध करेंगे। लोकतन्त्र में विरोध करने का आपको अधिकार है। खुले रूप से विरोध करिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुख्य मंत्रीजी, यह तो हम आभारी हैं भाई जीतमलजी के कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। आपको तो यह याद ही नहीं आया। आपने कभी रखा ही नहीं यह प्रस्ताव। 10 तारीख से सदन चल रहा है, इसकी कभी चिन्ता ही नहीं जताई। यह पांच करोड़ मिलेंगे, मेरे ख्याल से इसका भी आपने उनके सामने प्रोटेस्ट भी नहीं किया होगा। लिखित में कर दिया क्या आपने ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं। जिस समय पहले दिन फर्टीलाइजर पॉलिसी आई, उसी दिन टेलेक्स मैसेज देकर मैंने भारत सरकार को कहा कि इससे किसान तबाह होंगे। एक तो टेलेक्स मैसेज दिया और फिर बयान दिया। नम्बर एक। उसके बाद में दुबारा मैंने चिट्ठी लिखी। फिर यहां पर हमारे आफिसर्स की मीटिंग हुई। आफिसर्स की मीटिंग में राजस्थान के आफिसर्स ने बिल्कुल साफ तौर से यह कह दिया कि राजस्थान के साथ यह इन जस्टिस किया जा रहा है। राजस्थान में जो सीमान्त और छोटे किसान हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। यह ढाई हैक्टेयर के कारण से राजस्थान को जो 5 करोड़ रुपया मिल रहा है, यह राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विश्नोईजी की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि ये कोई छिपी हुई बातें नहीं हैं। आप तो रोज अखबार पढ़ते हैं। रोज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अखबार आप ऊपर हैडलाइन्स से लेकर नीचे प्रिटिंग प्रेस का नाम तक आप पढ़ जाते हैं। यह खबर आपके ध्यान में नहीं आई होगी, यह मैं मानता नहीं। उसमें सारे आंकड़े भी दिये हुए हैं। इसलिए मैं कहूं या नहीं कहूं लेकिन फिर भी आपने अन्त में जाकर अपनी बात को सुधार लिया और यह कह दिया कि मैं जीतमलजी का अहसान मानता हूं। वह अहसान तो...!(व्यवधान)

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह जीतमलजी का तो अहसान पूरा मान लेवो। जीतमलजी का अहसान मान लोगे तो वह भी मैं समझता हूं कि सारी स्थिति होगी। फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं हम इसी स्कीम को एक अक्टूबर से लागू करेंगे, , जो भी हो, उस स्कीम को लागू करेंगे। सरकार उसमें क्या व्यवस्थाएं, क्या परिवर्तन कर सकती है, उस पर भी हम विचार करेंगे लेकिन अभी तक मेरा विश्वास है कि राजस्थान का प्रतिनिधि मण्डल, यदि विश्नोईजी मेरे साथ हों, कांग्रेस पार्टी साथ हो तो हम पांच करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक बढ़ायें।

मैंने अभी एक बात और की है कि हिन्दुस्तान के सारे मुख्य मंत्रियों से बात की है, मैंनेमुख्य मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि हम सब मिलकर प्रधान मंत्रीजी से मिलें और मिलकर उनको कहें कि इस खाद की सब्सिडी के मामले में जो कुछ सरकार ने निर्णय लिया है, वह युक्तियुक्त नहीं है, यह किसानों के विरोध में है। यहां तक मैंने कहा भी है और लिखा भी है। हिन्दुस्तान आज केवल एक चीज के अन्दर आश्वस्त है। फूडग्रेन्स के मामले में, हम इम्पोर्ट नहीं करते हमारे पास काफी फूडग्रेन्स है। और किसी न किसी चीज को किसी न किसी रूप में हम इम्पोर्ट करते हैं लेकिन खाद्यानों का इम्पोर्ट नहीं करते। हम आत्म–निर्भर हैं ऐसा झटका लगेगा इसके कारण से कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम खाद्यानों के लिये भी विदेशों के पास जायें और उनको कहें कि हमें गेहूं दो, हमें अमुक प्रकार का अनाज दो। यह स्थिति पैदा होगी। इसलिये आज भी आप विचार कर लें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 25 करोड़ की हमें सब्सिडी मिले, उसमें हम साथ हैं। मैंने यह कब कहा कि सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिये या भाव घटने नहीं चाहिये? यह मैंने कब कहा है? मैंने तो आपसे जिस तरीके से कहा है, आपने स्वयं ने यह माना कि मैंने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलती हुई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मामला जीतमलजी ने रख दिया। आपको ठीक लगा इसलिये कर दिया। हमको मालूम नहीं था। आप हमसे पहले बात कर लेते तो इतना टण्टा ही नहीं होता (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऐसा है, देखिये, इण्टरप्शन के लिये भी कुछ परम्पराएं हैं। कुछ मर्यादाएं हैं। बिराजिये अब आप। (व्यवधान)

विश्नोई जी बोल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आप विश्नोईजी से ज्यादा सीनियर हैं। आप अपने आपको विश्नोईजी

(श्री अध्यक्ष)

से ज्यादा सीनियर समझते हैं क्या ? बिराजिये फिर आप। वे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

हो गया। अब आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की खुशी है कि विश्नोई साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर उनको पहले ही जानकारी होती तो निश्चित रूप वह हमारा समर्थन करते।

अब मैं एक बात और कहता हूं। एक बात का आप और समर्थन कर दें और फिर वोट विरोध में दे दें, मुझे कोई चिन्ता नहीं हैं कि इस खाद की सब्सिडी हटाने के कारण राजस्थान के किसानों को 70 करोड़ रुपये का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 70 करोड़ लगेंगे तो हम उसका विरोध करते हैं लेकिन जब हमारी सरकार ने टैक्स लगा दिया, आपकी सहमति से सब्सिडी विदड्रा कर ली तो उसके बाद में मरे हुए सांप को पीटने के मैं खिलाफ हूं और आपकी अगर यह सद्इच्छा होती कि सब्सिडी के बारे में हमको बात करनी है तो आप बात कर लेते। पहले दिन ही ले आते। अब यह प्रस्ताव आ गया उसके बाद इससे कितना फायदा उठाया जा सकता है, आप तर्क देकर के उसको इशू बनाना चाहते हैं, उसके मैं खिलाफ हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात बता दूं। आपको फिर भूल हो रही है। यह प्रस्ताव तो उन्होंने रखा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब यहां पर प्रस्ताव की मांग की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जनार्दन सिंह जी ने यह कहा, जो पार्टी के महामंत्री हैं। अब मुझे पता नहीं कि उनकी चलती है या नहीं चलती है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मैंने ही भेजा था उनको आपके पास। मैंने कहा, कोई सर्वसम्मत अपन इस तरह से करें। उस उद्देश्य से भेजा था। आपने माना नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं एक बात बताऊं। प्रस्ताव तो आप भी जानते हैं, इसी सदन में बैठे हुए उन्होंने कहा कि हमको सबको मिलकर के प्रस्ताव पास करना है। मैंने क्या गलती कर दी लोगों ने प्रस्ताव रख दिया तो ? आप कांग्रेस पार्टी में कम से कम इस स्थिति में तो रहें कि आपके मुंह से निकली हुई बात का कोई भरोसा कर सके। आपके कहने से हमने प्रस्ताव रखा। सबने यहां कहा कि प्रस्ताव पास किया जाय, प्रस्ताव पास किया जाय। हम आपके विश्वास में आ गये और आज आप हमको धोखा दे रहे हैं (व्यवधान)

आप पूछ लीजिये किसी को भी। पूछ लीजिये कि जनार्दन सिंहजी ने कहा। उनकी बात पर वह बात पैदा हुई है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डिसीप्लीन की, अनुशासन की कोई बात नहीं है। हमारा अनुशासन है कि जिसका वोट लेकर आये, उसके प्रति वफादार रहें। यह है सबसे बड़ा अनुशासन। हमको वोट दिया है किसानों ने हम उनके प्रति वफादार रहेंगे या किसी ऐसे अनुशासन के नाम से किसानों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के ऊपर छुरा चलायेंगे ? मैं समझता हूं कि आप जैसा कांग्रेस वाला आदमी ऐसी गलती नहीं कर सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जीतमल जैन और श्री शांति लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प संशोधित रूप से पारित किया जाय।

जो पक्ष में हों, हां कहें।

(माननीय सदस्यों के हां कहने के पश्चात्)

जो विपक्ष में हो, ना कहें।

(माननीय सदस्यों के ना कहने के पश्चात्)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

संकल्प संशोधित रूप में स्वीकार....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिविजन करवाया जाय। डिविजन कराया जाय। वी वांट डिविजन। यह भी आ जायेंगे उस समय तक।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : समय पर आपत्ति नहीं की। आपने दो दफा दोहरा दिया–हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता....

श्री अध्यक्ष : फिर पूछ लेता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, फिर दुबारा नहीं होगा, साहब। आपत्ति लें ली है। दो दफा आपने कह दिया—हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। बात समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिगलानीजी, बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी में डिविजन प्रोटेस्ट लोज करने के लिये डिमाण्ड किया जाता है। जिसके पास कम वोट होते हैं, वह डिविजन डिमाण्ड करता है। अपेरेन्टली आपका पास हो गया। यह क्या तरीका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी धारणा गलत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह धारणा सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। डेमोक्रेसी के अन्दर आप किसी पक्ष में हो, इसको रिकार्ड करने की भी आवश्यकता है। हम देखना चाहते हैं कि कौन-कौनसे मैम्बर किसानों के विरूद्ध में वोट देते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप देखना नहीं चाहते, आप यह इश्यू बनाना चाहते हैं, आप राजस्थान में यह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आपने बात कह दी, मेरी सुनिये आप। मैं आपको भाषण तो नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, भाषण नहीं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : तो आपने आपत्ति कर दी, मैं दे रहा हूं जवाब। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी विनम्र प्रार्थना यह है, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी एक इश्यू बनाना चाहते हैं, राजस्थान के अन्दर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, करें। लेकिन आप अध्यक्ष हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। मैं व्यवस्था देने के लिये खड़ा हुआ हूं, आप बैठते नहीं हैं। मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

देखिये, डिवीजन के मामले में हाउस में कोई भी पक्ष डिवीजन मांग सकता है। Any party can demand division जब वह डिवीजन मांगेगी तो मुझे दुबारा पूछना पड़ेगा। इसलिए मैं दुबारा कह रहा हूं और कह क्या रहा हूं आपको।

प्रश्न यह है कि श्री जीतमल जैन, शांतिलाल (राजसमन्द) सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : We want division.

श्री दिग्विजय सिंह : We want division.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम डिवीजन चाहते हैं। हम डिवीजन चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बैठिये प्लीज। अब आप मेरी सुन लीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह मन से नहीं है किसानों के साथ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : किसानों की भावना निकल गयी।

एक माननीय सदस्य : यह तो किसानों के साथ हैं नहीं। भावनाओं के साथ कहां हैं किसानों के साथ। मन की भावना अब निकली है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह संकल्प प्राइवेट मैम्बर का है। आज के दिन सम्पूर्ण माननीय सदस्य सम्पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इस दृष्टि से इस संकल्प के बारे में हर व्यक्ति, हर माननीय सदस्य अपनी अपनी राय दे सकता है। इसलिये इसमें इन्होंने हां कर दिया, ना का कर दिया, यह मेरे लिये मीनिंग लेस है। यदि डिवीजन मांगा जाता है हां होकर ना पर, मुझे डिवीजन देना पड़ेगा। इसका कोई चारा नहीं है इसके लिये। इट इज नाट एक्रास दी पार्टी। क्योंकि यह एक एक्रास दी पार्टी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह वाक आउट करने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जब आपने आसन से यह कहा कि जो इस संकल्प के पक्ष में हों वह हां कहें तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हां कहा और जब आपने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब आसन से पूछा कि जो इस संकल्प के पक्ष में हों वह हां कहें तो मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने हां कहा। जब आपने कहा जो इस संकल्प के खिलाफ हों वह ना कहें तब मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने कहा। यह अनएथेकल एक्ट है इनका। यह पार्टी का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने हां कहा हां। हां कहा, अब भी कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने हां भी कहा, ना भी कहा। आपने हां भी कहा, ना भी कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये, मैंने नो नहीं कहा। मैंने हां कहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नो कहा है। कैसे नहीं कहा आपने। आपने कहा है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : न्याय मिलने की कोई आशा नही है इसलिये अपन सदन से बहिगमन करते हैं।

(कांग्रेस (इ) के सदस्यों का बहिगमन)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यदि कांग्रेस पार्टी के लोग इसका समर्थन करते हैं सर्वसम्मति से तो फिर डिवीजन की जरूरत नहीं है और यदि समर्थन नहीं करते हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह वाक आउट क्यों कर रहे हैं ?

श्री डूंगरराम पंवार : किसानों के खिलाफ हैं, साफ हो गयी बात।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी बात के लिये आपको रोक नहीं सकता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वाक आउट क्यों कर रहे हैं यह।

श्री अध्यक्ष : आप जो चाहें, कहें। जो चाहें जायें, जायें।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री डूंगरराम पंवार : किसान विरोधी हैं इससे स्पष्ट हो गया आज। पकड़े गये आज।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जीतमल जैन, श्री शांतिलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। डा. उजला अरोड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष : उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यों की सर्वसम्मति से किया गया। डा. उजला अरोड़ा।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं :—

"यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थान राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, नियमों तथा न्यायालयों में अन्य कारोबार व्यवहार में अनिवार्यत: राजभाषा हिन्दी में कार्य किया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उजलाजी को सुनिये, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हां, बोलिये।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमारे संविधान में हिन्दी को अप्रतिम प्रतिष्ठा मिली है। संविधान में इस सम्बन्ध में 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रतिबद्धता की भाषा, सरकार द्वारा अनुशासित रूप में मानी जाने वाली भाषा, न्याय और विधि में मानी जाने वाली भाषा हिन्दी के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सन् 1952 में निवर्तमान सरकार की ओर से एक संकल्प प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्थान राज्य में हिन्दी में सब कारोबार, आदेश, राजकीय अनुशंसा और इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के निर्देशों, आदेशों और पत्रावलियों में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करने की बात यहां स्वीकृत की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, समगच्छोधम, समवदोधम, समोमनासिजानतम, यह भाषा, एकसा चलें, एकसा सोचें, एकसा बोलें, इस प्रकार का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी लिया था। मैं निवेदन करना चाहूंगी, जब हम एकसा सोचते हैं, एकसा बोलते हैं तब हमारे मन बहुत नजदीक आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हिन्दी ने ऐसा कार्य किया कि पूरे प्रदेशों को लाकर जो गुलाम भाषा थी उसके विरोध स्वरूप संविधान में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, हिन्दुस्तान में जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, ईस्ट इंडिया कम्पनी आयी उसने हमारे राज्य पर अधिकार किया, एकछत्र राज्य पर अधिकार कर हिन्दुस्तानियों का अपमान किया, उनको बूटों से ठोका, उनको बुरी तरह से जेलों में फंसाया, उनको फांसी के तख्तों पर लटकाया और अंग्रेजी को थोपने का प्रयास किया। मैं निवेदन करना चाहूंगी इस अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से एक वह बात झलकती है, हम अभी भी गुलाम हैं क्या? हमारी भाषा, अपनी भाषा को प्रतिष्ठा न मिले, अंग्रेजी भाषा जिससे हमको दो सदी तक गुलामी मिली वह आज भी राज की भाषा में है। राज्य के सारे आदेश, निर्देश इस प्रकार के हैं कि मैं निवेदन करना चाहूंगी, एक आपके सामने भाषा विभाग की तख्ती है, अपने शिक्षा मंत्रीजी देख सकते हैं, राजभाषा हिन्दी का प्रयोग राज्य सरकार की घोषित नीति का अभिन्न अंग है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यह राष्ट्रभाषा हिन्दी हमारी राजभाषा सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली है।

यह भाषा विभाग का जो कलेण्डर है वह करीब-करीब सभी जगह टंगा हुआ है यही नहीं, राजस्थान राज्य में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हिन्दी प्रयोग अनिवार्य है इस प्रकार के जो नियम जिस जिस दिन और जितनी संख्या में पारित किये गये वह सब कलेण्डर हमारे मंत्रियों के और सचिवालय में सचिवों के कमरों में लटके हुए हैं । राजस्थान विधान मण्डल और उनकी समितियों में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी मामले हिन्दी में प्रस्तुत किये जायेंगे यह राज्यादेश सं 7–क/ 8–ख/ 63 दिनांक 23.1.65 दूसरा हिन्दी पत्रों में राजकीय विभागों द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन, विज्ञप्तियां हिन्दी में ही हों, आदेश सं 12 तीसरा, राजकीय समस्त कागजों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर मान्य होंगे, यहां मामला अटक गया । अब यह सरकार ने मान लिया कि जो पत्रावली अंग्रेजी में आये उस पर केवल हिन्दी में दस्तखत कर दिये जायें तो राजभाषा को मान्यता मिल जायेगी यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है. इस परिस्थिति में परिवर्तन होना चाहिए । चौथा, समस्त प्रकार के आदेश नियुक्तियां, स्थानान्तरण, पदस्थापन, वेतन वृद्धि, अवकाश, कार्य ग्रहण, सेवा निवृत्ति सभी आदेश हिन्दी में प्रसारित होने पर ही प्रमाणित माने जायेंगे । आज आप देख सकते हैं, राज्य के जितने विज्ञापन निकलते हैं उनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा अंग्रेजी में निकलते हैं । जो बात कही जा रही है वह मानी नहीं जा रही हैं । सरकार कहती है कि हमारा आदेश है, इसको माना जाय मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं मुख्य मंत्री के पास शिक्षा मंत्री के पास कितनी फाइलें अंग्रेजी में आती हैं, वह किस प्रकार स्वीकार करते हैं । जब हमारे संविधान के अन्तर्गत बने हुए राज्य के जो नियम हैं उनके विपरीत आचरण किस प्रकार होता है । पांचवा, राजपत्र में छपने वाली समस्त सामग्री हिन्दी में ही हो । अपवाद स्वरूप द्विभाषी हिन्दी अंग्रेजी में हो सकती है । जब हमने मान लिया कि हम अपने समस्त कार्य और समस्त आदेश निर्देश, समस्त पत्रावलियां हिन्दी में ही स्वीकार करेंगे । जब केन्द्र सरकार इस ओर प्रेरित होना चाहती है । मैंने महसूस किया, मैं पूरे हिन्दुस्तान के कोने कोने में घूमी हूं । दक्षिण के बारे में कहा जाता है कि वह लोग हिन्दी का विरोध करते हैं । मैंने देखा वहां हिन्दी से संबंधित संस्थाएं हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं । हिन्दी वहां पर बढ रही है और एक दिन वह आ सकता है कि हिन्दी भाषी प्रान्त यह कहें कि कहीं वह हमसे आगे बढ़ गये । इसलिए हमें पहल करनी चाहिये, मध्यप्रदेश ने पहल की । भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है । मुझे बोलने दीजिये । मैं कहती हूं आपने मेरे संकल्प को द्वितीय कराया जब कि मेरा प्रथम होना चाहिये था आप सब के आदेश की मैंने पालना की, मुझे बोलने दिया जाय । अगर हमारी भाषा का सम्मान हम नहीं करेंगे, तो मैं समझती हूं कोई हमारा सम्मान भी नहीं करेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप जोर से बोल रही हैं, आपका श्वास फूल रहा है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मध्यप्रदेश ने सर्व प्रथम मान्यता हिन्दी के लिए स्वीकार की । कोई पत्रावली अंग्रेजी में स्वीकार नहीं होगी । मुख्य मंत्री और पूरे सचिवालय में जब यह निर्णय लिया गया और हिन्दी स्वीकार की गई । तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कल का बना प्रान्त

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यू.पी. जो हमारी ही पार्टी का जहां शासन है उन्होंने हिन्दी भाषा को स्वीकार किया और उस रूप में स्वीकार किया कि वहां द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो । अभी अभी माननीय मंत्री महोदय, हिन्दी दिवस समारोह में जाकर आये हैं । हर स्थान की परिपाटी सीखी जाती है । हिन्दी समारोह में जाकर हिन्दी को मान्यता देनी चाहिये । हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिये । हिन्दी में वह सशक्तता है, संपुष्टता है और सरलता है । यह बात कही जाती है और करेगा कौन । सरकार करेगी या कोई और करेगा जैसा कहें वैसा करना चाहिए । इस प्रकार की भाषा जब निकलती है, प्रशासनिक अधिकारों से जो अधिकृत लोग हैं वही नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन । मान्यवर यह स्थिति उचित नहीं है । मैं कहना चाहूंगी समस्त रजिस्टरों, प्रपत्रों आदि में हाथ से की जाने वाली समस्त प्रविष्टयां हिन्दी में ही होंगी । नो, समस्त वित्तीय स्वीकृतियां, सरकारी फैसले हिन्दी में ही लिखे जाएंगे । समस्त आदेश, परिपत्र आदि जो प्रशासनिक सामग्री मुद्रित या साइक्लोस्टाइल होकर जा रही हो वह हिन्दी में होगी । अभी भी जब टंकण यंत्र खरीदे जाते हैं तो वह अंग्रेजी में क्यों खरीदे जाते हैं जब कि भाषा विभाग ने निर्देश दिया है कि कोई टंकण यंत्र विभाग में अंग्रेजी का नहीं खरीदा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : भाषण अपूर्ण । सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16.9.91 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7.07 बजे सोमवार, दिनांक 16.9.91 को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची

जिन ग्यारह प्रकार की औषधियों को क्रय किया गया था, वे निम्न प्रकार हैं :—

1. टेबलेट	आई. एन. एच.+थायासिटीजोन
2. टेबलेट	आईसोनायज्ड
3. कैपसूल	रिफाम्पिसिन
4. टेबलेट	ईथामबुटोल
5. टेबलेट	पेराजिनेमाईड
6. इन्जेक्शन	स्ट्रेपटोमाईसिन
7. टेबलेट	कोट्राईमिजोल
8. टेबलेट	पेरासिटोमोल
9. टेबलेट	एनालजिन
10. टेबलेट	सीरप–कोफिग्रस
11. टेबलेट	विटामिन बी–काम्पलेक्स

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची

पंचायत समिति नादौती प्राथमिक शाला एवं अध्यापकों की सूची

विधान–सभा क्षेत्र–टोडाभीम

क्र. सं.	नाम प्रा. विद्यालय	अध्यापक सं.	क्र. सं.	नाम प्रा. विद्यालय	अध्यापक सं.
1.	नादौती (छात्र)	7	23.	ढड की ढाणी	2
2.	नादौती (कन्या)	3	24.	सन्देडावास	1
3.	सिकन्दरपुर	2	25.	वाडाराजपुर	2
4.	रिंगसपुरा	2	26.	चेनपुरा	1
5.	अमलूदा	2	27.	भीनापट्टी	1
6.	जीरणा	2	28.	मोहचीका पुरा	2
7.	बेरवा का पुरा	3	29.	माचडी	2
8.	वाला खेडा	2	30.	भांवरागुजर	2
9.	वाडा वाजिद पुर	2	31.	गोठडा	1
10.	केमरी	6	32.	आमलीपुरा	1
11.	होदायली	2	33.	घाटोली	2
12.	जिन्दो की ढाणी	3	34.	धोलेटा	2
13.	मेडे की ढाणी	2	35.	मालूपाडा	2
14.	बडी धमाडी	2	36.	लालसर	2
15.	बडगांव	3	37.	गढखेडा	5
16.	बाढ केमरी	2	38.	मोंहरा	2
17.	गुढा चन्द्रजी	5	39.	गड़मोरा	3
18.	गुजरों का पुरा	1	40.	धौला दाता	1
19.	आम का आहरा	2	41.	रेवासा	1
20.	भवरवाडा	1	42.	बाढ रायसना	1
21.	गुणा	2	43.	रूपाडी	2
22.	गिदानी	2	44.	भोड़वाडा	1

क्र. सं.	नाम प्रा. विद्यालय	अध्यापक संख्या	क्र. सं.	नाम प्रा. विद्यालय	अध्यापक संख्या
45.	गांवडी	1	56.	रोसी का पुरा	2
46.	खोयली	2	57.	खेडला खेडली	3
47.	हरलोदा	2	58.	खेडला गूजर	2
48.	लोदा	2	59.	सोप (छात्र)	5
49.	बाडा प्रिचानौत	2	60.	सोप (छात्रा)	2
50.	शहर	5	61.	रलावता	2
51.	सावटा	1	62.	बिलई	2
52.	बामोरी	2	63.	वरदाला	3
53.	मोहचीवास	3	64.	कुन्जेला	3
54.	केमला	7	65.	बागोर	3
55.	मिरूकसराय	3		योग	154

ह./-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति नादौती

सूची प्राथमिक शालायें अध्यापक सहित विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (पं. स. टोडाभीम)

क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला	अध्यापक सं.	क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला	अध्यापक सं.
1.	भण्डारी बेरूनी	2	9.	भेसीना	3
2.	भण्डारी अन्दरूनी	1	10.	दांतली	3
3.	जहाँनगर	2	11.	आंतरहेडा प्रथम	2
4.	मोरडा	5	12.	आंतरहेडा द्वितीय	2
5.	क. मोरडा	2	13.	पोरोली	2
6.	अनन्तपुरा	3	14.	मेंहदीपुर	2
7.	मिलकीपुरा	2	15.	भनकपुरा	6
8.	डोरका	2	16.	भूडा	3

(180)

क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला	अध्यापक सं.	क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला	अध्यापक सं.
17.	करणपुर	2	43.	गाजीपुर	2
18.	मेहन्दवाडा	7	44.	चक गाजीपुर	2
19.	त्रिसूल की ढाणी	3	45.	जोधपुरा	2.
20.	ऐदलपुर	2	46.	चूरपुरा	1
21.	बीजलवाडा	2	47.	पाडली	2
22.	जैसनी	2	48.	माधोपुरा	2
23.	गोपालपुरा	3	49.	मेरेडा	3
24.	मिर्जापुर	4	50.	क. कटीरी	2
25.	अजीजपुर	7	51.	भोपुर	7
26.	विशनपुरा	3	52.	अटपापुर	4
27.	नन्दू का पुरा	2	53.	शेखपुरा	4
28.	क. मांगल लाट	2	54.	रानोली	4
29.	नागल लाट	7	55.	आरेज	4
30.	कानेरी	3	56.	आखावाडा	3
31.	भीमपुर	3	57.	कालवाडी	2
32.	असरो	3	58.	सहजनपुर	2
33.	पदमपुरा	5	59.	बहादरपुर	3
34.	दादनपुर	4	60.	गाजीपुर	2
35.	क. पदमपुर	2	61.	झोटवाडा	3
36.	बेरोज	3	62.	नागल शेरपुर	6
37.	नांद खुर्द	2	63.	बाढ महासिंहपुरा	2
38.	नांद कला	2	64.	धवान	2
39.	गजूपुरा	2	65.	गांवडी	2
40.	मकटोट मोनापुरा	3	66.	मोहनपुरा	1
41.	सुजानपुरा	3	67.	कमालपुरा	5
42.	कटीरी	4	68.	क. महावा	3

क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला	अध्यापक सं.	क्र. सं.	नाम प्राथमिक शाला	अध्यापक सं.
69.	उरदेन	2	73.	क. नागलशेरपुर	2
70.	बादलिलचीपुर	2	74.	खिलचीपुर	2
71.	राजोली	2	75.	ललाईका बास	2
72.	महस्वा	6	76.	खानपुर	2
				योग	107+115=222

ह./—
विकास अधिकारी
पंचायत समिति टोडाभीम
जिला सवाई माधोपुर (राज.)

(183)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 63 की सूची

डग विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1988–89 से 1991–92 तक प्रस्तावित ग्रामों की सूची।

वर्ष 1988–89

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	उमरिया	26/6/131	9.	भैंसडिया	159
2.	मेरू खेडी	128	10.	साकरिया	16
3.	भैसाभर	138	11.	रोभाना	23
4.	सुजानपुर	136	12.	गुराडिया भाला	18
5.	डोडी	189	13.	जेता खेडी	25
6.	धतूरिया	152	14.	करनपुरा	26
7.	कबीरी	151	15.	लूना खेडा	65
8.	पाडला	140	16.	सेमली छरोत	20
9.	किशन–नगर	139	17.	सुनारी	82
10.	कोलवी	141	18.	चोर बडी	80
11.	सारंगा खेडा	162	19.	गुवालाद	68
			20.	मेलकी	66
			21.	बडिया लाखा	102
			22.	डाबला	84
			23.	लूना खेडी	64

वर्ष 1989–90

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	हुडमत्या	26/4/79
2.	करनखेडी	58
3.	निपानिया हाडा	91
4.	पाडला	26/6/140 रिपल-
5.	किशन–नगर	139 ग्रोवर
6.	सारंगा खेडा	162 ग्राम
7.	निपानिया	129
8.	गोविन्दपुरा	160

वर्ष 1990–91

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	गोविन्दपुर	26/6/160 (रिपल
2.	गुवालाद	68 (ग्रोवर
3.	चोर बडी	80 (ग्राम
4.	बडिया लाखा	102

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
वर्ष 1990-91			वर्ष 1991-92		
5.	पडासली	26/4/49	1.	कून्डला	26/6/38
6.	डोबडा	26/6/191	2.	बिशनिया	30
7.	पीपल्या खुर्द	132	3.	कोलवा गूजर	12
8.	पडासली	184	4.	बनकड़ी	8
9.	तिसाई	121	5.	सेमली गेहूलोत	5
10.	उदयपुरा	123	6.	भड़का	40
11.	चाचुनी	170	7.	जखनी	39
12.	केलू खेडा	67	8.	ऐंडी	26/4/48
13.	खूरचन्या	70	9.	आनन्दपुरा	67
14.	पीपलया	71	10.	पाडलिया	26/6/36
15.	लसूडिया	74	11.	चौकडी खुर्द	169
16.	सरवर	103	12.	जगदीशपुरा	175

परिशिष्ट—4

तारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची

वाहन का विवरण	मेक/मोडल	क्रय वर्ष	राशि
1. जीप आर. जे. जेड 1700	सीजे–3–बी पैट्रोल	25.1.61	14302.75
2. जीप आर. जे. जेड 3710	सीजे–3–बी पैट्रोल	8.9.67	32303.99
3. जीप आर. जे. 14 ई–0035	टैम्पोट्रैक्स डीजल	3.4.91	168607.51
4. ट्रैक्टर आर. जे. जेड–3387	हिन्दुस्तान एच. डब्लू. डी. 50	14.9.66	28972.51

(185)

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनाड
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केरू
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिसलपुर
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालवा कलां
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालावास
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झवर
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धवा
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धुन्धाडा
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारवा
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटिण्डा
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सतलाना
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुडा विश्नोई
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणी
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य, केन्द्र, कुडी
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारिया मीठापुर
16,	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाडशहर
17.	राजकीय चिकित्सालय, बोरून्दा
18.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलाडा
19.	मातृ शिशु-कल्याण केन्द्र, बिलाडा
20.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलवासनी
21.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेजडला
22.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाला
23.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भावी
24,	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कापडला

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
25.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मथानिया
26.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओसियां
27.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराकलां
28.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाबरा
29.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनारीकलां
30.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावडी
31.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिवरी
32.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांगाणी
33.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मतोडा
34.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डित जी की ढाणी
35.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पांचला खुर्द
36.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलवा
37.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहावट
38.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोडिया
39.	
40	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारू
41	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामराऊ
42.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाडी
43.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिकमकोर
44.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोमेसर
45.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देचू
46.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोइन्तरा
47.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाथडाऊ
48.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेतरावा
49.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरगढ़
50.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप
51.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ़

क. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम
52.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानसिंह की सिड
53.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाम्बा
54.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कलेनसर
55.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानासर
56.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेसर
57.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चामू
58.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिराई
59.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिराई
60.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केतुकला
61.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगोलाई
62.	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, तेना
63.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासाना
64.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड
65.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसोप
66.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खांगटा
67.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खांसपुरा
68.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतकुडिया

तारांकित प्रश्न संख्या–10 के भाग 1 की सूची

जोधपुर जिले में रिक्त पड़े चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पंचायत समिति–वार विवरण :—

पंचायत समिति का नाम	चिकित्सालय का नाम	पद संख्या
1. मण्डोर	प्रा. स्वा. केन्द्र, बनाड़	1 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
2. बिलाड़ा	सा. स्वा. केन्द्र, पीपाडशहर	3 कनिष्ठ विशेषज्ञ

(188)

	पंचायत समिति का नाम	चिकित्सालय का नाम	पद संख्या
3.	ओसियां	सा. स्वा. केन्द्र, ओसियां	2 कनिष्ठ विशेषज्ञ
4.	शेरगढ	सा. स्वा. केन्द्र, शेरगढ	1 कनिष्ठ विशेषज्ञ
5.	बाप	सा. स्वा. केन्द्र, बाप	1 कनिष्ठ विशेषज्ञ 1 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
6.	बालेसर	सा. स्वा. केन्द्र, बालेसर	1 कनिष्ठ विशेषज्ञ 1 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

तारांकित प्रश्न संख्या 18/सानिम/चिकि/सा के प्रश्न के भाग दो की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान	अनुपस्थिति व मुख्यालय पर न रहने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।
1.	डा. कविता गुप्ता प्रा. स्वा. के. कानसिंहजी की सीड	अनुपस्थित रहने के कारण इनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया
2.	डा. राजाराम शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, प्रा. स्वा. के. सतलाना	अनुपस्थित रहने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया।
3.	डा. नन्दा चारण चिकित्साधिकारी प्रभारी प्रा. स्वा. के. डाबरा	वेतन रोका गया है।
4.	डा. विमला शर्मा चिकित्साधिकारी ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, देचू	स्पष्टीकरण मांगा गया है।
4.	डा. हरीश खेमचन्दानी चिकित्सा अधिकारी, गुढा विश्नोईयान	–यथा–
6.	डा. एम. एम. जैन, चिकित्सा अधिकारी प्रा. स्वा. केन्द्र, गांगाणी	–यथा–

परिशिष्ट–6

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर:–

जनजातीय विकाश आयुक्त कार्यालय के शैक्षणिक अधिकारी के कर्तव्य एवं अधिकार

66. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन जातीय विकास आयुक्त कार्यालय में शिक्षा से सम्बन्धित भी कोई अधिकारी कार्यरत है, यदि हां, तो कौन अधिकारी है ? और उसके क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, इस विभाग में शिक्षा से सम्बधित उप निदेशक स्तर के अधिकारी हैं । वर्तमान में श्री पूरनलाल तानीवाल (शिक्षा) कार्यरत है । इनको पृथक से कोई अधिकार नहीं है । ये आयुक्त जन जातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के दिशा निर्देश में जनजाति क्षेत्र की शैक्षिक योजनाओं का निर्माण क्रियान्विति एवं निरीक्षण करते हैं ।

कोटा जिले की रेडक्रास सोसायटी

67. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेडक्रॉस सोसायटी, कोटा के ताले लगे हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ताले लगने से गरीब मरीजों को चिकित्सा सुविधा से वंचित होना पड़ा ?

(2) क्या यह सही है कि रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारी अपने अस्तित्व के लिए झगड़े कर रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि रेडक्रॉस सोसायटी की दुकानों का हजारों रुपये किराया वसूल किया जा रहा ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस रेडक्रॉस की आय कम हो गई है ?

(5) क्या रेडक्रॉस की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किन–किन व्यक्तियों ने, उनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । रेडक्रास सोसायटी कोटा के मामलों में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ।

(2) हां ।

(3) हां, क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

(4) हां ।

(5) रेडक्रॉस की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

राजस्थान में खनिज सम्पदा का दोहन

68. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज कहां कहां उपलब्ध हैं ? किस–किस खनिज का कितना–कितना क्षेत्र राजस्थान में उपलब्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में भारी तादाद में अवैध खनन हो रहा है जिससे राज्य सरकार को भारी हानि हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये गये तथा उसका क्या नतीजा निकला ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रधान खनिज 41 प्रकार के व अप्रधान खनिज 19 प्रकार के इस प्रकार कुल 60 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं । जिन क्षेत्रों में प्रमुख तौर पर खनिज उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के नाम एवं उपलब्ध भण्डार की जानकारी संलग्न प्रपत्र संख्या "अ" में दी गई है।

(2) जी नहीं । यह सही नहीं है कि राजस्थान में भारी तादाद में अवैध खनन हो रहा है जिससे राज्य सरकार को भारी हानि हो रही है । समय समय पर अवैध खनन के मामले विशेष सैण्डस्टोन क्षेत्रों में अवश्य पकड़े जाते हैं । अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग में पृथक से सतर्कता विंग गठित है । जिसके द्वारा तथा विभाग के अधिकारी भी समय-समय पर अवैध खनन को चैकिंग करते हैं । समय समय पर विशेष अभियान भी आयोजित किये जाते हैं । वर्ष 1990–91 में जिला बून्दी, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में विशेष सतर्कता अभियान आयोजित किये गये, बून्दी जिले में कानूनी कार्यवाही हेतु 9 एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई 35 व्यक्ति पुलिस विभाग द्वारा गिरफ्तार किये गये 500 टन खनिज फर्शी व पट्टियां जब्त की गई विभिन्न तरह के औजार जप्त किये गये, 7 ट्रेक्टर कम्प्रेशर, एक्सप्लोजिव्ज (बड़ी मात्रा में) जप्त किये गये । जिला भीलवाड़ा की तहसील माण्डलगढ़ में कानूनी कार्यवाही हेतु 10 एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई, पुलिस द्वारा 20 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, एक ट्रक व विभिन्न प्रकार के औजार जप्त किये गये, 400 टन फर्शी व पट्टियां जब्त की गई 49 मामलों में खनिज कीमत (12 गुणी रायल्टी) वसूल की गई, रुपये 1.75 लाख मौके पर वसूल किये गये। जिला सवाई माधोपुर के करौली क्षेत्र में कानूनी कार्यवाही हेतु 4 एफ.आई. आर दर्ज कराई गई एवं पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । सतर्कता विंग के द्वारा वर्ष 1990–91 में रायल्टी लीकेज के 832 मामले पकड़े गये, 10729 वाहन चैक किये गये, कुल 7.55 लाख रुपये मौके पर वसूल किये गये । सतर्कता विंग के द्वारा वर्ष 91–92 के प्रथम चार माह में रायल्टी लीकेज के 237 मामले, 3466 वाहन चैक किये गये, रुपये 18,96,33/ की मौके पर वसूली की गई ।

2. खाली पड़ी भूमि जहां खनिज है । उसका आवंटन किया जा रहा है और जहां नियमों की जटिलता से आवंटन नहीं हो

(खनिज राज्य मंत्री)

रहा है वहां पर नियमों का सरलीकरण कर आवंटन किया जा रहा है।

3. वन क्षेत्र को मुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

4. खातेदारी भूमि में लैण्ड स्टोन के लाइसेंस या पट्टा देने का प्रावधान किया गया है।

5. अधिक अधिशुल्क वसूली करने हेतु अधिकाधिक नाकों की नीलामी की गई है।

परिशिष्ट "अ"

क.सं.	खनिज	जिलेवार क्षेत्रों में उपलब्धता	उपलब्ध खनिज भण्डार (मिलियन टन)
1	2	3	4
1.	जस्ता, सीसी, चांदी का खनिज	उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, अजमेर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, अलवर।	147.565
2.	ताम्बा का खनिज	उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, झुन्झुनू, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर	65.073
3.	टंगस्टन खनिज	सिरोही, नागौर	0.290
4.	आयरन ओर	जयपुर, झुन्झुनूं, उदयपुर	7.818
5.	पायराईट	सीकर, अलवर,	34.350
6.	मैग्नीज	बांसवाड़ा, उदयपुर, स. माधोपुर	0.192
7.	कोरण्डम	भीलवाड़ा, टौंक	3.993
8.	ऐपेटाइट	सीकर, उदयपुर,	0.930
9.	एसबेस्टोस	अजमेर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अलवर।	1.152
10.	बेराईट्स	उदयपुर, अलवर, जयपुर, पाली, अजमेर, झुन्झुनूं, झालावाड़	2.362
11.	केल्साईट	उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर राजसमन्द, जयपुर अलवर, डूंगरपुर झुन्झुनूं	2.203

(192)

1	2	3	4
12.	गारनेट	टौंक, भीलवाड़ा, अजमेर	0.138
13.	जिप्सम	श्री गंगानगर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर	175.569
14.	फैल्सपार क्वार्टज	अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, अलवर जयपुर, उदयपुर, रजसमंद, टौंक	2.203
15.	सोपस्टोन	उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, अजमेर बांसवाड़ा, झुन्झुनूं, टौंक, स. माधोपुर, भरतपुर	–
16.	बेन्टोनाइट	बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़	190.631
17.	चायना क्ले, बाल क्ले व फायर क्ले	बीकानेर, कोटा, चित्तौड़, भरतपुर, स. माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा	208.072
18	मेग्नेसाईट	बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, पाली	0.193
19.	डोलोमाईट	जयपुर, सीकर, झुन्झुनूं, जैसलमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद	162.644
20.	पन्ना	अजमेर, राजसमंद	–
21.	फ्लोराईट	डूंगरपुर अजमेर, जालौर, सिरोही, सीकर, झुन्झुनूं	0.636
22.	संगमरमर	उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, टौंक, सिरोही, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, बूंदी	विशाल भंडार
23.	स्टीलग्रेड, लाइमस्टोन	जैसलमेर, नागौर	6,578.463

1	2	3	4
24.	सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन	अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, सीकर, झालावाड़ स. माधोपुर, जयपुर, पाली, बीकानेर, चूरू, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर नागौर।	6,578.463
25.	माईका	भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, टौंक राजसमन्द।	
26.	पोटास	श्री गंगानगर।	14.697
27.	पायरोफ्लाईट	उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा	
28.	वोलस्टोनाईट	सिरोही, अजमेर	2.335
29.	सिलिका सैण्ड	जयपुर, भरतपुर, बूंदी, स. माधोपुर, बाड़मेर, सीकर, टौंक	83.003
30.	रॉक फास्फेट	उदयपुर, बांसवाड़ा, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर	750.00
31.	ग्रेनाइट	उदयपुर, सीकर, बाड़मेर जालौर सिरोही, जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, टौंक राजसमन्द।	
32.	सैण्ड स्टोन	भरतपुर, धौलपुर, स.माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा।	विशाल भण्डार
33.	लिग्नाईट	बीकानेर, नागौर, बाड़मेर	800,000
34.	कायनाईट	भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, राजसमन्द	
35.	ग्रेफाइट	बांसवाड़ा	
36.	जॉसपर	जोधपुर	
37	लेटेराइट	चित्तौड़गढ़	

1	2	3	4
38.	अकर	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	
39.	सेलेनाइट	बाड़मेर, बीकानेर	
40.	सिलिसियस अर्थ	बाड़मेर	
41.	स्लेट स्टोन	अलवर, टौंक, बूंदी	
42.	चाक	सिरोही	
43.	ऐक्यरीन	टौंक	
44.	मैंसेनरी स्टोन	सभी जिलों में	
45,	कंकर बजरी	सभी जिलों में	
46.	ईंट मिट्टी	सभी जिलों में	
47.	लाइम स्टोन (फर्शी)	कोटा, चित्तौड़गढ़	
48.	मिल स्टोन	भरतपुर, सवाई माधोपुर	
49.	सरपेटाइन	उदयपुर, डूंगरपुर	
50.	रायोलाइट	जोधपुर, पाली,	
51.	मोरम	जयपुर, नागौर, बूंदी, अलवर	
52.	लाईम स्टोन (वर्निग)	चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़-मेर, भरतपुर, कोटा, जिलों को छोड़कर राज्य के शेष जिलों में।	
53.	फुलर्स अर्थ	बीकानेर, बाडमेर,	
54.	सालट पीटर	श्रीगंगानगर, भरतपुर	
55.	शिष्ट	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, पाली, टौंक, अलवर	
56.	शेल	चित्तौड़गढ़	
57.	चर्ट	भरतपुर, अलवर	
58.	एपीडोट	उदयपुर जयपुर,	
59.	रेड आक्साइड	सवाईमाधोपुर	
60.	डायमन्ड	चित्तौड़गढ़, झालावाड़	

ए.बी. तथा सी. श्रेणी के चिकित्सालयों में स्टाफ सृजन का मानदण्ड

69. श्री रामस्वरूप (रायसिंह नगर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में ए. बी. व सी. श्रेणी के अस्पताल में स्टाफ की पदस्थापना किस आधार पर की जाती है तथा 150 शैयाओं-युक्त अस्पताल में कितना स्टाफ मय चिकित्सक, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होना चाहिये ?

(2) चूरू के डेडराज भरतीया अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों, एस. एच. ओ. व सी. ए. एस. के कितने पद स्वीकृत हैं ? कौन-कौन से पद कितने समय से रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) डेडराज भरतीया अस्पताल में वर्ष 1990 व 1991 में कितनी राशि की दवाइयां, ग्लूकोज खरीदी गई ? क्या निर्धारित बजट पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की भावी नीति क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय होते हुए भी चूरू के डेडराज भरतीया अस्पताल में रोगी वाहन अत्यन्त पुराना व अनुपयोगी है ? यदि हां तो क्या सरकार नया वाहन देने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) चूरू तहसील के कितने गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र स्वीकृत हैं ? कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्रों में स्टाफ पदस्थापित नहीं है ? तथा कितनों में भवन उपलब्ध नहीं है ? कितनों में भवन निर्माण करवाने की सरकार की योजना है ?

(6) क्या यह सही है कि रतन नगर रैफरल अस्पताल की इमारत की हालत अत्यन्त जीर्ण शीर्ण है ? अगर हां, तो क्या सरकार इमारत के जीर्णोधार की योजना रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(7) क्या यह सही है कि रतन नगर रैफरल अस्पताल में रोगी वाहन राज्य सरकार द्वारा आवंटित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रदेश में चिकित्सालयों के स्टाफ की व्यवस्था 1961 में निर्धारित स्टाफिंग पेट्रन तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जाती है। 150 रोगी शैयायुक्त "बी" श्रेणी में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जो स्टाफ होना चाहिए उसकी सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ?

(2) चूरू के डेडराज भरतिया अस्पताल ने चिकित्सकों के स्वीकृत और रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

नाम पद	स्वीकृत	रिक्त
वरिष्ठ विशेषज्ञ	5	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ	10	2/4/91/7/91
उप नियंत्रक	1	12/91 में
वरिष्ठ चिकित्सक	2	—
चिकित्सा अधिकारी	8	3

(1.9.91 से)

(चिकित्सा मंत्री)

रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) डेडराज भरतिया अस्पताल में जो दवाईयां व उनमें से ग्लूकोज खरीदी गई का विवरण निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	दवाईयों खरीदी गई राशि	खरीदी गई दवाईयों में से ग्लूकोज की राशि
1989-90	5,48,624	84,752
1990-91	3,26,000	80,430

भेषज एवं औषधियों के मद में बजट का आंवटन राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है। दवाईयों का बजट आवश्यकता को देखते हुए कम है। परन्तु माप दण्डों का वर्तमान में संशोधित करना संभव नहीं।

(4) जी हां, वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर नया रोगी वाहन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे।

(5) चूरू तहसील के 6 ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 26 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिकतम स्टाफ कार्यरत है। केवल तीन उपकेन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमी पद-स्थापित नहीं है चूरू तहसील में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 4 उपकेन्द्रों के भवन उपलब्ध नहीं हैं वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर निर्माण कराने की विभाग की योजना है।

(6) रतननगर रेफरल अस्पताल के भवन अत्यन्त जीर्ण अवस्था में नहीं हैं। इसकी मरम्मत कराने हेतु अनुमानित लागत के ब्यौरे मांगे गये हैं उनके प्राप्त होने पर मरम्मत कराने के प्रयास किये जायेगें।

(7) रतननगर अस्पताल के लिए एक रोगी वाहन दिनांक 21.8.91 को उपलब्ध करा दी गई है।

क्र. सं.	नाम पद	पैट्रन के अनुसार आवश्यक पद संख्या
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	5
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	10
3.	डिप्टी कन्ट्रोलर	1
4.	सीनियर मेडीकल आफिसर	1
5.	मेडिकल आफिसर	17
6.	मैट्रन श्रेणी–1	1
7.	मैट्रन श्रेणी–2	2

क्र. सं.	नाम पद	पैट्रन के अनुसार आवश्यक पद संख्या		
8.	सिस्टर	5		
9.	मेलनर्स श्रेणी-1	10		
10.	मेलनर्स श्रेणी-2	17		
11.	स्टाफ नर्स	17		
12.	रेडियोग्राफर	2		
13.	लेबोरेटी टैक्नीशियन	1		
14.	फिजियो थेरापिस्ट	1		
15.	इलेक्ट्रीशियन	2		
16.	मेकेनिक	2		
17.	कार्यालय अधीक्षक	1		
18.	कनिष्ठ लेखाकार	1		
19.	कार्यालय सहायक	2		
20.	वरिष्ठ लिपिक	3		
21.	कनिष्ठ लिपिक	4		
22.	केक	4	)	
23.	धोबी	2	)	
24.	वार्ड ब्वाय	40	)	61
25.	हरीजन	15	)	
26.	वाहन चालक	2		

वित्त निगम से पोषित लघु इकाइयों में रुग्णता

70. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वित्त निगम से पोषित लघु इकाइयों में रुग्णता का प्रतिशत व संख्या क्या है ?

(2) क्या सरकार ने किसी ऐसी कमेटी का गठन किया है जो इन इकाइयों का सर्वे कर इनको पुनर्जीवित करने हेतु अपनी अनुषंसाएं देगी ?

(3) यदि हां, तो इस कमेटी का गठन किस प्रकार किया गया है व यह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?

(4) इस कमेटी की रिपोर्ट आने से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पहले वित्त निगम किस आधार पर अधिकृत की गई इकाइयों को नीलामी की विज्ञप्ति निकाल रहा है ?

उत्तर

(1) निगम से वित्त पोषित लघु इकाइयों में बंद इकाइयों की प्रतिशतता 11.08 है। 31 मार्च, 91 को कुल बन्द इकाइयों की संख्या 3796 थी। निगम बंद इकाइयों को ही रुग्ण इकाई मानता है।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा एक उप समिति का गठन किया है।

(3) उप समिति के गठन के आदेश की प्रति संलग्न है। उप समिति का कार्य रुग्ण इकाइयों का समय-समय पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट जिला स्तरीय परामर्शदात्रि समिति को प्रस्तुत करना है।

(4) वित्त निगम द्वारा वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन इकाइयों को जिनको मूल ऋणी चलाने में असमर्थ है और जो बन्द है या जो इकाईयां चालू हैं परन्तु जान बूझकर निगम का पैसा नहीं दे रही है का अधिग्रहण कर नीलामी की जा रही है।

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3)

क्रमांक प. 6(18) प्र. सु/90 जयपुर, दिनांक 22.9.90

आज्ञा

राज्य में स्थित रुग्ण इकाइयों के पुर्नस्थापन हेतु वर्तमान जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्शदात्री समिति की एक उप समिति के निम्नानुसार गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।	–संयोजक
2. रीको के जिला स्तरीय अधिकारी	–सदस्य
3. राजस्थान वित्त निगम के शाखा प्रबन्धक	सदस्य
4. जिले के शीर्ष बैंक अधिकारी (एल.बी.ओ.)	सदस्य
5. राज्य विद्युत मण्डल के संबंधित अधिशाषी अभियन्ता	सदस्य
5. प्रबन्ध (वित्त) जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

उक्त समिति आवश्यकतानुसार संबंधित बैंकों के शाखा प्रबन्धकों को भी विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

यह उप समिति जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्शदात्री समिति का ही एक अंग होगी एवं स्थाई होगी।

उप समिति के निम्नलिखित कृत्य/कार्यकलाप होंगें :—

(क) संबंधित जिले में रुग्ण इकाइयों का निश्चित अवधि में सर्वेक्षण करवाना एवं आर्थिक दृष्टि से जीवक्षम्य रुग्ण इकाइयों के संबंध में अपनी अनुषंशा/टिप्पणी सहित विस्तृत रिपोर्ट जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत करना।

(ख) जिन प्रकरणों पर जिला स्तर पर कार्यवाही संभव होगी उन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के प्रयास जिला स्तर पर ही करना।

(ग) औद्योगिक इकाइयों में व्याप्त रुग्णता को दूर करने, पुर्नसंस्थापन/पुर्नचालन हेतु किये गये उपायों/कदमों की समय-समय पर समीक्षा मोनीटरिंग करना एवं प्रत्येक दो माह में इस विषय में हुई प्रगति से जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्श दात्री समिति उद्योग निदेशालय को संबंधित उप समिति के संयोजक द्वारा अवगत कराना। जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्शदात्री समिति नियमित रूप से रुग्ण इकाइयों के संबंध में उप समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रगति की समीक्षा करेगी।

(घ) जिन प्रकरणों में निदेशालय/राज्य स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित होगी उन प्रकरणों को उप समिति की अनुषंशा/टिप्पणी सहित तथा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की सम्मति सहित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

(ङ) उद्योग की रुग्णता से संबंधित अन्य कार्य जो जिला स्तरीय औद्योगिक परामर्शदात्री समिति द्वारा सौंपे जावें।

आज्ञा से,

ह./-

(ए. यू. चेलानी)

उप शासन सचिव.

4

नव सृजित जिले राजसमन्द में नवीन चिकित्सालय का सृजन

71. **श्री शांतिलाल (राजसमंद)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नव सृजित राजसमन्द जिले के मुख्यालय पर राज्य सरकार जिला चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता महसूस करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार तत्काल जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद का सृजन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उपयुक्त व्यवस्था होने पर राजसमन्द जिले में जिला चिकित्सालय खोला जावेगा।

(2) जी हां, पद सृजित किया जा चुका है।

सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री तथा ब्यावर की कपड़े की कृष्णा मिल

72. **श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री एवं ब्यावर स्थित कपड़े की कृष्णा मिल को जब वे विपक्ष के नेता थे चालू कराने की मांग के लिये आन्दोलन किया था ?

(2) उक्त दोनों फैक्ट्रियों को अब तक चालू न कराने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त फैक्ट्रियां अब कब तक चालू हो जायेगी ? चालू करने हेतु प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, की सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री तथा मैसर्स कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर के पुर्नसंस्थापन/पुर्नचालन पैकेज को क्रमशः बी. आई. एफ. आर. व अपीलेट आथोरिटी फार इण्डस्ट्रीयल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्स्ट्रक्शन द्वारा अन्तिम—रूप से अभी तक अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण उक्त दोनों उद्योगों को चालू किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(3) उक्त दोनों फैक्ट्रियों का पुर्नचालन बी. आई. एफ. आर. व अपीलेट आथोरिटी फार. आई. एफ. आर. द्वारा पुर्नसंस्थापन/पुर्नचालन पैकेज अंतिम—रूप से स्वीकार करने पर ही सम्भव हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त फैक्ट्रियों के पुर्नचालन/पुर्नसंस्थापन हेतु किये गये प्रयासों के विवरण की सूची "क" व "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र संगरिया की ग्रामीण डिस्पेंसरीज

73. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी डिस्पेंसरीज गांवों में स्थित है उनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष का बजट क्या है ? क्या सभी स्थानों में डाक्टर गांव में रहते हैं ? क्या उनका निवास ग्रामीणों ने जन सहयोग से बना रखा है या उनके लिए अन्य स्थान लिया गया है ?

(2) संगरिया क्षेत्र की ग्रामीण डिस्पेंसरीज में 1991 के प्रथम 6 माह में प्रत्येक स्थान पर रोगियों की संख्या कितनी रही हैं ? इनमें से भर्ती किये गये रोगियों की संख्या प्रति माह क्या है ? प्रत्येक रोगी पर कितना खर्चा राज्य सरकार ने किया है ?

(3) क्या सरकार की नीति के अनुसार इन चिकित्सालयों में हरिजन, गरीब व बूढ़े रोगियों को दवाइयां मुफ्त मिलती हैं ? क्या ऐसा कोई रिकार्ड किसी चिकित्सालय में है कि रोगियों को दवाइयां मुफ्त दी गई ? यदि हां, तो उन रोगियों की संख्या क्या है और कितने रुपये की दवाइयां उन्हें दी गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अलग से ऐसा रिकार्ड बनवाने पर विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में कुल 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (डिस्पेंसरी) गांवों में स्थित है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का वार्षिक बजट लगभग 2 लाख रुपये है। डाक्टर गांव में रहे उसके लिए पूरे प्रयास किये जाते हैं। डाक्टरों के निवास स्थान उपलब्ध है शेष स्थानों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (डिस्पेंसरियों) पर 1991 के प्रथम 6 माह में आये रोगियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

नाम संस्थान	आउटडोर	इनडोर
1. चकमहाराज का	3196	—
2. ढाबा	1302	—
3. हाकमाबाद	2473	—
4. पन्नीवाली	2384	—
5. किशनपुरा	2345	—
6. लालगढ	4319	15
7. मालारामपुरा	5752	—
8. दीनगढ़	1305	—
9. डूगरसिंहपुरा	3997	—

औसतन आउटडोर रोगियों के लिए 1–50 रु. प्रतिदिन प्रति रोगी एवं भर्ती मरीज के लिए 1200/– प्रति शैया प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है।

(3) जी हां, अस्पताल में उपलब्ध समस्त औषधियां मुफ्त दी जाती है जिसके लिए पृथक से रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

थानागाजी तहसील के पुरातात्विक महत्व के स्थलों की रख–रखाव

74. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या पुरात्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थानागाजी तहसील में प्रतापगढ़ एक ऐतिहासिक कस्बा है। जिसके चारों ओर सैकड़ों वर्ष पूर्व में बनाई गई चार दीवारी एवं बुर्ज है।

(2) क्या यह सही है कि चार दीवारी की प्रसिद्ध पई एवं बड़ा दरवाजा के बुर्जो को स्थानीय लोग तोड़कर पत्थर ले जा कर बेच रहे हैं।

(3) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के पुरात्व महत्व के चिन्हों को सुरक्षित रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। चार दीवारी एवं बुर्ज लगभग 200 वर्ष पूर्व की है।

(2) उक्त गढ़ विभाग के अधीन नहीं है।

(3) सरकार के साधन सीमित हैं; अतः सभी स्थानों का संरक्षण करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, बांदीकुई में प्रभारी डाक्टर का निवास

75. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई में प्रभारी डॉक्टर निवास कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो इससे होने वाली मरीजों की परेशानी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में बने निवास में नहीं रह रहे हैं। प्रभारी, अस्पताल के पास ही रहते है इसलिए, मरीजों को उनकी सेवाऐं प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती है।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित लघु सिंचाई योजनाएं

76. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जहाजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गत दो वर्षों में कितनी लघु सिंचाई योजनाएं अकाल राहत, एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. एवं जे. आर. वाई. आदि योजनाओं में स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत योजेनायें कितनी लागत की थी एवं उनमें अब तक किन-किन योजनाओं में कितनी–कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? इनमें से कितनी एवं कौन कौनसी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं ? जो पूरी नहीं हुई उसके क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस वित्तीय वर्ष में अपूर्ण

(श्री शिवजीराम)

कार्यों को किस योजना में लेकर पूरा किया जावेगा, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में एक लघु सिचाई योजना (मेघपुरा) प्लान मद में तथा नौ एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. के अधूरे कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये। सूची प्रपत्र "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) योजना मद में सिर्फ एक योजना मेघपुरा रु. 3.30 लाख की स्वीकृत थी जो कि वर्ष 1990-91 में पूर्ण कर दी गई है व उस पर 3.30 लाख रुपये व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त एन. आर. ई. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. के नौ अधूरे कार्य है जिनकी कुल लागत 503.90 लाख रुपये है। इनमें से एक कार्य बिजेठा पूर्ण हो गया है। मार्च, 91 तक इन नौ कार्यों पर रु. 187.07 लाख खर्च हुये। शेष आठ कार्य बजट के अभाव में बन्द व अपूर्ण है। विवरण प्रपत्र "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) इस प्रकार के बहुत से अधूरे कार्य है जिनको पूर्ण करने के लिए एक बडी धनराशि चाहिये। अतः ऐसे कार्यों को कब तक पूरा किया जा सकेगा यह कहना संभव नहीं है।

"प्रपत्र–अ"

जयपुर विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में स्वीकृत योजनाओं का विवरण

(राशि लाखों में)

1. योजना मद (प्लान) :—

योजना का नाम—मेघपुरा

2. एन. आर. ई. पी. आर. एल. ई. जी. पी. योजना के अधुरे कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत।

1. शक्करगढ़
2. बेई गेसूला
3. झालरा बावड़ी
4. सरसिया चारण
5. गणेशपुरा
6. भोमलिया
7. शिवसागर पारोली
8. सरला सागर
9. बिजेठा

"प्रपत्र -ब"

योजनाओं की लागत व व्यय की गई राशि का विवरण (लाखों में)

योजना मद :—

क्र. सं.	नाम परियोजना	कुल लागत	व्यय की गई राशि	वांछित राशि	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6
1.	मेघपुरा	3.30	3.30	—	पूर्ण
	जवाहर रोजगार योजना :—				
1.	शक्करगढ़	118.37	44.63	73.74	अपूर्ण
2.	बेई गेसूला	38.26	17.89	20.37	"
3.	झालरा बावड़ी	31.97	26.60	5.37	"
4.	सरसिया चारण	29.49	18.36	11.13	,
5.	गणेशपुरा	68.15	9.19	58.96	"
6.	भोमलिया,	35.45	13.08	22.37	"
7.	सरला सागर	49.14	33.45	15.69	"
8.	शिवसागर पारोली	132.07	23.01	109.06	"
9.	बिजेठा	1.00	0.86	0.14	"
		503.80	187.07	316.83	

बीकानेर शहर में रेल्वे फाटकों से उत्पन्न यातायात समस्या

77. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह भी सही हैं कि बीकानेर शहर के बीच रेल्वे के फाटकों के बार–बार बंद होने से आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो इन रेल्वे फाटकों की समस्या का समाधान करने हेतु राज्य सरकार ने क्या–क्या कदम गत डेढ़ वर्ष में उठाये एवं इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक हो जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने व्यय से रेल्वे के अधिकारियों के माध्यम से मीटर गेज के ट्रेक को शहर से बाहर बाई पास बनाकर रेल्वे फाटकों की समस्या को हल करने हेतु एक सर्वे कराया था ? यदि हां, तो सर्वे प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें । इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुयी ?

(3) क्या यह सही है कि रेल मंत्रालय, बीकानेर के रेल्वे फाटकों की समस्या का समाधान करने हेतु बाई पास बनाने के कार्य के लिये 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय करने हेतु आश्वासन चाहता ? है यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी स्वीकृति भिजवा दी है ? यदि नहीं, तो कब तक इस हेतु आवश्यक स्वीकृति भेज दी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बाई पास के बनाने हेतु भूमि अधिग्रहीत कर रेल्वे को सौंपने का निर्णय ले लिया गया था ? यह निर्णय कब लिया गया ? भूमि अधिग्रहण पर कितना व्यय भार होगा ?

उत्तर

(1) जी हां । रेल्वे फाटकों की समस्या के समाधान हेतु गत डेढ़ वर्ष में सा. नि. वि. के माननीय मंत्री महोदय ने तत्कालीन माननीय रेल मंत्री को पत्र दिनांक 4.4.90 से अनुरोध किया कि नई ब्रॉडगेज लाइन घडसीसर से लालगढ़ तक मीटरगेज लाइन के अलाईमेंट पर न डालकर बीकानेर शहर के बाहर से डाली जाए । इसी आशय का पत्र माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा दिनांक 15.1.91 केन्द्रीय रेल्वे मंत्री को लिखा गया है ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय की स्वीकृति अपेक्षित है एवं समस्या का स्थाई समाधान रेल मंत्रालय के सहयोग पर निर्भर करता है ।

(2) जी हां । रेल मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । इस सर्वेक्षण में 4,71,654 रुपये खर्च हुए जिसका सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेल्वे विभाग को भुगतान कर दिया गया ।

(3) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जी नहीं । परन्तु राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को इस संदर्भ में प्रस्ताव अवश्य भेजा था । भूमि अधिग्रहण की राशि भूमि अवाप्ति के समय निर्धारित मुआवजे पर निर्भर करेगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

बकरे एवं ऊंट के बालों पर आधारित उद्योग

78. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में बकरे एवं ऊंट के बालों पर आधारित उद्योग कहां-कहां हैं ? इनसे क्या-क्या वस्तुएं निर्मित होती हैं ? मुख्य रूप से इनका उपयोग क्या है ?

(2) क्या इनसे बनने वाली पट्टी का निर्यात होता रहा है ? यदि हां, तो कितना-कितना और कहां कहां ? गत पांच वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ? इस उद्योग में कितने लोग लगे हुए हैं ?

(3) इस उद्योग से विकास एवं विस्तार में क्या-क्या बाधाएं हैं ? राज्य सरकार इन्हें दूर करने के क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) बकरे एवं ऊंट के बालों पर आधारित उद्योग मुख्यतः प्रदेश बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में स्थित हैं। वहां पर जट पट्टी का निर्माण किया जाता है। इनका उपयोग स्टीमर तथा जहाजों में मेटिंग के रूप में किया जाता है।

(2) जी हां। चूंकि इसका निर्यात निजी व्यापारी/निर्माता/एक्सपोर्ट हाउसेज द्वारा किया जाता है। अतः इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(3) बकरे एवं ऊंट के बालों का हाथ निर्मित जट पट्टी का उत्पादन अच्छी किस्म का न होकर मोटा एवं खुरदरा होना। समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से इन क्षेत्र के लोगों को मशीनों द्वारा जट पट्टी निर्माण हेतु प्रशिक्षण बकरे व ऊंट के बालों के सीधे निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर केवल जट पट्टी के ही निर्यात को मान्यता दिये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सिकरोरी (कुम्हेर) से जहांगीरपुर आदि स्थानों पर सड़कों में मिसिंग लिंक

79. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिकरोरी (कुम्हेर) से जहांगीरपुर पिचूमर बरताई से उसरानी नैरावर होकर जुनथर तक निर्माणाधीन सड़क में तीन स्थानों पर मिसिंग लिंक है जिनकी लम्बाई लगभग दो कि.मी. है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कितनी कितनी लम्बी मिसिंग लिंक है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिसिंग लिंक के कारण उक्त मार्ग से यातायात में अवरोध होता है ? इन मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त मिसिंग लिंक्स को कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(अ) ग्राम सिकरोरी में ग्राम पोर्सेस 0.50 किमी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(ब) पिचूमेर में 1.80 किमी.

(स) बरताई में 0.55 किमी. गांव पोर्सन तक।

(2) जी हां। उपरोक्त मिसिंग लिंक को पूरा करना राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत, प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बीकानेर जिले में सड़कों का निर्माण कार्य

80. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1985 से 1991 तक बीकानेर जिले में किन-किन सड़कों के निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी धन राशि स्वीकृत की गई? सड़क का नाम, धनराशि, निर्माण कार्य पूरा हुआ या नहीं, का पूर्ण विवरण सदन की मेज पैर पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है? क्या सामग्री सही ढंग से पूरी मात्रा में नहीं लगाने के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें की गई? यदि हां, तो किस-किस सड़क की शिकायत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं करवाने के कारण सरकारी कर्मचारी व अधिकारी निलम्बित किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को बहाल करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सन् 1985 से 1991 तक बीकानेर जिले में कुल 55 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। वांछित विवरण सलग्न प्रपत्र "अ" में अंकित है।

(2) जी नहीं। सन् 1985 से 1991 तक स्वीकृत 55 सड़क निर्माण कार्यों में से केवल 15 सड़क कार्यों का निर्माण ही अधूरा है। सड़क निर्माण कार्यों में सामग्री सही ढंग से पूरी मात्रा में नहीं लगाने संबंधित शिकायतों का विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) जी हां। निलम्बित सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को बहाल करना जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

परिशिष्ट "अ"

रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आशार्थी (30–6–91) :

क्र. सं.	रोजगार कार्यालय का नाम	जीविका पंजिका	
		शिक्षित	अशिक्षित
(1)	अजमेर	23799	25207
(2)	अलवर	28869	18831
(3)	बांसवाड़ा	7772	4814
(4)	बाड़मेर	6080	7434
(5)	भरतपुर	12498	8327
(6)	भीलवाड़ा	26017	18066
(7)	बीकानेर	12568	15126
(8)	बून्दी	6754	4965
(9)	चित्तौड़गढ़	13038	11561
(10)	चूरू	11705	5778
(11)	धौलपुर	5877	4612
(12)	डूंगरपुर	7363	6081
(13)	जयपुर	122366	61475
(14)	जैसलमेर	2965	4198
(15)	जालौर	6757	3799
(16)	झालावाड़	7863	2632
(17)	झुन्झुनू	18852	13717
(18)	जोधपुर	24589	37194
(19)	कोटा	22352	14523
(20)	नागौर	22930	7652
(21)	पाली	12667	6924
(22)	सवाई माधोपुर	22169	13339
(23)	सीकर	20208	9423
(24)	सिरोही	4106	4040
(25)	श्री गंगानगर	23504	14492
(26)	टौंक	10238	8513

1	2	3	4
(27)	उदयपुर	22573	29081
(28)	पी.एण्ड.ई., जयपुर	21241	—
(29)	विशेष नियोजन कार्यालय, विकलांग, जयपुर	1294	1883
(30)	यू.ई.बी., जयपुर	276	—
(31)	यू.ई.बी., जोधपुर	1541	—
(32)	यू.ई.बी.. उयपुर	1265	—
	योग	533096	363687

परिशिष्ट "ब"

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से गत डेढ़ वर्ष (1 जनवरी, 90 से जून, 91) में नियोजित आशार्थी।

क्रमांक	रोजगार कार्यालय का नाम	नियोजित आशार्थी
(1)	अजमेर	759
(2)	अलवर	857
(3)	बांसवाड़ा	596
(4)	बाड़मेर	569
(5)	भरतपुर	234
(6)	भीलवाड़ा	610
(7)	बीकानेर	273
(8)	बून्दी	428
(9)	चित्तौडगढ़	553
(10)	चूरू	103
(11)	धौलपुर	145
(12)	डूंगरपुर	382
(13)	जयपुर	551
(14)	जैसलमेर	205
(15)	जालौर	229

क्रमांक	रोजगार कार्यालय का नाम	नियोजित आशार्थी
(16)	झालावाड़	385
(17)	झुन्झुनूं	437
(18)	जोधपुर	868
(19)	कोटा	831
(20)	नागौर	316
(21)	पाली	304
(22)	सवाई माधोपुर	255
(23)	सीकर	327
(24)	सिरोही	265
(25)	श्रीगंगानगर	495
(26)	टोंक	248
(27)	उदयपुर	1161
(28)	पी.एण्ड.ई., जयपुर	163
(29)	विशेष रोज. कार्यायय (विकलांग), जयपुर	10
(30)	यू.ई.बी., जयपुर	—
(31)	यू.ई.बी., जोधपुर	74
(32)	यू.ई.बी., उदयपुर	122
	योग	12755

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 का विवरण

प्रपत्र–"अ"

राजस्थान सरकार

स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	दिया गया खनन क्षेत्र	लीज पंजियन की तिथि	पट्टे की अवधि
1.	श्री जफर मोहम्मद, बडोरा	120 × 60 वर्ग मीटर ग्राम रघुनाथपुरा	11.9.80	नवीनीकरण से 10.9. 95 तक
2.	श्री अब्दुल गफार, बडोरा	150 × 60 वर्ग मीटर ग्राम रघुनाथपुरा	1.11.77	नवीनीकरण से 30.10.92 तक
3.	श्री अमीन बख्श, बडोरा	120 × 60 वर्गमीटर, ग्राम रघुनाथपुरा	12.10.77	नवीनीकरण से 11.10.92 तक
4.	श्री अब्दुल गनी, बडोरा	120×60 वर्गमीटर, ग्राम सुरपा	18.11.77	नवीनीकरण से 17.11.92 तक
	श्री मोहम्मद फागिद, कोटा	10800 वर्ग मीटर ग्राम बडोरा	1.5.87	मूल अवधि से 30.4.97 तक

वर्ष 1990 से पाये गये अनाधिकृत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	अनाधिकृत खननकर्ता का नाम	क्षेत्र	निकाले गये खनिज की मात्रा टन में	खनिज की कीमत रुपये में
1.		बडोरा	दिनांक 3.5.90 को वक्त चेंकिग मजदूर औजार छोड़कर भाग गये।	
2.	श्री अब्दुल मानिक, बडोरा	,,	400	72,000/–
3.	श्री अमीनुक्खां खां, बडोरा	,,	325	5,850/–
4.	श्री अब्दुल सतार बडोरा	,,	160	10,000/–
5.	श्री उमर राज, बडोरा	,,	216	38,880/–
6.	श्री जफर मोहम्मद, बडोरा	17×3, 7×3 वर्गमीटर रघुनाथपुरा (खनन पट्टे से बाहर	263.6	37,448/–
7.	श्री अब्दुल गनी, बडोरा	50×20, 30×10 वर्गमीटर सुरपा	456.8	1,87,704/–

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची

स्वीकृत खनन–पट्टों की सूची

परिशिष्ट—"क"

क. सं.	पट्टेधारी का नाम व पता	खान संख्या	क्षेत्र	क्षेत्रफल	खनन पट्टे की अवधि	मृतक भाटक
1.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह	115/88	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	19/6/89 से 18/6/99 तक	6500/–
2.	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री शिवसिंह	116/88	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	19/6/89 से 18/6/99 तक	6500/–
3.	श्री रिडमल सिंह पुत्र श्री महेशदान सिंह	119/88	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	27/3/90 से 26/3/2000	6500/–
4.	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री तेज सिंह	120/88	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	19/6/89 से 18/6/99 तक	6500/–
5.	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री ओम सिंह	121/88	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	29/11/89 से 28/11/99 तक	6500/–

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री मानमल सिंघवी पुत्र श्री रिघबदास	347/89	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	22/3/91 से 21/3/2001	6500/–
7.	श्री मानमल सिंघवी पुत्र श्री रिघबदास	049/90	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	05/04/91 से 04/04/2001	6500/–
8.	श्री धन्नाराम पुत्र श्री कुम्भाराम पटेल	365/89	पीपलून	100×100 वर्ग मीटर	27/03/91 से 26/03/2001	6500/–

परिशिष्ट "ख"

आवेदित आवेदन-पत्रों की सूची जो कि वन विभाग से अनापत्ती प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण लम्बित है :—

क. सं.	आवेदक का नाम	एम. एल. सं.	आवेदन की तिथि	क्षेत्र	क्षेत्रफल	वन विभाग को भेजे गये पत्र का क्रमांक व दिनांक
1.	श्री मनीष भंडारी	06/91	5/1/91	पीपलून	1 हैक्टेयर	672/4–4–91
2.	,, मनीष भंडारी	22/91	5/1/91	,,	,,	,,
3.	श्रीमती शीला मेहता	32/91	15/2/91	,,	,,	297/16–4–91
4.	श्री सुरेश भंडारी	33/91	15/2/91	,,	,,	300/16–4–91
5.	श्रीमती दीपिका लाल माथुर	42/91	16/2/91	,,	,,	303/16–4–91
6.	श्री नारायण लाल पटेल	72/91	20/2/91	,,	,,	234/11–4–91
7.	,, रिडमल सिंह	157/91	2/5/91	,,	,,	808/18–5–91
8.	,, मनोहरसिंह	158/91	2/5/91	,,	,,	769/18–5–91
9.	,, ओमप्रकाश चौधरी	208/91	15/5/91	,,	,,	1460/30–7–91
10.	श्रीमती दीपिका लाल माथुर	239/91	7/8/91	,,	,,	1627/9–8–91

216

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची

परिशिष्ट–1

खनन पट्टों की सूची बाबत खनिज जिप्सम

क्र. संख्या	पट्टाधारी का नाम	खनिज	ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल	अवधि	माप जिसमें खनन कार्य किया जा रहा है।
1.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, बीकानेर	जिप्सम	देसली	अनूपगढ़	445–93 है.	14.7.71 से 13.9.91	53–50 हैक्टेयर्स
2.	ऐजन	जिप्सम	बरामसर, पूरबसर	नोहर	6243–17 है.	15.2.77 से 16.2.97	229 हैक्टेयर्स

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RELIEF DEPARTMENT

Statement Showing the Districtwise & Departmentwise No. of Incomplete Works

Sr. No.	District	P.W.D.	Irriga-tion	Forest	S. Cons.	Total
1.	Ajmer	229	241	—	5	475
2.	Alwar	139	34	2	—	175
3.	Banswara	67	50	1	20	138
4.	Baran	31	—	—	—	31
5.	Barmer	121	30	—	9	160
6.	Bharatpur	58	20	19	—	97
7.	Bhilwara	113	154	17	21	305
8.	Bikaner	86	—	—	—	86
9.	Bundi	53	28	17	—	98
10.	Chittorgarh	110	52	7	—	169
11.	Churu	169	—	3	—	172
12.	Dausa	32	—	22	—	54
13.	Dholpur	30	30	10	1	71
14.	Dungarpur	125	18	12	—	155
15.	Ganganagar	7	4	—	—	11
16.	Jaipur	76	112	3	—	191
17.	Jaisalmer	44	66	—	—	110
18.	Jalore	131	40	12	1	184
19.	Jhalawar	39	—	—	—	39
20.	Jhunjhunu	60	—	—	—	60

1	2	3	4	5	6	7
21.	Jodhpur	148	67	—	10	225
22.	Kota	16	32	9	—	57
23.	Nagaur	278	31	—	—	309
24.	Pali	48	203	—	10	261
25.	Rajsamand	105	—	18	—	123
26.	Sikar	191	29	5	7	232
27.	Sirohi	62	84	6	4	156
28.	S. Madhopur	105	34	2	2	143
29.	Tonk	54	9	—	8	71
30.	Udaipur	200	177	25	26	428
:		2927	1545	190	124	4786

COMPUTER CELL RELIEF GENERAL/NO-INC

परिशिष्ठ—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची

परिशिष्ट-"अ"

कार्यरत स्टाफ की सूची

क्र. सं.	स्टाफ का पद	स्टाफ की संख्या
1.	अधिशाषी अभियन्ता	1
2.	सहायक अभियन्ता एवं स. सहायक	1
3.	सहायक अभियन्ता यांत्रिक	1
4.	सहायक अभियन्ता सिविल	3
5.	कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक	4
6.	कनिष्ठ अभियन्ता सिविल	12
7.	कार्यालय सहायक	1
8.	खण्डीय लेखाधिकारी	1
9.	कनिष्ठ लेखाकार	1
10.	वरिष्ठ प्रारूपकार	1
11.	कनिष्ठ प्रारूपकार	1
12.	अनुरेखक	1
13.	फेरोमैन	1
14.	वरिष्ठ लिपिक	9
15.	कनिष्ठ लिपिक	11
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9
	योग :—	58

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की तालिका

तालिका–"अ"

Addl. Irrigation-potential created during VII Plan. 1990–91 & 1991–92 (Upto June, 91)

(Hect.)

S. No.	Name of Projects.	Ultimate Irrigation potential.	Potential created upto VII plan.	Additional pot. created during 1985-86	86-87	87-88	88-89	89-90	Total ach. during VII plan.	Total pot. created upto VII plan.	Addl. pot. created during 1990-91	1991-92 (upto June' 1991)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(A)	Multipurpose project	53200	4875	600	1000	1000	369	—	2969	7844	3000	—
1.	Chambal Lift Scheme	53200	4875	600	1000	1000	369	—	2969	7844	3000	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(B)	Major Projects.	49396	10000	12000	3420	2220	5941	2220	25801	35801	6245	50
1.	Jakham	21981	—	12000	3420	2220	2441	400	20481	20481	625	50
2.	Gurgaon Canal	28200	10000	—	—	—	3500	1820	5320	15320	5620	—
(C)	Medium Projects	65828	24884	2290	7688	6290	3112	3280	22660	47544	4375	—
1.	Maja Feeder	5254	4000	250	23	981	—	—	1254	5254	—	—
2.	Wagon	5541	5541	—	—	—	—	—	—	5541	—	—
3.	Kothati	3075	1200	1200	675	—	—	—	1875	3075	—	—
4.	Bassi	3169	—	—	1800	1223	146	—	3169	3169	—	—
5.	Son Kagdar	4945	750	70	90	100	1818	1500	3578	4328	315	—
6.	Panchana	9980	412	—	—	200	448	1100	1748	2160	—	—
7.	Bhim Sagar	9986	1700	200	4800	3286	—	—	8286	9986	—	—
8.	Bilas	2700	—	—	—	—	—	530	530	530	2060	—
9.	Sawan Bhadon	3200	—	—	—	—	—	—	—	—	1000	—
10.	Harish Chandra Sagar	17978	11281	570	300	500	700	150	2220	13501	1000	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(C)	Modernisation Projects	35180	11935	610	266	245	585	525	2231	14166	348	—
	1. Gambhiri	4770	1130	100	200	130	120	120	670	1800	—	—
	2. Jaisamand (Udaipur)	4620	660	90	15	—	—	—	105	765	300	—
	3. Meja	1690	660	50	51	115	115	105	436	1096	48	—
	4. Morel	2800	1220	—	—	—	80	—	80	1300	—	—
	5. Mashi	2000	845	110	—	—	100	150	360	1205	—	—
	6. Gudha	2140	1810	80	—	—	30	—	110	1920	—	—
	7. Alnia	1700	500	100	—	—	50	—	150	650	—	—
	8. Parwan	4420	2100	80	—	—	40	—	120	2220	—	—
	9. Parwati (Kota)	7570	2190	—	—	—	50	—	50	2240	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10. Galwa	3470	820	—	—	—	—	150	150	970	—	—
	E–Minor Irrigation Proj.			3926	5012	11061	10574	6423	36996		7394	502
	Total C.E.I.			19426	17386	20816	20581	12448	90657		21362	552
	(I) Mahi	128600	40050	13350	11570	6230	890	890	32930	72980	1780	—
	(II) IGNP	1388000	612000	145000	18100	24880	20490	36200	114170	726170	37510	—
	G. Total :—			47276	47056	51926	41961	49538	237757		60652	552

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूची

सवाईमाधोपुर जिले में चिकित्सकों के रिक्त स्थानों की सूची :—

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालाहेडी
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करणपुर
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलारनाचोड
4. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, बोंली
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, सपोटरा
6. प्रा. स्वा. केन्द्र, बहरामदाखुर्द
7. प्रा. स्वा. केन्द्र, मित्रपुर
8. प्रा. स्वा. केन्द्र, कैमरी
9. प्रा. स्वा. केन्द्र, सायपुर
10. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम
11. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सवाई माधोपुर
12. प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाचन्द्रजी
13. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, गंगापुर
14. उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, हिन्डौन
15. प्राचीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र, मासलपुर
16. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बावनवास
17. प्रा. स्वा. केन्द्र, मीना कोलेता
18. सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची

क्र.सं.	विभाग	इकाई संख्या	इकाई प्रभारी आचार्य	बाह्य रोगी दिवस	रविवार
1.	कार्डियोलोजी	एक	डा. वी.एस. बल्दुवा	सोमवार, गुरुवार	–
2.	,,	दो	डा. (श्रीमती) अमृत खालसा	बुधवार, शनिवार	–
3.	नेफ्रोलोजी	एक	डा. के.एस. रत्नू	शनिवार	–
4.	,,	दो	डा. एस.के. पारीक	बुधवार	–
5.	गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	एक	डा. डी.एस. पोकरना	मंगल, शुक्रवार	–
6.	न्यूरोलोजी	एक	डा. अशोक पानगरिया	मंगल, गुरुवार	–
7.	सर्जीकल	एक	डा. ओंकार सक्सैना	सोमवार I, शनिवार	प्रथम
8.	,,	दो	डा. पी.के. वान्चू	गुरुवार II शनिवार	द्वितीय
9.	,,	तीन	डा. पी.सी. काला	मंगलवार II शनिवार	तृतीय
10	,,	चार	डा. आर.एस. माथुर	बुधवार–चार शनि.	चार
11.	,,	पांच	डा. पी. विकर्स	शुक्रवार – पांच शनि.	पांच
12.	न्यूरो सर्जरी	एक	डा. एस.आर. धारकर	सोमवार, शुक्रवार	प्रथम तृतीय पांच
13.	,,	दो	डा. पी.पी.एस. माथुर	बुधवार शनिवार	दो, चार
14.	प्लास्टिक सर्जरी	एक	डा. मालती गुप्ता	सोमवार, गुरुवार	–
15.	सी. टी. सर्जरी	एक	डा. के.एस. यादव	मंगलवार शुक्रवार	–

1	2	3	4	5	6
16.	सी.टी. सर्जरी	दो	डा. रमाकान्त सक्सेना		
17.	अस्थि रोग	एक	डा. जे.सी. शर्मा	सोम, गुरु	प्रथम, चार
18.	,,	दो	डा. वी.के. पाण्डे	प्रतिदिन	
19.	,,	तीन	डा. माधो उपाध्याय	मंगल, शुक्र	दो, पांच
20.	,,	चार	डा. सी.एस. शर्मा	बुध, शनि	तृतीय
21.	आर. आर. सी.	एक	डा. (श्रीमती) गीतादेवी	प्रतिदिन	
22.	नेत्र रोग विभाग	एक	डा. ए.एस. मल्होत्रा	सोम, गुरु	प्रथम, चार
23.	,,	दो	डा. सुभाष शर्मा	मंगल, शुक्र	दो, चार
24.	,,	तीन	डा. (श्रीमती) इन्दु अरोड़ा	बुध, शनि	तृतीय
25.	ई. एन. टी.	एक	डा. के.सी. राय	मंगल, गुरु, शनि	एक, तीन पांच
26.	,,	दो	डा. एन.वी. कृष्णा	सोम, बुध, शुक्र	दो चार
27.	स्कीन वी. डी.	एक	डा. एन.के. माथुर	सोम, बुध, शुक्र	
28.	,,	दो	डा. ऋषि भार्गव	मंगल, गुरु, शनि	
29.	यूरोलोजी	एक	डा. एस.सी. माथुर	सोम, बुध, शुक्र	
30.	,,	दो	डा. आर.के. गुप्ता	मंगल, गुरु, शनि	
31.	साकेट्रिक		डा. भोजक	मंगलवार	
32.	,,		डा. कृष्ण कंवर	शुक्रवार	
33.	,,		डा. शिवगोतम	गुरुवार	
34.	,,		डा. जी.वी. अग्रवाल	बुधवार	

1	2	3	4	5	6
35.	साकेट्रिक		डा. प्रदीप शर्मा	सोमवार, रविवार	
36.	,,		डा. आर.के. सोलंकी	शनिवार	
37.	दन्त, चिकित्सा		डा. एस. भट्टाचार्य	गुरुवार	प्रथम
38.	,,		डा. एम.के. शर्मा	मंगलवार	तीन
39	,,		डा. एच.एच. हाथी	बुधवार	दो
40.	,,		डा. योगेश कमठान	शुक्रवार	चार
41.	,,		डा. पी.के. अग्रवाल	शनिवार	
42.	रेडियो थैरेपी		डा. पी.एल. नवलखा	प्रतिदिन	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची

राजगढ स्थित अस्पताल में स्वीकृत पदों का विवरण

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	(सर्जरी, मेडिसन, गायनी)
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	
3. चिकित्सा अधिकारी	2	
4. वरिष्ठ लिपिक	2	
5. कनिष्ठ लिपिक	1	
6. नर्स ग्रेड प्रथम	2	
7. नर्स ग्रेड–II/स्टाफ नर्स	8	
8. एक्सरे टैक्नीशियन	2	
9. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	
10. सिस्टर	1	
11. वरिष्ठ लेब. टैक्नीशियन	1	
12. प्रसाविका	4	
13. लेब. टैक्नीशियन	2	
14. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	
15. सफाई कर्मचारी	2	
16. चालक	1	

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची

(झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में स्वीकृत/कार्यरत स्टाफ का विवरण)

क्र. सं. पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	1	1	—
2. वरिष्ठ विशेषज्ञ	4	3	1
3. कनिष्ठ विशेषज्ञ	32	19	13
4. उप नियंत्रक	1	—	1
5. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	19	19	—
6. चिकित्सा अधिकारी	59	54	5
7. दन्त चिकित्सिक	1	1	—
8. नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी प्रथम	1	—	1
9. नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी–II	3	3	—
10. सिस्टर	5	5	—
11. मेलनर्स श्रेणी प्रथम	21	21	—
12. मेलनर्स श्रेणी–द्वितीय	108	100	8
13. स्टाफ नर्स	27	20	7
14. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	20	20	—
15. प्रसाविका	8	8	—
16. रेडियोग्राफर	5	3	2
17. फिजियोथेरापिस्ट	1	1	—
18. लेब. टैक्नीशियन	1	1	—
19. टैक्नीकल असिस्टेन्ट	2	1	1

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
20.	डेन्टल टैक्नीशियन	1	1	—
21.	केयर टेकर	2	2	—
22.	वाहन चालक	4	4	—
23.	इलेक्ट्रीशियन	1	1	—
24.	दाई	9	9	—
25.	वार्ड वाय/हरीजन	201	187	14
26.	लेब. टैक्नीशियन	41	41	—
27.	सहायक रेडियोग्राफर	4	1	3
28.	टी.बी. हेल्थ विजीटर	1	1	—
29.	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	—
30.	वरिष्ठ लिपिक	24	24	—
31.	कनिष्ठ लिपिक	20	16	4

जिले झालावाड़ के चिकित्सालयों में औषधियों के मद में आवंटित बजट एवं खर्च का ब्यौरा वर्ष 1977–78 से 90–91 तक एव 91–92

वित्तीय वर्ष	औषधियों के मद में आवंटित राशि	खर्च	लेप्स राशि	विशेष विवरण
1977–78	6,97,000/–	6,97,000/–	—	म.चि. एवं. स्वा. अधि.
1978–79	7,41,500/–	7,41,500/–	—	"
1979–80	5,86,400/–	5,86,4000/–	—	"
1980–81	9,65,000/–	9,65,000/–	—	"
1981–82	8,92,700/–	8,92,700/–	—	"

1	2	3	4	5
1982–83	12,18,700/–	12,18,700/–	—	म.चि एव. स्वा. अधि.
1983–84	15,71,500/–	15,71,500/–	—	,,
1984–85	18,56,000/–	18,56,000/–	—	,,
1985–86	15,11,000/–	15,11,000/–	—	,,
1986–87	21,37,000/–	21,37,000/–	—	,,
1987–88	22,45,000/–	22,45,000/–	—	,,
1988–89	17,64,000/–	17,64,000/–	—	,,
1989–90	25,21,000/–	25,21,000/–	—	,,
1990–91	38,00,000/–	38,00,000/–	—	,,
1991–92	2,86,000/–	2,86,000/–	—	प्रिन्सीपल मेडिकल आफिसर